खण्ड-255, अंक-3
गुरूवार, 20 फाल्गुन, शक संवत् 1886
(11 मार्च, 1965 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 255 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)

१९६५

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ
उपस्थित सदस्य	२२९–
सरकार द्वारा शिक्षकों की मांगों को स्वीकार न किये जाने के विरोध में विरोधी दलों द्वारा सदन का परित्याग	२३३–
प्रश्नोत्तर	२३५–
विभिन्न अनुदानों पर मतदान के परिवर्तित कार्यक्रम के सम्बन्ध में सूचना ..	२
१९६५–६६ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान—अनुदान संख्या ३—राज्य आबकारी (स्वीकृत)	२
अनुदान संख्या १८—चिकित्सा तथा अनुदान संख्या १९—सार्वजनिक स्वास्थ्य (स्वीकृत)	२७२–३
नत्थियां	३२७–३

विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बृहस्पतिवार, ११ मार्च, १९६५

विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री मदनमोहन वर्मा की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्य--३७०

अक्षयवर्सिंह, श्री
अखण्डप्रतापसिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अनीसुर्रहमान, श्री
अब्दुल समी, श्री
अब्दुल हसीब खां, चौधरी
अमजद अली, श्री
अयोध्याप्रसाद, श्री
अवधनारायणप्रतापसिंह, श्री
अवधेशकुमार सिनहा, श्री
अवेद्यनाथ, श्री
अहमद बख्श, श्री
इन्द्रपाल, श्री
इरतजा हुसैन, श्री
ईश्वरशरण, श्री
उमादत्त, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उल्फतसिंह यादव, श्री
ऊदल, श्री
ऋषिनारायण शास्त्री, श्री
एस० जी० दत्त, श्री
ए० सी० ग्राइस, श्री
ओंकारनाथ द्विवेदी, श्री
कंधईलाल, श्री
कन्हैयालाल, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमलासिंह यादव, श्री
कलारानी मिश्रा, श्रीमती
कल्पनार्थसिंह, श्री
कल्याणचन्द मोहिले, श्री
(उपनाम छुन्नन गुरु)
कल्याणराय, श्री
काशीनाथबहादुर पाल, श्री
काशीनाथ मिश्र, श्री
काशीप्रसाद द्विवेदी, श्री
किशोरीलाल अग्रवाल, श्री
कुमार करुणा कृष्ण नायर, श्री
कृष्णपालसिंह, श्री
कृष्णसिंह, श्री
कृष्णा, श्री
कृष्णानन्द राय, श्री
केदारनाथ भार्गव, श्री
केशभान, श्री
केशरीप्रसाद पांडेय, श्री
केशव गुप्त, श्री
केशवराम, श्री
केशवसिंह, श्री
कैलाश, श्री
कोतवालसिंह भदौरिया, श्री
खयालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
खेमचन्द, श्री
गंगाधर मैठाणी, श्री
गंगाप्रसाद, श्री
गंगाप्रसाद वर्मा, श्री
गंगाप्रसादसिंह, श्री
गंगासिंह विष्ट, श्री
गणेशचन्द्र काछी, श्री

गनेशीलाल चौधरी, श्री
गयाप्रसाद, श्री
गयाप्रसाद मेहरोत्रा, श्री
गिरजाप्रसाद, श्री
गिरधारीलाल, श्री (वाराणसी)
गिरवरप्रसाद, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गुलाबसिंह, श्री
गोकुलप्रसाद, श्री
गोपीनाथ दीक्षित, श्री
घनश्यामदास, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चन्दनसिंह, श्री
चन्द्रजीत यादव, श्री
चन्द्रदेव, श्री
चन्द्रपाल, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चम्पावती, श्रीमती
चिरंजीलाल जाटव, श्री
चुन्नीलाल, श्री
छत्रपति अम्बेश, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जगदीशनारायण सिनहा, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री (बहराइच)
जगदीशप्रसाद, श्री (मुरादाबाद)
जगदीशप्रसाद पांडेय, श्री
जगदीशशरण अग्रवाल एडवोकेट, श्री
जगदीशशरण रस्तोगी, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जगन्नाथ राव, श्री
जगन्नाथसिंह, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जमादारसिंह, श्री
जमीलुर्रहमान किदवई, श्री
जयगोपाल, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जलील अब्बासी, काजी
जसरामसिंह, श्री
जियाउर्रहमान, श्री (उपनाम वक्कन)
जुगलकिशोर, श्री
जुगलकिशोर, आचार्य
जेड० ए० अहमद, श्री
जे० पी० मिश्र, श्री
ज्वालाप्रसाद, श्री
झारखण्डेराय, श्री
झिलमिटराम, श्री
टम्बेश्वरप्रसाद, श्री
डल्लाराम, श्री
डूंगरसिंह, श्री
तारा अग्रवाल, श्रीमती
तेजभानसिंह, कुंवर
तेजसिंह, श्री
त्रेपनसिंह, श्री
दयाराम शाक्य, श्री
दलजीतसिंह, श्री
दशरथप्रसाद, श्री
दाऊदयाल खन्ना, श्री
दीनदयाल करबरिया, श्री
दीपनारायणसिंह, श्री
दुर्गाप्रसाद, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवेन्द्रसिंह, श्री
देशराजसिंह, श्री
द्वारकाप्रसाद पाण्डेय, श्री
द्विजेन्द्रनारायण, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
धर्मसिंह, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नत्थूसिंह, श्री
नरदेवसिंह, श्री
नरसिंहनारायण पाण्डेय, श्री
नरेन्द्रसिंह, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नरोत्तमसिंह, श्री
नवरंगसिंह, श्री
नवलकिशोर, श्री
नाथूराम शिक्षक, श्री
नारायणसिंह, श्री
नित्यानन्द पांडेय, श्री
नियाज हसन खान, श्री
नियामतुल्ला अन्सारी, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नैनसिंह, श्री
नौरंगलाल, श्री
पंचमदास, श्री
परमाईलाल, श्री
पशुपतिनाथसरनसिंह, श्री
पातीराम अहरवार, श्री
पितईराम, श्री

पीतमसिंह प्रधान, श्री
पुरुषोत्तमलाल बधवार, श्री (राजा जी)
पूरनलाल, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रेमसिंह, श्री
प्रेमसुन्दर, श्री
फूलसिंह, श्री
बंशीधर पाण्डेय, श्री
बंशीधर मिश्र, श्री
बंशीलाल, श्री
बद्रीप्रसाद, श्री
बद्रीप्रसाद पालीवाल, श्री
बनारसीदास, श्री
बब्बनसिंह, श्री
बलदेवसिंह, सरदार
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बलवानसिंह, श्री
बलवीरसिंह, श्री
बसन्तलाल, श्री
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बसन्तसिंह, श्री
बांकेलाल, श्री
बाबूलाल, श्री
बाबूसिंह, श्री
बालेन्दुभूषणप्रतापसिंह, श्री
बालोजी अग्रवाल, श्री
बिपिनबिहारी तिवारी, श्री
बिशनलाल यादव, श्री
बृजबिहारी, श्री
बृजभूषणशरण, श्री
बृजमोहनलाल गुप्त, श्री
बृजराजसिंह, श्री
बृजरानी, श्रीमती
बृजेश्वर सहाय, श्री
बेचनराम, श्री
बेदराम, श्री
बेनीबाई, श्रीमती
बजनाथसिंह वैद्य, श्री
बैजूराम, श्री
ब्रह्मदत्त मायर, श्री
भगवानदास बरनवाल, श्री
भगवानदास यादवेन्दु, श्री
भगवानदीन, श्री
भगवान सहाय, श्री
भानुप्रतापसिंह, श्री
भीखालाल, श्री
भीमाप्रसाद, श्री
भूपसिंह, श्री
मंगल, श्री
मंगलप्रसाद आर्य, श्री
मतोलासिंह, श्री
मदनपालसिंह, श्री
मनसाराम, श्री
मन्नालाल, श्री
महमूद हसन खां, श्री
महरसिंह, श्री
महावीरप्रसाद, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महावीरसिंह, श्री
महेन्द्रसिंह, श्री
महेशसिंह, श्री
मालाप्रसाद, श्री
माधवप्रसाद त्रिपाठी, श्री
माधोनारायण मुद्गल, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मुकन्दीलाल बैरिस्टर, श्री
मुकुटबिहारीलाल, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुन्नूसिंह, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुलतानसिंह, श्री
मुहम्मद रफी खां, श्री
मुहम्मद हुसैन, श्री
मूलचन्द शास्त्री, श्री
मेवालाल जायवाल, श्री
मेड़ीलाल, श्री
मैनेजरसिंह, श्री
मोहनलाल, आचार्य
मोहनलाल अहिरवार, श्री
मोहनलाल वर्मा, श्री
मोहनसिंह, श्री
यशपालसिंह वर्मा, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
योगेश्वरप्रसाद खंडूड़ी, श्री
रक्षपालसिंह, श्री
रघुनाथ, श्री
रघुनाथप्रसाद, श्री
रघुनाथसिंह, श्री
रघुवीर, श्री
रघुवीरसहाय कैथवार, श्री

रघुवीरसिंह, श्री
रतीपाल, श्री
रणबहादुरसिंह, श्री
रमाकान्तसिंह, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राजदेव, श्री
राजनाथसिंह, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायण मिश्र, श्री
राजनारायणसिंह, श्री
राजाराम, श्री
राजेन्द्रकिशोरी, श्रीमती
राजेन्द्रकुमारी बाजपेयी, डाक्टर
राजेन्द्रसिंह, श्री
राधेश्याम शर्मा, श्री
रामआधार कनौजिया, श्री
रामअनन्त पांडेय, श्री
रामअवध, श्री
रामआसरे वर्मा, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकिशोर त्रिपाठी, श्री
रामकिशोर वर्मा, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामचन्द्रसिंह, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामनाथ पाठक, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामपालसिंह, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामबली मिश्र, श्री
रामभजन, श्री
राममूर्ति 'अंचल', श्री
रामरती, श्रीमती
रामरूपसिंह, श्री
रामलखन वकील, श्री
रामलखन शुक्ल, श्री
रामलखनसिंह, श्री
रामलाल, श्री
रामसमझावन, श्री
रामसिंह, श्री (एटा)
रामसिंह, श्री (मैनपुरी)
रामसिंह, श्री (सहारनपुर)
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसुन्दर शास्त्री, श्री
रामसूरतप्रसाद, श्री
रामस्वरूप भारतीय, श्री
रामायणराय, श्री
रामेश्वरनाथ, श्री (उपनाम चौबे)
रियासत हुसैन, श्री
रुकुमसिंह राठौर, कुंवर
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लखपतराम शर्मा, श्री
लखीसिंह, श्री
लालबहादुरसिंह, श्री (जौनपुर)
लालबहादुरसिंह, श्री (वाराणसी)
लोकपालसिंह, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वसी नकवी, श्री
विक्रमशाह, राजा
विचित्रनारायण शर्मा, श्री
विजयकुमार, श्री
विजयपालसिंह, श्री
विजयशंकर, श्री
विजयशंकरसिंह, श्री
विजयसिंह, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विनयलक्ष्मी सुमन, श्रीमती
विश्वनाथ पांडेय 'प्रणव', श्री
विश्वनाथप्रसाद, श्री
वीरसेन, श्री
वैजनाथ पांडेय, श्री
शंकरलाल, श्री
शकुन्तलादेवी, श्रीमती
शकुन्तला नायर, श्रीमती
शराफत हुसैन रिजवी, श्री
शान्तिचन्द्र शुक्ल, श्री
शान्तिप्रपन्न शर्मा, श्री
शारदानन्द, श्री
शारदाभक्त सिंह, श्री
शिवचरण, श्री
शिब्बनलाल सक्सेना, श्री
शिवदानसिंह, श्री
शिवमंगल, श्री
शिवमूर्ति, श्री
शिवसम्पति शर्मा, श्री
शिवेन्द्रप्रताप, श्री
शीतलप्रसाद, श्री
शुगनचन्द मजदूर, श्री
शुगनचन्द शर्मा, श्री

शौकत हमीद खां, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामसुन्दर शुक्ल, श्री
श्रद्धादेवी, कुमारी
श्रीपालसिंह, कुंवर
श्रीराम तिवारी, श्री
सईद अहमद, श्री
सत्यदेव, श्री
सत्यनारायण पांडेय, श्री
सत्यवीर कुंवर, श्री
सन्तसिंह यूसुफ, श्री
सरदारसिंह, श्री
सहदेवसिंह, श्री
सियादुलारी, श्रीमती
सियाराम गंगवार, डाक्टर
सीताराम, डाक्टर
सुक्खनलाल, श्री
सुखरामदास, श्री
सुखलाल, श्री (इटावा)
सुखलाल, श्री (लखनऊ)
सुचेता कृपालानी, श्रीमती
सुरजनराम विशारद, श्री
सुरेन्द्रविक्रम, श्री
सूबेदारसिंह, श्री
सूरजपालसिंह यादव, श्री
सूरजलाल गुप्त वकील, श्री
सेवाराम, श्री
सोहनलाल धुसिया, श्री
हमीद खां, श्री
हरिगैनराम, श्री
हरिनाथ तिवारी एडवोकेट, श्री
हरीदत्त काण्डपाल, श्री
हरीशकुमार गंगवार, श्री
हरीसिंह, श्री
हलीमुद्दीन, श्री
हिम्मतसिंह, श्री
हेतरामसिंह, श्री
हेमराज, श्री
होतीलाल अग्रवाल, श्री
होरीलाल यादव, श्री

नोट:—गृह मंत्री, श्री हरगोविन्दसिंह, गृह उपमंत्री, श्री शिवप्रसाद गुप्त तथा शिक्षा उपमंत्री, डाक्टर रामनारायण पाण्डेय भी उपस्थित थे ।

सरकार द्वारा शिक्षकों की मांगों को स्वीकार न किये जाने के विरोध में विरोधी दलों द्वारा सदन का परित्याग

श्री मुकन्दीलाल बैरिस्टर (जिला गढ़वाल)—

श्रीमन्, मुझे एक प्रश्न पूछना है कि क्या हमारे दोस्तों पर किसी ने हमला किया है जो सबकी बाहें टूट गयी हैं, पट्टी बंधी हैं। कम्युनिस्ट पार्टी के दोस्तों के दाहिने हाथ की बाहें टूटी हैं ।

(कोई उत्तर नहीं दिया गया ।)

श्री शारदाभक्तसिंह (जिला हरदोई)—

श्रीमन्, आज उत्तर प्रदेश में हजारों की संख्या में अध्यापक सरकार की गलत नीतियों और हठवादिता के कारण परीक्षा का बहिष्कार करने को बाध्य हुए। उनकी मांगें न्याय संगत हैं, उचित हैं, इसको सरकार ने स्वीकार किया है । अध्यापकों ने जो .....

श्री अध्यक्ष—

किस बात पर बोल रहे हैं ।

श्री शारदाभक्तसिंह—

मैं, श्रीमन्, ५ मिनट में अपनी बात समाप्त करता हूं । अध्यापकों की, जो भविष्य निर्माता हैं, न्याय संगत मांग होते हुए भी, न्याय उनके साथ होते हुए भी सरकार ने केवल हठवादिता के कारण, दमन कार्य नीति के कारण आज अध्यापकों को बाध्य कर दिया है कि वे आज परीक्षा का

[शारदाभक्त सिंह, श्री]

बहिष्कार करें, और उनके बगैर परीक्षायें चल रही हैं, विद्यालयों में पुलिस का कड़ा पहरा है। मैं ऐसा समझता हूं कि देश और प्रदेश के सभी गणमान्य नेताओं ने उनकी मांगों पर सहानुभूति प्रकट की है और उचित बताया है। सरकार के उनको न मानने से मैं ऐसा समझता हूं इस प्रदेश में न्याय और सभ्यता की हत्या हुई है और इसलिये हम लोगों ने आज नैतिक संसार की हत्या के सम्बन्ध में शोक दिवस मनाने का निश्चय किया है और मैं ऐसा समझता हूं सारे तर्क हमारे समाप्त हो चुके हैं, सारी अपीलों का कोई प्रभाव सरकार पर नहीं पड़ा है। ऐसी स्थिति में हमको दुख है, अपनों को सामने डटकर दबाने की प्रवृत्ति और पराये के सामने झुकने की नीति सरकार की अच्छी नहीं है। इसलिये अन्तिम जो हम लोगों के पास कर्तव्य रह जाता है कि हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वह सरकार को सद्बुद्धि दे और उन शिक्षकों को आत्मबल दे जो इनके सामने खड़े होकर मांग मनवा सकें। इसलिये हम १ मिनट खड़े होकर परमात्मा से प्रार्थना करेंगे कि वह सरकार को सद्बुद्धि दे।

(तत्पश्चात् जनसंघ पार्टी के सदस्य अपने-अपने स्थान पर खड़े हो गये। कुछ समय बाद वे सदन त्याग कर चले गये।)

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—

श्रीमन्, मैं इस सदन के माध्याम से लाखों-लाखों व्यक्तियों से निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार ने अध्यापकों के सम्बन्ध में जिस नीति का अनुसरण किया, जबकि सरकार ने स्वयं कबूल किया कि शिक्षकों की मांगें उचित हैं.....

(व्यवधान)

अध्यापकों की नैतिकता बढ़ी है। जिन लोगों ने परचे बनाये हैं आज अगर चाहें तो सारे प्रदेश में उनको बटवा सकते हैं; ऐसी दशा में हम इस सदन में २ मिनट के लिये प्रार्थना करते हैं और.....

श्री अध्यक्ष—

ठीक है, आप बैठें।

श्री बैजनाथसिंह वैद्य (जिला सुल्तानपुर)—

अध्यक्ष महोदय, कम्युनिस्ट लोग तो भगवान को नहीं मानते, यह पूजा कैसे करेंगे?

श्री जेड० ए० अहमद (जिला आजमगढ़)—

मान्यवर, मैं प्रार्थना नहीं कर रहा हूं। मैं प्रोटेस्ट करता हूं इस बात के खिलाफ कि पुलिस की देख रेख में आज परीक्षायें हो रही हैं। मैं चाहता हूं कि सरकार इस पर गौर करे। बहुत बड़ी रकम नहीं है, केवल ५ करोड़ की बात है जब कि आपका दो अरब रुपये का बजट है। और अगर कोशिश की जाय तो यकीनन इन की मांग को स्वीकार किया जा सकता है। हमारा यकीन है कि सरकार का हमदर्दाना रवैया नहीं है। सरकार को टीचर्स के प्रति हमदर्दाना रवैया अपनाना होगा। यह सवाल पूरी शिक्षा का है। मैं भी प्रोटेस्ट करता हूं और मैं समझता हूं कि आपको भी प्रोटेस्ट कर के सरकार पर दबाव डालना चाहिये। इसलिये दिन भर के लिये हम सदन का त्याग करते हैं।

(कम्युनिस्ट दल के सदस्य सदन त्याग कर चले गये।)

श्री रामसुन्दर पांडेय—

अध्यापकों के प्रति जो सरकार का खराब रवैया रहा है, हठवादिता का, हम लोग भी उसके विरोध में आज के लिये सदन का त्याग करते हैं।

(संयुक्त समाजवादी दल के सदस्य सदन त्याग कर चले गये।)

श्री भानुप्रतापसिंह (जिला बस्ती)--

अध्यक्ष महोदय, सरकार ने इस प्रश्न को प्रतिष्ठा का प्रश्न बनाया है, उस पर अफसोस जाहिर करने के लिये आज हम भी शोक-दिवस मनावेंगे और सदन का त्याग करते हैं।

(स्वतंत्र पार्टी के सदस्य सदन त्याग कर चले गये।)

श्री भगवान सहाय (जिला शाहजहांपुर)---

अध्यापकों की मांगों को न मानकर जो कुछ सरकार कर रही है उसके लिये प्रोटेस्ट करते हुए हमारा दल भी सदन त्याग करता है।

(निर्दलीय दल के सदस्य सदन त्याग कर चले गये।)

श्री बैजनाथ सिंह वैद्य---

मैं यह व्यवस्था चाहता हूं कि आज का १५ रुपये का भत्ता इन लोगों को मिलेगा या नहीं।

श्री अध्यक्ष---

छोटी-छोटी बातों को सदन में रखना न आपको शोभा देता है और न हमको शोभा देता है। उनको अधिकार है कि वे अपने विचार जैसे चाहें प्रकट करें और यह संसदीय प्रथा मानी गई है।

प्रश्नोत्तर

वृहस्पतिवार, ११ मार्च, १९६५

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

होली के उपलक्ष्य में अतिरिक्त चीनी

**१—श्री रामकिशोर वर्मा (जिला फतेहपुर)—

क्या खाद्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि यह होली त्योहार के पुनीत सुअवसर पर प्रदेश के शहरी और ग्रामीण अंचलों के लिये अतिरिक्त शक्कर प्रदान करने की व्यवस्था करने जा रहे हैं? यदि हां, तो प्रत्येक जिले के लिये कितनी मात्रा में, और प्रति व्यक्ति शहरी और ग्रामीण को किस अनुपात से?

खाद्य मंत्री के सभा सचिव (श्री हरीदत्त कांडपाल)---

होली के लिए संलग्न सूची के अनुसार २०९० मीटरिक टन चीनी प्रदेश के विभिन्न जिलों को दी जा चुकी है। इस चीनी का होली के अवसर पर किस प्रकार वितरण हो जिलाधीशों पर छोड़ दिया गया है क्योंकि वे स्थानीय परिस्थितियों से भलीभांति परिचित होते हैं।

(देखिए नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ३२७–३२८ पर)

**२—श्री रामकिशोर वर्मा—

क्या खाद्य मंत्री बतायेंगे कि होली त्योहार के निमित्त मासिक और अतिरिक्त चीनी का कोटा जिलों में पहुंच चुका है? यदि नहीं, तो क्या वे ऐसी व्यवस्था करेंगे जिससे कोटा समय से पहुंच जाय?

श्री हरीदत्त कांडपाल—

जी हां, प्रश्न के अन्तिम भाग के उत्तर का प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री रामकिशोर वर्मा—

बालिग व्यक्ति का मासिक कोटा प्रति व्यक्ति १ किलो शहर में और देहात में १८ व्यक्तियों पर आधा किलो है। तो केवल शहरों में ही क्यों दे रहे हैं, देहातों में क्यों नहीं दे रहे हैं होली के लिये ?

खाद्य मंत्री (श्री जगमोहनसिंह नेगी)—

होली तो सभी मनाते हैं। वहां की खाद्य समिति जैसा ठीक समझे कर सकती है।

श्री बद्रीप्रसाद पालीवाल (जिला इटावा)—

अब शकर की कमी नहीं है तो सरकार इस कंट्रोल के झगड़े को खत्म ही क्यों नहीं कर देती?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

हम तो चाहते हैं, मगर यह सेंटर के हाथ में है।

श्री कल्पनाथसिंह (जिला गोरखपुर)—

देहातों में राशन की दूकानें इस समय बन्द हैं, ऐसी दशा में चीनी देने के लिये सरकार की ओर से क्या प्रबन्ध हो रहा है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

देहात की दूकानों को बन्द नहीं किया गया है। गल्ला नहीं पहुंच पाया होगा। चीनी वितरण कर दी जायगी।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय (जिला गोरखपुर)—

क्या माननीय मंत्री जी को अपने आदेश का ज्ञान है जिसके अन्तर्गत उन्होंने देहाती क्षेत्रों की दूकानें बन्द कराई हैं ? यदि हाँ, तो फिर चीनी का वितरण कैसे करायेंगे ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

डी० एम० देंगे, आप लोग उनकी मदद कीजिये।

श्री रामकिशोर वर्मा—

कुछ दिन पहले चीनी के बारे में फतेहपुर के जिला परिषद् के अध्यक्ष ने पत्र लिखा था वहां के जिलाधीश द्वारा की जा रही कार्यवाहियां के खिलाफ, जिसमें जांच भी हुई थी और जिसमें आरोप यह था कि वहां की परामर्शदात्री समिति की मीटिंग न कराके जिलाधीश मनमाने तरीके से काम करते हैं। तो जिलाधीश से किस प्रकार सुधार की अपेक्षा की जा सकती है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

फतेहपुर जिले को होली के लिये ३६ मीट्रिक टन दिया है। आप लिख कर दे दें तो हम उन्हें फिर लिख देंगे कि आप की सलाह भी ले लिया करें।

श्री हमीद खां (जिला कानपुर)—

क्या ऐसा कोई आर्डर है कि होली पर सिर्फ शहरों में ही शकर दी जाय ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

ऐसा कोई आर्डर नहीं है।

श्री रमेशचन्द्र शर्मा (जिला जौनपुर)—

होली और रामनवमी के त्यौहार के अवसर पर जिसमें शहर और देहात के लोग ९ दिन व्रत रखते हैं, सरकार अधिक चीनी देने की कृपा करेगी ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

सेंट्रल गवर्नमेंट ने हमको १,००० टन अतिरिक्त कोटा दिया और उसमें हम १,००० टन और मिला कर बांट रहे हैं।

श्री राजनारायण मिश्र (जिला कानपुर)—

खाद्य समिति को सिफारिश किया हुआ कोटा मंत्री जी देने की कृपा करेंगे ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

खाद्य समिति अपने जिले के कोटे के लिये ही सलाह दे सकती है और उसे डी० एम० मानते हैं। अगर खाद्य समिति एक्सट्रा के लिये कहे तो उसे हम नहीं दे सकते हैं।

श्री देवदत्त मिश्र (जिला उन्नाव)—

क्या सरकार देहाती क्षेत्रों के लिये अलग से चीनी का कोटा निर्धारित करने की कृपा करेगी ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

जिलेवार देते हैं।

श्री धर्मदत्त वैद्य (जिला बरेली)—

क्या मंत्री जी होली के त्योहार पर ऐसी व्यवस्था देहातों में करेंगे कि ब्लाक या ग्राम सभाओं के द्वारा चीनी बंटे ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

यहां से तो वितरण करना बड़ा कठिन है। विधायक अपने जिला मैजिस्ट्रेटों को ऐसा सुझाव दे सकते हैं।

श्री ज्वालाप्रसाद (जिला कानपुर)—

माननीय मंत्री जी ने पिछले दिनों अपना यह दृढ़ मत प्रकट किया था कि देहात के केवल १० प्रतिशत लोग ही शक्कर खाते हैं, और नहीं खाते, तो उनकी यह उपेक्षा कब तक कायम रहेगी ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

यह मैंने कभी नहीं कहा कि देहात के १० प्रतिशत लोग ही चीनी खाते हैं, सब लोग खावें, जितना मिले सब खावें।

श्री बद्रीप्रसाद पालीवाल—

इस बात को देखते हुए कि कंट्रोल के दाम में और बाहर बाजार के भाव में कोई ज्यादा फर्क नहीं रह गया है, क्या माननीय मंत्री जी केन्द्रीय सरकार को सुझाव देंगे कि अब चीनी को डिकंट्रोल कर दिया जाय ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

मैंने तो पहले भी यह सुझाव दिया था, पिछले मुख्य मंत्री सम्मेलन में कि इसे डिकंट्रोल कर दिया जाय, लेकिन भारत सरकार अभी ऐसा करना उचित नहीं समझती। ऐसी हमारी राय तो है लेकिन अब अन्न की समस्या सुलझ रही है तो चीनी के ऊपर ज्यादा जोर हो रहा है।

श्री रामकिशोर वर्मा—

आप शहरों में प्रति व्यक्ति एक किलो चीनी देते हैं जब कि देहातों में १८ आदमी के ऊपर आधा किलो पड़ता है और वह भी कभी मिलता है, कभी नहीं मिलता है; कहीं-कहीं तो शत प्रतिशत नहीं मिलता है। फिर आप होली के त्योहार पर शहर वालों को अतिरिक्त कोटा दे रहे हैं। तो मैं जानना चाहता हूं कि क्या मंत्री जी चीनी का यह अतिरिक्त कोटा शहरों को न देकर पूरा का पूरा देहातों को देने की कृपा करेंगे ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

इस वक्त हमारे प्रदेश में खांडसारी बहुत है और जिला खाद्य समितियां इन चीजों को मद्देनजर रखते हुए जिस तरह से चाहें वितरण करने के लिये अपने जिले में दे सकती हैं। वे देहात में भी या शहरों में भी आधा किलो कर सकती हैं। मुजफ्फरनगर जिले ने अपने यहां आधा किलो कर लिया है तो उसके ऊपर हमने कोई आपत्ति नहीं की है। ऐसा हर जिला कर सकता है।

देहाती क्षेत्रों में कन्ट्रोल का गेहूं न मिलना

**३—श्री कोतवालसिंह भदौरिया (जिला फर्रुखाबाद)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सारे प्रदेश में सरकारी गल्ले की दूकानें देहातों में बन्द कर दी गयीं ? क्या इस प्रकार के सरकारी आदेश हैं ? अगर हां, तो क्यों ?

श्री हरीदत्त कांडपाल—

ऐसा कोई सरकारी आदेश नहीं है। प्रश्न का शेष भाग नहीं उठता।

श्री कोतवालसिंह भदौरिया—

क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि फर्रुखाबाद तथा अन्य जिलों में देहातों के अन्दर सस्ते गल्ले की दूकानों पर गल्ला देना बन्द कर दिया गया है ? यदि हां, तो उसका क्या कारण है और किसके आदेश से ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

गत दो मास से विदेशी गेहूं डाक स्ट्राइक की वजह से कम मात्रा में पहुंच पाया, इसलिये यह आदेश दिया गया कि पहले कमी वाले क्षेत्र में, चाहे वे शहरी हों या देहाती क्षेत्र हों, इसकी पूर्ति की जाय जिससे वहां गेहूं वितरित किया जाय। यानी जहां आवश्यकता अधिक हो वहां पहले दिया जाय।

श्री राजनारायण मिश्र—

क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जिन दिनों डाक स्ट्राइक चल रही थी उन दिनों कितने दिनों तक गल्ला देहातों में नहीं पहुंच पाया ? आपके पास तो हर हफ्ते की रिपोर्ट आती रहती है, इसलिये बतला सकते हैं।

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

यह तो बड़ी विस्तृत सूचना हो जायगी कि कितनी दूकानों पर गल्ला नहीं आ सका। ऐसी दूकानें तो बहुत थीं जिन पर कभी गल्ला पहुंच गया, कभी नहीं पहुंचा, इसलिये इसका सही उत्तर देना इस वक्त सम्भव नहीं है।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय—

क्या माननीय मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि श्री गेंदासिंह कमेटी की सिफारिशों के आधार पर सरकार ने कोई ऐसा आदेश भेजा है कि ग्रामों में जहां पर ग्राम सभापति की दूकानें थीं

उनको कैंसिल कर दिया जाय क्योंकि वे तो वहां जिला खाद्य सलाहकार समिति के सामने आते नहीं हैं और अभी तक वहां कोई दूसरी दूकान खुली नहीं है जिससे लोग गल्ले के लिये बड़े परेशान हैं। तो क्या वे इस तरह की कोई व्यवस्था करने का आदेश देने जा रहे हैं कि वहां नयी दूकानें खोली जांय ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

यह बात सही है कि वे ग्राम सभायति जो खुद अपनी दूकान से गल्ला बांटते हैं, वहां सही तरीके से काम नहीं होता है । इसलिये उनको हटा कर कोई और नयी व्यवस्था करने के लिये प्राथमिकता बांध दी गयी है । डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को स्थायी आदेश है कि उन प्राथमिकताओं को दृष्टि में रखते हुये लोगों को नयी दूकानें दी जायं ।

मगर उस वक्त जल्दी करने की आवश्यकता इसलिये नहीं थी चूंकि देहाती क्षेत्रों में गल्ला कम जा रहा था दूसरे नई फसल के आने की वजह से जैसे मटर का भाव २ सेर तक का है, चावल भी काफी मात्रा में आ रहा है और नैपाल से आदमी आ कर बेच रहे हैं, देवरिया में घाटा हुआ, मुझे कल ही एक आदमी मिला था ।

श्री बैजनाथसिंह वैद्य (जिला सुल्तानपुर)—

मंत्री जी बतायेंगे कि क्या अभी हाल में उन्होंने जिलाधीशों को कोई ऐसे आदेश भेजे हैं कि सस्ते गल्ले की जो दूकानें देहातों में थीं उन पर गल्ला न दिया जाय ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

मैंने बताया कि ऐसे कोई आदेश नहीं हैं, आदेश केवल यह हैं कि कमी वाले क्षेत्रों को और शहरी क्षेत्रों को प्राथमिकता दी जाय ।

श्री नरेन्द्रसिंह (जिला मुरादाबाद)—

क्या मंत्री जी इस बात पर विचार करेंगे कि देहात का कोटा अलग हो जाय ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

पहले कोटा अलग ही था लेकिन जबकि अन्न को और देशी गेहूं की कमी हुई तो यह संशोधन करना पड़ा, क्योंकि पुरानी नीति पर चलना कठिन हो गया था ।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय—

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि उनको कोई ऐसी सूचना मिली हैं जिला अधिकारियों से कि कुल कितनी दूकानें इस आदेश के फलस्वरूप, जो कि आपने भेजा है, कैंसिल हो गई हैं और उनकी जगह पर कितनी दूकानें रखी गई हैं ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

नोटिस की आवश्यकता है ।

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ के नियम ३० (४) के अन्तर्गत प्राथमिकता दिये गये तारांकित प्रश्न ।]

*१ श्री राधेश्याम शर्मा (जिला मथुरा)—

[६ठवें गुरुवार के लिये प्रश्न संख्या २ के अन्तर्गत स्थगित किया गया ।]

कानपुर में श्री शिवनाथ शर्मा, मैजिस्ट्रेट के विरुद्ध वकीलों का प्रदर्शन

*२–श्री हमीद खां तथा श्री ज्वालाप्रसाद––

क्या मुख्य मंत्री का ध्यान नवजीवन पत्र, दिनांक १२ फरवरी, १९६५ ई० के अन्तिम पृष्ठ के प्रथम कालम में प्रकाशित "आठ सौ वकीलों व एडवोकेटों द्वारा प्रदर्शन", "मैजिस्ट्रेट के कथित दुर्व्यवहार का जोरदार विरोध" शीर्षक के कानपुर के समाचार की ओर गया है ? यदि हां, तो क्या वे इस समाचार की वास्तविकता पर प्रकाश डालने की कृपा करेंगे ?

विद्युत उपमंत्री (श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा)––

जी हां ।

कानपुर के प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट श्री शिवनाथ शर्मा के अदालत के कागजातों में जालसाजी करने के जुर्म में वहां के एक एडवोकेट श्री सन्तराम भाटिया को उक्त मैजिस्ट्रेट ने सेशन सिपुर्द करके जेल भेज दिया । मैजिस्ट्रेट के इजलास में उक्त जुर्म के मुकदमें की पेशी के दौरान श्री भाटिया ने कुछ ऐसे शब्द कहे जिन्हें अदालत ने अपमान जनक समझा अतः उन पर अदालत की अवमानता (contempt of court) के जुर्म में अदालत ने २००) जुर्माना कर दिया और जुर्माना न अदा करने पर एक महीने की सादी कैद का हुक्म दिया । जाल साजी के मामले में श्री भाटिया को जिला जज ने जमानत पर छोड़ दिया । श्री भाटिया ने जुर्माने की रकम जमा कर दी है परन्तु इस सजा के विरुद्ध जिला जज के यहां अपील कर दी है । दोनों मामले जिला जज के यहां विचाराधीन हैं । जिलाधीश कानपुर के कथनानुसार इसी सम्बन्ध में ११–२–६५ को वकीलों ने एक सभा की और लगभग ३०० वकील जिलाधीश तथा अतिरिक्त जिलाधीश (न्याय) से मिलने भी गये । उनसे वकीलों के प्रतिनिधिमण्डल ने श्री शर्मा, जुडीशियल आफिसर के कथित दुर्व्यवहार के विरुद्ध शिकायत की । जिलाधीश ने उन्हें वस्तुस्थिति का ज्ञान करा दिया । वकीलों ने अपनी सभा में उक्त मैजिस्ट्रेट की अदालत का बहिष्कार करने का निश्चय किया था, उसके बाद भी कुछ वकील श्री शर्मा के इजलास में मुकदमों की पैरवी करने आते रहे । बाद में १८–२–६५ को जिला जज ने वकीलों तथा श्री शर्मा दोनों को ही समझा बुझा दिया और उसके बाद से वकील लोग बराबर श्री शर्मा के अदालत में आ रहे हैं । श्री भाटिया ने श्री शर्मा को एक आपत्तिजनक पत्र भी लिखा था, जिस पर श्री शर्मा ने उच्चन्यायालय से अनुरोध किया है कि श्री भाटिया पर अदालत की अवमानता का मुकदमा चलाया जाय ।

*३–श्री हमीद खां तथा श्री ज्वाला प्रसाद––

क्या मुख्य मंत्री उक्त विषय की गंभीरता एवं आवश्यकता का अनुभव करते हुये यह बताने की कृपा करेंगे कि अब तक इस पर क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो कार्यवाही में विलम्ब होने का क्या कारण है ?

श्री शान्ति प्रपन्न शर्मा––

प्रश्न संख्या २ के उत्तर में विदित होगा कि वकीलों में जो उत्तेजना तथा असन्तोष उत्पन्न हो गया था वह अब नहीं रहा । जहां तक कि सम्बन्धित मैजिस्ट्रेट या श्री भाटिया के विरुद्ध आरोपों के औचित्य का प्रश्न है, सरकार इस मामले में कोई कार्यवाही नहीं कर सकती क्योंकि श्री भाटिया के विरुद्ध चलाये गये दोनों मुकदमें जिला जज के न्यायालय में चल रहे हैं और मामला सब जुडिस (Subjudice) है ।

श्री हमीद खां––

क्या मंत्री जी को मालूम है कि ५ दिन तक इस अदालत में कोई वकील केस करने के लिये नहीं आया और एक भी केस नहीं लिया गया ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

मेरे पास तो यह सूचना है कि इसमें कुछ वकील आते जाते रहे हैं। यह सही है कि ११ फरवरी को वकीलों ने प्रदर्शन किया पर १८ तारीख को जिला जज ने सबको समझा बुझा दिया और उसके बाद सब लोग जाने लगे।

श्री कृष्णानन्दराय (जिला गाजीपुर)—

क्या माननीय मंत्री जी को पता है कि प्रदेश के हर भाग में ऐसे प्रश्न आया करते हैं कि मैजिस्ट्रेटों और वकीलों में आपस में संघर्ष हो जाया करते हैं, लेकिन डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट कोई एडमिनिस्ट्रेटिव कदम उठा नहीं पाते हैं? तो क्या सरकार कोई आदेश देने की कृपा करेगी कि जिस से डिस्ट्रिक्ट जज अगर चाहें तो उस की एडमिनिस्ट्रेटिव जांच करवा सकें?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

अलग-अलग मामले में अलग-अलग बातें होती हैं। इस मामले में तो ऐसा मालूम पड़ता है कि मैजिस्ट्रेट का कोई कसूर नहीं था।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय—

क्या माननीय मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि जिस प्रश्न को लकर झगड़ा हुआ क्या वह कोई ऐसा प्रश्न था जिसमें मैजिस्ट्रेट ने कुछ कागजात गायब कर दिये जिससे जस्टिस पर उसका असर पड़ता था तो ए० डी० एम० (जे०) ने क्या जांच की? क्या सरकार को उस जांच की रिपोर्ट मिली?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

मेरे पास जो सूचना है वह यह है कि एक वकील साहब ने कागजातों में जालसाजी कर दी थी, उसके खिलाफ मुकदमा चल रहा है।

नवयुग मार्केट, गाजियाबाद में सिनेमा प्लाटों का नीलाम

*४—श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़) तथा श्री राजेन्द्रसिंह (जिला एटा) (अनुपस्थित)—

क्या यह सच है कि समाचार-पत्रों में प्रकाशित विज्ञापन के अनुसार गाजियाबाद इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट द्वारा नवयुग मार्केट, गाजियाबाद, में ७ मार्च, १९६५ को नीलाम किये जाने वाले सिनेमा प्लाट के दो फर्लांग व्यास के अन्दर म्युनिसिपल गर्ल्स हाईस्कूल तथा सेठ मुकुन्दलाल इन्टर कालेज नामक दो उच्चतर माध्यमिक शिक्षा संस्थायें पड़ती हैं जिससे उत्तर प्रदेश (संशोधित) सिनेमेटोग्राफ रूल्स, १९५१ के नियम ७ (२) (ए) (एफ) का उल्लंघन होता है?

मुख्य मंत्री (श्रीमती सुचेता कृपालानी)—

गाजियाबाद इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट द्वारा ७ मार्च, १९६५ को नीलाम किये जाने वाले सिनेमा प्लाट से सेठ मुकुन्द लाल इन्टर कालेज २ फर्लांग के व्यास से बाहर तथा म्युनिसिपल गर्ल्स हाई स्कूल १ फर्लांग व्यास के बाहर तथा २ फर्लांग व्यास के अन्दर हैं। अतः उक्त दोनों संस्थाओं के स्थित होने से यू० पी० सिनेमेटोग्राफ रूल्स के नियम ७ (२) (ए) (एक) का उलंघन नहीं होता है।

*५—श्री नेकराम शर्मा तथा श्री राजेन्द्रसिंह (अनुपस्थित)—

क्या यह सच है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने जी० ओ० नं० ७३-ए/तीन—७२-जे-१९६२, दिनांक २३ जनवरी, १९६३ तथा यू० ओ० नं० २०३/तीन-ए—१९६३, दिनांक २३ अक्तूबर, १९६३ तथा अन्य निषेधाज्ञाओं द्वारा देश में आपत्तिकालीन स्थिति रहने तक नये सिनेमागृहों के निर्माण की अनुमति प्रदान करने तथा उनके हेतु भवन निर्माण सामग्री प्रदान करने पर प्रतिबन्ध लगाया हुआ है जिस कारण प्रदेश में नये सिनेमागृह निर्माण की अनुमति चाहने वाले अनेकों आवेदन-पत्र रुके पड़े हैं?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

जी हां ।

*६—श्री नेकराम शर्मा तथा श्री राजेन्द्रसिंह (अनुपस्थित)—

यदि हां, तो क्या गाजियाबाद इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट द्वारा नीलाम किये जाने वाले नवयुग मार्केट के सिनेमा प्लाट के विषय में सरकार द्वारा स्वयं जारी किये गये (संशोधित) सिनेमेटोग्राफ रूल्स, १९५१ तथा उपरोक्त वर्णित निषेधाज्ञाओं की अवहेलना अथवा ढिलाई करके आपत्तिकालीन स्थिति के रहते हुये भी सिनेमा गृह निर्माण की अनुमति तथा भवन निर्माण सामग्री प्रदान की जायगी ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

अभी प्रश्न नहीं उठता । जब उक्त प्लाट पर सिनेमा बनाने का प्रार्थना-पत्र यू० पी० सिनेमेटोग्राफ रूल्स, १९५१ के अधीन प्रस्तुत किया जायेगा तब उस पर नियमानुकूल तथा वर्तमान आदेशों को ध्यान में रखते हुये उचित कार्यवाही की जायेगी ।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ के नियम ३९ (२) के अन्तर्गत प्राथमिकता दिये गये तारांकित प्रश्न]

मैनपुरी जिले में उद्योग विभाग से ऋण का वितरण

*१—श्री गणेशचन्द्र काछी (जिला मैनपुरी)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मैनपुरी जिले के उद्योग विभाग से १९६२ से १९६४ ई० तक जिन-जिन को कर्जा दिया गया है उनमें किस-किस ने काम शुरू कर दिया है और किस-किस ने काम शुरू नहीं किया है ?

गृह उपमंत्री (श्री शिवप्रसाद गुप्त)—

वांछित सूचना सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ३२९–३३० पर ।)

श्री गणेशचन्द्र काछी—

सूची को देखने से ऐसा पता लगा कि जिन लोगों ने ऋण लिया था, उन्होंने काम शुरू नहीं किया । उन्होंने मकान बनवा लिये, ब्याज पर रुपया उठा दिया तो क्या सरकार ऐसी व्यवस्था करेगी कि जिन लोगों ने काम शुरू नहीं किया, उनका रुपया वापिस लिया जाय ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त—

श्रीमन्, यह सूचना तो नहीं आयी कि मकान बना लिये, लेकिन जिन्होंने १९६३–६४ में ऋण लिया है उनको एक साल के बाद नोटिस दिया जायगा अगर उन्होंने काम शुरू नहीं किया है।

श्री कल्पनाथसिंह—

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि इस बात को देखते हुये कि जो लोन दिया जा रहा है, उसके अधिकांश भाग का दुरुपयोग होता है, उस रुपये को उस काम में प्रयोग नहीं किया जाता जिसके लिये लिया जाता है । सरकारी सूद की दर भी अपेक्षाकृत कम होती है जो अन्य जगहों पर देना पड़ता है । तो क्या सरकार उन लोगों से, जो ऋण को इस्तेमाल नहीं कर पाये हैं उनसे उसी दर के हिसाब से रुपया वसूल करेगी जिस प्रकार से बाजार या बैंकों से उन्हें लेना पड़ता है ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त—

मैं यह नहीं मानता हूं कि रुपये का ज्यादा दुरुपयोग करते हैं । अगर आप सूची को देखें तो आप देखेंगे कि १९६२–६३ में ४३ पार्टीज को सूद दिया गया था, ३६ ने उपयोग किया है, ७ ने उपयोग नहीं किया है । सन् १९६३–६४ में २९ व्यक्तियों को ऋण दिया गया था । २३ ने उपयोग किया है । एक ने दुरुपयोग किया है और ५ उपयोग नहीं कर पाये ।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय—

क्या माननीय मंत्री जी हमारे इस सुझाव पर विचार करने के लिये तैयार हैं कि जब उद्योग के लिये किसी को ऋण दिया जाय तो वह पूरे रुपये के रूप में न दिया जाय बल्कि उनको रा-मैटेरियल भी दिया जाय जिससे वह उस उद्योग में उस रुपये को लगाये और उसका दुरुपयोग न हो और इस प्रकार की कोई दिक्कत न हो ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त—

इस तरीके को पहले किया गया था लेकिन उसमें काफी दिक्कत हुयी क्योंकि जिस मैटीरियल का प्रबन्ध किया गया वह किसी को पसन्द था और किसी को नहीं । परन्तु मशीनें अब भी हायर पर्चेज सिस्टम पर दी जाती हैं ।

श्री कृष्णानन्द राय—

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो ऋण दिया जाता है उद्योगों के लिये उसका इसलिये दुरुपयोग नहीं होता कि सस्ते सूद पर आप रुपया लेते हैं बल्कि यह है कि डायरेक्टर आफ इन्डस्ट्रीज ने यह पेश किया था कि सन् १९६० में जो उद्योग खुलवाये थे, उनके लिये कापर शीट, सीमेंट, कच्चा माल, आदि नहीं दिया तो चंकि आप रा-मैटीरियल नहीं दे पाते हैं तो इस ऋण का दुरुपयोग हो रहा है । अब क्या आप रा-मैटीरियल के कार्य-क्रम को निर्धारित करेंगे ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त—

श्रीमन्, ऐसा कोई नियम सब के लिये लागू नहीं है कि हम उद्योगों के लिये रा-मैटीरियल नहीं देंगे । लेकिन जिनकी कमी है जैसे, नानफैरस मैटल उसको जरूर नहीं दे पाते हैं । लेकिन जो कोई इंजीयिनरिंग गुड्स बनाये जिससे फारेन एक्सचेंज कमाया जा सके उसको हम देते हैं । रा-मैटीरियल की कमी है अगर हम उसको दे पाते तो ज्यादा उपयोग हो सकता था ।

श्री रामकिशोर वर्मा—

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जब उद्योग को प्रोत्साहन दिया जा रहा है और विशेषकर हरिजनों को, तो जब वे दरख्वास्त देते हैं और धनराशि स्वीकृत हो जाती है और कच्चा माल उनको नहीं दे पाते ऐसी हालत में उनको धनराशि देने का क्या अभिप्राय होता है ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त—

श्रीमन्, जब कर्जा देते हैं तो हम पार्टी से कहते हैं कि हम कच्चा माल नहीं दे पायेंगे । जब पार्टी कहती है कि वह इंतजाम कर लेगी तब कर्जा देते हैं, इससे पहले नहीं ।

श्री कृष्णानन्द राय—

क्या मंत्री जी यह देखते हुये कि मेरी सूचना है कि १९६२ के बाद किसी पार्टी को कच्चा माल नहीं मिल रहा है, इसके डिस्ट्रिब्यूशन के लिये वह एक हाई पावर कमेटी बनायेंगे ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त—

श्रीमन्, मैं इससे सहमत नहीं हूं कि किसी को कच्चा माल नहीं दिया गया । दिया गया है, लेकिन किसी को न मिला हो वह बात अलग है ।

श्री जसरामसिंह (जिला बुलन्दशहर)—

श्रीमन्, छोटे-छोटे उद्योगों धंधों के लिये रुपया दिया जाता है उसका दुरुपयोग होता है । मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि लाख, डेढ़ लाख रुपया सिर्फ जिले में भेजते हैं, इसके लिये एक इंडस्ट्री वहां कर दें जिससे गरीबों का भी भला हो जाय ? क्या सरकार का ऐसा विचार है ?

श्री अध्यक्ष—

यह तो बिलकुल सवाल ही उलट दिया ।

श्री जसरामसिंह—

श्रीमन्, इसका दुरुपयोग होता है ।

श्री अध्यक्ष—

वे इसको नहीं मानते हैं ।

श्री जसरामसिंह—

श्रीमन्, प्रदेश में धन का दुरुपयोग है, इसका इस्तेमाल नहीं हो रहा है ।

श्री अध्यक्ष—

ठीक है ।

श्री धर्मदत्त वैद्य—

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि एक आदमी के लिये कई प्रकार का ऋण दिया जाता है ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त—

श्रीमन्, अधिकतर नहीं दिया जाता है । यदि तीन व्यवसाय किसी व्यक्ति के हैं और सही काम कर रहे हैं तो कोई कारण नहीं है कि उसको ऋण न दिया जाय ।

बाराबंकी जिले में बंदूक व रिवालवर का लाइसेंस

*२—श्री द्विजेन्द्रनारायण (जिला बाराबंकी) (अनुपस्थित)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बाराबंकी जिले में अप्रैल, सन् १९६३ से मार्च, तक तथा अप्रैल, सन् १९६४ से नवम्बर, सन् १९६४ तक हर थाने में किन-किन व्यक्तियों को बन्दूक व रिवाल्वर के लाइसेंस दिये गये हैं और उनके पते क्या हैं ?

गृह मंत्री (श्री हरगोविन्दसिंह)—

बाराबंकी जिले में पूछी गई अवधि में हर थाने में कितने व्यक्तियों को बन्दूक व रिवाल्वर के लाइसेन्स दिये गये हैं, उसकी सूची संलग्न है । चूंकि नामों और पतों की सूची बहुत लम्बी है अतः प्रश्नकर्त्ता महोदय यदि किसी व्यक्ति विशेष के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हों तो मेरे कार्यालय से प्राप्त कर सकते हैं ।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ३३१–३३२ पर)

*३—श्री द्विजेन्द्रनारायण (अनुपस्थित)—

क्या उक्त अवधि में ऐसे लोगों को भी लाइसेन्स दिये गये हैं जिनके नाम हिस्ट्रीशीट में दर्ज हैं और उनकी हिस्ट्रीशीट अभी नहीं कटी है ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

जी नहीं ।

*४—श्री द्विजेन्द्रनारायण (अनुपस्थित)—

मार्च, १९६३ में बन्दूक और रिवाल्वर के लाइसेन्सदार बाराबंकी जिले में हर पुलिस स्टेशन के हिसाब से कौन-कौन लोग थे उनके नाम और पते क्या सरकार सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी ? क्या इन लोगों में ऐसे भी व्यक्ति हैं जिनको नैतिक अपराध में सजा मिल चुकी है फिर भी वे लाइसेन्सदार हैं ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

बाराबंकी जिले में मार्च, १९६३ में बन्दूक और रिवाल्वर के लाइसेसदारों की थानेवार संख्या संलग्न सूची में दी है। चूंकि नामों और पतों की सूची बहुत लम्बी है अतः प्रश्नकर्त्ता महोदय यदि किसी व्यक्ति विशेष के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हों तो मेरे कार्यालय से प्राप्त कर सकते हैं। इन लोगों में ऐसे कोई व्यक्ति नहीं है जिसको नैतिक अपराध में सजा मिल चुकी है और फिर भी लाइसेन्सदार है।

सचिवालय कर्मचारियों को हिन्दी योग्यता प्रमाण-पत्र तथा हिन्दी प्रयोग के लिये शासकीय आदेश

*५—श्री जगन्नाथ राव (जिला जौनपुर) (अनुपस्थित)—

क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय कार्यों में हिन्दी का प्रयोग संबंधी शासकीय आदेशों में उल्लिखित हिन्दी योग्यता प्रमाण-पत्र उक्त आदेश लागू होने के पश्चात् से ३१ अक्तूबर, १९६४ तक सचिवालय के कितने कर्मचारियों को दिया गया है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

अठारह कर्मचारियों को दिया गया।

*६—श्री जगन्नाथ राव—

क्या मुख्य मंत्री कृपया यह भी बतायेंगे कि इस समय राज्य सचिवालय में ऐसे कितने कर्मचारी हैं जिनको हिन्दी का कार्यकारी ज्ञान नहीं है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

सभी कर्मचारियों को हिन्दी का कार्यकारी ज्ञान है।

*७—श्री जगन्नाथ राव—

क्या मुख्य मंत्री कृपया यह बतायेंगे कि राजकीय कार्यों में हिन्दी के प्रयोग से संबंधित कोई शासकीय आदेश २२ अक्तूबर, १९६४ के आस-पास शासन द्वारा प्रसारित किया गया है ? यदि हां, तो उक्त आदेश क्या है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

जी हां। आदेश की प्रतिलिपि संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ ३३३–३३४ पर।)

राज्य कर्मचारी आन डेपुटेशन

*८—श्री सुखलाल (जिला लखनऊ) (अनुपस्थित)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि राज्य सरकार के कितने कर्मचारी आन डेपुटेशन केन्द्रीय सरकार में कार्य कर रहे हैं और वे कितने दिन काम कर सकते हैं ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी--

राज्य सरकार के १३४० कर्मचारी आन डेपुटेशन केन्द्रीय सरकार में कार्य कर रहे हैं । साधारण तौर पर डेपुटेशन तीन वर्ष और विशेष परिस्थितियों में चार वर्ष तक होता है ।

शैलमारी आश्रम में सुभाषचन्द्र बोस के जीवित होने का प्रचार

*९--श्री कल्पनार्थसिंह--

क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि प्रदेश में 'महाभारत' और 'नेता जी गजट' नाम के कोई समाचार-पत्र मार्च, १९६४ के बाद वितरित हो रहे हैं जिसमें नेता जी सुभाष चन्द्र बोस के जिन्दा रहने और शैलमारी आश्रम में होने की बात लिखी जाती है ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा--

जी हां । सरकार को उपलब्ध सूचना के अनुसार कुछ जिलों में इन समाचार-पत्रों का वितरण हुआ है ।

श्री कल्पनार्थसिंह--

मैं जानना चाहता हूं कि इन समाचार-पत्रों में निकला है, जैसा कि मैंने सवाल में लिखा है कि नेता जी सुभाषचन्द्र बोस जीवित हैं और शैलमारी आश्रम के बाबा शारदानन्द हैं। अगर यह बात सही है तो सरकार को अपना दृष्टिकोण रखना चाहिये । यदि ऐसा नहीं है तो सरकार इन व्यक्तियों के विरुद्ध कौन-सी कार्यवाही करने जा रही है जो इस प्रयास में लगे हुये हैं कि सरकार को बदनाम करें और जनता में भ्रम फैलायें ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा--

श्रीमान्, वह प्रचार करते हैं, यह सही है । लेकिन ऐसे नियम नहीं हैं जिनके अन्तर्गत उनके विरुद्ध हम कार्यवाही कर सकें । डी० आई० आर० नहीं लगा सकते हैं और न कोई कार्यवाही कर सकते हैं । इसलिये कोई आदमी कहे तो कहने दीजिये ।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय--

क्या माननीय मंत्री जी का ध्यान प्राइम मिनिस्टर द्वारा लोकसभा में दिये गये बयान की तरफ गया है, जिसमें उन्होंने कहा कि बंगाल की प्रान्तीय सरकार से जांच कराने के बाद यह मालूम हुआ है कि शैलमारी आश्रम के संस्थापक बाबा शारदानन्द जी नेता जी सुभाषचन्द्र बोस नहीं हैं । इसके बावजूद भी कुछ लोग इस बारे में चन्दा वसूल रहे हैं और पब्लिक मीटिंग कर रहे हैं, जिससे लोगों के अन्दर एक ऐसी भावना पैदा हो रही है जो देश के लिये खतरनाक है । तो मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या वे इसे रोकने के लिये कोई कार्यवाही करेंगे ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा--

चन्दा वसूलने की मेरे पास कोई सूचना नहीं है । इस प्रश्न के द्वारा अखबार निकाले जाने की सूचना मांगी गयी थी, वह सूचना मैंने जिलाधीशों द्वारा एकत्र करके आपको दे दी । कुछ जिलों से सूचना आयी है कि अखबार बंटे हैं ।

श्री धर्मदत्त वैद्य--

क्या माननीय मंत्री जी का ध्यान मिस्टर मल्होत्रा, जो कि अपने को नेता जी का प्राइवेट सेक्रेटरी कहते हैं, और उनके साथियों द्वारा दिये गये भाषणों की ओर गया है जो उन्होंने सार्वजनिक सभाओं में दिये हैं कि उनके पास इस बात के प्रमाण हैं और वह सिद्ध कर सकते हैं कि नेता जी जीवित हैं ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा---

मेरे पास इसकी कोई सूचना नहीं है । यदि आपको इसकी कोई सूचना हो तो वह मुझे दे दें ; और यदि सूचना दे देंगे तथा कानून के अन्दर आ सकेगी तो उनके खिलाफ कार्यवाही की जायेगी ।

श्री देवदत्त मिश्र---

नेता जी सुभाषचन्द्र बोस जीवित हैं, इस पर हमारी सरकार ने क्या कोई स्पष्ट निर्णय लिया है ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा---

इस सरकार के लिये इसकी कोई आवश्यकता भी नहीं है ।

श्री कल्पनाथसिंह---

मैं सरकार का ध्यान सिसवा बाजार, बड़हलगंज और गोरखपुर स्थानों की सार्वजनिक सभाओं की ओर दिलाना चाहता हूं, क्या सरकार के पास उन भाषणों की सूचना है जो मि० मल्होत्रा और उनके साथियों ने वहां दिये हैं ? और यदि है, तो सरकार उसके संबंध में क्या कोई कार्यवाही करने जा रही है ? यदि नहीं तो क्या सरकार उन्हें प्राप्त करने का प्रयत्न करेगी ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा---

इस वक्त मेरे पास ऐसी कोई सूचना नहीं है, यदि माननीय सदस्य के पास इसकी सूचना हो तो दे दें ।

श्री सईद अहमद (जिला सहारनपुर)---

जब हर जिले में आपके सूचना अधिकारी हैं तो उन्हें इन भाषणों की सूचना क्यों नहीं हुई और उन्होंने आपको क्यों नहीं दी ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा---

जिलों से अखबार के बारे में पूछा गया था और वह सूचना प्राप्त होने पर मैंने दे दी, कि कुछ जगह अखबार निकले हैं ।

वाराणसी जिले में हरिजन कूप

*१०---श्री ऋषिनारायण शास्त्री (जिला वाराणसी)---

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि वाराणसी जिले के अन्दर कौन-कौन सी हरिजन आबादियां ऐसी हैं जिनके अन्दर पानी पीने के कुयें नहीं हैं ?

स्वायत्त शासन मंत्री की सभा सचिव (श्रीमती तारा अग्रवाल)---

इस प्रश्न के उत्तर के लिये काफी विस्तार पूर्ण सर्वेक्षण की आवश्यकता होगी, जो संभव नहीं है फिर भी आशा है कि निम्नलिखित बातों से माननीय सदस्य के प्रश्न के उद्देश्य की पूर्ति बहुत अंशों में हो जायेगी । वाराणसी जिले में जहां तक पानी पीने की सुविधाओं का प्रश्न है हरिजन सहायक विभाग द्वारा द्वितीय पंचवर्षीय योजना में ८६,५२५ रुपये का अनुदान दिया गया, जिसके परिणाम स्वरूप २०८ पानी पीने के कुयें बने व १५ पुराने जीर्ण-शीर्ण कुओं की मरम्मत हुई । तृतीय पंचवर्षीय योजना के चौथे वर्ष तक ९७,००० रुपये का अनुदान इस जिले में दिया गया, जिसके परिणामस्वरूप अबतक १९४ कुओं के निर्धारित लक्ष्य के अन्तर्गत ११३ पानी पीने के कुंए बन चुके हैं । आगामी वर्ष में ३२ कुओं के लिये १६,००० रुपये का अनुदान

दिया जायगा । चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के लिये जिले से प्राप्त सूचना के आधार पर १६५ कुंए, ७५ हैण्ड पम्पों की मांग की गई है जो शासन के विचाराधीन है । आशा है चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के अन्त तक वाराणसी जिले में पानी पीने की सुविधा पूर्ण रूप से उपलब्ध हो जायगी। अब तक प्राप्त सूचनाओं के आधार पर यही कहना है कि वाराणसी जिले ही में नहीं वरन् अन्य जिलों में भी सुदूरवर्ती ग्रामीण क्षेत्रों में पानी पीने की सुविधायें पर्याप्त नहीं हैं । पंचवर्षीय योजनाओं द्वारा इन सुविधाओं का तेजी से विस्तार किया जा रहा है ।

श्री ऋषि नारायण शास्त्री---

क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि कहीं-कहीं हरिजनों के लिये पानी पीने की व्यवस्था नहीं है । इस के लिये कोई सर्वेक्षण बनारस जिले में कराया है या नहीं ?

श्रीमती तारा अग्रवाल---

सरकार द्वारा तो इस प्रकार का सर्वेक्षण कराना संभव नहीं है, किन्तु क्षेत्रीय समितियों के द्वारा सर्वेक्षण हुये और उन्हीं के आधार पर इस प्रकार की योजना बनी और कुयें बनवाये गये ।

श्री ऋषि नारायण शास्त्री---

जिलों में प्लानिंग कमेटियां और अन्य संस्थायें हैं और गांवों में अपके पंचायत मंत्री वगैरह हैं, उन्हीं की व्यवस्था के आधार पर आप अनुदान देते हैं तो क्या आप जिस आधार पर रुपया देते हैं उस की कोई प्रति सदन की मेज पर रखेंगे ?

श्रीमती तारा अग्रवाल---

जिलों के आधार पर जो सूचना मिली है उसके अनुसार २६३ हरिजन बस्तियां वाराणसी जिले में है जहां पीने के पानी का अभाव है । उसी को देखते हुये व्यक्तिगत रूप से इस प्रकार की योजनायें बनायी गई और उसके द्वारा १९४ कुयें बने ।

श्री रामसूरतप्रसाद (जिला गोरखपुर)---

माननीय मंत्री जी ने जो उत्तर दिया है उसके अलावा क्या उनको पता है कि प्रदेश के अन्य जिलों में पीने के पानी की सुविधाओं का अभाव है । तो क्या सरकार अपनी ओर से विभाग द्वारा कोई सर्वेक्षण करायेगी जिससे जहां पीने के पानी का अभाव हो वहां उचित व्यवस्था की जा सके ?

श्रीमती तारा अग्रवाल---

जिला स्तर पर सर्वेक्षण होता है । तीसरी पंचवर्षीय योजना में जिले से जो शिकायत आयी उनके अनुसार प्रदेशीय सरकार ने रुपया दिया । अब चतुर्थ योजना बनेगी और जिलों से जो मांगें होंगी उनके अनुसार कार्य किया जायगा ।

श्री ऋषिनारायण शास्त्री---

क्या सरकार ऐसी सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करेंगे जिससे यह पता चल सके कि कौन-कौन-सी ऐसी आबादियां इस प्रदेश में हैं जिनमें पीने के पानी का अभाव है ?

श्री अध्यक्ष---

ठीक है, अगर सूची बन सकेगी तो दे दी जायगी ।

[११ मार्च, १९६५ के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न]

इलाहाबाद जिले में थानेदार की तनज्जुली

*१—श्री गणेशचन्द्र काछी—

क्या यह सत्य है कि इलाहाबाद जिले के कई पी० टी० सी० पास अस्थायी थानेदारों को १९६१ में एस० पी०, इलाहाबाद के यह लिखने पर कि इनका काम व चरित्र खराब नहीं है फिर भी डी० आई० जी०, कानपुर ने सन् १९६१ में तनज्जुल कर के कान्सटेबिल तथा हेड कान्सटेबिल बना दिया ? यदि हां, तो क्यों और क्या सरकार उनको पुनः थानेदार के स्थान पर नियुक्त करके स्थाई करने के लिये पुनर्विचार करने की कृपा करेगी ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त—

जी नहीं । इलाहाबाद जिले के पी० टी० सी० पास अस्थायी थानेदारों में से केवल एक थानेदार को सन् १९६१ ई० में डी० आई० जी०, कानपुर ने उनका काम तथा चरित्र खराब होने के कारण कान्सटेबिल के पद पर वापस कर दिया । इनको पुनः थानेदार के स्थान पर नियुक्त करके स्थायी करने का कोई विचार नहीं है ।

श्री गणेशचन्द्र काछी—

जिस थानेदार को कांसटेबिल बनाया गया उसके लिये क्या इलाहाबाद के एस० पी० से पूछताछ की गयी थी और क्या उन्होंने यह लिखा था कि उनका चालचलन अच्छा है और काम अच्छा है ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त—

जी हां । उनसे भी पूछताछ की गयी और जालौन के एस० पी० से भी, जहां वे थे, पूछा था । इलाहाबाद के एस० एस० पी० ने लिखा था कि वे उसका काम नहीं देख पाये और जालौन के एस० पी० ने लिखा कि उनका काम बहुत खराब है ।

गन्ना आयुक्त कार्यालय में राजपत्रित अधिकारी

*२—श्री मुमताजमुहम्मद खां (जिला बुलन्दशहर) (अनुपस्थित)—

क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि गन्ना आयुक्त, कार्यालय में कितने राजपत्रित अधिकारी हैं और वह कब से क्या-क्या काम कर रहे हैं ?

समाज कल्याण मंत्री (डाक्टर सीताराम)—

गन्ना आयुक्त के कार्यालय में १९ राजपत्रित अधिकारी हैं । वह अपने पद पर जिस दिनांक से हैं तथा इस समय जो जो कार्य कर रहे हैं उसका संक्षिप्त विवरण संलग्न है ।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ ३३५-३३७ पर)

*३—श्री मुमताजमुहम्मद खां (अनुपस्थित)—

क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि सहकारी चीनी मिल स्थापनार्थ सरकार द्वारा स्वीकृत दो उप-गन्ना आयुक्त, सहकारिता के कार्य के अतिरिक्त विभाग का कुछ और भी कार्य कर रहे हैं ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ?

डाक्टर सीताराम—

उप-गन्ना आयुक्त का केवल एक ही पद सहकारी चीनी मिलों की स्थापना के लिये है । दूसरा पद सहकारी चीनी मिलों के प्रशासन संबंधी कार्य के लिये स्वीकृत किया गया है । सहकारी चीनी मिलों के स्थापनार्थ जो उप-गन्ना आयुक्त हैं वह अपने कार्य के अतिरिक्त विभागीय आडिट स्टाफ के अधीनस्थ सेवाओं की स्थापना (Establishment) का भी कार्य देखते हैं ।

*४–५—श्री लखीसिंह (जिला मथुरा)—

[पांचवें गुरुवार के लिये स्थगित किये गये ।]

मथुरा संग्रहालय की बुद्ध मूर्ति स्विटजर लैन्ड ले जाने की जांच

*६—श्री गणेशचन्द्र काछी—

५–३–६४ के तारांकित प्रश्न संख्या ३२ के क्रम में सरकार जानकारी करके बताने की कृपा करेगी कि जो मथुरा म्युजियम से बुद्ध की मूर्ति गैर-कानूनी रूप से स्विटजरलैंड ले जाई गई थी उसके वापसी के लिये स्विटजरलैंड की अदालत में केन्द्रीय सरकार ने मुकदमा दायर कर दिया है, या नहीं ? यदि हां, तो वह बुद्ध की मूर्ति भारत वापस आ गई है, या नहीं ?

डाक्टर सीताराम—

जी नहीं ।

श्री गणेशचन्द्र काछी—

क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि जो बुद्ध मूर्ति मथुरा से विदेश ले जाई गई है उसको भारत वापस लाने में सरकार के सामने कौन-कौन सी कठिनाइयां हैं ?

डाक्टर सीताराम—

यू० पी० गवर्नमेंट ने केन्द्रीय सरकार को लिखा था कि जिस व्यक्ति के अधिकार में मूर्ति आज स्वीटजरलैंड में पड़ी हुई है उनके खिलाफ मुकदमा चलाया गया । केन्द्रीय सरकार ने अपने राजदूत से जो बोन में रहते हैं उनसे लिखा पढ़ी की और लिखा पढ़ी करने के पश्चात् इस नतीजे पर पहुंचे कि हम उनके ऊपर केस नहीं चला सकते । यही कारण है कि वह मूर्ति अभी तक नहीं आ सकी ।

श्री गणेशचन्द्र काछी—

क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि इस मूर्ति को चोरी करके कौन शख्स ले गया था और किस चीज की यह बनी हुई थी ?

डाक्टर सीताराम—

सितम्बर, अक्तूबर, १९६१ में यह मूर्ति मथुरा म्युज़ियम से गायब हुई थी और यह लाल पत्थर की बनी हुई है ।

श्री कल्पनार्थासिंह—

मैं सरकार से यह जानना चाहता हूं कि यह जो मूर्ति मथुरा म्युजियम से गायब हुई है और स्विटजरलैंड पहुंच गई वह किस प्रकार और किस व्यक्ति के द्वारा वहां पहुंचाई गई ?

डाक्टर सीताराम—

अभी सी० आई० डी० इसकी जांच कर रही है ।

श्री मुकन्दीलाल बैरिस्टर (जिला गढ़वाल)—

प्रश्न यह है कि सरकार इस बात का पता लगाये कि किसने इसको बेचा, किसने यह चुराई और मथुरा से कैसे यह मूर्ति गई ?

डाक्टर सीताराम—

अभी मैंने प्रश्नोत्तर में बतलाया कि सी० आई० डी० इसकी जांच कर रही है ।

श्री जगदीशप्रसाद (जिला मुरादाबाद)—

क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि अभी जब तक वह जांच में हैं उन्होंने संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की है जिसके होते हुये यह चोरी हुई ?

डाक्टर सीताराम—

जी हां, एक आदमी नौकरी से निकाल दिया गया है और तीन आदमी अभी तक मुअत्तल हैं ।

श्री बद्रीप्रसाद पालीवाल—

क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि इस मूर्ति में ऐसा क्या विशेष आकर्षण है जिसके कारण चोर आकर्षित हुए ?

श्री अध्यक्ष—

यह तो आप चोर से पूछिये । (हंसी)

श्री कृष्णानन्द राय—

क्या माननीय मंत्री जी बतायेगें कि स्विटजरलैन्ड में जो यह मूर्ति गई है वह वहां पर किसी निजी व्यक्ति के हाथ में है या स्वीटजरलैंड की सरकार के म्युजियम में रखी हुई है ? यदि सरकार के पास है तो अपनी इम्बैसी के जरिये से मांग कर रहे ह ?

डाक्टर सीताराम—

मि० विल्सन ने बर्लिन में इस मूर्ति को १९६२ में मि० जैकर्ड को २००० स्वीस डालर में दिया । वह म्युजियम में सरकार के पास नहीं है ।

श्री नरसिंहनारायणपांडेय —

क्या माननीय मंत्री जी बतालाने की कृपा करेंगे कि यह सरकार को कब मालूम हुआ कि यह मूर्ति मथुरा म्युजियम से गायब हो गई और सरकार ने केन्द्रीय सरकार के माध्यम से जो अभी तक पत्र-व्यवहार किया है उसकी प्राप्ति में अब कितनी देरी है?

डाक्टर सीताराम —

यह मूर्ति गायब हुई है सितम्बर और अक्तूबर, १९६१ में ।

श्री रामायण राय (जिला देवरिया)—

क्या मि० विल्सन भारतीय नागरिक हैं ? यदि हां, तो इनके ऊपर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? जिस समय ये विदेश गये तो किस उद्देश्य से गये थे ?

डाक्टर सीताराम —

वह भारतीय नागरिक नहीं है ।

श्री कृष्णानन्द राय—

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि यह मूर्ति किस डायनेस्टी की है और उस युग की और भी मूर्तियां यहां मौजूद हैं ?

डाक्टर सीताराम—

डा० वोगेल्स ने १९१० ई० में मथुरा म्युजियम के बारे में एक बहुत बड़ी लिस्ट प्रिपेयर की हैं और उनके मुताबिक इस बुद्धा हैड की ऊंचाई एक फिट ४ इंच है । यह बहुत बड़ा हैड है और गुप्ता पीरियड का ह ।

श्री सूबेदारसिंह (जिला मैनपुरी)—

जो कर्मचारी मुअत्तल किये गये हैं वह किस पद पर काम कर रहे थे और उनको किस आधार पर मुअत्तल किया गया है जब कि सी० आई० डी० की इन्क्वायरी जारी है ?

डाक्टर सीताराम—

वह गैलरी के इंचार्ज थे। सी० आई० डी० की इन्क्वायरी चल रही है और भी लोग हटाये जायंगे।

गांव सभा, कठिरांव संबंधित पुनर्वास अनुदान

*७—श्री ऊदल—

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ब्लाक बड़ा गांव, जिला वाराणसी की गांव सभा कठिराव, में तीन व्यक्तियों को पुनर्वासन योजना (रिहैबिलिटेशन) के अन्तर्गत चार-चार हजार रुपया मंजूर हुआ है और तीनों का ६ हजार रुपया सभापति को एडवान्स पहले ही दे दिया गया है और भी बहुत पहले आ गया है और फर्जी पुराने मकान, कुयें दिखाये गये हैं? क्या इस वाउचर के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता ने एक पत्र दिनांक १९ अक्तूबर, १९६४ को मुख्य मंत्री एवं विकास मंत्री को दिया है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी ?

डाक्टर सीताराम—

जिला वाराणसी के ब्लाक बड़ागांव में ग्राम सभा कठिराव के तीन व्यक्तियों को पुनर्वास योजना के अन्तर्गत चार-चार हजार रुपया मंजूर हुआ है। इन तीनों व्यक्तियों का ६,००० रुपया सभापति को अग्रिम दिया गया है। अभीतक सभापति ने इस धन के व्यय के बाउचर जमा नहीं किये हैं। इसलिये फर्जी पुराना मकान एवं कुआ दिखाने का प्रश्न अभी नहीं उठता।

जी हां। माननीय सदस्य महोदय का १९-१०-१९६४ का पत्र प्राप्त हुआ है जिसपर जांच की जा रही है। अभी जांच पूर्ण नहीं हुई है उसके पूरी होने पर आवश्यक कार्यवाही की जायगी।

पुलिस-विधायक सम्पर्क विषयक आदेश तथा जौनपुर जिले में पुलिस अधीक्षक-विधायक मीटिंग

*८—श्री जगन्नाथ राव (अनुपस्थित)—

क्या मुख्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जिला पुलिस अधीक्षकों को इस प्रकार का कोई आदेश शासन की ओर से दिया गया है कि वे शान्ति व्यवस्था रखने के लिये जिले के एम० एल० ए०, एम० एल० सी० व एम० पी० से सम्पर्क रक्खें और क्षेत्र समितियों की त्रैमासिक बैठकों में जाया करें ताकि जनता व पुलिस सम्पर्क स्थापित हो ? यदि हां, तो वह आदेश क्या है ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

सरकार के आदेश निम्न प्रकार हैं:—

(१) जिला पुलिस अधिक्षक अपने जिले के विधायकों तथा पार्लियामेंन्ट के सदस्यों से त्रैमासिक आधार पर अनौपचरिक रूप से सम्पर्क स्थापित किया करें।

(२) पुलिस अधिकारी क्षेत्रीय समिति की बैठक के पूर्व अथवा बैठक में समिति के सदस्यों से शान्ति-व्यवस्था तथा पुलिस कर्मचारियों के कार्य के सम्बन्ध में सामान्य विचार विमर्श किया करें।

*९—श्री जगन्नाथ राव (अनुपस्थित)—

क्या मुख्य मंत्री यह बतायेंगे कि जिला जौनपुर में पुलिस अधीक्षक ने गत जून से दिसम्बर, तक कितनी बार और कब-कब जिले के विधायकों को बुलाया गया और बैठकें कीं ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

सम्बन्धित काल में निम्नलिखित तिथियों पर तीन बार मीटिंग की गई:

(१) ४ जुलाई, १९६४

(२) ५ सितम्बर, १९६४।

(३) १८ दिसम्बर, १९६४।

लखनऊ में थाना इंचार्ज

*१०—श्री ब्रह्मदत्त मायर (अनुपस्फित)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि लखनऊ नगर के भिन्न-भिन्न थानों में इस समय कौन-कौन व्यक्ति इन्चार्ज के रूप में काम कर रहे हैं और वह कितने सालों से उक्त जिले के अन्दर हैं अथवा पहले भी रह चुके हैं ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

आवश्यक सूचना संलग्न सूची में दी हुई है।

(देखिये नत्थी 'च' आगे पृष्ठ ३३८ पर)

न्याय विभाग तथा शासन विभाग का पृथक्करण

*११—श्री हरीशकुमार गंगवार (जिला बरेली) तथा श्री गणेशचन्द्र काछी—

क्या सरकार १३ फरवरी, १९५८ के अल्पसूचित तारांकित प्रश्न संख्या ११–१२ के आश्वासन की पूर्ति में सरकारी बयान के अनुसार बताने की कृपा करेगी कि न्याय विभाग और शासन विभाग को जो सारे प्रदेश में अहलदा अहलदा करने का विचार चल रहा था और उचित कार्यवाही की जा रही थी, वह काम पूर्ण हो गया है या नहीं और जिन १८ जिलों में न्याय विभाग और शासन विभाग को जो अलहदा-अलहदा कर दिया गया है वहां के जुडिशियल मैजिस्ट्रेट और जिला जेजेज हाई कोर्ट के अधीन हैं या नहीं ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

सन् १९६१ से इस प्रदेश में न्याय विभाग को शासन विभाग से पृथक करने की योजना उत्तराखण्ड एवं कुमाऊं खण्डों के जिलों को छोड़ कर सम्पूर्ण प्रदेश में लागू हो गई है किन्तु उन जिलों के जुडिशियल मजिस्ट्रेट, जिला जजेज एवं हाईकोर्ट के अधीन नहीं हैं।

पिछड़ी जातियों के छात्रों को छात्रवृत्ति तथा हरिजनों को सहायता मिलने में कठिनाई

*१२—श्री रघुवीरसहाय कैथवार (जिला फतेहपुर) (अनुपस्थित)—

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगें कि क्या यह सही है कि गरीब सवर्ण एवं पिछले वर्ग के छात्रों को आमदनी के आधार पर जो शिक्षा संबंधी आर्थिक सहायताएं देने की व्यवस्था है उसके अनुसार सवर्ण वर्ग के छात्रों को तो छात्रवृत्ति एवं फीस आदि सब कुछ दी जाती है पर पिछड़े पद दलित वर्ग के छात्रों को केवल छात्रवृत्ति ही दी जाती है ? यदि हां, तो इस दोहरी कार्यप्रणाली का मुख्य उद्देश्य क्या है ?

डाक्टर सीताराम--

जी नहीं। वस्तुस्थिति इस प्रकार है। पिछली जातियों के छात्रों को दो स्रोतों से छात्रवत्ति मिलती है। भारत सरकार से व राज्य सरकार से। भारत सरकार से मिलने वाली छात्रवृत्ति के नियम राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली छात्रवृतियों के नियमों से भिन्न है। भारत सरकार की छात्रवृत्तियों का आधार छात्रों के अभिभावकों की आर्थिक दशा या गरीबी है। इन नियमों के अन्तर्गत सवर्ण कहे जाने वाले गरीब छात्रों को भी छात्रवृत्ति मिलती है। क्योंकि कसौटी भारत के नियमों में छात्र के अभिभावकों की आर्थिक दशा व गरीबी है। इन नियमों में सवर्ण कही जाने वाली जातियों के छात्रों व अन्य पिछड़ी हुई जातियों के छात्रों में कोई भेद-भाव नहीं है। क्योंकि इन नियमों के अन्तर्गत अन्य पिछली जातियों को भी छात्रवृत्ति के साथ फीस माफी की आर्थिक सहायता मिलती है।

राज्य सरकार द्वारा केवल उन्हीं जातियों के छात्रों को छात्रवृत्ति दी जाती है जिनका नाम राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत सूची में सम्मिलित हैं। इस सूची में सवर्ण कही जाने वाली जातियों के नाम नहीं हैं।

भारत सरकार के नियमों में छात्रवृत्ति के साथ फीस माफी के लिए आर्थिक सहायता का भी प्राविधान है। जबकि राज्य सरकार की छात्रवृत्ति यों में केवल छात्रवृत्ति देने का ही प्राविधान है। फीस माफी की सहायता के लिये कोई प्राविधान नहीं है।

*१३--श्री रघुवीरसहाय कैथवार (अनुपस्थित)--

क्या समाज कल्याण मंत्री को पता है कि हरिजनों के उत्थान हेतु जो आर्थिक सहायता भूतपूर्व हरिजन समिति के बजाय अब विकास क्षेत्रों के माध्यम से दी जा रही है वह मंजूर होने पर भी हरिजनों को सालों दी नहीं जाती और अनेक बार परेशान करने के बाद दी भी जाती है, तो मंजूरशुदा पूरी सहायता नहीं दी जाती? यदि हां, तो फिर हरिजन सहायता जिला समितियों द्वारा सीधे क्यों नहीं दिलाई जातीं?

डाक्टर सीताराम--

शासन को मालूम है कि क्षेत्रीय विकास समितियों के माध्यम से हरिजनों के कल्याण के लिये जो अनुदान वितरित होता है उसमें काफी विलम्ब हो रहा है। इस सम्बन्ध में शासकीय आदेश यह है कि यदि २८ फरवरी, १९६५ तक क्षेत्रीय विकास समितियों के माध्यम से अनुदान वितरण कार्य संतोषजनक रूप से सम्पन्न न हो तो उन्हें जिले की हरिजन सहायक समितियों के माध्यम से वितरित किया जाय। इस सम्बन्ध में शासन द्वारा आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

*१४--श्री रघुवीरसहाय कैथवार (अनुपस्थित)---

क्या समाज कल्याण मंत्री कृपया बतायेंगे कि सन् १९६३-६४ के वर्ष की मजदूर हरिजन बैकवर्ड छात्रवृत्ति का मार्च, १९६४ से जून, १९६४ तक का ४ माह का पैसा, जिला फतेहपुर के राजकीय कन्या इन्टर कालेज एवं अन्य राजकीय विद्यालयों द्वारा अब तक (२८-७-६४) तक क्यों नहीं दिया गया?

डाक्टर सीताराम--

१९६३-६४ में राजकीय कन्या इन्टर कालेज फतेहपुर में स्वीकृत छात्रवृत्ति का मार्च अप्रैल का धन १६ जुलाई, १९६४ को दे दिया गया था, किन्तु मई, जन की छात्रवृत्ति २१ और २४ अगस्त को वितरित की गई। इसी प्रकार से लड़कों के राजकीय इन्टर कालेज में मार्च-अप्रैल का रुपया १४ जुलाई को तथा मई, जून का रुपया २२ जुलाई को दे दिया गया था। राजकीय कन्या इन्टर कालेज में मई जून का रुपया जुलाई में न देने का कारण यह बतलाया गया है कि जुलाई भर प्रधानाचार्य बालकों के प्रवेश में व्यस्त रहीं तथा उनके कार्यालय का प्रधान

तथा सहायक लिपिक डेढ़ महीने की छुट्टी पर रहा फिर भी प्रधान लिपिक को चेतावनी दे दी गई है कि वह भविष्य में सचेत रहें।

बोर्ड आफ रेवेन्यू के मेम्बर

*१५---श्री गणेशचन्द्र काछी---

क्या यह सत्य है कि जो तीन मेम्बर बोर्ड आफ रेवेन्यू हैं वह लगातार १३ वर्ष से इस पद पर कार्य कर रहे हैं ? यदि हां, तो इनका अन्य स्थानों पर स्थानान्तरण न करने का क्या कारण है ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा---

जी नहीं।

बाराबंकी की अदालतों में पुराने मुकदमे

*१६---श्री द्विजेन्द्रनारायण (अनुपस्थित)---

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बाराबंकी जिले में एस० डी० एम० और जे० ओ० साहबान के इजलास पर हर एक के यहां कितने कितने मुकदमें ऐसे हैं जिनको चलते हुए एक साल से ज्यादा हो गया और उनके फैसले नहीं हुए ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी---

बाराबंकी जिले में एस० डी० एम० तथा जुडीशियल अफसरों के सारे इजलासों में कुल मिला कर २१ मुकदमें एक साल पुराने हैं। इनमें से ६ जे० ओ० प्रथम, ८ जे० ओ० द्वितीय तथा ७ जे० ओ० तृतीय के इजलास पर हैं। यह सब के सब माल के मुकदमें हैं। फौजदारी का कोई भी नहीं है।

*१७---श्री द्विजेन्द्रनारायण (अनुपस्थित)---

क्या यह सही है कि मैजिस्ट्रेट साहबान कोर्ट में बड़ी देर को आते हैं और दूर-दूर से आने वाले व्यक्तियों को बड़ा कष्ट होता है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी---

जी नहीं। हां, यदि वे दौरे पर हों, जेल पर शिनाख्त या किसी और सरकारी काम पर तैनात हों, तो उनका कोर्ट में ठीक समय पर आना मुमकिन नहीं है।

*१८---श्री द्विजेन्द्रनारायण (अनुपस्थित)---

सरकार इन गड़बड़ियों का दूर करने के लिये क्या उपाय करेगी ? क्या यह सही है कि एस० डी० एम० रामसनेही घाट, रुदौली के किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति के रिश्तेदारों में से हैं। जब वह रुदौली जाते हैं, तो बजाय किसी सार्वजनिक स्थान पर बैठने के अपने रिश्तेदार के यहां बैठ कर इन्क्वायरी करते हैं ? गवर्नमेन्ट सर्वेंट कन्डक्ट रूल की अवहेलना करने पर ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध सरकार क्या करेगी ? क्या उपर्युक्त एस० डी० एम० महोदय को रामनसनेही घाट, तहसील से बदल कर किसी दूसरी तहसील का एस० डी० एम० बनाया जा सकता है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी---

प्रश्न का पहला भाग नहीं उठता। यह सही नहीं है कि एस० डी० एम० रामसनेही घाट रुदौली के किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति के रिश्तेदार हैं। उनका कोई रिश्तेदार रुदौली में नहीं है। जब वे रुदौली जाते हैं तब डाक बंगले में ठहरते हैं। उन्होंने गवर्नमेंट सर्वेंट्स कन्डक्ट रूल्स

की कोई अवहेलना नहीं की। अतः उनके विरुद्ध सरकार द्वारा किसी प्रकार की कार्यवाही करने का प्रश्न ही नहीं उठता। जिलाधीश को अधिकार है कि वह किसी एस० डी० एम० को एक तहसील से दूसरी तहसील में बदल सकता है।

जिलाधीश, कानपुर के विरुद्ध कथित जांच

*१९—श्री गयाप्रसाद (जिला वाराणसी) तथा श्री राधेश्याम शर्मा (अनुपस्थित)—

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिलाधीश, कानपुर के विरुद्ध इलाहाबाद से कानपुर के लिये सन् १९६४ के उत्तरार्ध में ट्रान्सफर के समय या उसके बाद कोई सी० आई० डी० इन्क्वायरी किसी गम्भीर घटना के फलस्वरूप बैठाई गई थी? यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

जी नहीं।

कोयला और मिट्टी के तेल की खोज

*२०—श्री जगन्नाथ राव (अनुपस्थित)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि राज्य के किन क्षेत्रों में कोयला तथा मिट्टी के तेल की प्राप्ति के लिये केन्द्र अथवा राज्य सरकार द्वारा खोज हो रही है तथा अब तक की प्रगति को ध्यान में रखते हुये कहां-कहां तथा कितना कोयला एवं तेल मिलने की सम्भावना पाई गई है?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

राज्य सरकार द्वारा इस प्रकार की कोई खोज नहीं हो रही है। जहां तक केन्द्रीय सरकार का सम्बन्ध है, इस विषय में कुछ कार्य हो रहा है जिसकी विस्तृत सूचना राज्य सरकार के पास उपलब्ध नहीं है।

चीनी मिलों में गंधक का प्रयोग

*२१—श्री ब्रह्मदत्त मायर (अनुपस्थित)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि क्या यह सही है कि प्रान्त की चीनी मिलें प्रान्त के अन्दर के कारखानों का साफ किया हुआ (गन्धक,) सल्फर इस्तेमाल नहीं करतीं और बाहर से मंगाती हैं और प्रान्त का साफ किया गंधक बाहर जाकर बिकता है?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

यह प्रश्न गन्धक (सल्फर) के बिक्रेताओं और उपभोक्ताओं के पारस्परिक व्यापार व्यवहार पर निर्भर है। सरकार का इससे सम्बन्ध नहीं है।

*२२—श्री चन्द्रबलीसिंह—

[प्रश्नकर्त्ता के सदन की सेवा से निलम्बित हो जाने के कारण हटा दिया गया।]

बंदूक का लाइसेंस

*२३—श्री मुमताज मुहम्मद खां (अनुपस्थित)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि यदि कोई राजपत्रित (गजटेड) अधिकारी बन्दूक के लाइसेंस के लिये सम्बन्धित जिलाधीश को प्रार्थना-पत्र देता है, तो उसके सम्बन्ध में पुलिस से जांच क्यों कराई जाती है तथा उसके चाल-चलन के सम्बन्ध में सूचना क्यों उपलब्ध की जाती है?

श्री हरगोविन्दसिंह--

इस सम्बन्ध में शासन ने जिलाधीशों को कोई आदेश जारी नहीं किये हैं। प्रार्थी के सम्बन्ध में पुलिस जांच कराना या न कराना पूर्णतया जिलाधीश की स्वमति (discretion) पर निर्भर करता है ?

पावर लूम योजना

*२४--श्री ऊदल (अनुपस्थित)--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि देहातों में पावरलूम चलाने की योजना जो चल रही थी उसे क्या स्थगित कर दिया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस प्रश्न पर विचार करेगी कि जो बुनकर कोआपरेटिव सोसाइटी बना लें उन्हें पुनः इस स्कीम की ओर आकर्षित करने के लिये इस योजना को पुनः चालू किया जाय ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी--

जी हां। योजना को पुनः चलाने के लिये भारत सरकार विचार कर रही है।

*२५--श्री ऊदल (अनुपस्थित)--

क्या जो लोग प्राइवेट पावर लूम लगाना चाहते हैं उन्हें सरकार लाइसेंस आदि देने पर विचार करेगी ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी--

प्राइवेट पावर लूम चलाने का लाइसेंस भी भारत सरकार द्वारा ही प्रदान किया जाता है और वे इस प्रश्न पर भी विचार कर रही है।

सूचना विभाग में चलचित्र प्रोजेक्टर

*२६--श्री कमलासिंह यादव (जिला गाजीपुर) (अनुपस्थित) तथा श्री मुमताज मुहम्मद खां (अनुपस्थित)--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सूचना विभाग के पास कुल कितने चल-चित्र प्रदर्शन के प्रोजेक्टर्स हैं ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी--

सूचना विभाग के अधीन कुल २३१ चल-चित्र प्रदर्शन के प्रोजेक्टर्स हैं।

*२७--श्री कमलासिंह यादव (अनुपस्थित) तथा श्री मुमताज मुहम्मद खां (अनुपस्थित)--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इनमें से कितने प्रोजेक्टर्स ऐसे हैं जो कि ६ मास से अधिक से खराब हुए पड़े हैं और कितने ऐसे प्रोजेक्टर्स हैं जो जनरेटर्स की खराबी के कारण उनके ६ मास से अधिक से प्रयोग में नहीं लाये जा सके हैं इसका क्या कारण है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी--

मुख्यालय पर प्राप्त सूचना के अनुसार कुल १६ प्रोजेक्टर्स ६ मास से अधिक खराब हैं। ऐसा कोई प्रोजेक्टर विभाग में नहीं है जिसे जनरेटर की खराबी के कारण ६ मास से अधिक प्रयोग में नहीं लाया जा सका हो। इन प्रोजेक्टर्स के खराब रहने का कारण यह है कि इनमें प्रयोग किये जाने वाले पुर्जों का अभाव है।

पटेल समिति की संस्तुतियों के अनुसार व्यय

*२८--श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़) (अनुपस्थित)--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पटेल आयोग की संस्तुति के अनुसार देवरिया, जौनपुर, गाजीपुर और आजमगढ़ में चालू वित्तीय वर्ष में किन-किन मदों में कितना-कितना रुपया व्यय किया जा चुका है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी--

देवरिया, जौनपुर, गाजीपुर तथा आजमगढ़ जिलों में विकास कार्यक्रमों पर, पटेल समिति की संस्तुतियों के अनुसार, वर्तमान वित्तीय वर्ष में ३० सितम्बर, १९६४ तक जो व्यय हुआ वह नत्थी 'क' में दिखाया गया है ।

(देखिये नत्थी 'छ' आगे पृष्ठ ३३९ पर)

*२९--श्री रामसुन्दर पांडेय (अनुपस्थित)--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वित्तीय वर्ष १९६५-६६ में उक्त चारों जिलों में किन-किन मदों पर कितना-कितना रुपया व्यय करने की योजना बनाई गई है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी--

१९६५-६६ में योजनागत परिव्यय के अतिरिक्त १.२९ करोड़ रुपये के परिव्यय की स्वीकृति नियोजन विभाग द्वारा दी जा चुकी है । इसके अतिरिक्त योजना आयोग ने ३.२१ करोड़ रुपया और भी देने की आशा दिलाई है जिसकी उनसे स्वीकृति मिलने पर नत्थी "ख" में वर्णित मदों पर व्यय की जाने की अनुमति दी जायगी ।

(देखिये नत्थी 'ज' आगे पृष्ठ ३४० पर)

थाना कोतवाली, हरदोई में श्री योगेन्द्रनाथ मिश्र की रिपोर्ट

*३०--श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद) (अनुपस्थित)--

क्या गृह मंत्री कृपया यह बतायेंगे कि दिनांक २२ अगस्त, १९६४ को थाना कोतवाली हरदोई में शाम के ५ बजे जो घटना संसोगा के प्रमुख कार्यकर्ता के साथ हुई उस घटना का विवरण क्या है ?

श्री हरगोविन्दसिंह--

घटना का विवरण संलग्न है ।

(देखिये नत्थी 'झ' आगे पृष्ठ ३४१ पर)

*३१--श्री रियासत हुसैन (अनुपस्थित)--

क्या गृह मंत्री को उक्त तिथि के बाद इस विषय में कुछ चिट्ठियां भूतपूर्व थानेदार थाना सांडी के विरुद्ध कुछ एम०एल०ए० की तरफ से प्राप्त हुईं ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री हरगोविन्दसिंह---

जी हां ।

भूतपूर्व थानाध्यक्ष, सांडी के विरुद्ध लगाये गये आरोपों की जांच कराई गई परन्तु जांच से यह निष्कर्ष निकला कि लगाये गये आरोपों में कोई बल नहीं था ।

मंगुरा बाजार में पुलिस चौकी स्थापित करने की प्रार्थना

*३२--श्री शीतलप्रसाद (जिला गोंडा) (अनुपस्थित)--

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोंडा जिले के परसपुर थाना के अन्तर्गत मंगुरा बाजार के निवासियों ने मंगुरा बाजार में पुलिस चौकी स्थापित करने हेतु एस० पी०, गोंडा तथा मंत्री जी को जो आवेदन-पत्र दिया है, उस पर क्या कार्यवाही हुई ?

श्री हरगोविन्दसिंह--

गोंडा जिले के परसपुर थाना के अन्तर्गत मंगुरा बाजार के निवासियों ने वहां पुलिस चौकी स्थापित करने हेतु जो आवेदन-पत्र दिया था उस पर विचार किया गया और यह निर्णय लिया गया कि मंगुरा बाजार में पुलिस चौकी स्थापित करने की आवश्यकता नहीं है ।

गोरखपुर विश्वविद्यालय छात्र यूनियन के समारोह में पटाखा फेंकने की घटना

*३३--श्री नरसिंहनारायण पांडेय--

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि माह दिसम्बर, सन् १९६४ ई० के द्वितीय पखवारे में उत्तर प्रदेश की कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पं० कमलापति त्रिपाठी की मीटिंग जो विश्वविद्यालय छात्र यूनियन के उद्घाटन के समय हो रही थी, कुछ क्रेकर्स सभा भवन में फेंके गये थे ? यदि हां, तो जांच के बाद क्या रपट मिली तथा कितने व्यक्ति गिरफ्तार किये गये ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त---

जी हां, श्री कमलापति त्रिपाठी जब दिनांक २२ दिसम्बर, १९६४ को गोरखपुर विश्वविद्यालय छात्र यूनियन के उद्घाटन समारोह के अवसर पर भाषण दे रहे थे, सभा में एक पटाखा फेंका गया था । इस सम्बन्ध में अभी जांच हो रही है । अभी तक कोई गिरफ्तार नहीं किया गया ।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय---

क्या गृह मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि उनको कोई अन्तिम रिपोर्ट प्राप्त हुई है कि जिसमें कि कुछ लोगों के बारे में बातें कह गयी हैं ? यदि हां, तो क्या उसकी कोई बातें सदन के सामने रखने की कृपा करेंगे ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त--

केवल यही रिपोर्ट आयी है कि विद्यार्थियों में गुटबन्दी थी, उसके कारण संदेह किया जा रहा है ।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय--

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि कुछ लोग जो पटाखा फोड़ते रहें तो एक तो ऊपर शामियाने पर पाया गया जो करीब एक बालिश्त से ऊपर का था । एक फटा हुआ पाया गया, उसकी आवाज तेज थी और पीछे शामियाने में आग लग गयी थी, हम मौजूद थे । उस समय जो विद्यार्थी घटनास्थल पर पकड़ा गया उसके खिलाफ क्या कार्यवाही की गयी, उसको क्यों नहीं गिरफ्तार किया गया ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त---

उसकी तो जांच अभी हो रही है, यूनिवर्सिटी में कोई पुलिस नहीं लगायी गयी थी । यह सूचना नहीं है कि कोई विद्यार्थी पकड़ा गया था नहीं ।

श्री वैजनाथ सिंह वैद्य--

जो पटाखे छोड़े गये वे किस पावर के थे ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त--

हमारी रिपोर्ट यह है कि दिवाली के अवसर पर जो बच्चे छोड़ते हैं, वही छोटे पटाखे थे ।

पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर

*३४--श्री ब्रह्मदत्त मायर (अनुपस्थित)--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सहारनपुर जिले के जिला पुलिस अधिकारी का तबादला कुम्भ मेला, प्रयाग के लिये दो महीने हुये हो गया था, तो क्या कारण है कि इस स्थान पर किसी दूसरे एस० पी० की नियुक्ति क्यों नहीं की गयी ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी--

जी हां।

यह प्रश्न नहीं उठता, क्योंकि स्थानापन्न पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर की नियुक्ति की गई है।

आजमगढ़ जिले से प्रेम स्टील फर्नीचर वर्क्स को ऋण देने की प्रार्थना

*३५--श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़) (अनुपस्थित)--

क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जिला के अन्तर्गत प्रेम स्टील फर्नीचर वर्क्स को मशीन खरीदने हेतु पन्द्रह हजार रुपये तक कर्ज देने के सम्बन्ध में उद्योग निदेशक, उत्तर प्रदेश, कानपुर कार्यालय से १७ जुलाई, १९६२ के लिये गये पत्र संख्या (यू०ओ० नं० ४५३२/इंडस्ट्री--८-एल), के सम्बन्ध में अब तक क्या निर्णय किया गया ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी--

प्रार्थी का आवेदन-पत्र स्टील फर्नीचर निर्माण हेतु ४०,००० रुपये के ऋण के लिए था। क्योंकि मांगी हुई धनराशि निर्धारित नीति के अन्तर्गत नहीं आती थी। अतः निदेशालय के १७ जुलाई के पत्र में नीति बताते हुये प्रार्थी से कुछ स्पष्टीकरण चाहा गया था। जिला उद्योग अधिकारी से अब वांछित सूचना प्राप्त हो गई है और आवेदन-पत्र विचारणार्थ ऋण तथा अनुदान समिति की आगामी बैठक में रक्खा जायेगा।

*३६--श्री चन्द्रजीत यादव (अनुपस्थित)--

क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि निदेशक के कार्यालय से उपरोक्त पत्र प्राप्त करने के उपरान्त प्रेम स्टील वर्क्स के मालिक ने तारीख ३० जुलाई, १९६२ को अपनी सहमति भेज दी और पुनः २७ दिसम्बर, १९६२ और १५ मई, १९६३ को उन्होंने सरकार को स्मरण-पत्र भेजे परन्तु निदेशक कार्यालय से उन्हें किसी प्रकार का भी उत्तर नहीं दिया गया ? यदि हां, तो क्यों ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी--

जी हां, ३० जुलाई, १९६२ के पत्र द्वारा प्रार्थी ने अपनी मांग ४०,००० रुपये से घटाकर १५,००० रु० अवश्य कर दी थी। अन्य पत्र जिनका प्रश्न में हवाला दिया गया है निदेशालय में उपलब्ध नहीं है। जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, जिला उद्योग अधिकारी से वांछित सूचना अब प्राप्त हो गई है, और प्रार्थी को सूचित किया जा चुका है कि प्रार्थना-पत्र ऋण तथा अनुदान समिति की आगामी बैठक में विचार हेतु रखा जायेगा। इस मामले में जो विलम्ब हुआ है उसकी जांच कराई जायगी और जो जिम्मेदार होगा उसके विरुद्ध उचित कार्यवाही की जायगी।

गोरखपुर जिले में पवह नाला पर पुल न बन सकना

*३७--श्री नरसिंहनारायण पांडेय--

क्या समाज कल्याण मंत्री जांच कराकर एक रपट सदन की मेज पर रखने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर जिले के बरडाड़ गांव के टोला मधूजोत के निकट पवह नाला पर जो पुल बनने

वाला था तथा जिसके बनाने के लिये गिट्टी, बालू आदि कई महीनों से पड़ा हुआ है उसका क्या प्राक्कलन है तथा कब तक कार्य शुरू हो जायेगा ?

डाक्टर सीताराम—

आवश्यक सूचना एकत्रित की जा रही है।

राजनीतिक पीड़ितों के आश्रितों को पुलिस सब-इंस्पेक्टरी की भर्ती में सुविधा

*३८—श्री झारखण्डेराय (जिला आजमगढ़) (अनुपस्थित)—

क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि सब-इंस्पेक्टर पुलिस की भर्ती के लिये राजनीतिक पीड़ितों के आश्रितों के लिये पहले कोई विशेष सुविधायें थीं ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

जी हां, पुलिस सब-इंस्पेक्टर के पद पर भर्ती के लिये राजनीतिक पीड़ितों के आश्रितों को पहले अधिकतम निर्धारित आयु तथा न्यूनतम शैक्षिक योग्यता से छूट प्रदान की जाती थी। इसके अतिरिक्त इस श्रेणी के उन सभी उम्मीदवारों को जो जिला परीक्षाओं में उत्तीर्णात्मक अंक (क्वालीफाइंग मार्क्स) प्राप्त कर लेते थे साक्षात्कार के हेतु बुला लिये जाने की प्रथा थी।

*३९—श्री झारखण्डेराय (अनुपस्थित)—

क्या अब वे सारी सुविधायें समाप्त कर दी गई हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

जी नहीं। अधिकतम निर्धारित आयु से भी अभी भी छूट दी जाती है परन्तु न्यूनतम शैक्षिक योग्यता से दी जाने वाली छूट समाप्त कर दी गई है। अधिकतम आयु से दी जाने वाली छूट के साथ ही शैक्षिक योग्यता से भी छूट दिया जाना आवश्यक नहीं समझा गया। साक्षात्कार के हेतु बुलाये जाने के सम्बन्ध में भी विशेष सुविधा दिये जाने की प्रथा थी वह समाप्त कर दी गई है क्योंकि राजनैतिक पीड़ितों के आश्रितों के लिये कोई स्थान सुरक्षित किये जाने का प्राविधान नहीं है।

मंत्रियों की दिल्ली यात्रा पर व्यय

*४०—श्री रामसुन्दर पांडेय (अनुपस्थित)—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सितम्बर, १९६४ से जनवरी, १९६५ तक कौन-कौन मंत्री परिषद् के सदस्य किन-किन कार्यों को लेकर दिल्ली गये और उन पर अलग-अलग कितना-कितना रुपया व्यय हुआ ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

यात्राओं और खर्चे का उपलब्ध विवरण संलग्न है। सभी यात्रायें सरकारी काम के सिलसिले में की गईं।

(देखिये नत्थी 'ञ' आगे पृष्ठ ३४२–३४४ पर)

*४१—४३—श्री नेकराम शर्मा (अनुपस्थित) तथा श्री ब्रह्मदत्त मायर (अनुपस्थित)—

[पांचवें गुरुवार के लिये स्थगित किये गए।]

बर्मा से आये विस्थापित

*४४—श्री दयाराम शाक्य (जिला फर्रुखाबाद) (अनुपस्थित) तथा श्री मन्नालाल (जिला खीरी) (अनुपस्थित)—

क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार उत्तर प्रदेश में बर्मा से आये विस्थापितों को बसाने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो पूरी योजना क्या है ?

डाक्टर सीताराम—

जी नहीं। प्रश्न नहीं उठता।

कैलेन्डर छापने के टेन्डर

*४५—श्री सुखदेवप्रसाद (अनुपस्थित)—

क्या मुख्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सत्य है कि ११ जनवरी, १९६५ को विभाग द्वारा लगभग ५० हजार कैलेन्डर छापने के लिए टेन्डर मांगे गये? यदि हां, तो:

(अ) कितने लोगों ने टेन्डर दिये,

(ब) टेन्डर कब तथा किसकी उपस्थिति में खोले गये; तथा

(स) किसको ठेका दिया गया?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

विभाग द्वारा ८ जनवरी, १९६५ को कलेन्डर छापने के लिए टेन्डर मांगे गये थे।

(अ) तीन।

(ब) ११ जनवरी, १९६५ को सूचना निदेशक द्वारा सम्बन्धित सहायक निदेशक व सहायक निदेशक (सांस्कृतिक कार्य) के सम्मुख खोले गये। टेन्डर खुलने के तुरन्त ही बाद तीनों प्रेसों के प्रतिनिधियों को, जो कार्यालय में मौजूद थे, टेन्डरों की दरें नोट करा दी गयीं।

(स) श्रीमन्त जी० डब्लू० लारी ऐन्ड कम्पनी, लखनऊ को यह कार्य सौंपा गया है।

पंचवर्षीय योजनाओं में व्यय

*४६—श्री सोहनलाल धुसिया (जिला बस्ती) (अनुपस्थित)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि प्रथम तथा द्वितीय पंचवर्षीय योजना में सरकार ने प्रत्येक कमिश्नरी में कुल कितना-कितना धन व्यय किया है?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

व्यय के आंकड़े कमिश्नरीवार देना सम्भव नहीं है।

*४७—श्री सोहनलाल धुसिया (अनुपस्थित)—

तीसरी पंचवर्षीय योजना में प्रत्येक कमिश्नरी में कुल कितना धन व्यय करने का अनुमान है तथा कितना धन अभी तक प्रत्येक कमिश्नरी में व्यय किया जा चुका है?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

प्रश्न नहीं उठता।

गन्ने का मूल्य

*४८—श्री बिपिन बिहारी तिवारी (जिला सीतापुर) (अनुपस्थित)—

क्या मुख्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या वह गन्ने की कीमत २.५० रु० प्रति मन करने की योजना पर विचार कर रहे हैं? यदि हां, तो कब से यह घोषणा होगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

चूंकि गन्ने का मूल्य भारत सरकार द्वारा निर्धारित किया जाता है, प्रदेशीय सरकार द्वारा गन्ने का मूल्य २.५० रु० प्रति मन करने की योजना पर विचार करने का प्रश्न नहीं उठता।

*४९–श्री बिपिनबिहारी तिवारी—

[पांचवें गुरुवार के लिए स्थगित किया गया।]

जसराना के थानेदार के विरुद्ध जांच

*५०—श्री सूबेदारसिंह तथा श्री बलवीरसिंह (जिला मैनपुरी)—

क्या सरकार को इस प्रकार के शिकायती-पत्र मिले हैं कि मैनपुरी जिले के जसराना थाने के इन्चार्ज ने १७–१८ दिसम्बर, १९६४ को कुछ नागरिकों के साथ बुरा व्यवहार किया और किसी व्यक्ति के मुंह में पेशाब भी कर दिया ? यदि हां, तो सरकार ने उक्त थानेदार के विरुद्ध क्या कार्यवाही की ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त—

जी हां, शासन को इस आशय के शिकायती-पत्र प्राप्त हुये हैं। मामले में अपराध अनुसंधान विभाग द्वारा जांच के आदेश दिये गये हैं। अभी थानेदार के विरुद्ध किसी कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता।

*५१—श्री सूबेदार सिंह तथा श्री बलवीरसिंह—

क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि क्या उक्त घटना से एस० पी०, मैनपुरी को यथाशीघ्र कुछ विधायकों तथा प्रमुख व्यक्तियों द्वारा अवगत करा दिया गया था? यदि हां, तो एस० पी० ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री शिवप्रसाद गुप्त—

जी हां, श्री बलबीर सिंह विधायक श्री रमेशचन्द्र बैजल के साथ पुलिस अधीक्षक, मैनपुरी से मिले थे। पुलिस अधीक्षक ने स्वयं घटना की जांच की। प्रश्न के अन्तिम भाग का प्रश्न नहीं उठता।

श्री सूबेदारसिंह—

क्या सरकार बतायेगी कि जांच का नतीजा क्या निकला ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त—

सी० आई० डी० को जांच दी गयी है, अभी रिपोर्ट नहीं आयी है।

श्री सूबेदारसिंह—

सी० आई० डी० का कौन सा अधिकारी काम कर रहा है ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त—

यही बता दिया जाय तो सी० आई० डी० की जांच ही फिर क्या रहेगी।

श्री देवदत्त मिश्र—

अब तक की जांच से क्या यह सिद्ध हो पाया है कि पेशाब वाली शिकायत सही है ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त—

अभी जांच हो रही है।

गोंडा जिले में बरवार जातीय छात्रों की शिक्षा

*५२—श्री गंगाप्रसाद (जिला गोंडा) (अनुपस्थित)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला गोंडा में विमुक्त जातियों (बरवार जाति) के कितने बच्चे प्राइमरी से लेकर उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में शिक्षा पा रहे हैं?

डाक्टर सीताराम—

जिला गोंडा में विमुक्त जाति के ८४७ विद्यार्थी प्राइमरी से लेकर उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षा पा रहे हैं। उनमें २७८ बरवार जाति के छात्र हैं।

*५३—श्री गंगाप्रसाद (अनुपस्थित)—

क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि बरवार जाति के बच्चे अंग्रेजी साम्राज्य-शाही काल से छात्रवृत्ति पा रहे हैं? यदि हां, तो १९६४–६५ के बजट में इन बच्चों की छात्रवृत्ति एक हजार ही रक्खी गयी, जब कि १९६३–६४ के बजट में ३,३०० रुपया था? किस अधिकारी के आदेश से उपरोक्त धन घटाया गया?

डाक्टर सीताराम—

जहां तक विदित है बरवार जाति के छात्रों को छात्रवृत्ति बहुत पहले से ही दी जा रही है। वर्ष १९६३–६४ के बजट में इन बच्चों के छात्रवृत्ति के लिए ३,३०० रुपये का प्राविधान था और वर्ष १९६४–६५ में १,००० रुपये का प्राविधान था, किन्तु अब कुल ४,३०० रुपये की धनराशि स्वीकृत है अतः प्राविधान घटाये जाने का प्रश्न नहीं उठता।

*५४—श्री गंगाप्रसाद (अनुपस्थित)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला गोंडा के जिला हरिजन एवं समाज-कल्याण अधिकारी बरवार जाति के कितने बच्चों को वजीफा देते हैं और कितने बच्चे छात्रवृत्ति से वंचित रह जाते हैं?

डाक्टर सीताराम—

जिला हरिजन तथा समाज कल्याण अधिकारी विभिन्न कक्षाओं में बरवार जाति के ४१ विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति, ३ को पुस्तकीय सहायता तथा २३४ को अनावर्तक सहायता देते हैं। प्राप्त सूचना के अनुसार आर्थिक सहायता से कोई छात्र वंचित नहीं रहता।

*५५–५७—श्री झारखण्डेराय—

[पांचवें गुरुवार के लिए प्रश्न संख्या ७०–७२ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

*५८–६०—श्री उमाशंकर (जिला आजमगढ़)—

[पांचवें गुरुवार के लिए स्थगित किये गये।]

विदेशियों का कथित फौजी सामान

*६१—श्री कल्याणचन्द मोहिले (जिला इलाहाबाद) (अनुपस्थित)—

क्या गृह मन्त्री कृपया बतायेंगे कि देहरादून में इन्डियन मिलिटरी एकेडमी के समीप जनवरी के आखिरी सप्ताह में चीन के बने हुये कारतूस तथा बहुत सा चीन का फौजी सामान देहरादून की पुलिस ने बरामद किया? यदि हां, तो यह सामान किस प्रकार के थे तथा इस सामान को रखने वाले कौन थे और अब तक कितने आदमी इस के सम्बन्ध में गिरफ्तार किये गये?

श्री हरगोविन्दसिंह—

इस प्रकार के कोई कारतूस तथा फौजी सामान जनवरी के आखिरी सप्ताह में देहरादून की पुलिस द्वारा नहीं बरामद किया गया।

*६२—श्री कल्याणचन्द मोहिले (अनुपस्थित)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि प्रदेश की सीमा के अन्दर १९६३–६४ तथा १९६४–६५ में अब तक कितना फौजी सामान विदेशियों का पकड़ा गया तथा उस से सम्बन्धित कितने आदमी पकड़े गये?

श्री हरगोविन्दसिंह—

इस प्रकार की कोई सूचना शासन के पास नहीं है।

*६३–६४—श्री भीखा लाल (जिला उन्नाव) (अनुपस्थित), श्री ऊदल (अनुपस्थित), श्री कमलासिंह यादव (अनुपस्थित) तथा श्री ब्रह्मदत्त मायर (अनुपस्थित)—

[हटा दिये गये।]

ताड़-चीनी उद्योग

*६५—श्री राजेन्द्रसिंह (अनुपस्थित)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि क्या वह प्रदेश में ताड़ चीनी के कारखानों की स्थापना का विचार कर रही है? यदि हां, तो पूरी योजना क्या है और कुल अनुमानित लागत क्या होगी तथा प्रति वर्ष कितने उत्पादन की सम्भावना है?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

जी हां, खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग के धन से उत्तर प्रदेश में पहली बार नीरा से ताड़ चीनी बनाने का प्रयोग आधुनिक तरीकों पर इस वर्ष नजीबाबाद में आरम्भ होने जा रहा है। इसके लिए खादी और ग्रामोद्योग का तैयार किया हुआ एक प्रयोगात्मक प्लान्ट (एक्सपेरिमेन्टल प्लान्ट) लगाया जायेगा। इस कारखाने के सफल परीक्षण के पश्चात् अन्य स्थानों में भी ऐसे प्लान्ट लगाये जा सकते हैं। इस प्लान्ट पर कुल अनुमानित व्यय ३,८६,१८४ रुपया होगा। इस के लिए खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग ने दो लाख रुपया इस वर्ष राज्य खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड को दिया है और शेष धनराशि अगले वर्ष आयोग से मिलने की आशा है।

मलिहाबाद के निकट प्राप्त कंकड़

*६६—श्री ब्रह्मदत्त मायर (अनुपस्थित)—

क्या सरकार मलिहाबाद, रहीमाबाद रेलवे स्टेशनों के बीच तथा रेलवे लाइन के आस-पास बंजर जमीन जहां खेती नहीं होती तथा काफी मात्रा में धरती के अन्दर कंकड़ पाया जाता है उसका उपयोग करने के लिए तथा सीमेंट के अभाव को ध्यान में रखते हुये वहां कंकड़ डाल कर चूने की भट्ठियां तथा चूना पीसने का कोई कारखाना लगाने का प्रबन्ध करेगी?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

कथित भूमि में पाये जाने वाले कंकड़ से इस समय सरकार सार्वजनिक क्षेत्र में चूना पीसने का कोई कारखाना अथवा चूना पीसने की भट्ठियां लगाने का विचार नहीं रखती। यदि निजी क्षेत्र में कोई व्यक्ति इस कार्य को करना चाहे तो सरकार उसे, समुचित परीक्षा के बाद आर्थिक एवं प्राविधिक ज्ञान सम्बन्धी सहायता देने का प्रबन्ध कर सकती है।

आजमगढ़ जिले में अदालती सम्मन प्रकाशन करने वाले समाचार-पत्र

*६७—श्री चन्द्रजीत यादव (अनुपस्थित)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि आजमगढ़ से कितने समाचार-पत्र प्रकाशित होते हैं और उन में से कितनों को न्यायालय से प्रकाशित होने वाले सम्मन दिये जाते हैं? जिन पत्रों को सम्मन दिये जाते हैं क्या उनका नाम और वितरण संख्या प्रेस रजिस्ट्रार के प्रतिवेदन सन् १९६४ में अंकित है? यदि हां, तो किन-किन पत्रों के नाम अंकित हैं और उन की वितरण संख्या क्या है?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

आजमगढ़ से ६ साप्ताहिक समाचार-पत्र प्रकाशित होते हैं और उन में से ५ को अदालती सम्मन प्रकाशनार्थ दिये जाते हैं। इन पांच में से केवल तीन अर्थात् 'संदेश', 'कर्मयोगी' तथा 'मानव सेवक' समाचार पत्रों के नाम प्रेस रजिस्ट्रार के १९६४ के प्रतिवेदन में अंकित हैं परन्तु वितरण संख्या केवल एक ही समाचारपत्र अर्थात् 'कर्मयोगी' पत्र की अंकित है और वह वितरण संख्या १२० है।

*६८—श्री चन्द्रजीत यादव (अनुपस्थित)—

[छठे गुरुवार के लिए प्रश्न संख्या ६१ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

सचिवालय कर्मचारियों की मांग

*६९—श्री कल्याणचन्द मोहिले (अनुपस्थित)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि प्रदेश सचिवालय के तृतीय तथा चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों ने दिनांक १ फरवरी, १९६५ को अपना मासिक वेतन नहीं लिया? यदि हां, तो उनके वेतन न लेने का क्या कारण थे तथा उनकी मांगें क्या थीं?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

अधिकांश कर्मचारियों ने १-२-६५ को अपना मासिक वेतन नहीं लिया। कर्मचारियों ने ५० रु० प्रतिमास की अन्तरिम सहायता की मांग की थी और वेतन न लेने का यह निश्चय उन की एसोसिएशन ने इसी मांग पर जोर देने के लिए प्रोटेस्ट के तौर पर किया था।

पसौडा ग्राम में हवाई अड्डे के लिए अध्याप्त भूमि का मुआवजा

*७०—श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर)—

क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि ग्राम पसौडा, तहसील गाजियाबाद, जिला मेरठ में जब हवाई अड्डा बनाने के लिए जमीन पर कब्जा किया गया तो कलेक्टर साहब और प्रदेशीय अन्य अफसरों ने जमीन तथा फसल का किराया देने को कहा था? क्या यह सच है कि उक्त जमीन के कब्जे में खड़ी फसलें बरबाद की गयीं और एक साल हो जाने पर भी अभी तक कोई किसी तरह का मुआविजा ग्रामवासियों को नहीं मिला?

श्री शान्ति प्रपन्न शर्मा—

जी हां।

*७१—श्री रामचन्द्र विकल—

क्या यह सच है कि कुछ ग्रामों को जितनी उनकी जमीन हवाई अड्डे में आ रही थी उस सारी जमीन का किराया कलेक्टर ने दिलवाया परन्तु ग्राम पसौंडा तथा मेंवला में ग्रामवासियों से कहा जा रहा है कि उन्हें केवल रन-वे का किराया दिया जायगा और फसल का आधा मुआविजा दिया जायगा?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

जी नहीं।

सभी ग्रामों की अधिग्रहण की गयी जमीन का किराया दिया गया है। जहां तक फसलों के मुआविजे का प्रश्न है वह सभी ग्रामों में आधा दिया गया है।

*७२—श्री रामचन्द्र विकल—

क्या सरकार कलेक्टर को आदेश देगी कि फसल और जमीन का मुआवजा पसौंडा और मेवला ग्रामों को भी उसी हिसाब से दिलाये जैसे दूसरे ग्रामों को मिला है और मुआविजा न देने और उस में देर लगाने से ग्रामवासियों में जो भुखमरी की दशा व्याप्त है उसे कलेक्टर के द्वारा अविलम्ब दूर कराये ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

यह प्रश्न नहीं उठता, क्योंकि प्रश्न ७१ के उत्तर में कहा गया है कि भूमि का किराया तथा फसलों का मुआवजा सभी ग्रामों में एक ही हिसाब से दिया गया है। यह किराया तथा मुआविजा पहले से ही बांटा जा रहा है अतः यह कहना निराधार है कि ग्रामवासियों में भुखमरी की दशा व्याप्त हो गयी है।

श्री रामचन्द्र विकल—

जिन गांव के बारे में प्रश्न पूछा गया था उनको मुआवजा किस तारीख को दिया गया है ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

तारीख की सूचना नहीं है। जो जमीन ली गयी थी वह ३०० रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से ली गयी थी और किराये पर ली गयी थी। यह करीब साढ़े ४ लाख के करीब होगा। चूंकि फसलों को काटने के लिए भी पर्याप्त समय नहीं दिया गया था इसलिए ज्यादा रकम दी जा रही है।

श्री रामचन्द्र विकल—

प्रश्न ७० के उत्तर में जो जी हां, और जी नहीं लिखा है उसका क्या मतलब है ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

आपने सवाल पूछा था कि क्या सरकार कृपया यह बतायगी कि ग्राम पसौड़ा, तहसील गाजियाबाद, जिला मेरठ में जब हवाई अड्डा बनाने के लिए जमीन पर कब्जा किया गया तो कलेक्टर साहब और प्रदेशीय अन्य अफसरों ने जमीन तथा फसल का किराया देने को कहा था इसका उत्तर तो 'जी हां' है। और उसके आगे जो है उसका उत्तर 'जी नहीं' है।

श्री रामचन्द्र विकल—

क्या माननीय मंत्री जांच करायेंगे कि जो उत्तर आज दिया गया है, वह फसल का मुआविजा और जमीन का मुआविजा भी किसानों को नहीं मिला है ? क्या कोई जांच कमेटी इसकी जांच के लिए बैठायेंगे ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—

यह जांच करा लेंगे। अगर नहीं मिला है तो मिल जायगा।

अतारांकित प्रश्न

मथुरा जिला सूचना अधिकारी, श्री प्रकाशचन्द्र गुप्त के विरुद्ध शिकायत

१—श्री लखीसिंह—

क्या मुख्य मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि मथुरा सूचना कार्यालय में कितने कर्मचारी १९६४ में मुअत्तल किये गये ? उन पर क्या-क्या आरोप थे और उनकी कोई जांच की गई ? यदि हां, तो क्या ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

मथुरा जिला सूचना कार्यालय में कोई कर्मचारी १९६४ में मुअत्तल नहीं किया गया ।

२—श्री लखीसिंह—

क्या मुख्य मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि सूचना अधिकारी, मथुरा श्री गुप्ता के खिलाफ इसी आफिस के प्रधान लिपिक ने कोई गबन आदि की शिकायत प्रधान कार्यालय तक भेजी है ? यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

तत्कालीन जिला सूचना अधिकारी, मथुरा श्री प्रकाश चन्द्र गुप्त के खिलाफ शिकायत प्राप्त हुई थी जिसकी जांच जिलाधीश, मथुरा से करवाई गयी थी । शिकायत निराधार साबित हुई ।

मथुरा जिला के किसानों की पुलिस के विरुद्ध शिकायत

३—श्री लखीसिंह—

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उनको छाता (मथुरा) में पुलिस जुल्मों के खिलाफ कोई किसानों की ओर से मांग-पत्र १ जनवरी १९६५, को दिया गया था ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

जी हां, एक मांग पत्र संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के मंत्री से प्राप्त हुआ जिस पर नीचे लिखा हुआ है—"हम हैं मथुरा जिले के किसान" । संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के मंत्री को यह लिखा गया कि वह पुलिस के विरुद्ध शिकायतों का निश्चित एवं पूर्ण विवरण भेजें जिससे कि आवश्यक कार्यवाही की जा सके किंतु अभी तक उनका कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है । अतः कोई कार्यवाही नहीं की जा सकी है ।

हाथरस जंकशन के निकट पाई गई लाश

४—श्री लखीसिंह—

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला अलीगढ़, तहसील हाथरस, ग्राम सिकन्दरपुर पुलिस स्टेशन, हाथरस जंकशन रेलवे लाइन चौकी के पास किसी आदमी को दिसम्बर, १९६४ के पहले हफ्ते में कत्ल कर दिया गया और लाश को रेलवे लाइन पर ग्राम सिकन्दरपुर चौकी के निकट कातिल डाल गये थे ? यदि हां, तो क्या उस लाश को पुलिस ने जमीन में गाड़ दिया था और किसी विधान सभा के सदस्य ने उस लाश को देख कर पुलिस चौकी की शिकायती किताब में लिखा है ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

माह दिसम्बर, १९६४ के प्रथम सप्ताह में ग्राम सिकन्दरपुर रेलवे चौकी के पास किसी व्यक्ति का कत्ल नहीं किया गया । दिनांक १ दिसम्बर, १९६४ को जब "पुरा" की तरफ से एक मालगाड़ी हाथरस जंकशन की तरफ जा रही थी और हाथरस जंक्शन की तरफ से बराबर की रेलवे लाइन पर आसाम मेल आ रहा था तो इन दोनों के चक्कर में आकर एक व्यक्ति रेलवे (गुमटी) फाटक ग्राम सिकन्दरपुर के पास आसाम मेल से कट कर मर गया । पुलिस ने इसकी लाश को जमीन में नहीं गाड़ा बल्कि चूंकि रेलवे लाइन की पटरियों के बीच में पड़ी हुई थी, इसलिए रेलवे गुमटी के गेटमैन ने उसे पटरियों से निकाल कर रेलवे लाइन के सहारे दबा दिया था । सदस्य महोदय ने ही इस संबंध में एक नोट गेटमन, रेलवे गुमटी सिकन्दरपुर की शिकायती पुस्तिका में सूचनार्थ लिखा है ।

५—श्री लखीसिंह—

क्या गृह मंत्री कृपया यह बतायेंगे कि उक्त मृतक के संबंधियों ने मुख्य मंत्री के पास ६ जनवरी को कोई प्रार्थना-पत्र भेजा है जिस पर किसी विधायक की तसदीक थी ? यदि हां, तो इसकी जांच किस अधिकारी द्वारा कराई गई और इसमें कौन-कौन कातिल गिरफ्तार किये गिये ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

उक्त घटना के संबंध में एक प्रार्थना-पत्र दिनांक २९ दिसम्बर, १९६४ जिस पर एक विधायक की तसदीक दिनांक ४ जनवरी, १९६५ में थी प्राप्त हुआ। इस मामले में उप-पुलिस अधीक्षक, सिकन्दराराव क्षेत्र द्वारा जांच की गई। जांच और पोस्ट मार्टम रिपोर्ट पर यह सिद्ध हुआ कि मृतक रेल से कट कर मरा है। अतः किसी की गिरफ्तारी नहीं की गई।

लोहा मंडी, आगरा में सिविल डिफेंस कार्यालय की इमारत

६—श्री लखीसिंह—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि आगरा लोहामन्डी मकान नं० १८/२ को सिविल डिफेंस कार्यालय के लिए ले लिया गया है ? यदि हां, तो उसका मकान मालिक कौन है और क्या उनके पास रहने के लिए कोई स्थान नहीं छोड़ा गया है ?

७—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उक्त मकान को २ मई, सन् १९६४ को लेकर अधिकारियों ने ताले डाल दिये ?

८—क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि इस मकान को श्री इन्द्रपाल सिंगल ने सरकार से ८,००० रु० कर्ज लेकर बनवाना शुरू किया था और जिस समय वह लिया गया उस समय तक पूरा बना भी नहीं था ? क्या यह सत्य है कि ८ महीने से इनके बच्चे मकान से बाहर पड़े हुए हैं ? यदि हां, तो जिस पर रहने के लिए दूसरा मकान नहीं उसका मकान लेने का क्या विशेष कारण था ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

सूचना एकत्रित की जा रही है।

शाहजहांपुर जिले में आग्नेयास्त्रों के लाइसेंस

९—श्री मुहम्मद रफी खां (जिला शाहजहांपुर)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिलाधीश, शाहजहांपुर ने दिनांक १ जून, १९६३ से लेकर ८ जनवरी, १९६५ तक किन लोगों को बिला पुलिस इन्क्वायरी के आतशी असलहा के लाइसेंस दिए ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

सूचना संलग्न तालिका में दी हुई है।

(देखिए नत्थी 'ट' आगे पृष्ठ ३४५–३४७ पर)

स्पेशल पुलिस फोर्स के साथ नियुक्त डाक्टर

१०—श्री झारखण्डेराय—

क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि स्पेशल पुलिस फोर्स जो सीमांत अंचलों में नियुक्त है के साथ कितने सालों से उनकी सहायता के लिए डाक्टरों की नियुक्ति की जा रही है ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

गत १२ वर्षों से ।

११—श्री झारखण्डेराय—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि स्पेशल पुलिस फोर्स के साथ नियुक्त डाक्टरों को बार्डर एलाउन्स दिया जा रहा है ? यदि हां, तो किस रेट से और नहीं, तो क्यों ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

उत्तराखंड में नियुक्त सरकारी कर्मचारियों को मिलने वाली बार्डर स्पेशल पे की दरें इस फोर्स को भी लागू हैं, परन्तु एकाउन्टेंट जनरल, उत्तर प्रदेश की संबंधित आज्ञाओं की व्याख्या के कारण डाक्टरों को बार्डर स्पेशल पे नहीं मिल रही है । आज्ञा में आवश्यक सुधार करने के हेतु आवश्यक कार्यवाही की जा रही है ।

१२—श्री झारखण्डेराय—

क्या सरकार कृपया यह भी बतायेगी कि सीमांत अंचलों में नियुक्त डाक्टरों को अन्य क्या विशेष सुविधायें दी जाती हैं ताकि वहां जाने में उन्हें आपत्ति न हो सके ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

फोर्स में नियुक्त डाक्टरों को भी मूल्यरहित विशेष भोजन, विशेष वस्त्र तथा निःशुल्क निवास स्थान आदि की वे सब सुविधायें उपलब्ध हैं जोकि फोर्स के अन्य कर्मचारियों को दी जाती हैं ।

१३—श्री रामअधार कनौजिया—

(५वें गुरुवार के लिए स्थगित किया गया ।)

चुर्क सीमेंट फैक्ट्री का व्यय तथा उत्पादन

१४—श्री रामअधार कनौजिया—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय सीमेंट फैक्ट्री, चुर्क पर वार्षिक कितना धन व्यय होता है तथा कितनी बोरी सीमेंट प्रति वर्ष उत्पादन होता है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

गत वित्तीय वर्ष (१९६३–६४) में सीमेंट फैक्ट्री, चुर्क में ४,०५,१८,१०५ रु० का व्यय हुआ । उक्त वर्ष में (३,९०,४२५ मैट्रिक टन) ७८,०८,५०० बोरी सीमेंट का उत्पादन हुआ ।

१५—श्री रामअधार कनौजिया—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि फैक्ट्री को प्रति बोरी कितना मूल्य मिलता है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

१९६३–६४ के वित्तीय वर्ष में केंद्रीय सरकार द्वारा निर्धारित विभिन्न समय में फैक्ट्री को जो मूल्य मिला उसकी सूचना संलग्न है ।

(देखिए नत्थी 'ठ' आगे पृष्ठ ३४८ पर)

१६–१७—श्री चन्द्रबलीसिंह—

(प्रश्नकर्त्ता के सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटा दिये गये ।)

नेता जी सुभाषचन्द्र बोस के जीवित होने का प्रचार

१८—श्री झारखण्डेराय—

क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि उन्हें इस बात की सूचना मिली है कि कतिपय व्यक्ति (श्री उत्तम चन्द्र मलहोत्रा, श्री हीरा लाल दीक्षित, डा० गोपाल, गुरुबख्श आदि-आदि) प्रदेश के एक छोर से दूसरे छोर तक फर्रुखाबाद, इलाहाबाद, वाराणसी, गोरखपुर, आजमगढ़ आदि में इस बात का प्रचार कर रहे हैं, परचे बांट रहे हैं, सभाओं में भाषणों से प्रचार कर रहे हैं और पुस्तक और पुस्तिकायें लिख रहे हैं कि नेता जी सुभाष चन्द्र बोस जीवित है और शैलमारी आश्रम के वह साधू ही नेता जी हैं ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

यह बात सत्य है कि श्री उत्तम चन्द्र मलहोत्रा तथा श्री हीरा लाल दीक्षित, निवासी दिल्ली तथा अन्य उनके साथीगण प्रदेश में यह विविध प्रकार से प्रचार कर रहे हैं कि नेता जी सुभाष चन्द्र बोस जीवित हैं और शीघ्र ही प्रगट होंगे। उनके कथनानुसार बाबा शारदानन्द, शैलमारी, आश्रम, पश्चिमी बंगाल, के निवासी नेता जी सुभाष चन्द्र बोस हैं।

१९—श्री झारखण्डे राय—

यदि हां, तो सरकार इस गंभीर विषय की ओर क्या कार्यवाही करना चाहती है, जब कि प्रदेश के हजारों व्यक्तियों में विश्वास जमता जा रहा है और यदि प्रचार झूठा और ठगी का है तो ऐसे असामाजिक तत्वों के विरुद्ध क्या वह उचित कार्यवाही करेगी ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

वर्तमान कानून के अन्तर्गत कोई कार्यवाही इस संबंध में संभव नहीं है।

विभिन्न अनुदानों पर मतदान के परिवर्तित कार्यक्रम के सम्बन्ध में सूचना

श्री अध्यक्ष—

अब एक सूचना मुझे देनी है कि २३, २४, २५, २६ व २९ मार्च के कार्यक्रम में कुछ परिवर्तन हुआ है, यह परिवर्त्तन नेता विरोधी दल तथा नेता सदन की अनुमति से हुआ है। उसकी सूचना मैं दे देता हूं—२३ मार्च, सन् ६५ को श्रम और सेवा योजन का अनुदान होगा। २४ मार्च को वृहत् जोत कर, २५ मार्च को सामान्य प्रशासन, २६ मार्च को सहकारिता और २९ मार्च को उद्योग का अनुदान होगा।

१९६५-६६ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान—अनुदान संख्या ३—राज्य आबकारी

चिकित्सा मंत्री (श्री दाऊदयाल खन्ना)—

अध्यक्ष महोदय, श्री राज्यपाल की सिफारिश से मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ३—राज्य आबकारी के अन्तर्गत ३८,९१,५०० रुपये की मांग सन् १९६५-६६ के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ३—राज्य आबकारी के अन्तर्गत ३८,९१,५०० रुपये की मांग सन् १९६५-६६ के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या १८—चिकित्सा तथा अनुदान संख्या १९—सार्वजनिक स्वास्थ्य

श्री दाऊदयाल खन्ना—

अध्यक्ष महोदय, श्री राज्यपाल की सिफारिश से मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या १८—चिकित्सा के अन्तर्गत ९,३०,३४,४०० रुपये की मांग सन् १९६५-६६ के लिए स्वीकार की जाय।

श्री राज्यपाल की सिफारिश से मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या १९—सार्वजनिक स्वास्थ्य के अन्तर्गत ९,५१,७१,३०० रुपये की मांग सन् १९६५-६६ के लिए स्वीकार की जाय।

श्री रामकिशोर वर्मा (जिला फतेहपुर)—

अध्यक्ष महोदय, मैं विरोध करूंगा।

श्री अध्यक्ष—

इसके ऊपर बहस होगी। माननीय चिकित्सा मंत्री अपने विचार रख दें, फिर सदन अपने विचार रखेगा।

श्री दाऊदयाल खन्ना—

अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो मैं यह अर्ज करना चाहूंगा कि मुझे बहुत दुख है कि आज जब यह मांगें माननीय सदन के सामने पेश हैं तो हमारे विरोधी दल के माननीय सदस्य यहां नहीं हैं और इसके कारण जो उनके अच्छे सुझाव मुझे मिल सकते, उनसे मैं महरूम रहूंगा। इसका मुझे बहुत दुख है लेकिन जो भी माननीय सदस्य यहां उपस्थित हैं उनसे मैं प्रार्थना करूंगा कि इस सिलसिले में जो कुछ भी सुझाव दे सकें वह देने की कृपा करें जिससे अगर कहीं हमारे इस विभाग के कार्य-संचालन में कोई कमी नजर आती है तो उसको हम दूर करने की कोशिश करें।

बहुत मुख्तसर में मैं आपके सामने अर्ज करूंगा कि इस प्रदेश की साढ़े सात करोड़ जनता के स्वास्थ्य की जिम्मेदारी इस स्वास्थ्य विभाग के ऊपर है और हमारे प्रदेश की तरक्की के लिए यह जरूरी है कि हमारे प्रदेश का स्वास्थ्य ठीक रहे। इस संबंध में जितना भी रुपया स्वास्थ्य के लिए रखा जाय वह कम है। लेकिन हमारे प्रदेश की जो माली हालत है, उसको देखते हुए मैं समझता हूं कि हमारे प्रदेश में बराबर इस बात की कोशिश रही है कि हम स्वास्थ्य संबंधी, जो हमारे कार्य हों उनके लिए ज्यादा से ज्यादा पैसा रख सकें। जनरल डिस्कशन के मौके पर कुछ माननीय सदस्यों ने यह फरमाया कि हमारे उत्तर प्रदेश में जो इस विभाग के लिए पैसा रखा जाता है, बजट में, वह हिन्दुस्तान के सब प्रदेशों के मुकाबले सबसे कम है, ऐसी बात नहीं है। हमारे प्रदेश में अगर आप देखेंगे १९६३-६४ में ११ करोड़ ३६ लाख ९ हजार रुपये की रकम रखी गई, १९६४-६५ में १५ करोड़ ७६ लाख ४१ हजार की रकम रखी गई थी और १९६५-६६ में, जिसका बजट आपके सामने प्रस्तुत है, उसमें १८ करोड़ ८२ लाख ५ हजार ७०० रु० है। तो आप यह देखें कि बराबर इस बात की कोशिश की गई कि जैसे जैसे हमारे साधन बढ़ते जा रहे हैं, वैसे-वैसे इस दिशा में काफी रूपया रखने की कोशिश की जा रही है। पंजाब में हमारे यहां के मुकाबले में कम रुपया रखा जाता है, वहां ५.५ परसेंट, आंध्र में ७ परसेंट है, मैसूर में ६.५ परसेंट है, महाराष्ट्र में ७.५ परसेंट है, उड़ीसा में ७ परसेंट है। तो हमारे प्रदेश में भी जो बजट का इस वक्त प्राविजन है, वह भी ७ परसेंट से कुछ थोड़ा सा ज्यादा ही आता है। हिन्दुस्तान के जो और प्रदेश हैं, उनके मुकाबले में हम बहुत पीछे नहीं हैं, यह जरूर है कि अगर हमारे पास और रुपया होता तो उस दिशा में और ज्यादा खर्च करते।

जहां तक इस चीज का ताल्लुक है कि हम प्रदेश के अन्दर यह सुविधाएं हर जगह ठीक तरह से पहुंचा सकें, उसमें जो कमी सबसे बड़ी आती है वह डाक्टर की कमी आती है और

इस चीज को लेकर इस माननीय सदन में अक्सर यह सवाल उत्पन्न होता है और वह अपनी जगह पर सही उत्पन्न होता है कि हमारी डिस्पेंसरीज में डाक्टर्स नहीं हैं लेकिन इस सिलसिले में माननीय सदस्य इस बात का एहसास करेंगे कि जहां तक सरकारी विभाग है, वह इस पूरी कोशिश में लगा है कि किस तरह से यह गुत्थी सुलझे । लेकिन डाक्टर कोई ऐसी चीज नहीं है, जो कहीं से लाकर रखा जाय, उसके लिए तो जब तक वह खुद नहीं आयेंगे, तब तक काम नहीं चलेगा । सरकार तो यह कर सकती थी कि उन्हें काम करने की जो शरायतें थीं, उनमें हम कुछ अट्रेक्शन दें, उनकी जो तनख्वाहें हैं, उनको बढ़ा दें, उनको जो अधिकार हैं, उनको बढ़ा दें, उन्हें अधिक सहूलियतें दें । इस दिशा में बहुत कुछ काम किया गया है । पी० एम० एस० १, पी० एम० एस० २ को एक कर दिया गया है और उनका नाम पी० एम० एस० हो गया है । इसी तरह पी० एच० एस० १ और पी० एच० एस० २ को एक कर दिया गया है, उसका नाम पी० एच० एस० हो गया है । पी० एम० एस० और पी० एच० एस० का ग्रेड जो है वह २५० से लेकर ७०० तक का कर दिया गया । इसके अलावा डी० ए० है । इसके अलावा यदि वे ऐसी जगह रखे जाते हैं, जहां पर प्रैक्टिस करने का उनको अधिकार नहीं होता है, वहां पर कम से कम ७५ रु० नान-प्रैक्टिसिंग एलाऊंस मिलेगा और वह अधिक से अधिक २०० रुपये तक ही हो सकता है, जो २५ प्रतिशत बैठता है । जितना यह कैडर है, उसका साढ़े सात प्रतिशत सेलेक्शन पोस्ट कर दिया गया है, ५०० से १,२०० तक की, तो यही काफी अट्रेक्शन है और डाक्टर्स को सोचना है कि दूसरी जो हमारी सर्विसेज हैं, उसमें भी अगर आप देखेंगे, तो कोई मुकाबिले में ज्यादा वेतन नहीं मिलता है । इसलिये डाक्टर्स को इधर लाने के लिये इस दिशा में जो कुछ भी सरकार ने किया है, यह मेरे ख्याल से काफी बेहतर है । अब यह बात दूसरी है कि इसका असर अभी तक नहीं हो सका है, लेकिन हमें देखना है कि लड़के जो न्यू-इंन्टर्नशिप में गये हैं, उनके इंटरर्नशिप की मियाद खत्म हो जाने के बाद हमें किस हद तक इस में कामयाबी होती है और कितने डाक्टर्स हमारी सरकारी सर्विसेज में आते हैं ।

दूसरी जो चिकित्सा प्रणाली हमारे प्रदेश में रायज है और जिसके ऊपर हम जोर दे रहे हैं, और काफी इस में सुधार करने की कोशिश कर रहे हैं, वह आयुर्वेदिक और यूनानी चिकित्सा प्रणाली है । इसके लिये भी हमने इस बजट में इस बात की कोशिश की है कि उनके जो कर्मचारी हैं, उनकी तनख्वाहें इजाफा करें, जिस से कि उनकी जो वर्किंग कंडीशन्स हैं, वह बेहतर हों और यह भी हमारे सामने सवाल है कि अगर यही हालत चलती रही, तो हमें यह देखना होगा कि हम जो डिस्पेन्सरीज कायम करते हैं, वह बगैर डाक्टर के न रहें, हम इसका इन्तजार किसी हद तक ही कर सकते हैं और आज हम देखते हैं कि हमारे इंटीग्रेटेड कोर्स के डाक्टर्स, जिनको आयुर्वेद और एलोपैथी दोनों का ज्ञान प्राप्त होता है और पांच वर्ष पढ़ते हैं, और जिनको हर तरह की पढ़ाई की सुविधा दी जाती है, अगर उनको काम करने का मौका मिले तो वे किसी हालत में काम करने में कम नहीं रहेंगे । फिलहाल ११० डिस्पेंसरीज ऐसी हैं जिनमें इंटीग्रेटड कोर्स के डाक्टर्स को हमें रखना है । उसके लिये हमने चुनाव कर लिया है । जो इस वक्त हमारे आयुर्वेदिक औषधालयों में डाक्टर काम कर रहे थे और जो प्रमोशन हो कर आयेंगे, वे पचास होंगे । उनके ऐप्वाइंटमेंट में १ महीना या २० दिन का समय लगेगा । लेकिन हमने जो नया चुनाव किया है उसके लिये अभी बहुत से काम अधूरे पड़े हैं । उनका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा । उनकी जो जाब्ते की चीजें हैं, पहले वे भी पूरी की जावेंगी । मुमकिन है कि इस में दो महीने का समय लग जाय । आशा की जाती है कि अगले दो-तीन महीनों के अन्दर उन ११० डिस्पेन्सरीज में उन डाक्टर्स को भेज दिया जावेगा । अगर हमने देखा कि इनके कार्य से आमतौर पर संतोष होता है और हमने यह देखा कि एम० बी० बी ० एस० कोर्स पास किये हुये डाक्टर उतनी मात्रा में नहीं मिलते जितनी मात्रा में हम चाहते हैं तो हम यही करेंगे कि इन्टीग्रेटेड कोर्स के डाक्टर्स को उन डिस्पेन्सरीज में काम करने के लिये भेज देंगे जिस से जो डिस्पैन्सरीज बगैर डाक्टर्स के चल रही हैं, उनमें डाक्टर रहें और सही तौर पर जनता की सेवा हो सके ।

[श्री दाऊदयाल खन्ना]

हमारे तीसरे प्लान में मेडिकल कालेज बनाने का जो कार्यक्रम था, उसमें एक इलाहाबाद में बन गया है जो काम कर रहा है। उसकी इमारतें कुछ बननी बाकी हैं। दूसरा मेरठ में बनना था। उसका काम भी शुरू हो गया है। हम इस बात की जल्द कोशिश करेंगे कि इतना हिस्सा तैयार हो जाय कि जो मेडिकल का पहिला साल है उसमें दाखिला हो सके। हमारी चौथी प्लान के अन्दर भी कई मेडिकल कालेजेज खोलने का विचार है। सरकार ने दो जगहों में खोलने का फैसला ले लिया है, एक गोरखपुर और दूसरा झांसी में। उसके लिये हमने आदेश दे दिये हैं कि उसका जो इब्तदाई या शुरू का काम है वह करना शुरू कर दिया जाय ताकि चौथी प्लान में ज्यादा देर न लगे। मेडिकल कालेज के साथ-साथ हमने लैबोरेटरी, अटेंडेंट्स और टैक्निशियन्स के भी ट्रेन्ड करने का इन्तजाम किया है। बगैर इनके भी आज अस्पतालों में काम नहीं चलता है। अगर वे न हों तो भी काम में गड़बड़ी पैदा होती है। हमारी यह भी कोशिश है कि हमारी रूरल एरियाज में हर ब्लाक में एक प्राइमरी हेल्थ सेन्टर हो। उससे ब्लाक के अन्दर यह इन्तजाम किया जाय कि मरीजों को देखा जाय और उनकी प्राब्लम्स को भी हल किया जाय।

६५–६६ में १४ रूरल डिस्पेन्सरीज भी हमारा खोलने का विचार है और प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स के खोलने का भी विचार है, जितने हम आसानी से खोल सकेंगे। यह हम कह सकते हैं कि तीसरे प्लान के अन्दर हर ब्लाक के अन्दर एक प्राइमरी हेल्थ सेन्टर खोला जायेगा। हालांकि हर जगह अपनी इमारत नहीं होगी लेकिन किराये का मकान ले कर जरूरी व्यवस्था करके इस बात की कोशिश की जावेगी कि थर्ड प्लान खत्म होने तक खुल जाये। आयुर्वेदिक या यूनानी डिस्पेन्सरीज जो तीसरे प्लान में हमको करनी थी, उस से ज्यादा हमको कामयाबी मिल चुकी है और ज्यादा इन्तजाम किया है। हमने होम्योपैथिक डिस्पेंन्सरीज जो हमें तीसरी प्लान में पूरी करनी थी उनको भी हम पूरी कर चुके हैं।

इसके अलावा हमारे प्रदेश में एक बीमारी ऐसी है जिसके ऊपर हमें खास तवज्जह देना है। जहां तक मलेरिया का खत्म करने का ताल्लुक है, उसके अन्दर हमें काफी कामयाबी हुई है। इसी से मिली-जुली बीमारी फाइलेरिया है। इस बीमारी से प्रदेश में लगभग ३ करोड़ नागरिकों को खतरा मौजूद है। इमर्जेन्सी के जमाने में कुछ कंट्रोल यूनिट कायम की गयी थी जिसको बाद में खत्म कर दिया गया। अब फिर से उसको चालू कर दिया गया है। इस वित्तीय वर्ष में उसके लिये साढ़े आठ लाख रुपया रखा गया है। इसके द्वारा हम इस बीमारी की रोकथाम करने का प्रयत्न करेंगे। इस बीमारी की रोकथाम का तरीका मलेरिया से भिन्न है। उन तरीकों पर हम ध्यान देंगे और देखेंगे कि हम किस हद तक उसको कंट्रोल करने में कामयाब होते हैं।

तीसरी टी० बी० की समस्या है। पहले यह खयाल था कि टी० बी० का इलाज सेनीटोरियम में ही हो सकता है और हमारे प्रदेश में केवल भुवाली में एक सेनीटोरियम था। आजकल वैज्ञानिकों का खयाल है जितना फैलाव इस बीमारी का है, उसके लिये सेनिटोरियम स्थापित नहीं किये जा सकते और इसका इलाज घर पर रह कर ही हो सकता है। इस तरीके को अमल में लाने के लिये हमने जगह-जगह टी०बी० क्लीनिक्स कायम कर दिये हैं। जहां मरीजों की जांच होती है और उनको दवा दी जाती है। ये मरीज घर पर रह कर दवा खायेंगे। टी० बी० क्लिनिक्स में जो डाक्टर होंगे वे दवाखाने में और घर पर जाकर मरीजों को देखेंगे और उनका इलाज करेंगे। वैज्ञानिकों का यह कहना है कि जब यह बीमारी शुरू होती है, मरीज उसी समय दवा लेना शुरू कर दे, वह कहीं भी रहता हो, अगर समय पर वह दवा लेता है, तो वह बीमारी जरूर अच्छी हो जायेगी। इस सिलसिले में सरकार इस कोशिश में है कि हर जिले में कम से कम एक क्लिनिक हो जाय। इस वक्त हमारी ४७ क्लिनिक्स हैं। २९ पहले थीं, १७ इस वर्ष में कायम की गयीं। इस बजट ईयर में ऐसी क्लिनिक कायम किये जाने की आज्ञा दी जा रही है, जिस से हर जिले को यह सुविधा प्राप्त हो सके।

इस बजट ईयर में यह भी ध्यान रखा गया है कि जो ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जो दूसरे लोगों अथवा दूसरी संस्थाओं के द्वारा रन किये जा रहे हैं लेकिन काम अच्छा कर रहे हैं इसलिये सरकार समय-समय पर उनको कुछ न कुछ आर्थिक मदद देती रही है। सन् ६४ में जब कि इस मद में ५४.१०४ रुपया रखा गया था, अब इस बजट में उसके लिये ६४.६६७ रुपया रखा गया है। उसके द्वारा हम उनको और अधिक मदद करना चाहते हैं।

हमारे प्रदेश में स्वास्थ्य को, खाने-पीने की चीजों में बेइन्तहा दर्जे की मिलावट होने से खतरा पैदा हो रहा है। इसकी वजह से चाहे कोई भी चीज हो यह डर लगा ही रहता है कि इसमें कोई मिलावट तो नहीं है। जब तक इस चीज की रोक नहीं होती, यह खतरा बना ही रहेगा। इसकी ओर इस प्रदेश की सरकार और दूसरे अन्य प्रदेशों की सरकारों का ध्यान गया और भारत सरकार ने इस विषय में एक कानून बनाया है जो १ मार्च, १९६५ को लागू हो गया है। अब तक यह होता था कि अगर कोई एडल्टरेटर पकड़ा गया और अदालत में केस गया तो जुर्म साबित होने पर उस पर १०० रुपया या १,००० रुपया जुर्माना होता था एक दिन की सजा हुई या न हुई। आमतौर से सजा कम होती थी लेकिन अब जो इस कानून में अमेंडमेंट हुआ है उसके जरिये यह प्रोविजन हो गया है कि जो केस अदालत के सामने जायेगा साबित हो जाने पर उसमें कंविक्टिंग मजिस्ट्रेट को कम-से-कम ६ महीने की सजा जरूर करनी होगी और कम से कम एक हजार रुपये का जुर्माना जरूर करना होगा। जिस तरह का जुर्म होगा उसके लिहाज से सजा ६ महीने से ६ वर्ष तक हो सकती है। इस कानून के बन जाने से अडल्ट्रेशन करने वालों को पूरा डर रहेगा कि केवल जुर्माना देने से ही बचत नहीं हो सकेगी बल्कि उसके साथ-साथ जेलखाना भी जाना होगा और वह सजा भी कम से कम ६ महीने तक की सजा जरूर होगी। इसलिये मैं समझता हूं कि इस कानून के बन जाने से यह अडल्ट्रेशन की बीमारी काफी हद तक रुक सकती है।

अब मैं बहुत मुख्तसर में चन्द चीजें अर्ज करना चाहता हूं जो कि खास-खास हैं और जिनका कि इस वित्तीय वर्ष में इन्तजाम किया गया है, और जो कि इस प्रदेश के स्वास्थ्य के लिये जरूरी है।

मेडिकल कालेज, कानपुर तथा मेडिकल कालेज, आगरा में चाइल्ड गाइडेंस क्लीनिक बनाये जायेंगे और उनका मकसद यह होगा कि जो बच्चे ऐसे होते हैं जिनका दिमाग कुछ ऐसा होता है उनके तौर-तरीके कुछ ऐसे बिगड़ जाते हैं कि आगे चलकर वे गलत तरीके के कार्य करते हैं। इन क्लीनिक्स के जरिये उन बच्चों का इलाज शुरू में ही करने की कोशिश की जायेगी जिस से आगे चलकर वे ठीक हो सकें। इसी तरह से हमारे मेडिकल कालेजों में जो आज मेडिकल स्टूडेन्ट्स हैं उनको फारेंसिक मेडिसिन का भी ज्ञान कराया जायगा। आज हमारे प्रदेश में क्राइम्स बढ़ते जा रहे हैं और उस बढ़ते हुये क्राइम्स को इनवेस्टिगेट करने की कोशिश की जाती है। दूसरे देशों में इस तरह का तरीका रायज है तो यहां भी मेडिकल कालेजों में इस तरीके का ज्ञान विद्यार्थियों को कराया जायगा जो कि उस दिशा में समाज के लिये उपयोगी सिद्ध हो सके।

हमारा इरादा यह है कि लखनऊ मेडिकल कालेज में एक इमारत बनायी जाय जो वहां डिपार्टमेंट आफ फिजिकल मेडिसिन के काम आयेगी। कानपुर मेडिकल कालेज में यह डिपार्टमेंट इसी वित्तीय वर्ष में हो जायगा। हमारी मंशा यह है और आज यह देखा जाता है कि बहुत सी बीमारियां ऐसी हैं जैसे पैरालाइसिस हो जाता है या बहुत-सी पैदायशी बीमारियां होती हैं जिस से कुछ अंग खराब हो जाते हैं और वे सही काम नहीं करते, बहुत से फ्रैक्चर्स ऐसे होते हैं जिनसे हाथ पैर टेढ़े हो जाते हैं, तो उनका इलाज फिजिकल मेडिसन के तरीके से किया जायगा और यही एक तरीका है जिस से मरीज को काफी हद तक आराम मिल सकता है। कानपुर में यह विभाग इसी वित्तीय वर्ष में कायम हो जायगा और लखनऊ में उसकी इमारत बनेगी उसके बाद यह कायम हो जायगा।

[श्री दाऊदयाल खन्ना]

दूसरा कदम इस वर्ष यह उठाया गया है कि हमने अपने प्रदेश के अन्दर वेनरल डिजीजेज के ४ क्लीनिक्स खोलने का प्रस्ताव अल्मोड़ा, पौड़ी, गढ़वाल, टेहरी-गढ़वाल तथा देहरादून में किया है। अब तक दो क्लिनिक्स वाराणसी और मेरठ में चल रहे हैं। यह बीमारी ऐसी जगहों पर होती है जो कि इंडस्ट्रियल एरियाज हैं, जहां मेले वगैरह होते हैं, जहां बहुत से यात्री जाया करते हैं। साथ ही पहाड़ी क्षेत्र में कुछ ऐसे स्थान हैं जहां कुछ कस्टम्स ऐसे हैं जिनकी वजह से भी यह बीमारी होती है। आगे चलकर उस बीमारी से और भी दिक्कतें व परेशानियां बढ़ सकती हैं, इसलिये इस साल उपरोक्त जगहों पर क्लीनिक्स खोलने का इन्तजाम किया गया है जिस से लोगों को इलाज की सुविधा हो जाय।

कानपुर में एक खास कदम हम यह उठा रहे हैं कि कार्डिक कैथराइजेशन का एक यूनिट कायम कर रहे हैं यानी हृदय सम्बन्धी रोग से जो लोग पीड़ित होते हैं उस से अन्दर दिल तक का हाल मालूम हो जाता है और अन्दाजा लगाया जा सकता है कि हार्ट में कहां क्या खराबी है। यह सुविधा कई साल से लखनऊ मेडिकल कालेज में तो प्राप्त थी लेकिन कानपुर में नहीं थी, वहां भी अब उसका इन्तजाम किया जा रहा है और यह चीज हृदय रोग के इलाज में मददगार साबित होगी। लखनऊ मेडिकल कालेज में एक और कोवाल्ट ६० का यूनिट है जो केन्सर के इलाज में काम आती है। जिन डीप रेज का प्रयोग किया जाता है वह मरीज को और काम करने वालों को खतरा पहुंचाती हैं और नुक्सान का अन्देशा रहता है। उस खतरे को दूर करने के लिये कुछ चीजों का इन्तजाम किया गया है। इसके अलावा एक मेडिकल रिकार्ड सेक्शन कायम किया जा रहा है जो कि खास, खास तरह-तरह के केसेज आते हैं उनका जो इलाज होता है और बाद में पता नहीं लगता कोई हिस्ट्री केसेज की नहीं रहती कि क्या-क्या प्रगति हुई थी क्या-क्या इलाज हुआ था, इसके लिये अब वहां ऐसे रिकार्ड रखे जायेंगे कि खास-खास मर्जों में किस-किस तरह का इलाज हुआ था, कौन मरा, कौन कैसे अच्छा हुआ, किस दवा से अच्छा हुआ यह चीज आगे के इलाजों के लिये उपयोगी साबित होगी और रिसर्च के विद्यार्थियों के भी काम की चीज वह होगी।

ब्लड जमा करने के लिये एक मोबाइल वेन का इंतजाम किया जा रहा है जो मुखतलिफ स्थानों पर जाकर ऐसे प्रोग्रामों में भाग लेगा और उसके द्वारा खून इकट्ठा करने का इन्तजाम होगा। इसके अलावा बहुत से जिला अस्पतालों में मरीजों के लिये एम्बुलेन्स का इंतजाम नहीं है वहां यह इन्तजाम किया जायगा। इस वक्त हमने १३ जिलों के लिये यह किया है वह जिले सुल्तान-पुर, आगरा, सीतापुर, रायबरेली, फतेहपुर, उन्नाव, बांदा, जालौन, मैनपुरी, हमीरपुर, बाराबंकी, हरदोई और पीलीभीत हैं। इस से इन जिलों में मरीजों को लाने ले जाने में आसानी होगी।

हमारे यहां कुष्ठ रोग की भी एक समस्या है। हमारी कोई ढाई करोड़ की आबादी ऐसी है जो ऐसे स्थानों में रहती है जहां यह मर्ज है। यह बीमारी कांन्टेक्ट से होती है और यह आबादी इस बीमारी के लिये एक्सपोज है। १ लाख के करीब हमारे यहां इस मर्ज के रोगी भी हैं जिनको कि यह रोग है। कुछ कंट्रोल यूनिट्स देहरादून, वाराणसी, मुरादाबाद आदि में काम कर रहे हैं और अभी हम ५ और कायम कर रहे हैं। जो बलिया, जौनपुर, मिर्जापुर, देवरिया, झांसी में खोल रहे हैं। दूसरे हम कुष्ठ के इलाज के लिये और सर्वे के लिये तीस सेंटर्स भी कायम करेंगे, वहां मरीज आयेंगे, उनकी जांच होगी, उनको दवा दी जायगी और वह घर जा कर दवा खाते रह सकते हैं। कुछ अभी तक लोगों का विचार ऐसा है कि अगर कोई कोढ़ का मरीज मिल जाता है तो लोग उस से घृणा करने लग जाते हैं और डरते हैं कि हमें यह रोग न लग जाय। लेकिन मैं आपको बताऊं कि आज जो हमारे विशेषज्ञ हैं उनकी राय यह है कि आज जो केसेज हमारे बाजार में या मेलों में मिलते हैं, देखने को किसी के हाथ गल गये किसी के पैर गल गये उनसे इंफेक्शन नहीं होता, वह वहीं तक बर्न्ट केसेज रहते हैं उनसे आगे नुकसान नहीं होता। जितना कि हो चुका है। लेकिन वह बीमारी उस वक्त फैलती है जब आदमी को पता भी नहीं होता कि मैं इस मर्ज का मरीज हूं। शुरू में ही अगर अहतियात कर ली जाय और दवा रेगु-

रेगुलरली खा ली जाय तो यह मर्ज अब कतई ठीक हो जाता है आज इसका मुकम्मिल इलाज है बशर्ते कि आदमी दवा पूरी तरीके से खा ले। इसलिये हमारी कोशिश है कि इसके हम ३० सेन्टर्स कायम करें उन जगहों पर जहां कि १,००० की आबादी में दस से कम मरीजों की तादाद है। तो वहां यह सेन्टर है और जहां १ हजार में १० मरीज से ज्यादा आ जाते हैं वहां पर वे यूनिट्स हैं जो उनकी बीमारी को भी रोकथाम करते हैं और उनका इलाज भी करते हैं। इस समय हिन्द कुष्ठ निवारण नामक संस्था काफी अच्छा काम कर रही है और इसके लिये जो अनुदान देने का प्रबन्ध है वह बजट में भी रखा है। इसके साथ ही साथ आगरा में १ लैप्रोजियम जापान की जनता की तरफ से बनाया जा रहा है। १७-१८ लाख की वह एक आधुनिक चीज है और उससे हमको बहुत मदद मिलेगी। मदद इसलिये मिलेगी कि हम जान पायेंगे कि किस तरह से मरीज को इस मर्ज से अच्छा कर सकते हैं। जापान में भी वह मर्ज है। हमारे देश से कम नहीं था बल्कि ज्यादा था। उन्होंने उसको इस प्रकार खत्म कर दिया जिस प्रकार से हमारे यहां पर मलेरिया समाप्त हो गया है। यह इंस्टीट्यूशन वहां की जनता का है और उनके जरिये ही वहां काम होता है। उससे हमारे टैक्निशियन्स और डाक्टरों को ट्रेनिंग होगी और उसमें रिसर्च होगी।

हमारे यहां पर शुद्ध आयुर्वेद पर भी जोर दिया जा रहा है। मैं चाहता हूं कि आयुवदिक में जो हमारी साइन्स प्रणाली है वह इण्टीग्रेटेड कोर्स में हो। वाराणसी में एक संस्कृत विश्व-विद्यालय है। उसके अन्दर ऐसा प्रबन्ध किया जा रहा है कि संस्कृत में ही आयुर्वेद पढ़ाया जायगा और इसके लिये ७९,७०० रुपया संस्कृत यूनिसर्विटी को दिया है। वह चौथी प्लान में काम शुरू होगा। उस वक्त पढ़ाई का कार्य शुरू कर दिया जायगा। इस बात की पूरी कोशिश है कि हम शुद्ध आयुर्वेद को फिर से नई जिन्दगी दें। जहां तक हमारा इंटीग्रेटेड कोर्स है आयुर्वेदिक डाक्टर्स जो हमारे हैं, और यूनानी डाक्टर जो हैं उनके वेतन क्रम में वृद्धि की है। हमारी इस बात की कोशिश है कि वे भी हमारे प्रदेश में बीमारियों के इलाज में काफी हिस्सा ले सकें।

अध्यक्ष महोदय, मैंने आपका काफी समय लिया। मुझे पूरी आशा है कि हमारे जो माननीय सदस्य यहां उपस्थित हैं, वे अपने-अपने सुझावों से लाभान्वित करेंगे और बतायेंगे कि कहां-कहां हमारी कमी है और उन्हें हम कैसे दूर कर सकते हैं।

यह चीज ऐसी हैं कि जितने भी पैसे का इसके लिये बजट में इन्तजाम किया गया है उसके लिये हमें कोशिश यह करनी है कि उस पैसे का सही-सही खर्च हो। अगर हमारी दवाई, जो अस्पताल में जाती है, उसका थोड़ा-सा हिस्सा भी बाजार में जाकर बिकता है या चोरी होती है तो बहुत बुरा है। अगर हम यह इन्तजाम कर सकें तो भी बड़ा संतोष होगा। इस दिशा में माननीय सदस्य बहुत कुछ कर सकते हैं। आप लोगों का ताल्लुक जिलों से और और दूसरी जगहों से है जहां पर कोई न कोई अस्पताल है। अगर आप देखें कि कहीं पर इस तरह के इन्तजाम में खराबी है, कहीं पर दवाई बिक जाती है या कहीं पर डाक्टरों की शिकायत है तो समय-समय पर मुझे बताते रहेंगे और मैं आश्वासन देता हूं कि जो कुछ मेरी शक्ति में है, उन चीजों को सुधारने के लिये मैं भरसक कोशिश करूंगा।

श्री एस० जी० दत्त (जिला कानपुर)---

श्रीमन्, मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि इस हाउस में कटौती का कोई प्रस्ताव नहीं आ रहा है, इसलिये मैं आप से आग्रह करूंगा कि जैसा कि अभी स्वास्थ्य मंत्री जी ने अनुदान पेश किया है उसको वैसे ही पास कर दिया जाय।

श्री अध्यक्ष---

कटौती का प्रस्ताव नहीं है तो भी कोई भी प्रस्ताव जो इस सदन के सामने आयेगा उसके ऊपर प्रत्येक सदस्य मत व्यक्त कर सकता है।

*श्री रामकिशोर वर्मा---

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आज चिकित्सा और जन स्वास्थ्य की जो मांग मंत्री जी ने पेश की है इस सदन में, उस संबंध में मुझे अपने विचार देने का आपने अवसर दिया है । मैंने माननीय मंत्री जी के भाषण को जो उन्होंने इस संबंध में यहां किया उसको बड़े ध्यानपूर्वक सुना । हम सभी यह अनुभव करते हैं कि जन साधारण के लिये चिकित्सा और स्वास्थ्य की व्यवस्था का स्वास्थ्य रक्षा के लिये होना आवश्यक है । यह सही है कि इन १७ वर्षों में प्रदेशीय सरकार ने कुछ प्रयास किया है । लेकिन मुझे यह कहने में कोई आपत्ति नहीं है कि जिस गति से इस दिशा में काम होना चाहिये था उस गति से नहीं हुआ है ।

सब से पहले हमें देखना है कि जो हमारे वर्तमान साधन हैं, उनमें क्या कमियां हैं और उनको कैसे पूरा करें ? आज हमारे जो जिला चिकित्सालय हैं उनके लिये मशीनें दी जाती हैं, मैं समझता हूं कि वह खराब रहती हैं या यह भी हो सकता है कि जब इन मशीनों से काम लेने के लिये कोई मरीज आग्रह करता है तो वे बहाना कर देते हैं ताकि उनको फीस मिल जाय । इस बारे में सही कुछ नहीं कहा जा सकता है कि बहाना बनाने का उनका क्या लक्ष्य होता है ? प्रायः यह देखा जाता है कि जब मरीज कुछ देने के लिये तैयार हो जाता है तो वह बिगड़ी हुई मशीन ठीक हो जाती है और मरीज के मशीन से होने वाले कार्य जैसे स्वास्थ्य परीक्षा और शरीर परीक्षा सब कुछ हो जाता है ।

दूसरे आज जो जिले के जो बड़े-बड़े चिकित्सालय हैं, उनकी हालत यह है कि दवाओं की समुचित व्यवस्था होते हुये भी, गरीब मरीजों को राहत नहीं मिल पा रही है क्योंकि डाक्टर लोग सलाह के तौर पर पर्ची लिख कर दे देते हैं और सलाह देते हैं कि उनकी निजी की दुकानें हैं जिनसे उनका सीधा संबंध है, उससे वह खरीद लें । हर अस्पताल के पास श्रीमन्, ऐसी दूकानें खुली हुई हैं, जिनसे चिकित्सकों का सीधा संबंध होता है । आज हमारे ग्रामीण स्थानों में जो चिकित्सालय हैं, वे जिला परिषद् के अन्तर्गत हैं या जो प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा केन्द्र हैं उनके पास हैं । हम अहसास करते हैं कि इस प्रदेश की आबादी शहरों की अपेक्षा ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक है । वह लोग गरीब हैं, उनके पास पैसा नहीं है, इसलिये उनकी चिकित्सा और स्वास्थ्य के लिये जो अन्य उपाय हों वे किये जाने चाहिये । लेकिम श्रीमन्, १९६५-६६ के बजट से स्पष्ट है कि वह सारे का सारा शहरों तक ही केन्द्रित रखा गया है । आश्वासन के तौर पर मंत्री जी ने कहा है कि हमारे जो प्रसार सेवा खंड हैं, उनमें इन वर्षों में हम प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की स्थापना कर देंगे । लेकिन मैं जानना चाहूंगा कि आज प्रदेश में जिन स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना हो चुकी है, क्या उनमें डाक्टरों की नियुक्ति हो गई है ? केवल भवन बना देने, चिकित्सालय स्थापित कर देने से क्या स्वास्थ्य रक्षा में इम्दाद मिल सकती है ? मैं इससे सहमत नहीं हूं । चिकित्सालय बढ़ाये जायं लेकिन जहां अस्पताल हैं, उनमें जिस तरह से भी हो, डाक्टरों की कमी पूरी कर दें, वह चाहे जिस तरह से करें । फिर चाहे वह मेडिकल कालेजेज से पास हुआ न मिले, आयुर्वेद से पास वह मिलें । कुछ ऐसे वैद्य भी हैं जो साधारण डाक्टर का अनुभव रखते हैं । लेकिन सभी अस्पतालों में जो ग्रामीण क्षेत्र में हैं, चिकित्सकों की नियुक्ति हो जानी चाहिये ।

आज ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत से ऐसे अस्पताल हैं जहां कम्पाउन्डर काम चला रहे हैं । किन्तु उन अस्पतालों को दवा के लिये मिलने वाला पूरा का पूरा अनुदान दे दिया जाता है । उन दवाओं में कुछ दवायें ऐसी भी होती हैं, जिनका कम्पाउन्डर इस्तेमाल नहीं कर पाते, वह उनके इस्तेमाल की योग्यता नहीं रखते । फिर भी मेरी समझ में नहीं आता कि वह सारी की सारी दवायें उन्हें क्यों दे दी जाती हैं जब कि उनमें से कुछ का वह प्रयोग ही नहीं जानते हैं ? इतना ही नहीं ऐसी दवायें दी ही नहीं जाती हैं बाद में सरकार द्वारा यह पूछा भी नहीं जाता है कि जिन दवाओं का प्रयोग नहीं हुआ वह क्या हुई ? खराब हुई या क्या हुई ? उन्हें वापस नहीं मंगाया जाता । तो

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

उसका परिण.म यह होता है कि वह दवायें मार्केट में बिकती हैं । इस प्रकार से कुछ लोगों की रोजी रोजगार भले हो चल जाये, लेकिन स्वास्थ्य के लिये उससे कोई लाभ नहीं पहुंच सकता है ।

आज जिला परिषदों की भी हालत खराब है जिला परिषद् पैसा देती है और सरकार उन्हें कुछ सहायता देती है । सिविल सर्जन उनका प्रबन्ध देखते हैं । मुझे जानकारी है फतेहपुर जिले की, जहां एक अस्पताल था और जिसमें १९६४–६५ के बजट की दवा अभी तक नहीं आ पायी थी । इधर अब आ गयी हो तो नहीं कह सकता । इसका कारण यह है कि हमारे जो जिले के स्वास्थ्य अधिकारी हैं वह कोटेशन मांगते हैं । उनका कुछ कम्पनियों से सीधा सम्बन्ध होता है । वह एक ही कम्पनी से विभिन्न अलग-अलग नामों से टेन्डर मांग लेते हैं । कम्पनी एक होती है, लेकिन वह कम्पनी विभिन्न झूठी कम्पनियों के नाम से अलग-अलग कई कोटेशन दे देती है, जिन नामों का कोई कहीं अस्तित्व नहीं होता है । उन कोटेशन्स में जो सबसे कम होता है वह स्वीकार होता है, किन्तु वह भी आम बाजार के भाव से दुगुने-तिगुने दाम पर होता है । मंत्री जी, जो मैं कह रहा हूं वह मैं अपनी बड़ी जानकारी से कह रहा हूं और मैं आपसे यह अपेक्षा करूंगा कि आप इस बात की जांच करें और यदि इसमें सच्चाई हो तो उसे रोकने का प्रयत्न करें ।

पिछले दिनों मैंने सुझाव दिया था कि जो जिला परिषदों के अस्पताल हैं, उन्हें सीधे ही दवा खरीदकर क्यों न दे दी जाया करे ? किन्तु इसमें कुछ ऐसे दांव-पेंच होते हैं, जिनके कारण अधिकारी लोग वैज्ञानिक कारणों से कुछ न कुछ रूकावट डाल देते हैं और इसका नतीजा यह है कि हम अपनी मांग मनवाने में सफल नहीं हो पाते हैं । अस्पताल न होने से एक तो जितनी हम दवाओं का कोटा देते हैं देहात के अस्पतालों कोउससे कई गुना डाक्टर, कम्पाउन्डर और जो दूसरे तीमारदार होते हैं, उनका व्यय हो जाता है । दस सौ, पन्द्रह सौ जो दवाओं के लिये मिलता है वह नहीं के बराबर होता है और दवाओंके स्थान पर पानी मिलता है । इन दवाओं से हमारे स्वास्थ्य की रक्षा नहीं हो सकती है । तो मैं ऐसा समझता हूं कि जिन अस्पतालों की हम संख्या बढ़ाते चले जा रहे हैं, उनसे कुछ लाभ नहीं हो पाता है । गरीबों के लिये मुफ्त चिकित्सा की व्यवस्था होनी ही चाहिये । देहातों की ओर उचित ध्यान नहीं दिया जाता है और शहरों में अस्पताल इसलिये बढ़ाये जा रहे हैं क्योंकि शहरों में कुछ धनी-मानी लोग रहते हैं, किसान मजदूरों के लिये नहीं । मैं आपसे यह निवेदन करूंगा कि आप अपना ध्यान बजाय शहरों के देहातों की ओर केन्द्रित करें ।

जन-स्वास्थ्य में आपने क़छ प्रयास किया है । मलेरिया उन्मूलन और चेचक उन्मूलनों के प्रयास और नसबन्दी का कार्य जो नया चला है। मलेरिया उन्मूलन का काम बड़े जोर शोर से आरम्भ हुआ यह कह कर के कि ' न मच्छर रहेगा न मलेरिया" और जिस तीव्रगति से काम चला उससे आभास हुआ कि हम मलेरिया पर नियंत्रण पा लेंगे । मैं जानता हूं कि उसमें काम बहुत काफी हुआ लेकिन यह सही है कि हम अभी तक मलेरिया का मूलतया उन्मूलन नहीं कर पाये हैं । अभी उसमें बहुत कुछ करना शेष है । आपने उसमें कुछ कटौती कर दी है जैसे दवा छिड़काव जो होता था वह बन्द कर दिया गया और सिर्फ इंसपेक्टर्स गांव-गांव घूमकर दवा देंगे यही काम रहेगा । तो मैं आपसे कहता हूं कि मलेरिया उन्मूलन में कुछ सफलता तो आपको मिली है उसको पूर्णतया नष्ट करने के लिये हम उसी रफ्तार से चले जैसे चलते आये हैं और उसको सन्मूल नष्ट कर दें । चेचक का काम शुरू हुआ उसके बारे में कुछ कहना मैं मुनासिब नहीं समझता यह तो उसकी सफलता और बिफलता पर निर्भर है ।

नसबन्दी का काम बड़े जोर से आरम्भ हुआ । जिलों में और विकास खंडों के द्वारा इस का इन्तजाम हुआ । बजट को देखने से मालूम होता है कि कुछ दस्ते आप और बढ़ा रहे हैं । जो नसबन्दी कराते हैं उनको आप १० रुपया भोजन के लिये देते हैं । इसका अर्थ यह है कि यह केवल गरीब लोगों की नसबन्दी आप भोजन के लालच में कराना चाहते हैं । (एक आवाज–

[श्री रामकिशोर वर्मा]

उनकी संख्या भी सबसे ज्यादा है ।) हां, तो ठीक है अमीरों के लिये १० रुपये से ज्यादा बढ़ा दें तो उनको ज्यादा पैसा पैदा करने को मिल जायगा । हमारे देहातों में इसकी बहुत चर्चा है कि एक तरफा काम चल रहा है । वह लोग दो तरह से सोचते हैं । एक तो यह कि जब चीन अपनी जनसंख्या बढ़ानें में लगा हुआ है तो फिर भारत कें नेताओं को क्या सूझी है कि वे जनसंख्या घटाना चाहते हैं ! दूसरे धार्मिक लोग सोचते हैं कि नसबन्दी तो शायद केवल हिन्दुओं के लिये ही है । मुसलमानों ने तो शायद मसजिदों में शपथ खा ली है और यही हाल हमारे ईसाई भाइयों का भी है । जो सरकारी अधिकारी भी इस काम में लगे हुये हैं वह भी बिलकुल अलग हैं। तो जो इस आन्दोलन के अगुआ हैं पहले वे इस दिशा में आगे बढ़ें, अगर वे इस योजना को अच्छी समझते हैं । अपने ही से क्यों नहीं वे शुरूआत करते ? जब वे आपके नियमों में लिखे अनुसार बच्चे पैदा कर चुकें तो पहले उनकी नसबन्दी हो जाय । इसके अलावा जिला स्तर के अधिकारियों और नेताओं पर प्रयोग किया जाय। लेकिन १० रुपये का लालच दे कर, भोजन के बहाने गरीबों की नसबन्दी हो, यह ठीक नहीं है। मैं दावे से कह सकता हूं कि भुखमरी के शिकार लोग ही नसबन्दी करा रहे हैं और आपको इसमें अधिक सफलता नहीं मिल रही है । आप देखें कि करोड़ों रुपया इस पर व्यय हुआ लेकिन उस पर सफलता मिली या नहीं । आपका अन्दाजा है कि भविष्य में सफलता आपको मिलेगी लेकिन इधर ध्यान देना आवश्यक है । मैं आलोचना नहीं करता किन्तु सुझाव के तौर पर जो त्रुटियों मैंने बताईं उनकी ओर ध्यान दिया जायगा । मैं आशा करता हूं कि आप इन त्रुटियों पर विचार करके उनको दूर करेंगे । इन शब्दों के साथ मैं पुनः आपसे आग्रह करता हूं कि आप मेरे सुझावों पर विचार करें और उन चीजों को ज्यादा बलशाली बनावें ।

श्री बृजभूषणशरण (जिला देहरादून)—

मान्यवर, जो अनुदान माननीय मंत्री जी ने पेश किया है मैं उसका समर्थन करता हूं और उनकी भूरि भूरि प्रशंसा करता हूं । उनके एफर्ट की भी मैं प्रशंसा करता हूं कि जिसके कारण वह चौथे प्लान में बहुत से काम करने जा रहे हैं । जो बातें रामकिशोर जी ने कहीं मैं उनसे सहमत नहीं हूं । अपनी स्पीच में उन्होंने ६ मर्तबा कहा है कि सरकार सिर्फ शहरों की तरफ तवज्जह दे रही है और गांवों पर तवज्जह नहीं है । इस तरह से हर वक्त गांव और शहर की बात करके पूर्व और पच्छिम जैसा झगड़ा पैदा करना मुनासिब नहीं है । मैं यह अर्ज करूंगा कि जहां उन्होंने एक सांस में कहा कि शहरों की तरफ तवज्जह ज्यादा दी जा रही है वहां दूसरे सांस में यह भी कहा कि गांवों में अस्पताल खोले गये हैं पर वहां पर डाक्टर नहीं हैं । अब आप यह बताइये कि यदि अस्पताल खोला जाय और उसमें डाक्टर नहीं पहुंचता है तो फिर इलाज कैसे किया जायगा ? मैं इस झमेले में नहीं पड़ता और कुछ अपने जिले की बात कहना चाहता हूं ।

(इस समय १२ बजकर ५० मिनट पर अधिष्ठाता, श्री रामायण राय पीठासीन हुये ।)

मैं मंत्री महोदय से यह निवेदन करना चाहता हूं कि जब मैं चौथे प्लान के सिलसिले में माननीय स्वास्थ्य मंत्री, केन्द्रीय सरकार से देहरादून में मेडिकल कालेज खोलने के विषय में मिलने गया तो उस समय डा० सुशीला नायर ने मुझसे कहा कि हम तो देना चाहते हैं लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार मेडिकल कालेज खोलने के सिलसिले में उतना नहीं कर रही है । मुझे बहुत अफसोस हुआ, क्योंकि मैं यह समझता था कि हमारे मंत्री जी व्यक्तिगत रूप से बहुत चिन्तित रहते हैं और बहुत प्रयत्न करते हैं इस डिपार्टमेंट को चलाने में, परन्तु उत्तर प्रदेश की सरकार में यह ढिलाई क्यों आई ? उन्होंने बतलाया कि अगर जनसंख्या के हिसाब से उत्तर प्रदेश को देखा जाय तो वहां पर जनसंख्या के हिसाब से कम से कम १६ मेडिकल कालेज होने चाहिये । और इस के लिये हम सहायता देने को तैयार हैं । जब चौथी प्लान में मेडिकल कालेज खोलने के लिये वह सहायता देने को तैयार हैं तो फिर प्रदेश में मेडिकल कालेज खोलने में आपको क्या कठिनाई है ? पंजाब

छोटा सा सूबा है, उसमें कितने मेडिकल कालेज हैं ? उत्तर प्रदेश में कितने जिले हैं और कितने मेडिकल कालेज है इससे अन्दाजा लगाइये । डा० सुशील नायर ने जब यह कहा कि हम देना चाहते हैं लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार मेडिकल कालेज खोलना नहीं चाहती है, तो मुझे अफसोस हुआ । मैं बहुतनम्रता से बगैर किसी नुक्ताचिनी के मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि देहरादून में हम लोगों ने, जब कि देश में बड़ी दुखद घटना हुई थी और हमारे पूज्य प्रधान मंत्री जी की मृत्यु हुई, तो सब ने मिलकर यह बात तय की थी और प्रधान मंत्री जवाहरलाल जी की भी ख्वाहिश थी कि देहरादून में एजुकेनशनल सेन्टर होने के कारण मेडिकल और इंजीनियरिंग कालेज का इन्तजाम होना चाहिये । उस समय वहां के नागरिकों ने २०, २५ लाख रुपये इकट्ठे करने की बात भी तय की थी । माननीय मंत्री जी यह कह सकते हैं कि २०, २५ लाख रुपया मेडिकल कालेज खोलने के लिये काफी नहीं है । मेरा निवेदन है कि अगर २०, २५ लाख रुपये में मेडिकल कालेज खुल जाता तो फिर हम माननीय मंत्री जी से क्यों निवेदन करते ? मैं कहूंगा कि वह ऐसा जिला है जहां पर कोई इंडस्ट्री नहीं है और मालदार लोग भी नहीं हैं परन्तु फिर भी वहां के लोग २०, २५ लाख रुपया इकट्ठा करने के लिये तैयार हैं तो मंत्री जी देहरादून में मेडिकल कालेज खोलने में सहायता दें। वहां पर एक सज्जन १०० एकड़ जमीन मेडिकल कालेज के लिये देने को तैयार हैं। दूसरे लोग हैं जो कुछ मशीनरी भी देने को तैयार हैं और भी कुछ लोग हैं जिन्होंने कुछ वादे किये हैं । इसलिये मेरा निवेदन है कि चौथी प्लान में जो आपने दो मेडिकल कालेज खोलने की बात तय की है, गोरखपुर और झांसी में तो तीसरा मेडिकल कालेज देहरादून में खोलने के लिये तय कर दें । इससे पहाड़ी क्षेत्र के लड़कों को बहुत लाभ होगा जो लखनऊ या इलाहाबाद नहीं जा सकते हैं । पहाड़ी क्षेत्र में डाक्टर जाना पसन्द नहीं करते हैं । जब पहाड़ी क्षेत्र के लड़के पढ़ेंगे तो वह जरूर पहाड़ी क्षेत्रों में जाकर काम करेंगे । मुझे सिर्फ इतना ही कहना था । मैं माननीय मंत्री जी की मांग का समर्थन करता हूं । और उनसे अनुरोध करता हूं कि देहरादून में मेडिकल कालेज खोलने की ओर ध्यान दें ।

(श्री जे० पी० मिश्र का नाम पुकारे जाने पर)

श्री छत्रपति अम्बेश (जिला आगरा)––

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । मैं आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि आज एक महीने के अन्दर ये माननीय सदस्य जिनको आज इंगित किया गया है. . . .क्षमा कीजिये, जिनको आपने बुलाया है वह कितने ही बार इस हाउस के अन्दर बोल चुके हैं । मैं पूछता हूं कि यहां पर कितने सदस्य हैं जो एक महीने में एक बार भी नहीं बोले, उनको मौका नहीं दिया गया ? तो आप व्यवस्था दें. . . . . .

श्री अधिष्ठाता––

आपको भी मौका मिलेगा ।

श्री जे० पी० मिश्र (जिला हरदोई)––

माननीय अधिष्ठाता महोदय, माननीय मंत्री जी ने जो अनुदान प्रस्तुत किया है उसका "समर्थन करता हूं" यह तो कहना ही है, लेकिन श्रीमन्, विरोधी दल नहीं है, आज मौके से फायदा उठा लिया जाय कि कुछ सुझाव दे दिये जायं, कुछ आलोचना भी कर दी जाय । श्रीमन्, मैं छोटी छोटी बातें आपके सामने कहना चाहता हूं। अस्पतालों में डाक्टरों की कमी के बारे में रोज सवालों के जवाब में सुनने को मिलता है, लेकिन अभी दो, ढाई वर्ष पहले डायरेक्टर, मि० शर्मा उस कमेटी में मौजूद थे जिसमें पी० एस० एस० एस० कैडर बुलाये गये थे और स्क्रूटिनी हुई उनकी और उनकी रिपोर्ट गवर्नमेंट के पास दो वर्ष पहले भेज दी गयी और उस रिपार्ट का फैसला गवर्नमेंट अब तक नहीं कर पायी है । २०–२० साल की सर्विस उन डाक्टरों की हो गई है । इसमें करीब-करीब सौ मेडिकल आफिसर्स इनवाल्व्ड हैं और मुझे फिक्र इसलिये है कि मेरी डिस्पेंसरी के मेडिकल आफिसर भी उसी के शिकार हैं । तो मंत्री जी जल्द फैसला लें ।

[श्री जे० पी० मिश्र]

दूसरी बात, प्रदेश सरकार ने ४४ जिलों के स्वास्थ्य अधिकारियों के पदों की उन्नति की और चमोली, मिथौरागढ़, ऐसे ही १० जिलों को छोड़ दिया गया । कोई छोटा जिला है या बड़ा जिला है, लेकिन स्वास्थ्य और बीमारी में कोई छोटा बड़ा नहीं है । तो यह जो डिस्क्रिमिनेशन है इसको आपको जल्दी से जल्दी दूर करना है ।

फिर इस स्वास्थ्य समीक्षा में सबसे पहला आइटम परिवार नियोजन है और उसकी एक दिलचस्प कहानी है । जितने एम० एस० डब्ल्यू० हैं जो परिवार नियोजन का काम करते हैं, जो उनको भर्ती करते हैं वह इस बात का पता नहीं लगाते कि एक एक एम० एस० डब्लू० के आधे आधे दर्जन बच्चे हैं । एक मल्लावां में श्रीमती भेजी गयीं, उनके ६ बच्चे थे । एक हाथ में एक कंधे पर और साथ में । मैंने पूछा कि यह पूरी पल्टन आपकी है ? तो लेडी वर्कर के ६ बच्चे, इसका असर गांव पर क्या पड़ेगा ? उसमें नाइंसाफी यह है कि मेडिकल कालिज, लखनऊ में, बलरामपुर अस्पताल, लखनऊ में, कानपुर में हैं, मेरठ में, आगरा, बनारस-वहां सारी दवायें हैं, सारा स्वास्थ्य प्रबन्ध, यानी सब इन्तजाम दवा वगैरह का शहरों में और परिवार नियोजन के केन्द्र ज्यादा देहातों में । दवा वह इस्तेमाल करें और नसबन्दी के शिकार हम बनें । शहर वालों को अच्छा भोजन, अच्छा रहने का इन्तजाम, अच्छे स्वास्थ्य के लिये सब प्रबन्ध । उनको तो बच्चा पैदा करने की छूट देते हैं और जो भूखे हैं और जिनकी दवा का कोई इन्तजाम नहीं है उन्हीं के यहां डिप्टी डायरेक्टर फेमिली प्लानिंग खोले नसबन्दी सेंटर । देहरादून में मेडिकल कालिज खोल दीजिये, प्रेम से खोल दीजिये और देहात को काट दीजिये उस इलाज से, स्वास्थ्य से । सारे बजट का ९० परसेंट पैसा शहरों के लिये दवा, इलाज और तन्दुरस्ती पर खर्च होता है, १० फीसदी भी देहात की जनता को नहीं मिलता । मैं मशविरा देना चाहता हूं कि हम गांव से शुरू होते हैं, तो जो मेडिकल कालिज खोले जायं वह गांव, देहातों में खोले जायं । वहां पर एम० बी० बी० एस० क्वालिफाइड शहर से नहीं जाते, क्योंकि शहर के लोग शहर में रहना चाहते हैं तो अगर ऐडमीशन के लिये क्वालिफिकेशन वेव थोड़ी कर दी जाय और गांव के लड़कों को लिया जाय तो गांव के रहने वाले वहां के लिये मडिकल अफसर खुशी से बनेंगे उनको कोई आपत्ति नहीं होगी । साथ ही शहर वाले तो मालदार हैं पैसे वाले हैं वह तो आसानी से पढ़ सकते हैं, लेकिन हमारे जैसे गरीबों के लिये कोई मौका नहीं है । आप एक रेश्यो मुकर्रर करें कि देहात का रिप्रेजेंटेशन ८७ परसेंट होना चाहिये मेडिकल कालिजों में तब आपको डाक्टर मिल सकेंगे । अगर आप ९० फीसदी शहर के भर्ती कर लेंगे तो ९० फीसदी शहर में रहेंगे । केवल १० परसेंट ही देहात में रहेंगे ।

चौथी बात यह है कि दवाओं के वितरण का जहां तक संबंध है, आप मिला लें और डा० शर्मा मिला लें कि शहरों के अस्पतालों में कितनी दवाओं का प्रबन्ध है और देहात में कितना है । इतनी बड़ी डिस्पैरिटी है, भेद है कि उसको आप को शीघ्र दूर करना है, वरना देहात की जिन्दगी दूभर हो जायगी । एक गंगा किनारे का मरीज टी० बी० का बीमार हुआ । उसके पास खर्च की गुंजायश नहीं थी । उस स्त्री की हालत बड़ी खराब थी, बलरामपुर से उसको एक टिकट पकड़ा दिया गया कि जब नम्बर आवे तो आना । तो गरीब जनता के लिये माननीय मंत्री जी अपने भाषण में स्पष्ट कर देंगे कि वह कैसे अपना इलाज करावे ?

मलेरिया का जहां तक संबंध है, हम तो गांव के लोग हैं, मसहरी तो शहर में प्राप्त नहीं होती लेकिन शहर में भी दारुलशफा में मच्छरों की तादाद आप देख लें । दारुलशफा आज मोहताज है रात को कोई बीमार पड़े तो कहां जाय मरीज ? मेरी पोती बीमार पड़ी, मैंने सी० एस० लखनऊ को टेलीफोन किया तो उन्होंने कहा कि रात हो गयी है । डा० पांडेय साहब को रात में जगाया, उन्होंने डा० अरोरा जो बलरामपुर के हैं उनको रेफर किया, डा० अरोरा ने तो डा० माथुर को रात को सवा दस बजे भेजा । मैं ऐप्रिशिएट करता हूं । मगर प्रश्न यह है कि डाक्टर क्यों नहीं रहते, हैं, डाक्टर क्यों नहीं मिलते हैं ?

एक बात, मान्यवर, मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री जी से और निवेदन कर देना चाहता हूं और वह यह कि यह विरोधी दल जो बेजा फायदा उठाता है, वह न उठाने पाये, इस ओर माननीय मंत्री जी को ध्यान देना चाहिये । आपको ५० लाख एक्सट्रा खर्च करना पड़ जाय, मगर आप डाक्टरों की सलाह लें, जैसी वे सलाह दें, उसी के अनुसार आप काम करें । आज जनता के स्वास्थ्य का प्रश्न मुख्य है, उसको आपको हल करना है । आप पहले अपने डाक्टरों से पूछें कि वे क्या चाहते हैं, कितना पैसा चाहते हैं, उसके बाद आप काम करें । चाहे आपको डाक्टरों का वेतन ही क्यों न बढ़ाना पढ़े, आप उसको बढ़ायें । पूरे प्रदेश की जनता को आप एक ही स्तर पर लायें । श्रीमान्, इसके लिये एक सुझाव यह भी है कि आप एक नान-आफिशियल कमीशन बिठायें जो पूरे प्रदेश में चिकित्सा संबंधी बातों को देखे और अपनी रिपोर्ट दे । आप पूरे प्रदेश की रिपोर्ट मंगा कर देखें, शहरों में तो आराम तलब लोगों को सुविधायें मिल जाती हैं, देहात में लोगों को वह नहीं मिल पाती हैं । मैं माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी का ध्यान अपने जिले की ओर भी दिलाना चाहूंगा जहां पर आज २०० आदमी लंगड़े हो रहे हैं । अगर वहां उनका इलाज न किया गया और बीमारी की रोकथाम न की गयी तो पूरा जिला ही लंगड़ा हो जायेगा । इन शब्दों के साथ मैं माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं और प्रार्थना करता हूं कि वे गरीब जनता के इस प्रतिनिधि के निवेदन पर अवश्य ध्यान देंगे ।

*श्री छत्रपति अम्बेश—

मान्यवर, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने कुछ ऐसी बातें अपने भाषण में बतलायी हैं जिसके लिये वे धन्यवाद के पात्र हैं । उन्होंने यह बतलाया है कि कहां-कहां क्या-क्या सुविधायें दी गयी हैं, और कहां किस इलाज के लिये विशेष सुविधा है । मैं मेडिकल कालिजों के संबंध में एक बात कहना चाहूंगा । आज तक इन मेडिकल कालिजों से जो एक बात हमने सीखी है, अगर उस पर हमने भविष्य में ध्यान न दिया तो इनका खुलना ही निरर्थक हो जायेगा । माननीय मंत्री जी को ज्ञात है कि आज भी डाक्टर गांव में जाना नहीं चाहते और तमाम अस्पताल बिना डाक्टरों के ही चल रहेहैं तो मैं माननीय मंत्री जी से चाहूंगा कि नये मेडिकल कालेज खोलते समय, वह इस बात का ध्यान रखें, कि उन विद्यार्थियों को ऐडमिशन दें, और मेडिकल कालेज वहां खोले जायं कि जहां के विद्यार्थी ग्रामीण क्षेत्रों और पहाड़ी क्षेत्रों तथा दुर्गम स्थानों में भी जाने की बातें सोंचें, जिससे कि जनता का कल्याण हो । माननीय पूर्व वक्ता महोदय ने फेमिली प्लानिंग की बात कही थी, मैं अनुभव यह करता हूं कि फेमिली प्लानिंग का जिस जोर शोर से प्रचार किया गया, उस जोर शोर से उसमें कार्य नहीं हो रहा है । मैं उन आंकड़ों को प्रस्तुत नहीं करना चाहता । माननीय मंत्री जी उन आंकड़ों को जान सकते हैं, अपने अधिकारी वर्ग से दरियाफ्त कर सकते हैं, मैं केवल यही कह सकता हूं, जो प्रोपेगंडा हुआ है, और जितनी प्रगति हुई है, वह उस रुपये को देखते हुए, बिलकुल नगण्य है । मैं पूर्ववक्ता से सहमत नहीं हूं कि गांवों के अन्दर यह क्यों किया जा रहा है ? यदि हम गांव की गरीबी दूर करना चाहते हैं, और जैसा कि उन्होंने खुद अनुभव किया कि शहर के लोग बनिस्बत गांव के लोगों के ज्यादा सुखी हैं, तो यह अच्छी बात है कि जो गांव के लोग दुःखी हैं, उनमें परिवार नियोजन जरूर हो, ताकि वह भी सुखी हो सकें । इसलिये उसको गांवों में जोरशोर से चलाने की आवश्यकता है । (व्यवधान) .... माननीय सदस्य की जानकारी के लिये मैं बता दूं कि मैंने करा लिया है ।

श्री अधिष्ठाता—

माननीय सदस्य प्रत्यक्ष बातें न करें तो ज्यादा अच्छा होगा ।

श्री क्षत्रपति अम्बेश—

माननीय मंत्री जी ने कुछ और बातों की ओर ध्यान दिलाया है । मिलावट के लिये मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान इस ओर दिलाऊंगा कि मिलावट के मामले में आप किसी भी शहर

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री क्षत्रपति अम्बेश]

में जाकर देख लीजिये सबसे ज्यादा चालान जो किया जाता है वह दूध वालों का किया जाता है। और किसी चीज में चालान नहीं होता, जितना कि दूध में होता है और उसमें भी जो आदमी टंकी लेकर आता है, उसका चालान होता है। दुश्मनी की वजह से उसको परेशान किया जाता है, जो उनकी बात नहीं मानता। माननीय मंत्री जी बतायें कि जो बड़ी-बड़ी डेरीज हैं उनमें से कितनों का चालान हुआ ? एक परसेन्ट भी इस प्रकार की डेरी या बड़ी-बड़ी लोग नहीं मिलेंगे, जिनका कि चालान कभी हुआ हो। मैं जानना चाहता हूं कि हमने कितने दवाइ वालों का चालान किया, कितने मसाले वालों का चालान किया, जब कि मिर्च के नाम पर ईंट पीसकर दी गई, गोलमिर्च के नाम पर पपीते का बीज दिया गया, उनके कितने चालान इस प्रकार के हुए ? मैं बताना चाहता हूं कि सौ में से ९९ चालान केवल दूध वालों के हुए हैं, अगर उनका चालान उचित हुआ तो बहुत अच्छी बात है, परन्तु यह कहां तक उचित है कि हम केवल एक विशेष तबके को लेकर चलें, और बाकी चीजें न लें। जहां तक दवाइयों में मिलावट की बात है, एक नहीं अनेक घटनाएं ऐसी हो चुकी हैं जिसमें इन्जेक्शन लगाने के बाद फौरन मरीज मर गया बाद में मालूम हुआ कि वह इन्जेक्शन ही डिफेक्टिव था।

लेप्रासी की बात कही गई। आगरे के अन्दर, लेप्रासी का एक हास्पिटल जापान की जनता की ओर से खोलने की बात है। बड़ा विरोध इसका हुआ लेकिन बड़ी खुशी की बात है कि उसके बावजूद भी वह वहां खुला। एस० एन० मेडिकल कालेज, आगरा के बारे में भी कुछ बातें कहना चाहूंगा, कल भी मैंने पार्टी मीटिंग में उस ओर ध्यान आकर्षित करने की कोशिश की थी।

माननीय अधिष्ठाता महोदय, जैसा कि पूर्व वक्ता ने बताया आज पड़ा पक्षपात होता है। लखनऊ और लखनऊ के बाद अगर ज्यादा से ज्यादा चला तो कानपुर तक रह जाता है। अगर आप आगरे के सरोजिनी नायडू अस्पताल के अन्दर देखें तो आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जब कि ५० आपरेशन वहां एक वीक में हो जाते हैं, उसके लिये जो रकम मिलती है वह आठ आने से भी कम एक आपरेशन के ऊपर आती है। तो आप अन्दाज लगाएं कि आठ आने में क्या हो सकता है ? इसका नतीजा यह होता है कि वहां बैंडेज भी बाजार से लानी पड़ती है और दवाइयों का कहना ही क्या है बैंडेज भी नहीं मिलती स्प्रिट भी नहीं मिलती। आठ आने और ६ आने के अन्दर कैसे संभव है कि डाक्टर उनके लिये उन दवाइयों को मोहइया करें या बैंडेज मोहइया करें। यह कदापि संभव नहीं हो सकता। ऐसे ही इमरजेन्सी में रखे जाते हैं। एक बार नौ बजे मैं अपमे बच्चों को लेकर वहां पहुंचा वहां एक गरीब आया हुआ था मैंने देखा कि १० आने का एक इंजेक्शन भी वहां उसके लिये मोहइया नहीं हो सका। कहा गया कि बाजार से ले आओ जब तक वह बाजार से आये तब तक बच्चा ही मर गया। एक कन्टेजियस डिजीजेज का हास्पिटल वहां है वहां की हालत अगर आप देखने जायं तो शायद देखना पसन्द नहीं करेंगे। जो बच्चे वहां जाते हैं उनकी दशा देखकर आपको सचमुच दुःख होगा। अच्छा आदमी अगर वहां चला जाय वह बीमार हो जायगा, और जो बीमार जाता है उसको तो मोक्ष ही मिल जाता है।

दवाइयों की बिक्री की बात पूर्व वक्ता ने भी बताई। माननीय मंत्री जी ने स्वीकार किया कि यह दुःख की बात है। मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि आप देखें कि जहां पर मेडिकल कालेजेज हैं, या अस्पताल हैं यह आम रिवाज हो गया है कि वहां पर ८–१० स्टाल्स लगी हुई हैं। सारी दूकानें वहीं केंद्रित हो गई हैं उसी एक जगह पर। कारण क्या है ? आपके यहां मरीजों को दवाएं मिल नहीं पातीं उसमें से कितने प्रतिशत दवाइयां उनके पास चली जाती हैं ? यह समझने की बात है। मैं चाहूंगा कि आप इस मामले में सख्ती करें। आपके यहां ऐसे डाक्टर्स हैं जिनकी नेकनामी है। वह कम से कम सुपरिन्टेंडेंट की जगह या उन जगहों पर रख दिये जायं जहां की दवाइयों की रखवाली का काम होता है। मेरी व्यक्तिगत जानकारी में यह है कि इस प्रकार के कुछ लोग जिनकी कि शिकायतें थी कि इन्होंने गड़बड़ियां की, वे दवाइयों के रखवाले बनाये गये। जब इस प्रकार

के लोग दवाइयों के रखवाले बनाये जायेंगे तो दवाइयों की रखवाली कैसे हो सकती है । उसमें तो यह होगा कि वहां कम गड़बड़ियां करते थे, यहां और ज्यादा करेंगे । अन्त में केवल इतना ही प्रार्थना मैं मंत्री जी से करूंगा कि स्वास्थ्य के मामले में जनता का जितना भी कल्याण वह कर सकते हैं और जितना उनके पास पैसा है, उस पैसे से वह इस काम को करें । मैं समझता हूं कि इससे देश का बहुत बड़ा हित होगा ।

काजी जलील अब्बासी (जिला बस्ती)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका बहुत आभारी हूं जो आपने मुझे अपने खयालात को रखने का मौका दिया । श्रीमान्, इस अनुदान पर बोलते हुए मुझे बहुत दुःख है ३ मर्तबे से यानी ३ साल से इस अनुदान पर मैं बराबर मुआफिकत में बोलता रहा हूं लेकिन इस साल मुझे कुछ कड़वी बातें कहनी हैं । पहली बात तो यह कि हम लोगों के पास जिलेसी की जो ऐनक हैं उसी से हम सारे सूबे को देखते हैं । हमारे यहां की हालत यह है, कि शहर में जाना आना मुश्किल हो गया है । हमारे शहर बस्ती का अस्पताल सिविल सर्जन साहब की वजह से बिलकुल एक लूटमार का अखाड़ा बन गया है । माननीय मंत्री जी इस बात को रोकथाम करना चाहते हैं लेकिन रोकथाम कैसे हो, जब कि जो उसके मालिक हों, वही इस बात के लिये जिम्मेदार हों, वहां के मेडिकल आफिसर का तबादला बेजरूरत बेमतलब और बे मौका किया गया और उसके बाद बार-बार मुतालवा करने के बाद भी मेडिकल आफीसर आज तक आठ महीने के करीब हो गया हमारे यहां नहीं भेजा गया । एक नहीं अनेक बार मैंने स्वयं जाकर देखा और शिकायत की कि बस्ती जिला सबसे बड़ा जिला है, उसकी अहमियत को महसूस करके किसी माकूल अफसर को भेजें मगर वायदे के बाद भी उन्होंने नहीं भेजा । जो वहां के सर्जन और सिविल सर्जन हैं सबकी मिली भगत है । मैं, श्रीमान्, चिट्ठियां नहीं लाया, नहीं तो मंत्री जी को सुनाता जिसमें यह लिखकर आया है कि ऐसा समय आ गया कि बस्ती अपस्पताल में बिला रिश्वत के दवा नहीं होती । मुझे दुःख है कि मैं किसी बात की आलोचना करूं परन्तु मुझे दुःख पहुंचा है इसलिये मुझे यह कहना पड़ा है । इसके पहले चन्द्रभानु गुप्त चीफ मिनिस्टर थे, उस वक्त हमारे यहां पर जब कि यही लोग पैम्फलेटबाजी कर रहे थे, मैंने गुप्त जी से कहा तो उन्होंने फौरन इन्क्वायरी करके सिविल सर्जन को हटाया और वहां की फिजा को ठीक किया परन्तु मुझे दुःख है कि अब हालत बद से बदतर होती जा रही है । हमारे मंत्री जी सोचते होंगे कि मैंने उनसे नहीं कहा । मैं वाकई इसके लिये जिम्मेदार हूं कि मैंने उनसे तो नहीं कहा लेकिन विभागी अफसरों से कहा और वे जब तक मुनकिर हैं या वे नहीं चाहते तब तक तब्दीली नहीं होती । अगर हम विभागीय अफसर को न समझा पायें तो हम अपने मिशन में कामयाब नहीं होते । इसलिये हमने चाहा था कि हम इन बातों को उनके सामने रखें । बहरहाल, यह तो इतनी बात रही ।

मुझे यह भी अर्ज करना है कि बस्ती में टी० बी० का अस्पताल बनाकर हमने आपको दे दिया । वह गवर्नमेंट के इन्तजाम में है । मैं नहीं जानता कि उसके क्या मामलात हैं लेकिन मैं समझता हूं कि उस अस्पताल के सारे इन्तजाम के लिये गवर्नमेंट जिम्मेदार है । अगर गवर्नमेंट ने पूरी जिम्मेदारी नहीं ली तो वह लेनी चाहिये । एक दफा मुझे वहां जाने का मौका हुआ तो मैंने वहां देखा कि वहां के मरीजों के तन पर गन्दे कपड़े, मक्खियां भिनभिनाती हुई, और और वही गन्दे बिस्तर जिनके साथ गरीब औरतें देहात से आती हैं एक तरफ वे लेटी हुई हैं, अपने मनमाने कपड़ों में और वहां उनका इलाज हो रहा है । मैं चाहूंगा कि मंत्री जी इस तरफ तवज्जह दें । मुझे बताया गया कि वहां पर पैसा भी कम है, दवाइयां भी कम है, हालत देखी तो मक्खियां भिनक रही हैं और हर तरफ गन्दगी है । जब ऐसी हालत वहां है तो उन टी० बी० मरीजों की क्या हालत होगी, ये आप खुद सोच सकते हैं, टी० बी० अस्पताल में सबसे ज्यादा चीज सफाई है । अगर सफाई नहीं होगी, गन्दगी ही बनी रहेगी, मरीजों को साफ चद्दरें नहीं मिलेगीं तो मरीजों को किसी हालत में फायदा नहीं हो सकता ।

[काजी जलील अब्बासी]

जहां तक एडल्टरेशन की बात की गई, मैं इससे बहुत खुश हुआ कि गवर्नमेंट का ध्यान इस ओर गया । मैं सरकार का ध्यान आपके जरिये एक बात की ओर और आकर्षित करना चाहता हूं कि सैनीटेरी इंसपेक्टर्स की आज हालत यह है कि वे झूठे चालान करते हैं । हम इस पर खुश हो जाते हैं । यह नाकाफी होगा कि हम इतना ही देखकर सबर कर लें कि सैनीटेरी इंसपेक्टर्स चालान करते रहें और तादाद बढ़ती रहे बल्कि जरूरत इस बात के देखने की है कि सैनीटेरी इंसपेक्टर्स ने कितने सही-सही चालान किये हैं। उनका हिसाब हर दुकानों से बंधा होता है जो उनको देता है उनका चालान नहीं होता । जो नहीं देता उस गरीब का चालान हो जाता है । इस तरफ तवज्जुह देने की जरूरत है ।

इसके साथ ही साथ मुझे अपने क्षेत्र की बात कहनी है । मैं आयुर्वेदिक अस्पताल के लिये कोशिश कर रहा हूं लेकिन ३ साल बराबर कोशिश करते हो गये, समस्या जहां की तहां बनी हुई है । चकबन्दी में उसके लिये जमीन रख ली गयी है और वहां की जनता उसके लिये बिल्डिंग भी बनाने को तैयार हैं, इसके लिये बार बार मैंने दरख्वास्तें कीं, बार बार दफ्तरों में दौड़ा, सेक्रेटरी के पास भी गया, आप से पहले जो मंत्री जी थे उनके पास भी गया, मुख्य मंत्री जी से भी इस बारें में दो बार मिला, लेकिन फिर भी एक यूनानी अस्पताल खुलवाने में कामयाब नहीं हो सका। बहरहाल मेरा आवाज उठाना फर्ज है ।

इसी तरह से मेरे पहले मेरे भाई जो एम० एल० ए० थे, उन्होंने डुमरियागंज में जनाने अस्पताल के लिये १० साल तक कोशिश की और फिर मैंने की तब जाकर एक जनाना अस्पताल वहां मिला । लेकिन साल भर से उसमें कोई डाक्टरनी नहीं है । न है, और न गालिबन होने की उम्मीद की जा सकती है । इसकी वजह यह है कि लेडी डाक्टरों की तरफ सरकार का रवैया ठीक नहीं है । लेडी डाक्टरों के लिये तो कोई खास तौर से ३ साल का कोर्स तैयार किया जाय और उनको पढ़ाई में और देहात में जाने के लिये खास रियायतें दी जायं । तब यह काम हो सकता है । जब डाक्टर ही आपको नहीं मिलते हैं तो लेडी डाक्टर कहां से मिलेंगी ।

आपको बजट के मुताबिक ३१ मार्च तक कोई भी खरीदारी कर लेनी चाहिये लेकिन यह रुपया ३० जून तक खर्च किया जाता है । मेरे अस्पताल में पिछले साल वही रुपया ३१ मार्च को ड्रा करके रखा गया और उसका सामान नहीं खरीदा गया । जब मैंने सेक्रेटरी साहब से शिकायत की तो उन्होंने कहा कि मुनासिब यह होगा कि आप मुताल्लिका डाक्टर से बातचीत कर लें । मैंने मौजूदा सिविल सार्जन साहब से बातचीत की । उन्होंने इत्मीनान से हंस कर कहा कि कोई मैं अकेला ही ऐसा थोड़े ही करता हूं । सारे सूबे के लोग करते हैं । उनके कागजात पूरे रहते हैं और ३० जून तक खरीदारी होती रहती है । इसमें बहुत करप्शन होता है लेकिन चूंकि कागजी कार्यवाही पूरी होती है इसलिये उसको साबित करने के काबिल मैं नहीं हूं । मैं चाहूंगा कि माननीय मंत्री जी इसमें सख्ती बरतें वे इस बात को देखें कि बजट का रुपया निकाल कर घर में न रख लिया जाया करे और सौदा करके ३१ मार्च के बाद खरीदारी न हुआ करे । यह चीज नाजायज है ।

जितने लायक डाक्टर और हकीम रिटायर हो गये हैं, अगर उनकी तन्दुरुस्ती अच्छी है तो उनको उन डिस्पेंसरीज में रख दिया जाय जो खाली पड़ी हैं । उनको बुला कर काम पर लगा दिया जाय । इससे खाली डिस्पेंसरीज में डाक्टर पहुंच जायेंगे ।

जिस तरह से आप मेडीकल कालेज कायम कर रहे हैं और एलोपेथिक इलाज को तरक्की दे रहे हैं, उसी तरह से आपने होमियोपैथी के तरीके को भी अपनाया है, इसलिये उसको भी उसी तरीके से तरक्की देने के लिये कदम उठाने चाहिये । होमियोपैथी के डाक्टरों को दीगर डाक्टरों के पेरेलल रखना चाहिये । मैं इन चन्द शब्दों के साथ इस अनुदान का समर्थन करता हूं ।

श्री मूलचन्द शास्त्री (जिला मेरठ)—

अधिष्ठाता महोदय, आज हाउस के सामने करीब १९ करोड़ रुपये का जो चिकित्सा और स्वास्थ्य का बजट प्रस्तुत है उसके विषय में कुछ बातें रखने के लिये प्रस्तुत हुआ हूं । इसमें संदेह नहीं कि मनुष्य जीवन में रोटी, और कपड़े के बाद यदि किसी तीसरी चीज की आवश्यकता होती है तो वह है स्वास्थ्य । स्वास्थ्य के संबंध में मनुष्य काफी चिन्तित रहता है और वह यह महसूस करता है कि यदि उसका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है तो चाहे कितना भी धन दौलत, रुपया पैसा उसके पास हो वह सब बेकार है । जहां तक हमारी सरकार का संबंध है मैं समझता हूं जब से हमारी लोकप्रिय सरकार बनी है जहां और बहुत सी बातें लोगों की भलाई की गयी हैं वहां सबसे अधिक ध्यान स्वास्थ्य की तरफ दिया गया है और इसीलिये जहां अंग्रेजों के वक्त में करीब २३, २४ साल औसत उम्र हमारे देश में मानी जाती थी वह अब करीब ४७, ४८ साल का औसत हो गया है । प्रति भारतवासी का । इसलिये हमें इस विभाग को विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहिये । उनके सच्चे प्रयत्नों और कार्यकुशलता से हम यह आज कह सकते हैं कि हमारी औसत उम्र काफी अधिक हो गयी है । इसमें संदेह नहीं कि जितने रुपये की आवश्यकता है, जितने डाक्टरों की आवश्यकता है उतना हमारे प्रदेश में उपलब्ध नहीं है । इसके लिये डाक्टरों के विषय में सब ने अपनी-अपनी राय रखी। मेरा निजी विचार यह है और अधिष्ठाता महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से प्रार्थना करना चाहूंगा कि कुछ वर्ष ऐसा नियम बनायें कि जो एफ० एस० सी० और बी० एस० सी० लड़के थर्ड डिवीजन में भी पास हों उनसे बांड भरवाया जाय कि करीब १५ साल वह सरकार की सेवा में रहेंगे और यहां से बाहर जाने का प्रयत्न नहीं करेंगे, भले ही सरकार को सारा खर्चा उनका उठाना पड़े । ऐसे बच्चों को जितने मेडिकल कालेज खोले जा रहे हैं उनमें प्रवेश कराना चाहिये । दिक्कत यह हो जाती है कि कुछ पैसे वालों के बच्चे डिवीजन भी अच्छा पा जाते हैं, तथा अन्य प्रकार के साधन उन्हें उपलब्ध हो जाते हैं जिससे वे इन मेडिकल कालेजों में दाखिला ले लेते हैं और उसके बाद उन्हें इस बात की आवश्यकता नहीं होती कि वह सरकार की सेवा में रहें । इसी का नतीजा यह है कि जितने लड़के मेडिकल कालेजेज से निकलते हैं उनका बहुत थोड़ा परसेंटेज ही नौकरी करना पसन्द करता है । जिनके पास इतना पैसा नहीं होता कि वह प्राइवेट प्रेक्टिस अपनी दुकान खोल कर कर सकें वे ही सरकारी नौकरी की तरफ आते हैं । तो जब ऐसी स्थिति है तो क्यों न १५, २० साल के लिये हमारी सरकार यह निश्चय करे कि हम एफ० एस० सी० और बी० एस० सी० में थर्ड डिवीजन का खयाल नहीं करेंगे । हम चाहेंगे कि साधारण से साधारण योग्यता का विद्यार्थी हमारे इन कालेजों में भरती हो और वह यह निश्चय करे कि कम से कम १५ साल सरकार की सेवा करेंगे । यदि इस नियम को आजमायें तो मेरा अपना विचार है कि जो कमी आज हम डाक्टरों की अनुभव कर रहे हैं वह नहीं रहेगी।

एक बात आप के माध्यम से सरकार से और निवेदन करना चाहूंगा। यह नीति अच्छी नहीं है कि पहले जितने अस्पताल खुले हुये हैं उनका इन्तजाम अच्छा न हो और हम यह कोशिश करें, लोगों के कहने पर या दूसरी वजह से, कि नये-नये अस्पताल खोले दिये जायं। यह ठीक है कि उस समय वहां की जनता प्रसन्न होगी कि हमारे यहां अस्पताल खुला। लेकिन जब पुराने अपस्तालों में समुचित प्रबन्ध न हो और नये-नये अस्पताल खोल दें तो यह नीति कोई बहुत अच्छी नहीं है। इस लिए सरकार को समझना चाहिये कि जितने अस्पताल खुले हुये हैं पहले वहां डाक्टर होने चाहिये, नर्सेज होनी चाहिये, कम्पाउन्डर्स होने चाहिये तथा अन्य जो जो आवश्यक सामान है, ऐसा सामान जो आपरेशन के लिए आवयश्क है उन सब को पहले पूरा प्रबन्ध कर दिया जाय। उस के बाद सरकार सोचे कि अब हमारी आवश्यकता दूसरी जगह भी अस्पताल खोलने की है और वहां भी फिर अस्पताल खोले जायं। इस लिए मैं सरकार से नम्र निवेदन आप के माध्यम से करूंगा कि तादाद अस्पतालों की बढ़ती जा रही है लेकिन उस औसत से लोगों को लाभ नहीं हो रहा है।

[श्री मूलचन्द शास्त्री]

एक बात और है। जितने हमारे टी० बी० अस्पताल खोले जाते हैं वे काफी बढ़ रहे हैं और हर एक बड़े शहर में यह प्रयत्न किया जा रहा है कि टी० बी० अस्पताल खोले जायं। इस में सन्देह नहीं कि कई बार गरीबों को वहां भरती होने में काफी दिक्कत होती है, और दिक्कत ही नहीं होती है काफी-काफी दिनों तक वे बेचारे वहां की सेवा, दवाइयों और सुश्रुषा से वंचित रह जाते हैं। जो लोग पैसे वाले हैं उन के लिए तो दूसरे भी साधन है, वे वहां सब तरह की सुविधायें प्राप्त सकते है। में सरकार से कहना चाहूंगा कि सरकारी अस्पतालों का पहला कर्त्तव्य है कि जो गरीब हैं, जो अपनी दवा या सेवा सुश्रुषा, स्वयं करने में असमर्थ हैं उनको पहले मौका दिया जाय। और जहां तक समृद्धि-शाली या समर्थ व्यक्तियों का सम्बन्ध है वे तो कहीं भी जा सकते हैं, और कुछ भी न हो तो घर पर रह कर ही अच्छी से अच्छी दवा और खाने का उपयोग कर सकते हैं। इस लिए मैं चाहूंगा कि सरकार इस ओर विशेष ध्यान दे। एक बात और है और वह यह है कि डाक्टर लोगों के बरतावे की अक्सर शिकायत होती है और इसमें सन्देह नहीं कि कई बार डाक्टरों का बरतावा अच्छा भी नहीं होता। लेकिन इस में एक बात है और वह यह कि हृदय परिवर्तन के अलावा इसका कोई दूसरा रास्ता नहीं है। एक डाक्टर अगर स्वयं यह समझ ले, उसे तो सेवा करनी है। मुझे मौका हुआ रामकृष्ण मिशन और ईसाइयों के मिशनरी अस्पताल देखने का। वहां कोई बढ़िया इन्तजाम हो यह बात नहीं है, लेकिन वहां लोग इस भावना के साथ आते हैं कि उनको मनुष्यों की सेवा करनी है। इस लिए मिशनरी स्प्रिट होना चाहिये। इस भावना को सरकारी कायदे कानून कभी भी नहीं ला सकते। यह तो इस प्रकार का चरित्र बनाने का प्रश्न है। या इस तरह की भारत में आदत बने कि हम यह अनुभव स्वयं करें कि हम अस्पताल में सेवा के लिए हैं। और जब तक यह भावना बचपन से शुरू नहीं होगी तब तक आप जबरदस्ती किसी का करेक्टर सेवा भाव करने का नहीं बना सकते। लेकिन अगर सेवा भाव की भावना ले कर डाक्टर बनेंगे तो समाज की सेवा और विशेषकर निर्धन की सेवा खुशी से करेंगे। इसमें हम सब का प्रयत्न होना चाहिये कि डाक्टर अपना हृदय परिवर्तन करे और यह सोचे कि हम को जितना पैसा सरकार से मिलता है उसी में सन्तुष्ट रहेंगे और यहां जो अस्पताल में मरीज आते हैं उन से हम किसी तरह की कोई सुख सुविधा उठाने का प्रयत्न नहीं करेंगे। अगर यह बात डाक्टरों में आ जाय तो जो शिकायतें उनके बारे में सुनते हैं, तथा और दूसरी तरह की शिकायतें होती हैं वह शिकायतें दूर हो सकती हैं।

जहां तक दवाई बेचने या जो गरीब आदमी अस्पताल में जाते हैं उनको अच्छी दवाइयां न दे कर के डाक्टर लोग यह प्रयत्न करें कि उनके मिलने वाले जो अच्छे पैसे वाले हैं उन्हीं को अच्छी दवाइयां दें, मैं समझता हूं कि इस पर थोड़ी सी रोकथाम अवश्य हो सकती है और होनी चाहिये। कई बार यह शिकायत सुनने में आयी कि डाक्टर लोग अपने मिलने वालों को अच्छी दवाई देते हैं और उनसे यह भी लाभ होता है कि अगर घर पर देखने जायं, तो फीस मिल जाती है इस लिए मरीज भी यह समझता है कि जब फीस घर पर दी है तो दवाई अस्पताल से अच्छी मुफ्त मिल जायगी, मैं चाहूंगा कि मन्त्री जी इस बात की रोक थाम का अवश्यक प्रयत्न करें और डाक्टरों से यह कहें कि अस्पताल के अन्दर आ कर के किसी प्रकार की रिश्तेदारी या जान पहचान का खयाल न कर के उन्हें यह सोचना है कि किस तरह से हम अस्पताल के अन्दर बैठकर सच्चे अर्थों में जो हमारी सेवा का लक्ष्य है उसे पूरा कर सकें।

अन्त में एक बात और कहना चाहता हूं और वह यह कि मैं निजी तौर पर यह अनुभव करता हूं कि हमारे प्रदेश में इस विभाग ने बहुत तरक्की की है। मैं यह भी अनुभव करता हूं कि आज जो डाक्टर आ रहे हैं उनके अन्दर सेवा का भाव है और वह चाहते हैं कि गरीबों की सेवा करें। लेकिन इसके साथ-साथ जो दूसरा विभाग है जन स्वास्थ्य का जिस के बारे में अभी सैनिटरी इन्सपेक्टरों की शिकायतें की गयीं, मैं कहना चाहता हूं कि ऐसी बहुत-सी शिकायतें हैं कि इन्सपेक्टर

लोग दुकानों से प्रति माह कुछ रुपया लेकर उन दुकानदारों को नाजायज लाभ पहुंचाते हैं। यह प्रथा बन्द होनी चाहिये। इन शब्दों के साथ मैं इस अनुदान का समर्थन करता हूं।

(श्री कृष्णानन्द राय का नाम पुकारे जाने पर)

श्री नरसिंहनारायण पांडेय (जिला गोरखपुर)––

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है कि क्या आपके पास कोई सदस्यों की सूची है जिसके मुताबिक आप नाम पुकारते हैं। अगर ऐसा है तो मैं क्यों उठक-बैठक करूं? मैं कई दिन से देख रहा हूं कि ऐसा हो रहा है कि लेकिन मैं ने कोई आवाज उठाना मुनासिब नहीं समझा। इसे देखकर मुझे क्षोभ है, दुःख है।

श्री अधिष्ठाता––

माननीय पांडेय जी रोज बोलते हैं, रोज नहीं तो दूसरे दिन अवश्य बोलते हैं।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय––

मैं क्षमा चाहता हूं आप से। मैं जा रहा हूं। मैं तैयार हो कर आया हूं।

श्री कृष्णानन्दराय (जिला गाजीपुर)––

अधिष्ठाता महोदय, मैं अपना अवसर पांडेय जी को दे रहा हूं। पांडेय जी बोल लें, मेरी जगह।

श्री अधिष्ठाता––

मेरे पास कोई सूची नहीं है। पांडेय जी का अध्यक्ष पीठ पर यह आरोप सर्वथा अनुचित है। मैं माननीय सदस्यों से आग्रह करता हूं कि अगर आप सदन की कार्यवाही ठीक चलने देना चाहते हैं, तो इस पीठ पर ऐसे आरोप न लगावें।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय––

मुझे दुख है कि आपने ऐसा समझ लिया। मैंने तो सूचना चाही थी कि क्या आपके पास कोई सूची है।

श्री रामभजन (जिला खीरी)––

मैं रोज देखता हूं कि वही लोग रोज बोला करते हैं। हम लोग भी जनता से चुन कर आये हैं। हमारी जबान बन्द रहेगी तो हमारे क्षेत्र में लोग क्या कहेंगे? क्या नियम है जिस के आधार पर आप लोगों को बुलाते हैं?

श्री अधिष्ठाता––

अध्यक्ष की दृष्टि में जो व्यक्ति सब से पहले आजावे, उसे वह बुलाता है।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय––

अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका बड़ा शुक्रगुजार हूं कि आप की दृष्टि, देर से ही सही, मुझ पर पड़ी। मैं कुछ सिद्धान्तों की चर्चा उठाना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि माननीय मन्त्री जी और सरकार उन पर विचार करे और अगर उनसे कुछ लाभ हो सके तो उसे उठाने की कोशिश करें।

श्रीमन्, आज हमारे प्रदेश की स्थिति 'गरीबी की स्थिति' बड़ी भयंकर है और हमारे प्रदेश के लोग सस्ती दवा चाहते हैं। हमारे यहां बहुत दिनों से तरह तरह की पद्धति हैं, एक तो पुरानी पद्धति आयुर्वेदिक––यूनानी, दूसरा होमियोपैथी और तीसरी एलोपैथी जिसका अंग्रेजों के जमाने में बड़ा बीजारोपण हो गया है और जिसमें सस्ती दवाई उपलब्ध नहीं हो पा रही

[श्री नरसिंह नारायण पांडेय]

है। हमारी सरकार इन सभी सिस्टमों को साइंस मानती है। आपने उसके लिए कुछ कानून कायदे भी बनाये हैं। लेकिन जब आपका बजट अलाटमेंट देखते हैं तो बड़ी निराशा होती है। अगर हम ६४–६५ का बजट देखें, तो होमियोपैथी पर ०.०१३ परसेंट खर्चा है आयुर्वेदिक से अगर मुकाबला करते हैं। अगर एलोपैथी से तुलना की जाय तो यह खर्चा ०.००२ परसेंट ही आता है। कोठारी साहब ने, जो यूनिवर्सिटी ग्रान्ट्स कमीशन के चेयरमैन हैं, सुझाव दिया था कि हर साइंस को, चाहे वह आयुर्वेदिक या यूनानी हो, होमियोपैथी हो या एलोपैथी हो, सबको समान तरीके से हम डेवेलप करें। लेकिन आज हम देखते हैं कि सरकार के यह चाहते हुये भी होमियोपैथी की उपेक्षा की जा रही है। एलोपैथी को ज्यादा प्रोत्साहन दिया जाता है। अभी मैंने माननीय मन्त्री जी का भाषण सुना। मैं समझता था कि वह होमियोपैथी पर भी कुछ प्रकाश डालेंगे। लेकिन उन्होंने इस तरफ तवज्जह ही नहीं दी। आज सबसे सस्ती दवा होमियोपैथी की है। मैं पूछना चाहता हूं कि आज जितने मेडिकल कालेज आप खोल रहे हैं, चाहे वह पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हों, या पूर्वी उत्तर प्रदेश में हों, किसी कालेज में आपने होमियोपैथी के लिए कोई विंग कायम किया? किसी भी कालेज में होमियोपैथी का विंग नहीं है। आप एक दूसरी साइंस में डिस्क्रिमिनेट करते हैं। यही मौलिक नीति आप की रही है? मैं चाहता हूं कि माननीय मन्त्री जी इस पर विचार करने की कृपा करें।

आज होमियोपैथिक नेशनल कालेज की हालत देखिये। किराये के मकान में वह चल रहा है। अपनी उसकी इमारत भी नहीं है। उसके बाद वहां के विद्यार्थियों की दशा क्या है? प्रैक्टिकल करने के लिए किसी जगह जाते हैं और थ्योरी के लिए किसी जगह जाते हैं। वहां एपेरेटस नहीं हैं। कोई चीज नहीं है। लेते हैं आप आई० एस० सी० पास किये हुये विद्यार्थी। ५ साल की उन्हें ट्रेनिंग देते हैं। उस के बाद आप उन्हें ४ ग्रेडेशन देते हैं। सब से पहला ग्रेड है ७५ रुपये से १२५ तक, दूसरा है १२० से २०० तक, तीसरा है २०० से ४०० तक और चौथा आपने रखा है २५० से ६०० रुपये तक। इसलिए मैं निहायत अदब से निवेदन करना चाहता हूं कि अगर आप चाहते हैं कि सब साइंस समान स्तर पर चलायी जावें, तो आपको चाहिये कि इस विभाग में एक असिस्टेंट डाइरेक्टर मुकर्रर करें जो इन तमाम चीजों को देखे और अपने सुझाव दे और सही तरीके से सारी सिस्टम्स की उन्नति हो सके।

इसके बाद मैं आपसे कहना चाहता हूं कि सन् १९५७ में एक दबे कमेटी बनी थी जिसने सिफारिश की थी कि होमियोपैथी के लिए सेपरेट डाइरेक्टोरेट होना चाहिये। आप देखे कि सेन्ट्रल गवर्नमेंट ने अपने यहां जो ऐडवाइजरी कमेटी बनायी है जो हेल्थ डाइरेक्टर या हेल्थ सेक्रेटरी को इस तरह के प्रश्नों के बारे में मदद देने के लिए है, और हमेशा मदद उन को मिलती रहती है। लेकिन हमारे यहां इन सब के बावजूद भी आज तक जबकि सन् १९५७ में दवे कमेटी की रिपोर्ट प्रकाशित हो गयी, उस पर अमल नहीं किया जा सका है। उस रिपोर्ट में कहा गया है कि सब सिस्टम के लिए इस तरह का कांजीनियल ऐटमास्फियर क्रियेट किया जाय। प्रोफेसरों के एप्वाइन्टमेंट में भी ईक्वल स्टेट्स उनको दिया जाय, उनको ग्रेड में भी ईक्वल स्टेटस दिया जाय।

आज कहा जाता है कि प्रदेश के अन्दर ३०० डाक्टरों की कमी है और हर जगह डाक्टरों की कमी दिखलायी पड़ती है। मैं समझता हूं कि अगर पहले से ही होमियोपैथी सिस्टम के जरिये लड़कों को पढ़ाने की व्यवस्था की जाती तो इन सारी जगहों पर होमियोपैथी डाक्टर मुकर्रर किये जा सकते थे तथा उनका ग्रेड पुनरीक्षित किया जा सकता था, लेकिन आज तक उस तरफ कोई खयाल नहीं किया गया। आज यह डिपार्टमेंट कुछ लोगों के हाथों की कठपुतली बन कर रह गया है। आज जो हालत है उसके बारे में एक केस मैं आपके सामने रखना चाहता हूं।

आज हालत यह है कि नेशनल होमियोपैथिक मेडिकल कालेज में एक प्रोफेसर साहब का एप्वाइन्टमेंट किया गया जिनके लिए कहा जाता है कि वे बर्लिन से एम० डी० सी० एच० ए० के डिप्लोमा पास हैं। जब बर्लिन में स्थित काउन्सेल जनरल आफ इन्डिया से कारेस्पांडेंस के जरिये वहां की यूनिवर्सिटी से पूछा गया तो उन्होंने लिख कर भेज दिया कि "सच सार्टिफिकेट्स हैव नेवर बीन इश्यूड बाई दिस यूनिवर्सिटी"। बोर्ड के सामने जब उनके कन्फर्मेशन का प्रश्न आया तो उसने इसकी स्वीकृति नहीं दी, लेकिन बाद में फिर भी एक दूसरी कमेटी बना कर उनकी नियुक्ति को स्थायी कर दिया गया। और आज वे प्रोफेसर साहब उस होमियोपैथिक मेडिकल कालेज में बने हुये हैं। अब आप समझ सकते हैं कि होमियोपैथिक मेडिसिन के साथ तथा उस कालेज के बच्चों के साथ जो इस तरह का खिलवाड़ किया जा रहा है, यह स्थिति उन को कहां ले जायेगी। इसलिये माननीय मन्त्री जी से स्पष्ट कहना है कि होमियोपैथी के लिए एक सेपरेट डाइरेक्टरेट बनाया जाय, चाहे वह मेडिकल हेल्थ के अन्तर्गत ही क्यों न हो। लेकिन अगर उस के लिए आप ने ऐसा ऐटमासफियर क्रिएट न किया तो आप के लाख कोशिश करने पर भी सही तरीके से काम नहीं हो सकेगा। और डाक्टरों की कमी की समस्या को आप हल नहीं कर सकेंगे।

इसके बाद मैं माननीय मन्त्री जी से कहना चाहता हूं कि आपने बड़ी कृपा की जो इतने दिनों के बाद आपको गोरखपुर तथा उसके ५–६ जिलों के करीब ४ करोड़ आबादी की याद आयी, जहां मलेरिया होता है, और फाइ लेरिया होता है तथा ऐसी-ऐसी बीमारियां होती हैं जिन से वहां के लोग हमेशा त्रस्त रहते हैं। वहां पर आपने जो मेडिकल कालेज खोलने की व्यवस्था की है उसके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं। वहां इब्तदाई काम शुरू भी कर दिया गया है, लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि माननीय मन्त्री जी हमारे यहां जो व्यवस्था करें, उस व्यवस्था के अन्दर आप कम से कम होमियोपैथिक और आयुर्वेदिक सिस्टम के एलोपैथिक सिस्टम के बराबर का स्टेटस दें। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस पर आप अवश्य विचार करें।

जहां बहुत सी और समस्यायें हैं, उन में नर्सेज की कमी की समस्या भी एक बहुत बड़ी है। आज हमारे सूबे में नरसेज काफी संख्या में नहीं मिलती हैं। जो मिलती भी हैं, वे यहां से ट्रेनिंग लेकर सेन्ट्रल गवर्नमेंट के अन्तर्गत नौकरी मिलने पर वहां काम करने चली जाती हैं।

आपका इस तरफ भी ध्यान जाना चाहिये, उनके पे स्केल्स की तरफ ध्यान जाना चाहिये और अगर इस तरफ ध्यान नहीं दिया गया तो जितने भी हेल्थ यूनिट्स खोले गये हैं, उन पर बुरा असर पड़ेगा। एक बात और कह कर समाप्त करूंगा और वह यह है कि गोरखपुर शहर के एक मेडिकल अफसर आफ हेल्थ हैं जो वहां के एक्जीक्युटिव आफिसर का भी काम करते हैं। मैंने डाइरेक्टर और मन्त्री जी से भी बात की थी कि हालत यह है कि गोरखपुर शहर में बड़ी बदबू है, कोई इन्तजाम नहीं है, जितनी भी गन्दगी है वह फैली पड़ी है तथा भ्रष्टाचार के गम्भीर आरोप लगाये गये हैं तथा इस प्रकार शहर तमाम बीमारियों का शिकार बन गया है। अभी ३ मार्च को उनके रिमूवल के लिए हाजिर ३९ में से ३३ मेम्बरों के वोट से प्रस्ताव सर्व-सम्मति से पारित हो गया। उन को वहां से हटाने के लिए यह स्थिति पैदा हो गयी है। इस पर मन्त्री जी कृपा कर के विचार करें और प्रशासकीय कदम उठावें।

*श्री एस० जी० दत्त—

अधिष्ठाता महोदय, अंग्रेजी में एक कहावत है कि "If the wealth of the nation is gone nothing is gone if the health of the nation is gone something is gone but if the character of the nation is gone every thing is gone."

उसका अर्थ यह है कि अगर किसी मुल्क या कौम की दौलत चली जाती है तो उसका कुछ नहीं बिगड़ता, अगर उसका स्वास्थ्य बिगड़ जाय तो कुछ बिगड़ता है, कुछ नुकसान होता है

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री एस० जी० दत्त]

लेकिन अगर उसका करेक्टर या आचरण बिगड़ जाय, तो सब कुछ खत्म हो जाता है। इस में सन्देह नहीं हमारी सरकार ने इस तरफ काफी तवज्जह दी है कि हमारी जो साढ़े ७ करोड़ की आबादी है उस की हेल्थ का खयाल रखा जाय। डिस्पेंसरीज भी खोली हैं और अस्पताल भी बने हैं और मेडिकल कालेजों की भी ज्यादा तरक्की हो रही है, नये-नये खोले जा रहे हैं ताकि हम अधिक डाक्टर पैदा कर सकें और वह प्रदेश ही नहीं, बल्कि सारे मुल्क के लिए फायदे-मन्द साबित हों। मैं यह नहीं कहता कि मेडिकल और हेल्थ का विभाग निकम्मा है और यहां के डाक्टर निकम्मे हैं, वहां काम होता है लेकिन उसमें खामियां और कमियां भी हैं।

अभी मन्त्री जी ने अपने बयान में यह कहा कि देहात में और पहाड़ों की कुछ डिस्पेंसरीज में डाक्टर नहीं हैं मगर सरकार कोशिश कर रही है कि यह गुत्थी किसी तरह से सुलझ जाय। मैं सरकार के सामने सुझाव दूंगा और अगर वह कबूल हो जाय तो मैं अपनी इज्जत समझूंगा। इस तरह से आपकी डाक्टरों की कमी पूरी हो सकती है कि आपके जो नये लड़के एम० बी० बी० एस० पास करते हैं, उनको आप देहात में न भेजें, बल्कि आप यह उसूल बनायें कि जितने तजुर्बेकार डाक्टर हैं उनको आप देहात में भेजें, नये डाक्टर देहात में क्या इलाज करेंगे वहां देहात में डाक्टर कम होते हैं वह उन से लाभ उठाया जा सकता है, आप बारी बारी से उन को वहां भेज सकते हैं, शहर में तो डाक्टरों की भरमार है। इस तरह का कोई सरकुलर या स्कीम भी है जो कि सरकार ने अभी तक लागू नहीं की है। हमारे ५५ अजला हैं जहां पर सिविल सर्जन मौजूद हैं। मैं कहना नहीं चाहता था कि वे अगर जस्ट लाइक व्हाइट एलिफेंट्स हैं। वे सफेद हाथी की तरह से हैं। उनके पास ऐडमिनिस्ट्रेटिव और लीगल कार्यवाही के अलावा और कुछ काम नहीं है। ये तजुर्बेकार लोग हैं। यह काम उनके हाथ से लेकर उनको मेडिकल लाइन में लगाया जाय, जिस से प्रदेश को फायदा हो और ऐडमिनिस्ट्रेशन औरों के हाथ में दे दें। सेक्रेटरी जो मेडिकल ऐन्ड हेल्थ के हैं वे डाक्टर नहीं हैं। इसी तरह से हर जिले में एक पी० सी० एस० या कोई आई० सी० एस० रख दें। तो इस प्रकार से ये ५५ तजुर्बेकार डाक्टर हम को मिल जायेंगे। बाकी जो मेडिकल डाइरेक्टरेट में पड़े हुये हैं, बड़े तजुर्बेकार हैं, उनको ऐडमिनिस्ट्रेटिव और लीगल लाइन में न लगाये रखें। उनको मेडिकल और हेल्थ में लगाया जाय ताकि उससे हमारी जनता को कुछ फायदा हो या वे मन्त्री महोदय के ऐडवाइजर हों और बतावें कि अपने सूबे में किस-किस तरीके से सही काम कर सकते हैं।

आप ने पी० एम० एस० १ और २ के स्केल्स में परिवर्तन कर दिया है। पी० एच० एस० १ और २ में भी एक ही स्केल कर दें, तो ज्यादा अच्छा होगा।

श्री दाऊदयाल खन्ना—

हो गया है।

श्री एस० जी० दत्त—

श्रीमन्, एक क्युरेटर होता है और एक प्रिवेन्टर। अगर ये दोनों मिल कर काम करें तो आप को डाक्टर मुहैया हो जायेंगे। जो डाक्टर हेल्थ में हैं उनको डिस्पेंसरी में लगा दें। जहां पर कमी है, आप मोबाइल डिस्पेंसरी शुरू कर दें, ताकि हमारे भाई जो रूरल एरिया में हैं, उन को भी फायदा पहुंचे। अगर फिर भी कमी रह जाती है तो फिर होमियोपैथिक डाक्टर, यूनानी हकीम और आयुर्वेदिक वैद्य को आप लगा सकते हैं। जब कि सेन्ट्रल गवर्नमेंट, वेस्ट बंगाल, बिहार, मध्य प्रदेश और पंजाब में यह व्यवस्था हो चुकी है तो यहां भी होनी चाहिये।

मैं अपने शहर कानपुर के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। हमारे यहां कानपुर में जो वर्ल्ड हेल्थ आर्गनाइजेशन है, उसने यह कहा था कि कानपुर इज दि बिगेस्ट सेन्टर आफ टी० बी०। उन्होंने यह कहा था कि कानपुर टी० बी० का सब से बड़ा मर्कज है। अभी तक

वहां पर बेड्स की कमी चली आती है। गरीब लोग जाते हैं, उनके लिए वहां पर दवाई नहीं है। इसलिए मैं माननीय मन्त्री जी से दरख्वास्त करता हूं कि टी० बी० के लिए ज्यादा से ज्यादा बेड्स की तजवीज करें ताकि टी० बी० के जो मरीज हैं उनकी हम सेवा कर सकें। हमारे यहां एक मेडिकल कालिज है; हास्पिटल हैं बड़े-बड़े, लेकिन मैं कि आप को बता दूं कि वहां पर गरीब आदमियों का एक्जामिनेशन यानी मेडिकल टेस्ट तो हो जाता है लेकिन जब दवाइयों का जिक्र आता है तो वहां

(इस समय २ बजकर ४ मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री होती लालअग्रवाल, पीठासीन हुये।)

दवाइयां नहीं मिलती हैं। मैं सरकार को एक सुझाव पेश करूंगा कि हमारे मेडिकल कालिज में सेलाइन वाटर की शीशी ६ आने में बन सकती है और दूसरी जगह जहां पर यह मैनुफैक्चर होती है वे ६ रु० में मंगायी जाती हैं। तो अगर इसको कालिज में बना लिया जाय तो बाहर दूसरी कम्पनियों से मंगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरी चीज डिस्टिल्ड वाटर भी यहां पर तैयार हो सकता है। अगर यह भी तैयार हो जाय, तो आप को यह भी दूसरी कम्पनियों से न मंगाना पड़े और आसानी से गरीबों को दवाई दी जा सकती है। इस से उनका भी भला होगा। श्रीमन्, मेडिकल कालेजों की आज हालत ठीक नहीं है। (लाल बत्ती होने पर)।

श्रीमन्, अभी तो मेरे चार मिनट बाकी हैं। जब मैंने भाषण शुरू किया था तो उस समय आप नहीं थे।

श्री उपाध्यक्ष---

अच्छी बात है, ४ मिनट सही।

श्री एस० जी० दत्त---

श्रीमन्, मैं यह कह रहा था कि आजकल मेडिकल कालेजों की हालत अच्छी नहीं है। वहां पर पार्टी पालिटिक्स चल रही है। ऊपर से शासन वहां के कुछ लोगों को मदद देता है और जो अच्छा काम करने वाले हैं, उनको कोई मदद नहीं मिलती है। यह बड़ी खराबी का बायस है। ऐसा मेडिकल कालेजों में नहीं होना चाहिये। इसलिये मैं कहता हूं कि यह जो पार्टी पालिटिक्स है यह मेडिकल लाइन में नहीं होना चाहिये। ऊपर की गद्दी वाले यह चीज डालते हैं और अपनी गोटी फिक्स करते हैं। इससे आम जनता का और स्टूडेंट्स का नुकसान होता है। आजकल जो लड़के मेडिकल कालेजों में निकलते हैं वे किसी मकसद के नहीं होते हैं। यह आप भी जानते हैं और हम लोग भी जानते हैं।

आजकल नर्सेज का कन्फरमेशन नहीं हो रहा है। वे बिचारी २०/२५ साल से काम कर रही हैं। जब डाक्टरों का कन्फर्मेशन होता है, कम्पाउन्डरों का होता है तो नर्सेज का क्यों नहीं होता है? कई बार इसके लिए हाउस में कहा जा चुका है कि विभाग इसकी तरफ तवज्जह दे। लेकिन इस ओर कोई तवज्जह नहीं दी गयी है। मैं समझता हूं कि मन्त्री जी इधर ध्यान देंगे।

एक चीज और है कि १५/१५ साल से डाक्टर एक ही जगह पर पड़े हुये हैं। उनको दूसरी जगह तब्दील नहीं किया जाता है। अपने मतलब के डाक्टर को अच्छी जगह पर रखा जाता है। मेरा सुझाव यह है कि हर तीन साल के बाद हर एक का तबादला हो जाना चाहिये। मैं चाहता हूं कि माननीय मन्त्री जी इसको देखें और एक लिस्ट मगायें, कि कौन-कौन डाक्टर कहां पड़ा हुआ है और कब से पड़ा हुआ है। इसी प्रकार से नर्सेज और सिस्टर्स भी एक जगह पर १५/१५ साल से पड़ी हुई हैं। मैं उन के लिए कहूंगा कि जिन नर्सेज के शौहर और वे एक ही शहर में काम करते हैं। वे इसलिए काम करती हैं कि उनके खाविन्द की इतनी आमदनी नहीं होती कि गुजर बसर अच्छी तरह से हो सके। अगर उसकी आमदनी अच्छी होती तो उसकी बीबी को काम करने की जरूरत न होती। इसलिए जो मैरिड नर्सेज हैं उन को और उन के शौहरों को एक ही जगह पर रखा जाय। उनको तब्दील न किया जाय। मैंने

[श्री एस० जी० दत्त]

पहले भी यह सुझाव दिया था लेकिन फिर भी उनको तब्दील कर दिया गया। जब मैंने हाथ जोड़े तो उनको रोका गया।

मैं यह कहना चाहता हूं कि अस्पतालों में जो दवाइयों की कमी है उसको पूरा करें। इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेशन को यह काम दे दें या एम० एल० एज० की एक कमेटी बना दें जो दवाइयों को मंगाये और देखें कि कितनी दवाई आई और कितनी खर्च हुई। तब तो दवाओं का सही पता रहेगा वरना पता नहीं चलेगा क्योंकि अक्सर दवायें अस्पतालों के सामने वाली दुकानों पर ही बिका करती हैं और गरीबों से कहा जाता है कि दवा मोल लो। जो दवायें गरीबों को मिलनी चाहिये, वह नहीं मिल पाती हैं।

*श्री शिवसम्पति शर्मा (जिला जालौन)--

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका बड़ा आभारी हूं कि जब से बजट सेशन चला है तब से आज मुझे आपने बोलने का अवसर दिया है। जो आज स्वास्थ्य मंत्री जी का प्रस्ताव सदन के सामने है, उसका समर्थन करते हुए कुछ बातों की ओर मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूं। पहली बात यह है कि जिला जालौन में एक कदौरा स्टेट थी, जो ५२ गांवों की थी। अब २०-२५ गांव और उसमें मिला दिये गये हैं। उस स्टेट की ६ लाख रुपये सालाना की आमदनी थी। स्टेटों के बारे में अक्सर लोगों का खयाल खराब रहता है, लेकिन वहां पर अस्पताल में ३ डाक्टर, दो कम्पाउन्डर और दो नर्स काम करती थीं और उस अस्पताल का १२,००० रुपये का बजट था। आज प्रदेश में कांग्रेस की हुकूमत है और गाँवों की तरक्की के लिये आप दम भरते हैं। लेकिन आप ताज्जुब करेंगे कि ३ साल से वहां कोई डाक्टर नहीं है। बार-बार मेरे आग्रह करने के बावजूद भी कोई डाक्टर वहां नहीं पहुंचा। वहां केवल एक कम्पाउन्डर है जो दवाओं का नाम भी ठीक से नहीं जानता है। आप श्रीमन्, विचार करें जहां अच्छे-अच्छे ३ डाक्टर रहे हों और दूसरा स्टाफ रहा हो वहां पर अन्य ग्राम और जनसंख्या बढ़ जाने के बावजूद भी वहां कोई डाक्टर न हो यह कितने मुसीबत की बात है। जहां प्रायः झगड़े होते हों, लोग फौजदारी में घायल होते हों और वहां पर अस्पताल में व्यवस्था न होने के कारण उसे उरई डिस्ट्रिक्ट अस्पताल ले जाना पड़ता हो, यह कितने कठिनाई की बात है सभी के लिये। इस पर मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान विशेष रूप से दिलाना चाहता हूं वहां के हजारों लोगों को राहत देने की दृष्टि से इस पर ध्यान दें और जो उनकी कठिनाई बढ़ गयी है, उस पर उन्हें पूरा ध्यान देना चाहिये, और उनको पूरी मदद मिलनी चाहिये। वहां पर अस्पताल है, उसका अच्छा सा भवन है और अन्य सारी सुविधायें हैं, किन्तु केवल डाक्टर न होने के कारण वह बेकार-सा पड़ा है और लोग उससे उतना लाभ नहीं उठा पाते हैं जितना उठाना चाहिये।

दूसरी बात जो मुझे कहना है वह यह है कि आजकल, जैसा कि हमारे माननीय सदस्यों ने कहा, गांवों में डाक्टर और नर्सेज काम करने जायें, जहां गांव में मिडवाइफ सेन्टर काम कर रहे हैं, वहां पर जो लड़कियां काम कर रही हैं वह डिस्ट्रिक्ट हैल्थ आफिसर के अन्डर में काम कर रही हैं। उनके साथ उनके द्वारा इतनी ज्यादती होती है, इतना बुरा व्यवहार होता है कि वह काम करना ऐसी परिस्थिति में पसन्द नहीं करती हैं और अपने को वहां पर रहने में असमर्थ पाती हैं। इसलिये मेरा सुझाव है कि डिस्ट्रिक्ट में भी ऐसा प्रबन्ध होना चाहिये मिडवाइब्ज लेडी हेल्थ अफसर के अन्डर में रखी जाया करें। मैं कई नमूने के तौर पर जानता हूं और इसके लिये कई बार लिखा भी है कि मेडिकल अफसर जो डिस्ट्रिक्ट में हैं वह उनके साथ ऐसा अत्याचार करते हैं कि वह किसी भी स्थिति में काम करने को नहीं तैयार हो सकतीं। इसलिये मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि यदि आप ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य संबंधी सेवायें उपलब्ध

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

कराने के लिये, मिडवाइफरी सेन्टर को डेवलप करना चाहते हैं, उनको प्रोत्साहन देना चाहते हैं तो डिस्ट्रिक्ट में कोई इनके लिये लेडी इन्चार्ज का आपको प्रबन्ध करना पड़ेगा, जिनके अन्तर्गत वह काम करें ।

तीसरी बात जो मैं आपसे कहना चाहता हूं वह यह है कि बुन्देलखन्ड एक काफी पिछड़ा इलाका है और जालौन उसमें सब से पिछड़ा जिला है। इस जिले में एक ग्राम गुलौली है जिसके आसपास १८ मील तक कोई साधन नहीं है--एलोपैथिक डाक्टरी, आयुर्वेदिक आदि किसी भी प्रकार का कोई चिकित्सा का प्रबन्ध नहीं है । वहां की जिला परिषद् ने एक साल पहले एक प्रस्ताव पास किया कि यदि वहां पर एक यूनानी दवाखाना खोल दिया जाये तो उसे हम चला लेंगे । उन्होंने अपना प्रस्ताव सरकार को भेजा । डाइरेक्टर साहब ने भी कहा कि यदि जिला परिषद् प्रस्ताव करे तो खुल सकती है । लेकिन मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि एक साल के बाद भी वहां कोई यूनानी आयुर्वेदिक दवाखाना नहीं खोला गया, जिसमें, जैसा कि हमारे कुछ सदस्यों ने कहा कि अस्पतालों में पानी मिलता है, तो हम वही प्राप्त कर सकते । इतना ही हो जाता तो लोगों को काफी राहत मिल जाती । कभी कभी साधारण से साधारण दवा से भी बड़े-बड़े रोगों पर राहत मिल जाती है । गांवों की जो हालत है और वहां पर डाक्टरों की जो कमी है उसको हम मिडवाइफरी सेन्टर को ठीक से चलाकर कुछ दूर कर सकते हैं। जिन एरियाज में १० मील के आसपास कोई अस्पताल नहीं है वहां अवश्य होने चाहिये । इन शब्दों के साथ मैं माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं और उनका समर्थन करता हूं ।

श्री जगदीशप्रसाद (जिला मुरादाबाद)--

उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस अनुदान का समर्थन करता हूं ।

श्री कल्पनार्थसिंह (जिला गोरखपुर)--

५, ५ मिनट हो जाय तो काफी लोग बोल सकेंगे ?

श्री उपाध्यक्ष--

आज तो काफी समय है । दस-दस मिनट भी लोग बोलें तो २० लोग बोल लेंगे । मैं आप सबको बुलाऊंगा । आप शांति रखिये ।

श्री जगदीशप्रसाद (मुरादाबाद)--

जो कुछ मंत्री जी ने बतलाया और जो कुछ हम प्रदेश में देख रहे हैं उसमें जहां तक चिकित्सा और स्वास्थ्य का संबंध है, यह प्रदेश बहुत उत्तम नियोजित गति से प्रगति कर रहा है । कितने चिकित्सालय खुले कितनी शय्यायें बढ़ीं इसमें समय लेना व्यर्थ है, इस में भी प्रगति हुई है । यह जो एक तरीका अपनाया गया है कि प्रत्येक विकास क्षेत्र प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलकर उन्हें चिकित्सा विभाग के शनैः शनैः चिकित्सलयों में परिवर्तित कर दिया जाये यह बड़ी अच्छी योजना है । इससे एक समय में तमाम प्रदेश में समान रूप से चिकित्सा विभाग के चिकित्सालय हो जायेंगे ।

आयुर्वेदिक और यूनानी चिकित्सा का भी जिक्र किया गया । मुझे तो यह बतलाया गया था कि मंत्री जी यूनानी , आयुर्वेदिक और होमियोपैथिक चिकित्सा के खिलाफ हैं, लेकिन मुझे खुशी है, मैं उनको जानता हूं वे मेरे जिले के रहने वाले हैं, आज उन्होंने कहा है और उस पुस्तक में भी है, कि आयुर्वेदिक और यूनानी चिकित्सा पद्धति को टाला नहीं गया, जो चिकित्सक हैं उनके पदों की पदोन्नति की गयी है और दो कालेजों की भी उन्नति की गयी है । छात्रवृत्ति भी २५ से ५० विद्यार्थियों को मिलेगी और धन भी २५ रुपये से ५० रुपये मासिक प्रति विद्यार्थी कर दिया गया है। इसके लिये वे बधाई के पात्र हैं ।

ग्रामीण क्षेत्रों की आज भी यह परिस्थिति है कि वहां पर वैद्य जितना अच्छा इलाज कर लेते हैं और जितनी सहूलियत से वहां पहुंच जाते हैं, डाक्टर उपलब्ध नहीं हो पाते, और

[श्री जगदीशप्रसाद]

चिकित्सालय खाली पड़े रहते हैं, इसलिये कि एलोपैथी के ट्रेन्ड चिकित्सक नहीं मिलते हैं। यह किसी प्रकार से प्रदेश के हित में नहीं है कि यह स्थिति रहे। हमें इंटीग्रेटेड शिक्षा प्राप्त डाक्टरों को वहां भेजना चाहिये और हमें खुशी है कि हमारे स्वास्थ्य मंत्री ने यह कहा भी। लेकिन इस संबंध में मैं एक बात बतलाऊं। हमारे जिला परिषद् ने कुछ इंटीग्रेटेड कोर्स के डाक्टरों को लेने का प्रयत्न किया कदाचित् प्रदेश में मुरादाबाद ही पहला जिला है जिसने उन्हें लेने का निश्चय किया। मांग निकाली और चुनाव किया, चुनाव में उनसे मैंने पूछा तो उन्होंने बताया कि वे आयुर्वेद में काम नहीं कर सकते। वे ललित हरि ऋषिकुल कालेज से ट्रेन्ड विद्यार्थी थे। मुझे दुख है मैं उस पद्धति का समर्थक हूं और आपके विभाग के अधिकारियों, विशेषकर निदेशक तथा आचार्य, आयुर्वेदिक विद्यालय महोदय, से कहूंगा कि इस ओर जरा देखें कि जो विद्यार्थी वहां शिक्षा पाते हैं वे डाक्टरी के साथ साथ आयुर्वेद पर भी ध्यान दें और अगर वे ऐसा नहीं करते हैं तो फिर इंटीग्रेटेड कोर्स के चिकित्सकों को लाने से क्या लाभ होगा? श्रीमन्, होमियोपैथिक कालेज के बारे में थोड़ी सी बातें हुईं। एक इश्तिहार मेरे पास है और मैं समझता हूं अन्य माननीय सदस्यों के पास भी है। मैं समझता हूं कि होमियोपैथी से हमारे देश में बहुत लाभ पहुंचा है, बहुत से प्राणियों को और खास कर बच्चों को बहुत ज्यादा लाभ होता है। उसको प्रोत्साहन देना चाहिये और मैं समझता हूं कि सरकार प्रोत्साहन देती है। एक बात यह है कि भवन निर्माण के लिये रुपया पड़ा हुआ है। यह कोई एफीशियेंसी नहीं है, कोई श्रेय की बात नहीं है कि इतने दिन से रुपया चलता चला आ रहा है और किसी कारण से जगह न मिले और भवन न बन सके।

एक बात और इस संबंध में कहूंगा और वह यह है कि हमारे विद्यार्थी चाहे वे आयुर्वेदिक कालेज के हों, चाहे होम्योपैथिक कालेज के हों और चाहे किसी भी कालेज के हों, अगर वे इश्तहार लिये फिरें और हर कमरे में आयें तो इसमें कम से कम मुझे तकलीफ होती है। अगर होम्योपैथिक कालेज में कोई तब्दीली करना है या कोई वहां पर डाइरेक्टर नियुक्त करना है तो उसके लिये हमारे विधान सभा के सदस्य हैं, विधान परिषद् के सदस्य हैं, जनता में और लोग हैं और दूसरे अधिकारीगण है, ये लोग अपने प्रपोजल रखें और उस तरह से उनकी बातें सामने आनी चाहिये। वे उसको देखें। इस प्रवृत्ति पर रोक होनी चाहिये कि वह इधर उधर फिरें। मैं इसके लिये कोई कानून बनाने के लिये नहीं कहता लेकिन यदि वे इस तरह से रात दिन इस काम के लिये फिरने लगेंगे तो फिर उनकी पढ़ाई में उससे बाधा पड़ेगी। मेरा स्वास्थ्य मंत्री जी से निवेदन है कि इसकी तरफ ध्यान देने की आवश्यकता है। यह तरीका अच्छा नहीं है।

उन्नति हो रही है परन्त् एक बात मैं देखता हूं कि आप किसी भी अस्पताल में चले जाइये, किसी सरकारी चिकित्सालय में चले जाइये, वहां पर आपको लोगों की लाइन मिलेगी। आप खून टैस्ट कराने जायं, पेशाब टैस्ट कराने जायं या किसी डाक्टर से मिलने जायं, तो देखेंगे कि लाइन लगी हुई है। यह बहुत बड़ी समस्या है और इस पर सोचना होगा। दूसरी बात इसी सिलसिले में यह है कि चिकित्सा इतनी महंगी हो गई है कि साधारण व्यक्ति उसको कराने में अपने को असमर्थ पाता है जब तक कि उसको निःशुल्क चिकित्सा न मिल जाय सरकारी चिकित्सालयों में। इन बातों पर सोचना होगा। मेरा खयाल है कि हमारी आजादी को १८ वर्ष हो गये हैं और सोचने का समय आ गया है कि इस पर भी ध्यान दिया जाय। अस्पताल बढ़ाये जायं, लेकिन इस पर भी सोचना आवश्यक है।

मैं कुछ डाइट के विषय में निवेदन करना चाहता हूं। हमारे स्वास्थ्य विभाग को इस विषय में सोचना होगा कि किस तरह से हम इस समस्या को हल करें। प्रत्येक वर्ग और विशेष प्रकार से छोटी श्रेणी के लोगों के लिये खाने को क्या हो और किस तरह से क्या खाना चाहिये, इसके प्रचार की जरूरत है। इस बात का प्रयत्न किया जाय कि उनकी खूराक में तब्दीली

किस तरह से लाई जाय। यह बात प्रचार पर अधिक निर्भर करती है। एक बात यह भी है कि हमारे देश में दो पद्धतिऐसी हैं कि एक बार जिनको इलाज हो जाने के बाद कोई दवाई लेना नहीं पड़ता है। एक प्राकृतिक और दूसरी यौगिक चिकित्सा। मैंने यौगिक चिकित्सा का तो अनुभव किया है कि यौगिक इलाज करने पर दवाई की जरूरत नहीं पड़ती उसका अभ्यास हो जाता है और वह एक जीवन बन जाता है। जिस रोग के लिये दवाई ८, १० वर्ष से ली और एक महीना भी छोड़ नहीं सकता था और जिसके लिये डाक्टरों की राय थी कि वह दवाई मुझे बराबर लेनी पड़ेगी उसको मैंने बिल्कुल छोड़ दिया। मैं चाहता हू कि माननीय मंत्री जी इस ओर ध्यान देने की कृपा करें।

एक बात यह रह जाती है हमारे सामने कि यह एलोपैथिक चिकित्सा की पद्धति बहुत साइन्टिफिक है। इसमें सन्देह नहीं है कि वह बढ़ेगी, इसको किसी तरह से इगनोर नहीं किया जा सकता। उसकी उपयोगिता अपनी जगह पर है। परन्तु यदि कोई चिकित्सा साइन्टिफिक नहीं है, यह कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। रोगी का तो मतलब यह है कि उसको आराम हो जाय। अगर किसी को आराम होता है तो उसको हमें साइन्टिफिक बनाने का प्रयत्न करना चाहिये। यह जो प्राकृतिक और यौगिक चिकित्सायें हैं इनके विषय में मेरा सुझाव है कि स्वास्थ्य विभाग यह देखे कि कौन संस्था या डाक्टर प्रमाणित किया जा सकता है या किस तरह का इलाज करके वह पुराना रोग गया, उनको क्या रोग था, बहुत दिन इलाज करके गया या २, ४ या ६ महीने में रोग चला गया। अगर एक जगह किसी रोगी को आराम होता है जिसको पहले आराम नहीं हो सकता था तो फिर यह नहीं कहना चाहिये कि अनसाइन्टिफिक है और उसको प्रोत्साहन न दिया जाय और पूरी सहायता न दी जाय। मेरा विश्वास है यदि ऐसा किया जायगा तो इन अस्पतालों में भीड़ कम होगी और हटेगी। बहुत से रोग ऐसे हैं कि वे थोड़े से इलाज से दूर हो जायगे, तो हम फिर अपने प्रदेश में इस पद्धति को प्रचलित कर सकेंगे।

एक बात और इंडियन मेडिसिन बोर्ड के संबंध मे कहना चाहता हूं जो आयुर्वेदिक और यूनानी हकीमों और वैद्यों को रजिस्टर करता है। यह इसलिये रजिस्टर करता है ताकि क्वैक, ऊताई आदमी उसमें यह काम न करें। उनके रजिस्ट्रेशन के लिये एक वर्ष निर्धारित हो जाय। जब आपके पास बढ़ाने वाली संस्थायें हैं तो फिर इस तरह से १० या ५ साल की प्रैक्टिस करने वाले के लिये सरटिफिकेट देने की बात समझ में नहीं आती। हमारे पास लोग आते हैं, कहते हैं कि सरटिफिकेट चाहिये। उनसे पूछा जाता है कि चन्द्र प्रभा किस रोग में प्रयोग की जाती है तो उनको मालूम नहीं होता है और आयुर्वेद का सर्टिफिकेट चाहता है, तीन आदमी साथ में आते हैं और सिफारिश लाते हैं, तो हमारी पोजीशन बड़ी खराब होती है। मैं सुझाव दूंगा कि आप एक वर्ष निर्धारित कर दें कि इस वर्ष तक जो करा लेंगे वह करा लेंगे, उसके बाद आते हैं तो क्वालिफाई करके आयें।

कुछ स्थानीय बात भी कहूंगा। स्वास्थ्य मंत्री मेरे जिले के हैं। हसनपुर कस्बे में एक महिला चिकित्सालय है। उसके भवन निर्माण के लिये यहां से वादा किया गया था, लेकिन आपतकालीन स्थिति के कारण टाल दिया गया। वहां भवन बड़ी खराब हालत में है, वह चूता है, इसी वजह से वहां कोई डाक्टरनी नहीं ठहरती और रोगियों के रहने का प्रबन्ध भी ठीक नहीं है। मेरा सुझाव है कि मेडिकल कालिज जरूर आप खोलिये, लेकिन रूहेलखन्ड एक बड़ा डिवीजन है। अगर एक एक डिवीजन में एक एक मेडिकल कालिज रख दें तो उचित होगा। उस डिवीजन में बरेली, मुरादाबाद बहुत बड़े सेंटर्स हैं, उनका भी ध्यान रखें।

हसनपुर में एक चिकित्सालय जिला परिषद् का है, वह बुरी परिस्थिति में है। सरकार कुछ प्रान्तीयकरण भी करती है तो मैं स्वास्थ्य मंत्री जी से उसके लिये कहूंगा।

एक बात और कह दूं। हमारे मंत्री महोदय स्वाभाविक रूप से मच्छर और मक्खी के खिलाफ हैं। प्रदेश की चिकित्सा और स्वास्थ्य का भार उन पर है। मेरा सुझाव है कि तमाम प्रदेश से नहीं तो कम से कम आबादी के अन्दर से मक्खी और मच्छर मिटाने का प्रयत्न करें।

श्री रामभजन—

उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने जो स्वास्थ्य विभाग का अनुदान पेश किया है उसके लिये मैं धन्यवाद देता हूं, लेकिन इसके साथ साथ मुझे आपके द्वारा अपनी सरकार से यह कहना है कि हालांकि १७ साल हमारे देश को स्वतंत्र हुए हो गये, फिर भी देहात की जो अवस्था है और जो सहूलियतें होनी चाहिए थीं वह अभी तक नहीं हो पायीं। यह जरूर है कि हमारे देहात में काफी अस्पताल खोले गये, पर इस प्रकार की स्थिति हमारे प्रदेश में निर्मित नहीं हो सकी जिससे हमारे प्रदेश के अच्छे डाक्टर देहातों में पहुंच सकें। इसके लिये मेरा यह सुझाव है, जैसा कि मैंने पार्टी मीटिंग में भी कहा था, कि देहात के विद्यार्थियों को ही ज्यादातर मेडिकल कालिज में लिया जाय और स्वास्थ्यप्रद स्थानों पर ही मेडिकल कालिज खोले जायं। क्या जरूरत इस बात की है कि गोरखपुर में और कानपुर में मेडिकल कालेज हों? कानपुर में तो बड़ी घनी आबादी है। अगर वहां गंगा के किनारे देहात में स्वास्थ्यप्रद स्थान पर खोला गया होता तो कितना अच्छा होता? हमारा ध्यान इसी बात पर रहता है कि जिस चीज की भी हम वृद्धि करें वह शहर ही में करें, लेकिन वह देहात में होनी चाहिये। देहात के मेडिकल कालिज में भी अगर वही सज्जा और चीजें और औजार रहें जिससे लड़कों की तबियत वहां लग सके तो काफी डाक्टर देहात के लिये आपको मिल सकते हैं। देहात में आज बेइंतहां गरीबी है। हमारी जनता ८७ फीसदी देहात में आबाद है। हर डिस्पेन्सरी में २५–३० हजार मरीज आते हैं और २५००, १५०० की व्यवस्था हो जिसमें सारा सामान भी शामिल है, तो प्रति मरीज एक रुपया भी नहीं पड़ता।

इसके साथ-साथ टी० बी० सील के बेचने की व्यवस्था में जनता और गरीबों को बेइंतहा परेशानी पैदा होती है। इसके अलावा मेरा यह भी सुझाव है कि देहात के अस्पतालों को आकर्षक बनाना भी बहुत जरूरी है ताकि डाक्टर लोग वहां जायें। अगर कहीं बिजली और वाटर सप्लाई की व्यवस्था है तो आपको वहां के अस्पतालों को तुरन्त बिजली और वाटर सप्लाई पहुंचाने की व्यवस्था करना चाहिये। वहां के अस्पताल आकर्षक न होने के कारण ही डाक्टर लोग वहां जाना पसन्द नहीं करते। जो विदेशों में, जैसे अमेरिका और इंग्लैंड में, डाक्टरी पढ़ने के लिये जाते हैं, यहां लौट कर बहुत कम आते हैं। मेरे यहां का एक लड़का इंगलैंड शिक्षा प्राप्त करने गया। वह वापस नहीं आया। वहीं उसने कार आदि ले ली है और वहीं प्रैक्टिस कर रहा है। चाहे युद्ध का जमाना हो, चाहे शांति का हो, डाक्टरों का बहुत महत्व है और उनके लिये हमें ज्यादा से ज्यादा सुविधायें देनी चाहियें। बजट में और जगह किफायत करके हमें उनके वेतन भी बढ़ाने चाहियें।

यद्यपि हमारे देश में कालरा, हैजा, मलेरिया आदि कई बीमारियों पर काबू पा लिया गया है, फिर भी चेचक जैसी बीमारी पर अभी काबू नहीं पा सके हैं। टी० बी० के भी बहुत लोग शिकार होते हैं, उनके इलाज की ओर जितना विशेष ध्यान देना चाहिये वह नहीं दिया जा रहा है। ज्यादातर नौजवान टी० बी० के शिकार होते हैं। जहां टी० बी० क्लीनिक खोले जायं वे स्वास्थ्यप्रद स्थानों पर होने चाहियें और दवाओं का यथोचित् प्रबन्ध होना चाहिये। टी० बी० का मरीज अगर बिना दवा के मर जाता है तो यह बड़े दुख की बात होती है।

कुछ रोगों के इलाज के लिये डाक्टर देहाती अस्पतालों में जाया करते थे और मरीजों को देख कर उनको दवा आदि देते थे। जैसे कुष्ठ रोग है। पहले एक डाक्टर अस्पतालों में जाकर ऐसे रोगियों को देखता था। मेरे जिले में अब इसकी कोई व्यवस्था नहीं है। कुष्ठ रोग का जो अस्पताल निशातगंज में है, वहां मैं एक बार एक मरीज को लेकर गया। वहां पर कुछ गोलियां तो दे दीं गयीं, मगर एक तेल के लिये कहा गया कि वह बाजार से खरीद लिया जाय। वहां ही इसके मिलने की व्यवस्था होनी चाहिये। यह बड़े शर्म की बात है कि दवा वहां पूरी न मिले।

हमारे जिले में गोला गोकरननाथ एक दूसरे नम्बर का टाउन तथा तीर्थ-स्थान भी है। वहां पर बहुत बड़ा मेला भी लगता है। लेकिन वहां जो डिस्पेन्सरी चल रही है वह जिला परिषद् की चल रही है, जिसकी स्थिति बहुत खराब है। मेरे यहां मोहमदी में भी जिला परिषद् की एक डिस्पेन्सरी है। मेरी प्रार्थना यह है कि आप इन सब डिस्पेन्सरीज का प्रान्तीयकरण कर दें और हमारे जिले में ज्यादा से ज्यादा सुविधायें पहुचाने की कृपा करें।

एक निवेदन, मान्यवर, में फैमिली प्लानिंग के बारे में और करना चाहता हूं। मेरी प्रार्थना है कि उसमें आप कुंवारी लड़कियों को भर्ती न कीजिये। अगर ऐसा होगा तो इससे चरित्र बिगड़ेगा और उसका प्रभाव समाज पर अच्छा नहीं होगा।

अन्त में जो अच्छे काम इस विभाग ने किये हैं उनके लिये मैं धन्यवाद देता हूं, लेकिन इसमें अब भी सुधार की जरूरत है। डाक्टरों के दिमागों को भी बदलने की जरूरत है ताकि वे नम्रता, प्रेम और मोहब्बत के साथ लोगों से बर्ताव रखें। इन शब्दों के साथ मैं इस अनुदान का समर्थन करता हूं।

*श्री रामनाथ पाठक (जिला मिर्जापुर)---

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बड़ी खुशी की बात है कि आपने मुझे इस अनुदान पर बोलने का मौका दिया। मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान मिर्जापुर जिले की राबर्ट्सगंज तहसील की तरफ दिलाना चाहता हूं। मिर्जापुर जिले की राबर्ट्सगंज तहसील सबसे पिछड़ी हुई तहसील है। बिलकुल पहाड़ी इलाका है। यहां कहा जाता है कि हर पांच या सात मील पर एक अस्पताल होना चाहिए चाहे वह आयुर्वेदिक हो, एलोपैथिक हो या होम्योपैथिक हो। लेकिन वहां पांच ब्लाक हैं। एक-एक ब्लाक पचास-पचास और सौ-सौ मील लम्बा है लेकिन उसमें कोई भी दवाखाना न आयुर्वेदिक, न एलोपैथिक न होम्योपैथिक किसी प्रकार का भी नहीं है। इसी प्रकार चोपन ब्लाक जो है वह बिहार की सीमा से मध्य प्रदेश की सीमा तक ९५ मील लम्बा ब्लाक है, उसमें भी कोई दवाखाना नहीं है। ब्लाक की तरफ से नेवारी गांव में एक भवन दिया गया और यह कहा गया कि यहां दवाखाना खुलेगा। वह भवन बनकर तैयार है, उसके लिए लिखा गया लेकिन आज तक कोई डाक्टर न आयुर्वेदिक, न एलोपैथिक, वहां पहुंचा। वह पहाड़ी इलाका है, आदिवासियों और हरिजनों की आम आबादी है, पीने के पानी और शिक्षा का अभाव तो है ही, दवाइयों का वहां कोई इन्तजाम नहीं है। वहां के लोग ओझाई कराते हैं, थालियां बजा बजा कर मरीज अच्छा करते हैं, उन्हीं थालियों पर उनका जीना मरना निर्भर करता है।

इसी तरह घोरावल ब्लाक है। उसमें तीन वर्ष से अस्पताल के लिए इमारत बनकर तैयार है लेकिन आज तक वहां भी कोई डाक्टर नहीं गया। सड़क नहीं थी, उसके लिए कहा गया, तो सड़क भी बनवा दी गई, भवन बना तैयार है, मगर डाक्टर नहीं भेजा गया। राबर्ट्सगंज में एक अस्पताल है जो पहले जिला बोर्ड का था। माननीय गुप्ता जी जब स्वास्थ्य मंत्री थे तो उन्होंने उसे गवर्नमेंट का अस्पताल बना दिया। लेकिन वहां न तो डाक्टर के रहने के लिए मकान है न मरीजों के लिए कमरा है। बरसात में पानी चूता है, दवाइयां सड़ जाती हैं फेंक दी जाती हैं। मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान इस ओर दिलाऊंगा कि सवा सौ मील का इलाका है जिसमें एक भी जनाना अस्पताल नहीं है। सन् ४७ से आज तक तीन बार जनाना अस्पताल के लिए मंजूरी हुई, उसकी बुनियाद पड़ी, गुप्ता जी स्वास्थ्य मंत्री थे तभी उन्होंने मंजूर किया था लेकिन आज तक उसकी फाइल चल रही है। मेरे पास चिट्ठी आयी कि मकान का इन्तजाम करा दें तो डाक्टर भेज दिया जायगा। मैंने मकान ठीक करा दिया, एक आदमी ने नया मकान बनवाया था, उसको मैंने इस काम के लिए दिला दिया लेकिन आज तक डाक्टर नहीं पहुंचा। जहां पांच पांच मील पर अस्पताल खोलने की बात कही जाती है वहां पचास मील के एरिया में कोई अस्पताल इस तहसील में नहीं है। अगर पचास पचास मील पर भी

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री रामनाथ पाठक]

एक एक अस्पताल खोल दिया जाय, चाहे आयुर्वेदिक हो, चाहे एलोपैथिक हो चाहे कोई हो, तो भी वहां के लोगों को कुछ राहत हो जाय ।

कहा जाता है कि डाक्टर नहीं मिलते । उसी इलाके का एक ए० एम० एस० डाक्टर मध्य प्रदेश में डाक्टरी करता है । हमने उससे कहा कि तुम इस इलाके के हो, यहीं दवा करो तो ज्यादा अच्छा है । उसने कहा आप रखवा दीजिए । उसकी दरख्वास्त मांगी गयी । हमने दरख्वास्त दिला दी । उसके बाद सेक्रेटरी साहब के पास दो साल हो गए । आज पता नहीं वह दरख्वास्त कहां है, कहां गायब हो गई, कुछ मालूम नहीं । जब हम डाक्टर ढूंढ़कर देते हैं तो उसकी दरख्वास्त का पता नहीं चलता है, । तो, श्रीमन, मैं आपके द्वारा प्रार्थना करता हूं कि वव उत्तर प्रदेश का ही एक अंग है, और सबसे पिछड़ा इलाका है, पहाड़ी है, बुन्देलखंड की शक्ल में है । पूर्वी उत्तर प्रदेश में सबसे पिछड़ा स्थान राबर्ट्सगंज और दुद्धी है लेकिन एक सड़क बनाकर छोड़ दिया गया । रिहैंद तक विभाग के लोग दौरे में जाते हैं । आसपास घोर जंगल और पहाड़ देखते हैं । लेकिन उसके लिए व्यवस्था करने की बात उनके दिमाग में नहीं आती । मैं माननीय मंत्री जी से प्राथना करूंगा कि एक तो वहां जनाना अस्पताल के लिए मकान मिल गया है, वहां जनाना अस्पताल खुलवाने की कृपा करें । दस वर्ष से उसकी बुनियाद पड़ी हुई है तो कम से कम वह तो बनवा दें । राबर्ट्सगंज में जो मर्दाना अस्पताल है उसका भवन डाक्टरों के रहने के काबिल और मरीजों के रहने के लिए बनवा दिया जाय और हर ब्लाक में कम से कम एक अस्पताल खुलवा दिया जाय, तो वह भी समझें कि दवा भी कोई चीज है, डाक्टर भी कोई चीज है । वहां से ५०–५५ मील के अन्दर एक हजार आदमी जीते हैं, और मरते हैं । यही हमें कहना था । मैं अनुदान का समर्थन करता हूं ।

श्री राममूर्त्ति 'अंचल' (जिला शाहजहांपुर)--

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं स्वास्थ्य मंत्री जी के द्वारा प्रस्तावित किये गये अनुदान के समर्थन में खड़ा हुआ हूं, और आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस स्वास्थ्य विभाग की जहां पर बहुत अधिक आलोचनाएं की जाती हैं और हमें टीका-टिप्पणी के साथ-साथ यह भी देखना चाहिए कि इस विभाग ने कुछ ऐसे भी कार्य किये हैं जो मानव समाज की सेवा के लिए बहुत आवश्यक थे, उदाहरणस्वरूप यहां पर उनमें से एक दो का मैं उल्लेख करना आवश्यक समझता हूं । इस वर्ष मैं प्रयाग के अर्द्ध कुंभ मेला में गया और विगत १९५४ के मेले में भी प्रयाग गया था तब उस समय की स्वास्थ्य रक्षा व्यवस्था और इस मेले के स्वास्थ्य विभाग का प्रबन्ध अपेक्षाकृत अन्यन्त सुन्दर था । जहां तक मुझे ज्ञात हो सका है, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि इस वर्ष का स्वास्थ्य विभाग संबंधी प्रबंध सर्वोत्तम था । जहां तक मैंने देखा, स्वास्थ्य विभाग के इस उत्तम प्रबंध में ऐपीडेमिक असिस्टेंट द्वारा सर्वाधिक सुचारुरूप से कार्य संचालन हो रहा था । पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट की ओर से नावों पर इंजेक्शन लगाने की व्यवस्था इतनी सुन्दर थी कि मेले में प्रवेश करने वाला कोई यात्री बिना टीका लगाये प्रवेश नहीं कर सकता । टीका लगाने वालों का जनता के साथ व्यवहार सराहनीय था । स्वास्थ्य संबंधी प्रत्येक प्रकार की सुविधा वहां उपलब्ध थी । मेरा तो ऐसा विश्वास है कि इतने बड़े मेले में वहां शायद ही कोई व्यक्ति रोग ग्रस्त हुआ हो । मक्खी तो पूरे मेले में एक नजर नहीं आती थी जबकि वहां मेले में ४० लाख जनता देश के विभिन्न भागों से एकत्रित हुई थी । इतने बड़े जन-समुदाय में अनेक प्रकार के रोगों पर काबू पाना कोई सरल काम नहीं, अतः इसके लिए मैं पब्लिक हेल्थ विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों की हृदय से सराहना करता हूं । और आपके द्वारा मैं इस महा प्रयास के लिए मंत्री जी को बधाई देता हूं (...व्यवधान...) । यदि आप मुझे और समय दिला देंगे तो मैं आपकी सेवा में श्रीमन् के द्वारा कविता भी सुना दूंगा ।

हां, मान्यवर, मैं स्वास्थ्य एवं चिकित्सा विभाग की कुछ सेवाओं का जिक्र कर रहा था उनमें एक विभाग मलेरिया उन्मूलन का भी है जिसके द्वारा विशेष कार्य हमारे प्रदेश में हुआ ।

मलेरिया उन्मूलन द्वारा देश और विदेशों में हमारा प्रदेश गौरवान्वित हुआ है। इसके लिए मैं मलेरिया विभाग के सभी अधिकारियों को आपके द्वारा बधाई देना आवश्यक समझता हूं। मलेरिया के अतिरिक्त जनस्वस्थ्य विभाग ने परिवार नियोजन की दिशा में हमारे भी प्रदेश में काफी सफलतायें प्राप्त की हैं। उसके लिए मैं परिवार नियोजन विभाग के सभी कायकर्त्ताओं के प्रति हृदय से कृतज्ञता प्रगट करता हूं। लेकिन कुछ और ऐसी बातें हैं जिनके ऊपर मैं मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

सन् १९४९ के स्वास्थ्य सेवा निदेशालय के क्लर्कों के संबंध में सरकार ने यह आज्ञा दी थी कि हेल्थ और मेडीकल शाखा के क्लर्क अपनी अपनी शाखाओं में पदोन्नति पाते रहेंगे और यही नहीं, सरकार ने उसी समय यह भी कहा था कि अबसे जो नये क्लर्क भर्ती किये जायेंगे वे सम्मिलित प्रणाली के हिसाब से रक्खे जायेंगे और उनकी पदोन्नति हेल्थ और मेडीकल शाखाओं में होगी पर इसके पहले के क्लर्कों को अपने अपने विभागीय पदों पर की पदोन्नति प्राप्त होगी तथा उनके अधिकार सुरक्षित रहेंगे लेकिन उस चीज का पूर्णरूप से पालन नहीं हो रहा है। आज मेडिकल शाखा के क्लर्क को छोड़कर पब्लिक हेल्थ के क्लर्कों के साथ समुचित न्याय नहीं हो रहा है। मेरा ऐसा अनुमान है कि उनमें पर्याप्त मात्रा में क्षोभ व्याप्त है। मैंने इस समय संक्षेप में ही आपके द्वारा माननीय मंत्री जी के समक्ष रखा है, वैसे मैं माननीय मंत्री जी से एकाध बार पहले भी निवेदन कर चुका हूं और पुनः भी निवेदन करना चाहूंगा।

दूसरी बात मुझे आपके द्वारा यह कहनी है कि पिछले वर्ष आयुर्वेदिक के विद्यार्थियों ने हमारे विधान सभा के सामने भूख-हड़ताल की थी, वह भूख-हड़ताल कई दिन तक निरन्तर चलती रही, उत्तर प्रदेश शासन की ओर से प्रयास किया गया और अन्त में भूख-हड़ताल समाप्त हुई। उस समय यह आश्वासन दिया गया था कि आयुर्वेदिक के स्नातकों को २३५–५०० के ग्रेड को २५०–६०० के ग्रेड में कर देंगे। यह भी आश्वासन दिया गया था कि किसी विश्वविद्यालय से उत्तर प्रदेश के समस्त कालेजों को संबंधित कर देंगे। लेकिन उसका आज तक पालन नहीं किया गया। इससे पूर्व जोशी कमेटी की जो रिपोर्ट आई थी वह भी शासन के स्वास्थ्य विभाग के किसी कोने में पड़ी हुई होगी, उस पर भी विचार नहीं हो रहा है।

आल-इंडिया नेशनल मेडिकल स्टूडेंट यूनियन के प्रेसीडेंट की ओर से एक पत्र मेरे पास आया है। आपकी आज्ञा से, उसकी अंतिम दो तीन लाइनें सुना देना चाहता हूं। उन्होंने अपने पत्र में लिखा है कि कृपया आप श्री डा० रामनारायण पांडे व माननीय नेगी जी को हमारी ओर से सूचित कर दें कि छात्र फिर से भूख-हड़ताल करने जा रहे हैं। अगर सरकार ने जल्दी ही अपनी नीति को ठीक प्रकार से घोषित न किया तो छात्रों में पूर्णरूप से असन्तोष और रोष व्याप्त हो जायगा। तो मान्यवर, मैं आपके द्वारा यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रकार जो अन्याय हो रहा है आयुर्वेद के साथ, वह अनुचित और गलत है। मान्यवर, मैं यह भी निवेदन करता चाहता हूं कि इन्टीग्रेटेड डिस्पेंसरियों में नियुक्तियां तो हो रही हैं, लेकिन वे उनकी नहीं हो रही हैं जो इन्टीग्रेटेड कोर्स के स्नातक हैं बल्कि उन स्थानों पर एलोपैथी के विद्यार्थी ही भेजे जा रहे हैं। श्रीमन्, मैं आपके द्वारा यह चेतावनी देना चाहता हूं कि सरकार अपने उन कदमों को उठाये जिनका उन्होंने गत वर्ष आश्वासन दिया था। कहीं ऐसी स्थिति पुनः न उत्पन्न हो जाय जिससे कि उन्हें गत वर्ष की भांति भूख हड़ताल करनी पड़े।

मुझे एक बात और मंत्री जी से निवेदन करनी है कि किंग्स हास्पिटल, टूड़ियागंज, की भ्रष्टाचार की रिपोर्ट ६४ में दी गई, वहां के इन्स्ट्रूमेंट्स, रेफरीजेरेटर और कीमती पुर्जों के गायब होने की लेकिन सरकार ने उस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया।

एक बात, श्रीमन्, मैं आपके द्वारा और निवेदन करना चाहता हूं कि वैक्सीनेशन के द्वारा हमारे प्रदेश में चेचक उन्मूलन का बड़ा भारी कार्य चल रहा है। इसका कार्य वैक्सीनेटर के द्वारा होता है। उनका वेतन बढ़ाने की ओर सरकार ने कभी कोई कदम नहीं उठाया जबकि उनकी बात बड़ी ही महत्वपूर्ण है। वह ३०, ४० और ४५ रु० पर ही काम कर रहे हैं। मैं

[श्री राममूर्ति 'अंचल']

चाहता था कि उनका वेतन एप्रेंटिस के रूप में तो ६०-३-७५ हो जाय और बाद में ७५-३-१०५ हो। इस प्रकार का प्रस्ताव वे लोग वेतन आयोग की रिपोर्ट में भी निवेदन कर चुके हैं। मैं आपके द्वारा चाहता हूं कि मंत्री जी भी अपना ध्यान इस ओर दें। छात्र की बीमारियों में भी इनका काम अच्छा रहा। इसके अलावा इनको डेली एलाउन्स भी कम मिलता है। इनका डेली एलाउन्स बढ़ाकर दो या तीन रुपया कर दिया जाय, तो अच्छा होगा। महापालिकाओं और नगरपालिकाओं में भी इनको समुचित वेतन प्राप्त नहीं होता। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि इनको सुविधायें दी जायं।

साथ ही मैं अपने जिले की बात निवेदन करता चाहता हूं कि शाहजहांपुर अस्पताल में जो भ्रष्टाचार फैला है उसके विषय में मैं एक आध बार पहले भी माननीय मंत्री जी से कह चुका हूं। मैं आपसे केवल इतना ही चाहता हूं कि उस दिशा में कोई ठोस कदम उठायें जायं, जैसा माननीय मंत्री जी का कार्य है। वहां के टी० बी० क्लीनिक के संबंध में मैं कहूंगा कि जो डाक्टर्स वहां भेजे गये हैं उसका कार्य अत्यन्त सराहनीय चल रहा है मगर जो रोगी आते हैं वे वहां ठहर नहीं सकते। अगर वहां दो चार शय्यायें भी बढ़ा दी जायं तो मैं बड़ा ही उपकृत हूंगा।

श्रीमन्, इसके अतिरिक्त मैं यह भी निवेदन करूंगा कि महिला अस्पताल, शाहजहांपुर और तिलहर में हैं। शाहजहांपुर में ही महिलाओं के रहने की व्यवस्था है परन्तु तिलहर में नहीं है। जिले में कांठ एक बड़ा कस्बा है। मैं चाहूंगा कि अगर वहां भी वैसा ही प्रबन्ध कर के एक महिला अस्पताल की स्थापना करने की कृपा करें तो मैं उपकृत होऊंगा। मान्यवर, मैं जानता हूं कि आप समय नहीं देना चाहेंगे। इसलिए मैं माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देते हुए अधिक समय नहीं लूंगा।

डाक्टर राजेन्द्रकुमारी बाजपेयी (जिला इलाहाबाद)--

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय स्वास्थ्य मंत्री ने जो अनुदान उपस्थित किया है उसका समर्थन करते हुए मैं दो चार सुझाव देना चाहती हूं। माननीय मंत्री जी ने अपने बजट भाषण में यह बताया कि सरकार की ओर से यह योजना है कि प्रत्येक ब्लाक में एक एक हेल्थ सेंटर तृतीय पंचवर्षीय योजना पूरी होते हुए पूरा कर दिया जाय। इस विषय में मैं यह सुझाव देती हूं कि हेल्थ सेन्टर्स तो आप जरूर खोलें क्योंकि उनके द्वारा ही गांवों की गरीब जनता को सहायता पहुंचा सकते हैं। विशेषकर स्त्रियों के बच्चे होने के समय के लिए यह बहुत अच्छी योजना है। लेकिन इस विषय में मेरा सुझाव यह है कि जब आप कहीं पर भी मिड वाइफ या स्टाफ स्त्री की नियुक्ति करें तो पहले उसके रहने का प्रबंध करा दें। अगर आप कहीं बिल्डिंग न बनवा सकें तो नियुक्ति के पहले गांव के मुखिया या प्रभावशाली व्यक्तियों द्वारा उनके किराये के मकान का प्रबन्ध करा दें। दूसरा सुझाव यह है कि मिड वाइफ को जब आप गांवों में भेजते हैं तो उसकी सुरक्षा का भी प्रबंध होना चाहिए। हमारे यहां उत्तर प्रदेश में कम उम्र की लड़कियां दूर दूर से आती हैं, केरल आदि से आती हैं लेकिन गांवों में काफी बैकवर्डनेस होने के कारण उनकी सुरक्षा नहीं होती। इसलिए उनकी सुरक्षा का कोई प्रबंध होना चाहिए। उनकी सुरक्षा के लिए प्रत्येक हेल्थ सेंटर में एक चौकीदार का प्रबंध किया जाय।

इसके अलावा मिड वाइफ की ट्रेनिंग के लिए जो लड़कियां आती हैं उनके लिए जो स्कालरशिप रखा गया है उसकी रकम भी बहुत कम है। उत्तर प्रदेश में यह स्कालरशिप बहुत कम है। इसलिए हमें अधिक संख्या में ट्रेनिंग के लिए लड़किया नहीं मिल पातीं। उनका स्कालरशिप ४० रुपया से बढ़ा कर ६० रुपया कर दिया जाय। इतनी महंगाई में यह रकम बहुत थोड़ी है। पिछले वर्ष भी इस बात की ओर माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित किया गया था, लेकिन बजट में उनके पे स्केल्स में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है।

आये दिन गांवों में स्त्रियों के सामने ऐसी समस्यायें उत्पन्न हो जाती हैं जिनको वे खोलकर भी नहीं कह सकती हैं, माननीय मंत्री जी उनकी परेशानी को सोच कर दूर करने की कृपा करें।

मैंने मेडीकल मैन्युअल को काफी गौर से पढ़ा । उसका अविलम्ब हिन्दी में अनुवाद होना चाहिए । इसकी दूसरी ऐडीशन ३० जून, १९५३ की है । इसमें बहुत से करेक्शन स्लिप्स लगे हैं, कहीं हाथ से ही लिखा हुआ है, इसकी नयी एडीशन हिन्दी में निकलनी चाहिए । इसके अलावा कुछ परिवर्तन भी होने चाहियें । बार-बार इस सदन में डाक्टरों की कमी के बारे में कहा जाता है । कहीं डाक्टरों के स्थान पर कंपाउन्डर ही हैं । मेडीकल मैन्युअल के पृष्ठ २८ पर जो ३४वां क्लाज है उसको बिल्कुल निकाल दिया जाना चाहिए और उसके स्थान पर दूसरा क्लाज रखा जाना चाहिए । चूंकि यह मैन्युअल अंग्रेजी में है, जिसे मैं पढ़ कर सुनाना चाहती हूं, आज जो दुर्दशा है हमारी डिस्पेंसरीज की और अस्पतालों की वह सब को मालूम है । इसमें लिखा हुआ है --

"34—An unqualified person, such as a compounder, should be placed incharge of a medical institution only when a medical officer is absent from the dispensary for very short periods, owing, for example, to his or her attendance at a court of law to give evidence, or at a departmental examination, or to his or her temporary illness, or to casual leave."

यह तो बात मानी जा सकती है कि किसी दिन कोर्ट जाना पड़ जाय तो चार घंटे के लिए अस्पताल से अनुपस्थित रहना पड़े, उस समय जो कंपाउन्डर वहां काम करता है थोड़ी देर के लिए उस अस्पताल को देख ले । लेकिन जब कोई डाक्टर बीमार हो या केजुअल लीव पर हो, ऐसे वक्त में-क्योंकि कोई तीन दिन भी बीमार हो सकता है और ५ दिन भी बीमार हो सकता है--अगर मेडिकल मैन्युअल में यह प्राविजन रहता है कि अनक्वालिफाइड आदमी उसको देखा करे तो इससे यह अर्थ निकलता है कि हम इन बातों को बहुत गंभीरता के साथ देखते नहीं हैं । इसी मेडिकल मैन्युअल में कई और बातें हैं जिनको फिर से लिखने की आवश्यकता है और इसके लिए मैं तो यह चाहती हूं, और मेरा यह सुझाव है, कि एक कमेटी बनायी जाय जिसमें एक तो डायरेक्टर आफ मेडिकल ऐंड हेल्थ हो, मेडिकल कालेज का कोई प्रिंसिपल हो, सेक्रेटेरिएट का कोई उच्च अधिकारी हो और दो तीन एम० एल० एज० हों जो इसकी जानकारी रखते हों और जिन्हें इसके प्रति दिलचस्पी भी हो, वे बैठ करके इस पर विचार करें और फिर से इसमें नये सुधार करें । इस पूरे के पूरे मैन्युअल को फिर से लिख कर प्रस्तुत करने की आवश्यकता है ।

माननीय मंत्री जी से मेरा एक सुझाव यह भी है, जो आपने अभी टी० बी० क्लीनिक्स व फूड एडल्टरेशन के बारे में बतलाया । फूड एडल्टरेशन के संबंध में सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो कानून बनाया है वह है तो बहुत अच्छा लेकिन उसको लागू करने की जिम्मेदारी आपके ऊपर और गवर्नमेंट के ऊपर आती है । उसमें यह भी देखने की बात है कि नीचे के स्तर के जो इंसपेक्टर वगैरह हैं, कहीं यह तो नहीं करते कि घूस लेकर लोगों को छोड़ देते हों, जैसा कि हर क्षेत्र में घूस का बाजार गर्म है । इतना मजबूत जो यह कानून बनाया गया है उसका इस क्षेत्र में कहां तक पालन होता है, यह देखने की बात है ।

एक बात मैं अन्त में कहना चाहती हूं, जैसा कि माननीय नरसिंह नारायण पांडेय जी ने कहा, कि होम्योपैथी की ओर सरकार को विशेष ध्यान देना चाहिए । मैं भी उनके इस विचार से सहमत हूं । आप सब जानते हैं कि सन् १९५१ में जब यह प्रस्ताव आया था कि होम्योपैथी को लागू करने के लिए कानून बनाया जाय तो यह इन्तजाम किया गया कि जनमत के लिए उस कानून को प्रसारित किया जाय । उस कानून को प्रसारित किया गया और बहुत बड़ी संख्या में लोगों ने अपनी यह राय जाहिर की कि होम्योपैथी के लिए ऐसा कानून बनना चाहिए और निर्विरोध वह कानून पास किया गया । उसके बाद सन् ५५ के उस कानून में एक अमेंडमेंट लाया गया । होम्योपैथी का जो डेफिनिशन है उसमें लिखा हुआ है ..

Definition of Homeopathy means the homeopathic system of medicine and includes allied branches as Bio-chemistry, minor surgery and midwifery.

[डाक्टर राजेन्द्रकुमारी बाजपेई]

लेकिन मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहती हूं कि लखनऊ में जो आपका होम्योपैथिक डिग्री कालेज खुला हुआ है उसमें क्या आपने मिडवाइफरी की ट्रेनिंग के लिए कोई प्रबंध किया है या सर्जरी के लिए कोई उचित प्रबंध है या उसके लिए उचित स्थान भी है। इलाहाबाद में आपने जो होम्योपैथिक मेडिकल कालेज में डिप्लोमा का कोर्स खोल रखा है, वहां की हालत इतनी खराब है कि उसका वर्णन नहीं किया जा सकता है कम से कम ८-७ बेड्स का अस्पताल जब तक हर होम्योपैथिक कालेज के साथ न होगा तब तक यह जो कमी है वह पूरी न होगी, वहां सरजरी की मिडवाइफरी की ट्रेनिंग का प्रबन्ध जब तक न होगा सम्भव नहीं है कि कोई उन्नति हो सके।

या तो सरकार जिम्मेदारी के साथ इस काम को अपनावे और १-१ पैसे का सदुपयोग हो। बाकी कहने के लिये हम होम्योपैथी पर भी दो चार हजार व्यय कर दें, वह कोई उचित बात न होगी। जिन चीजों को हम स्वीकार करते हैं, जिन प्रोग्रामों और सिस्टम को हम स्वीकार करें उन को कार्यान्वित करने की दिशा में हमें यथेष्ट कदम उठाने चाहिये।

इलाहाबाद मेडिकल कालेज के सम्बन्ध में मैं यह कहना चाहती हूं कि वहां पर भी बड़े बड़े वार्ड्स बनाये गये हैं लेकिन वहां नर्सेज की बहुत कमी है। एक बड़े वार्ड में एक नर्स का होना बहुत ही कम है और जो अनुदान उनके लिये दिया जाता है वह बहुत कम है। मेरा नम्र निवेदन है कि प्रदेश में ५-६ बड़े-बड़े मेडिकल कालेज बन रहे हैं, एक अलग से मेडिकल कालेज का संचालन करने के लिये, प्रबन्ध करने के लिये, एक बोर्ड बनाया जाना चाहिये। यूनिवर्सिटी ग्रान्ट्स कमीशन की तरह उसके तत्वावधान में एक बोर्ड बनाना चाहिये जो मेडिकल कालेज की पढ़ाई के लिये वहां के खर्चे आदि के लिये, पैसे के सदुपयोग के लिये, सरकार को अपने सुझाव देता रहे। इन शब्दों के साथ मैं पुनः इस अनुदान का समर्थन करती हूं।

(श्री राजदेव का नाम पुकारे जाने पर।)

श्री छेदालाल चौधरी (जिला खीरी)—

श्रीमन्, हमें भी समय मिले तो बैठें, न जायं ?

श्री उपाध्यक्ष—

आप तो रोज खड़े होते हैं, आप बोल चुके हैं, मुझे मालूम है। अब समय कम है। अब सभी सदस्य ८-८ मिनट बोलेंगे।

श्री राजदेव (जिला देवरिया)—

उपाध्यक्ष महोदय, म इस अनुदान का समर्थन करते हुये, अपने एक सुझाव को रखते हुये, उन का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि दारुलशफा में दिन में वहां अस्पताल में कुछ चिकित्सा का बन्दोबस्त है लेकिन रात्रि के समय कोई प्रबन्ध नहीं है। रात को कोई डाक्टर दवा देने वाले नहीं मिलते। मैं मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि रात्रि के समय विशेष रूप से डाक्टर आदि का प्रबन्ध होना चाहिये ताकि कोई ऐसे कुसमय में बीमार हो जाय तो उसकी जान बचाई जा सके। हमारे यहां के एक हरिजन विधायक रात जो ११-१२ बजे बीमार पड़े, उन्हें बीमारी की हालत में सदर अस्पताल भेजा गया लेकिन वहां भी कोई उनके इलाज का उस समय प्रबन्ध न हो सका, उसके बाद उनको सन्निपात की हालत में रिक्शा पर बलरामपुर अस्पताल ले जाया गया और उचित इलाज की व्यवस्था न हो सकने के कारण ७-८ बजे उनकी मृत्यु हो गई। मंत्री जी का ध्यान इस तरफ जाना आवश्यक है कि रात्रि में भी लोगों को अकस्मात् बीमार पड़ने पर डाक्टर की सर्विसेज मिल सकें।

दूसरी बात मुझे यह कहना है कि सरकार की कार्य प्रणाली का जनता की शिक्षा, आचरण पर प्रभाव पड़ता है और उसका प्रभाव जन-स्वास्थ्य पर भी पड़ता है। पहले के स्वास्थ्य और आज के स्वास्थ्य में जमीन आसमान का अन्तर है। आप किसी विश्वविद्यालय में जायं और वहां के नौजवानों को देखें तो ५०-६० साल के बुड्ढों का स्वास्थ्य उनसे अच्छा होगा जिनकी आयु

आज २०-२२ वर्ष की है । उनका स्वास्थ्य देखकर हंसी आती है । संसार के देशों में स्वास्थ्य के विषय में हमारा बड़ा अपमान है, आज हमारे सूबे के नौजवानों का स्वास्थ्य निरन्तर खराब होता जा रहा है । इसलिये मैं मंत्री जी का ध्यान विशेष रूप से इस तरफ आकृष्ट करूंगा। हमारी कोई भी बीमारी हो उसमें यही विदेशी दवा, विदेशी इन्जेक्शन, वही विदेशी गोलियां प्रयोग में लाई जाती हैं और उन दवाओं का अन्त में बहुत बुरा प्रभाव होता है ।

आज यूनानी और आयुर्वेदिक प्रणाली की बहुत अवहेलना और दुर्दशा इस प्रदेश में हो रही है । माननीय मन्त्री जी का ध्यान इस तरफ जाना चाहिये । हमारे चरक और सुश्रुत ग्रन्थ ऋषियों के बनाये हुये हैं, जिनमें जड़ी बूटियों से ही इलाज दिया गया है । इनके ऊपर रिसर्च होना चाहिये । आसाम के जंगल हैं, मध्य प्रदेश में जंगल हैं और हमारे हिमालय की तराई में जंगल हैं जहां पर तरह-तरह की जड़ी बूटियां पायी जाती हैं और अगर उनका इस्तेमाल किया जाय तो बहुत फायदा पहुंच सकता है । लेकिन उस तरफ हमारे माननीय मंत्री का और इस सरकार का ध्यान नहीं जाता है । आज कई करोड़ रुपया अंग्रेजी दवाओं में बाहर भेजा जाता है । वह सब रुपया बच सकता है यदि हम अपने आयुर्वेद में तरक्की करें पर हम देखते हैं कि जितनी तरक्की आयुर्वेद की होनी चाहिये वह नहीं होती है । इसलिये मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान आयुर्वेदिक चिकित्सा की ओर आकर्षित करता हूं और प्रार्थना करता हूं कि वे इसकी प्रगति की ओर अधिक ध्यान दें ।

अभी-अभी कुछ दिन हुये, मैंने अखबारों में पढ़ा था कि भारत सरकार ने दिल्ली में एक रिसर्च सेन्टर खोला है जिसमें उन्होंने सर्प गन्धा नामक एक दवाई का अन्वेषण किया है जो टी० बी० के लिये अचूक सिद्ध हुयी है। तो क्यों हमारी प्रदेशीय सरकार इन जड़ी बूटियों से बनने वाली दवाओं की ओर अधिक ध्यान नहीं देती है ? अंग्रेज यहां से चले गये पर शिक्षा प्रणाली आज भी अंग्रेजी में ही है । वाराणसी में एक वद्य हैं । उनके पास बड़ी-बड़ी दूर से लोग जब अंग्रेजी दवाओं के इलाज में नाकामयाब हो जाते हैं, पहुंचते हैं । ये आयुर्वेद के बहुत बड़े वैद्य हैं और आयुर्वेदिक चिकित्सा करते हैं । इनके पास जड़ी बूटियों की दवाइयों का भन्डार है ।

हमारे बेहातों में मजदूरों और गरीबों के इलाज के लिये अस्पताल और दवाइयों का कोई प्रबन्ध नहीं है । १६-१६ मील पर कहीं अस्पताल है । उनके लिये कम से कम जड़ी बूटियों का ही प्रबन्ध कर दिया जाय । आप छोटे-छोटे वैद्यों से रिसर्च करवायें। आपके विभाग में जो डाक्टर हैं वे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं । देवरिया जिले में छितौनी एक स्थान है वहां पर एक लेडी अस्पताल है पर वर्षों से वहां पर कोई लेडी डाक्टर नहीं है । मैं माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि वहां पर भी लेडी डाक्टर भेजने का प्रबन्ध करें क्योंकि वह स्थान बहुत दूर, शहर से ३२ मील दूर, स्थित है और हिमालय की तरफ पड़ता है । यह दुःख का विषय होगा कि मजदूरों और किसानों की बस्तियों में डाक्टर और दवाइयों का प्रबन्ध न हो ।

श्री मोहनसिंह (जिला अल्मोड़ा पिथौरागढ़)--

उपाध्यक्ष महोदय, बहुत दिनों की उठक बैठक के बाद आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिये मैं आपका बड़ा आभारी हूं । मंत्री जी ने जो अनुदान सदन में पेश किया है उसका मैं समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं । मैं १-२ बातें आपके द्वारा मन्त्री जी से निवेदन करना चाहता हूं । मैं अल्मोड़ा जिले के देहात का रहने वाला हूं, इसलिये मैं अच्छे सुझाव भी नहीं दे सकता हूं । माननीय सदस्यों ने बहुत सी बातों को कह भी दिया है, उनको दुहराना उचित न होगा ।

हमारे पहाड़ी जिला में अस्पतालों की ऐसी शोचनीय दशा है कि उसके वर्णन करने के लिये काफी समय चाहिये और ज्यादा जिक्र न करना ही उचित होगा। हमारे यहां ज्यादातर जिला परिषदों के ही अस्पताल हैं और जिले में अगर २-३ सरकारी अस्पताल हैं भी तो उनमें दवाओं का अभाव है जिससे मरीजों को दवा नहीं मिल पाती है । मैं निवेदन करूंगा कि अस्पतालों में दवाओं का उचित प्रबन्ध होना चाहिये । एक तो डाक्टरों की वैसे ही कमी है । दूसरे

[श्री मोहनसिंह]

डाक्टर पहाड़ी जिलों में जाने के लिये तैयार नहीं होते हैं, इसलिये कि उनको वहां पर प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं मिलती है, जिससे उनकी तबियत वहां जाने को नहीं करती हैं और जो जाते भी हैं वे जल्दी ही तबादले कराने की कोशिश में रहते हैं ।

मुझे ठीक पता तो नहीं है लेकिन शायद ऐसा था कि पर्वतीय जिलों के लड़कों के लिये डाक्टरी पढ़ने के लिये कुछ कोटा फिक्स्ड था । मैं निवेदन करूंगा कि पहाड़ी जिलों के लड़कों को डाक्टरी पढ़ाने का प्रबन्ध किया जाय जिससे वे लोग वहां पहाड़ों पर काम कर सकें इसलिये कि वहां की दिक्कतों को बरदाश्त कर सकते हैं ।

एक और निवेदन कर दूं कि हमारे पहाड़ी जिलों से मलेरिया का तो करीब-करीब उन्मूलन हो गया है । उसके लिये हम सरकार के आभारी हैं । लेकिन टी० बी० का बहुत ज्यादा प्रकोप बढ़ गया है । अधिक संख्या में लोग मरते जा रहे हैं जिनकी चिकित्सा नहीं हो पाती हैं । अल्मोड़ा में एक टी० बी० क्लिनिक है, उसमें एक ही डाक्टर है । पता नहीं वह ट्रेन्ड हैं या नहीं । वहां पर करीब-करीब ८ हजार मरीज सालाना दवा लेते हैं और १०-१५-२० मील व इससे भी दूरी के टी० बी० के मरीज इलाज कराने के लिए आते हैं । क्लीनिक में मरीजों के लिये स्थान नहीं है । इतने लम्बे सफर के बाद भी उनको बेड नहीं मिल पाते हैं । यह बड़े दुख और अफसोस की बात है । मरीज दवा लेकर जाय भी तो वह कारगर नहीं हो पाती है । आने जाने में उनको बड़ा स्ट्रेन पड़ता है । इसलिये निवेदन है कि बेड बढ़ाये जायं । वहां पर तीन डाक्टरों का प्रावीजन है, उसका इंतजाम किया जाय ।

श्रीमन्, मकान के लिये रुपया मंजूर हुआ था लेकिन अभी तक पी० डब्ल्यू० डी० ने न तो एस्टीमेट बनाया और न नक्शा ही बनाया है जिससे काम रुका पड़ा है । जब क्लीनिक में दवाओं और गरीब मरीजों के लिये खूराक का प्रबन्ध नहीं हो सकता है तो जो रुपया थोड़ा उनपर खर्च किया जाता है वह भी बर्बाद होता है और लोगों की जिन्दगी भी बेकार में जाती हैं । मेरा सुझाव है कि वहां पर जिले में कुछ सैक्टर्स कायम कर दिये जायं जिनमें दवाओं का प्रबंध हो और लोग वहां पर अपनी चिकित्सा करा सकें ।

भुवाली में, जहां तक मेरी जानकारी है, सारे हिन्दुस्तान का सेनेटोरियम है और वहां पर दूर दूर से लोग इलाज कराने के लिये आते हैं । वहां पर केवल २-३ डाक्टर हैं, जिससे मरीजों को बड़ी दिक्कत है । मैं निवेदन करूंगा कि ऐसे भयंकर रोग के इलाज के लिये और रोकथाम के लिये ज्यादा से ज्यादा धन इसमें दिया जाय और जिससे इस रोग की वृद्धि न हो और मरीजों को लाभ हो । पहले यह रोग राजाओं को होता था जो राज रोग कहलाता था लेकिन जनतंत्र में सभी राजा हैं, इससे यह गरीबों पर भी असर करने लगा है । श्रीमन्, मरीजों की खूराक के लिये इमदाद और दवाओं के लिये ज्यादा से ज्यादा धनराशि का प्रबंध किया जाय । इन शब्दों के साथ मैं मन्त्री जी के इस अनुदान का समर्थन करता हूं और आशा करता हूं कि वह मेरी प्रार्थना पर ध्यान देंगे ।

श्री रामजीलाल सहायक (जिला मेरठ)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे समय दिया । यह चिकित्सा विभाग बहुत ही आवश्यक और महत्वपूर्ण विभाग है । पिछले वर्षों में इस विभाग ने काफी अच्छा काम किया है, इसलिये सरकार बधाई की पात्र है । मैं यह समझता हूं कि इस विभाग को जितना भी धन दिया जा सके उतना अच्छा है । इसलिये मैं आज इस अनुदान का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं ।

मान्यवर, एक बात यह कही गयी कि इस विभाग का विस्तार शहरों में अधिक है, देहातों में नहीं है । यह बात सही है, मुझे भी शिकायत है । मेरे क्षेत्र में लावड़ एक टाउन एरिया है जिसके १४–१५ मील चौतरफा कोई अस्पताल नहीं है । कोई महिला अस्पताल भी नहीं है ।

वहां औरतों की जिन्दगी खतरे में पड़ी रहती हैं और कुछ मर भी गयी हैं । मैं चाहता हूं कि सरकार इधर ध्यान दे । मर्दुमशुमारी के हिसाब से तय होना चाहिये कि वहां अस्पताल हो जिससे वहां के लोगों का जीवन बच सके ।

मुझे एक बात और कहनी है कि यह विभाग ऐसा है जिसका सेवा से सम्बन्ध है, आदमी की जिन्दगी से संबंध है और अन्य विभागों की तरह इस विभाग में बांट न किया जाय । यदि आयुर्वेद कहीं चला गया, स्वास्थ्य को कहीं भेज दिया गया और मेडिकल को कहीं भेज दिया गया तो बहुत गलत बात होगी क्योंकि वह अपने को जोड़ नहीं पाते और काम नहीं हो पाता ।

एक बात और । कई माननीय सदस्यों ने होम्योपैथी और आयुर्वेदिक प्रणाली के बारे में कहा । एलोपैथी अपने रूप में परिपूर्ण परिभाषा है, चली आ रही है, लोगों को उसने आकर्षित किया है इसलिये उसका प्रचार अधिक है । लेकिन आजकल जिस प्रकार सस्ती और सुलभ दवाओं की मांग है तो उसमें आयुर्वेद और होम्योपैथिक दोनों आ जाती हैं । यह बात सही है कि जितना बल और ध्यान होम्योपैथिक और आयुर्वेदिक चिकित्सा के लिये दिया जाना चाहिये नहीं दिया जाता । मेरा निवेदन है कि सरकार का ध्यान उधर जाना चाहिये । यहां एक होम्योपैथिक कालेज है लेकिन उसका भी ठीक से देखभाल नहीं है और कई बार विद्यार्थी और काम करने वाले आये और उन्होंने भी मांग की है । मंत्री जी के पास भी आये होंगे । सरकार का ध्यान उधर जाना चाहिये ।

मान्यवर, मुझे यह भी कहना है कि हम अस्पतालों का विस्तार करना चाहते हैं और रोज यहां यह बात कही जाती है कि डाक्टरों की कमी है । क्या सरकार यह कर सकती है कि मेडिकल कालेज के प्रवेश के नियमों में कुछ ढिलाई हो जाय ? जो भी देहाती क्षेत्र के बच्चे दाखिल हो उनके प्रतिशत में कुछ कमी कर दें । मान लीजिये कि ६० प्रतिशत पर लेते हैं तो देहाती क्षेत्र के बच्चे अगर ५८ या ५४ प्रतिशत नम्बर पावें तो उनको दाखिल कर लें । मैं समझता हूं कि इससे देहाती क्षेत्र के बच्चे अधिक दाखिल होंगे, शिक्षा पायेंगे और बाहर जाकर देहातों में काम कर सकेंगे । आज कई वजह से हमारे बच्चे मेडिकल कालेज से निकलकर देहातों में जाना पसन्द नहीं करते हैं । यद्यपि अब देहातों में भी कुछ सुविधायें बढ़ रही हैं, बिजली भी पहुंच रही है । इस-लिये मेरा खयाल है कि प्रवेश नियमों में कुछ ढिलाई कर दें तो हम इस बात की मांग पूरी कर सकेंगे और हमारे देहातों के लिये डाक्टर भारी मात्रा में उपलब्ध हो सकेंगे और वे देहाती क्षेत्र के होने के कारण देहात के वातावरण में काम भी अच्छा कर सकेंगे ।

हमारे पड़ोस में हजरतगंज डिस्पेंसरी है । इस हाउस में कुछ दिन पहले कहा गया था कि इस डिस्पेंसरी के ऊपर हम जो स्ट्रक्चर बना रहे हैं, वह असेम्बली के मेम्बरों के लिये रहेगा और उसमें बैडों आदि का प्रबन्ध रहेगा । किन्तु अभी तक उसमें कोई प्रबन्ध नहीं है और हम लोगों को मेडिकल कालेज या बलरामपुर अस्पताल जाना पड़ता है, किन्तु ऐसा होता है कि वहां सदस्य जाने में हिचकते हैं क्योंकि एक तो वह दूर पड़ता है, और दूसरे जो उनके साथी यहां पास होने की वजह से उनकी देखभाल कर सकते हैं वहां नहीं कर सकते हैं, इस कारण बड़ी असुविधा होती है । मैं मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि हजरतगंज डिस्पेंसरी का एक्सटेंशन किया जाय, चाहे किसी दूसरे स्थान पर हो, पर ऐसा पोरशन अवश्य बनाया जाये जिसमें जब कभी जरूरत पड़े, जब हमारा कोई विधायक बीमार पड़े वह वहां आसानी से भर्ती किया जा सके ।

यहां कुछ सदस्यों ने कहा अस्पतालों में दिन में कुछ समय डाक्टर रहते हैं, शाम को भी रहते हैं, लेकिन रात में नहीं रहते हैं, जबकि प्रायः जरूरत पड़ती है, तो इसमें रेजीडेंशल डाक्टर रखे जायं, जिनके रहने की व्यवस्था हो, तो यह जरूरत पूरी हो सकती है ।

एक बात और मैं निवेदन करना चाहता हूं । जिलों में अस्पताल परामर्शदात्री समितियां हैं और हम सभी लोग उसके मेम्बर होते हैं । उसको साल में एक २ बैठक तो बुला लेते हैं जब उनको रुपये की जरूरत होती है अन्यथा नहीं बुलाते हैं । आप उनको कुछ ऐसे आदेश दें कि यह एड-

[श्री रामजीलाल सहायक]

वाइजरी कमेटी कम से कम तीन महीने में एक बार अवश्य मिला करें । इससे कई लाभ होंगे, हम लोग अपनी मांग को लोकली पूरी करा सकेंगे । एक बात मैं और निवेदन करना चाहता हूं और वह जरूरी है कि जहां बहुत से अस्पताल सरकार ने खोले हैं, दवाओं का प्रबन्ध करती है, सरकार इस बात पर भी गौर करे, विचार करे, कि एक 'स्वास्थ्य ब्यूरो' कायम किया जाये जो ऐसा साहित्य बनायें और उसे लोगों में वितरित किया जाये, जिससे जनता को जानकारी हो कि हम कैसे अपना स्वास्थ्य अच्छा रख सकते हैं और कैसे बीमारी से बच सकते हैं । आज हजारों लाखों ऐसे लोग हैं, जिनको यह पता नहीं है कि हम कैसे स्वस्थ रह सकते हैं और बीमारी से बच सकते हैं। वह ब्यूरो बीमारियों के बारे में शोध कार्य भी करे। इससे लोगों में प्रचार भी होगा और इस प्रकार से बीमारियों से बचने में भी हमारा लाभ होगा । हमारे यहां कैंसर की भयंकर बीमारी भी बढ़ती चली जा रही है, मेरी जानकारी में इसके लिये यहां कोई इंतजाम नहीं है, शायद बम्बई में है.....

श्री उपाध्यक्ष—

कानपुर में है ।

श्री रामजीलाल सहायक—

यहां भी इसके लिये अच्छा इंतजाम होना चाहिये और अस्पताल इसके लिये खुलने चाहिये। और इस प्रकार टी० बी० के लिये जैसा पहाड़ पर भुवाली सेनेटोरियम ऐसे केन्द्र हैं वह यहां भी खोली जायं और वह और बढ़ायें जायं तो ज्यादा उपयुक्त होगा। इन शब्दों के साथ मैं अनुदान का समर्थन करता हूं ।

श्री जगन्नाथसिंह (जिला फतेहपुर)—

आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको समय देने के लिये धन्यवाद देता हूं । मैं बहुत थोड़ी सी बातें कहना चाहता हूं । पहली बात तो यह है कि सभी कुछ सदस्यों ने कहा कि हमारे यहां अस्पतालों में डाक्टरों की कमी है, लेकिन विभाग इस बारे में मजबूर था । वह मिलते होते तो अस्पताल क्यों खाली रक्खे जाते? वह उपलब्ध ही नहीं हो रहे हैं । दूसरी बात यह है कि मेडिकल डाक्टरों में एक कम्पीटीशन चल रहा है—प्राइवेट और सरकारी डाक्टरों में । प्राइवेट डाक्टरों की तरफ लोगों का ज्यादा रुझान है । तो मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि ऐसा इन्तजाम किया जाय कि सरकार को डाक्टर मिल सकें और दूसरे प्राइवेट प्रैक्टिस की तरफ डाक्टर कम जायें । यह तभी हो सकता है जब डाक्टरों को यहां आने में ज्यादा लाभ मिले, ज्यादा उचित सुविधायें मिलें । दूसरी बात जिस तरफ सरकार भी कोशिश कर रही है लीगल-मडको भ्रष्टाचार काफी बढ़ रहा है, उस पर सरकार को पूरा पूरा ध्यान देना चाहिये । तीसरी बात यह है कि काफी-काफी समय तक कम्पाउन्डर एक स्थान पर डाक्टरों की जगह पर रहते हैं जोकि गलत है । इसके कारण वह पुराने हो जाने पर गलत लाभ उठाते हैं और दवाओं को बाजार में बेचते हैं । इसलिये तीन साल में उनका स्थानान्तरण अवश्य होना चाहिये । इसलिये उनको अधिक दिन के लिये अस्पताल का चार्ज न दिया जाय ।

आयुर्वेदिक ग्रेजुएट के रखने में कोई रुकावट नहीं है । इसलिये जो अभी २, ४ रोज हुये अखबारों में निकला है, सही है । मंत्री जी ने यह सोचा है कि जो आयुर्वेदिक कालेज के ग्रेजुएट हैं उनको खाली जगह में रखेंगे। यह अच्छा सुझाव है और यह कम्पाउन्डरों से तो बेहतर ही रहेंगे ।

इन दो सुझावों के बाद मैं अपने जिले की बात कहना चाहता हूं । मेरे जिले में जो जिला अस्पताल है उसकी वही हालत है जो आज से २५ वर्ष पहले थी । वहां न मरीजों के ठहरने की जगह बढ़ी है और न किसी तरह से कोई ग्रान्ट ही बढ़ी है । नतीजा यह है कि वहां पर जाड़े के दिनों में मरीज

नीम के पेड़ के नीचे और बाहर मैदान में पड़े रहते हैं। दवाइयों की कमी भी अस्पताल में रहती है। वह काफी पर्याप्त नहीं रहती है। इसलिये मेरी प्रार्थना है कि मंत्री जी हमारे जिले की भी और जिलों के मुकाबले में उसी अनुपात से ग्रान्ट प्रदान करने की कृपा करें।

दूसरी बात यह है कि हमारे यहां पंडित मदन मोहन मालवीय आई अस्पताल बहुत दिनों से बन रहा है। गवर्नमेंट की कुछ शर्तें थीं जिनको पूरा कर दिया गया लेकिन आज तक उसका प्रान्तीयकरण नहीं हुआ है। नतीजा यह है कि कई लाख की इमारत का पूर्णरूपेण प्रयोग नहीं होती वहां पर पैसे की कमी की वजह से पब्लिक की फायदा नहीं हो रहा है गोकि पेपर्स प्रान्तीयकरण के सम्बन्ध में सब पूरे कर दिये गये हैं और जो शर्तें थीं उनको भी पूरा कर दिया गया, फिर भी अभी कुछ नहीं हो सका है जिसकी वजह से हमारे जिले में एक बहुत बड़ी कमी है। हमारे जिले में सिर्फ एक औरतों का अस्पताल है। उसमें भी ज्यादा से ज्यादा ५-६ बेड की जगह है, बाकी मैदान में पड़ी रहती हैं, इसलिये वहां पर बिल्डिंग की जरूरत है। बिन्दकी के एक सज्जन ने एक बिल्डिंग बनाकर तैयार कर दी हैं। उसने सरकार को भी लिख कर दे दिया है कि सरकार स्त्रियों के लिये उसमें अस्पताल खोल दे। मेरा खयाल है कि सरकार यदि उसको अपने हाथ में ले लें तो बहुत आसानी से उसमें अस्पताल चल सकता है।

एक बात होम्योपैथी के विषय में कहना है। जिन जगहों पर होम्योपैथिक अस्पताल खुले हुये हैं उनके लिये इस बात का प्रबन्ध किया जाय कि उनके डाक्टरों को तनख्वाह ठीक समय पर पहुंच जाय। मेरे पास कई पत्र इस तरह के आये हैं जिनमें लिखा है कि अनेक डाक्टरों को ९–१० महीने से तनख्वाह नहीं मिली है और कम्पाउन्डर तो डाक्टर को मारने को तैयार हैं। हम मारे-मारे फिरते हैं। यह कई जिलों की बात है। इन चिट्ठियों को मंत्री जी के पास में भेज दूंगा। मेरी मंत्री जी से प्रार्थना है कि जो सुझाव मैंने दिये हैं उन पर मंत्री जी विचार करने की कृपा करें।

श्री छेदालाल चौधरी (जिला खीरी)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे माननीय स्वास्थ्य मंत्री द्वारा प्रस्तुत अनुदान का समर्थन करने के लिये अवसर प्रदान किया। हमारे माननीय सदस्यों ने, अधिकतर जितने भी यहां बोले, सब की राय है कि जो अनुदान पेश हुआ है और उस अनुदान में जो धनराशि मांगी गई है उससे ज्यादा दी जाय तो कोई एतराज नहीं है क्योंकि हमारे देश के अन्दर दवाओं के लिये जितना धन मिलता है वह कम है। गरीब देश में रोटी न मिले, कपड़ा न मिले, शिक्षा न मिले लेकिन दवा मिलना आवश्यक है।

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का ध्यान डाक्टरों के कर्त्तव्य की ओर आकर्षित करना चाहता हूं जिनका ज्यादातर ताल्लुक जिले में जन जीवन की फौजदारी के मुकदमें से रहा करता है। जब किसी के चोट लगती है या कहीं पर हत्या हो जाती है तो उसमें मुकदमा कायम होता हैं। जब उसका मेडिकल इक्जामिनेशन होता है उसमें अधिकांश डाक्टर ऐसे गैरजिम्मेवार हैं कि वे गलत बात वहां पर लिख देते हैं जिसकी वजह से पूरे मुकदमें पर असर पड़ता है और जो गरीब मर जाता है जिसकी हत्या होती है उसके अपराधी को सजा नहीं मिल पाती है।

लखीमपुर जिले में मैं आपको उदाहरण के रूप में बता सकता हूं। आप कहेंगे कि शहादत उसमें नहीं है, शहादत तो जब एक मुआयना होता है लाश का तो चोट गायब हो जाती है। तो शहादत तो नहीं मिलेगी। मुहम्मदी में एक व्यक्ति दीनदयाल को मूसलों से मारा गया और मुआयने में शहादत खत्म कर दी गयी, मामला खत्म कर दिया गया। मैगलगंज में एक मगरे हरिजन की हत्या हो गयी। उसका मुआयना लिया गया, जुडीश्यल इंक्वायरी भी खत्म हो गयी। गोला के अन्दर युवती अबला के साथ बलात्कार किया गया। जब वह रजामन्द नहीं हुई तो उसकी हत्या की गयी और मुकदमा खत्म कर दिया गया। ऐसे केसेज जब मेडिकल अफसर के पास आते हैं तो उनमें शासन को सावधानी बरतनी चाहिए। आज जनता में जब यह आम धारणा बन जाती है कि कुछ हो नहीं सकता है एक पैसे वाले जबरदस्त आदमी का तो एक अविश्वास सा होता है।

[श्री छेदालाल चौधरी]

मेरे पहले माननीय सदस्य पं० रामभजन शर्मा ने शासन का ध्यान इस ओर खींचा है कि गोला एक महत्वपूर्ण स्थान है, वहां पर म्युनिसिपैलिटी है और काफी आबादी बढ़ चुकी है। जिला परिषद् का अस्पताल है, उसका प्रान्तीयकरण कर दीजिये और अपने अधीन उसे ले लीजिये। मैं यह भी चाहता हूं कि खीरी जिले में परगना कुकरा में मैलानी है। भीरा एक जगह है वहां डाक्टर नहीं रहा करता, वहां डाक्टर रहे। मैलानी के इलाके में २०-२० मील तक चारों तरफ कोई भी दवा का इन्तजाम नहीं है। रेलवे जंक्शन है और काफी आबादी है, एक अस्पताल की वहां जरूरत है। वहां एक अस्पताल अवश्य खोला जाय।

इसके अतिरिक्त मैं शासन का ध्यान आपके माध्यम से टी० बी० रोग से पीड़ित हरिजनों की ओर दिलाना चाहता हूं। आर्थिक सहायता तो दी जाती है, लेकिन उसके देने का तरीका इतना गलत है कि मरीज की मृत्यु के बाद सहायता मिलती है। तो जहां तक संभव हो सके सहायता जल्दी दी जाय। लखीमपुर हास्पिटल में मरीजों के मुताबिक दवाएं अनुपात में बहुत कम दी जाती हैं। मरीजों की तादाद बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, इसलिए जो एड दी जाती है उसकी तादाद बढ़ाई जाय। ऐसे मामले पड़ते हैं कि टिटनेस या कैंसर वगैरह के मरीजों में गरीब की तो मौत ही हो जाती है। दवाएं ऐसे रोगों की कीमती पड़ती हैं, फौरन जरूरत पड़ती है, फौरन इलाज होना चाहिए, लेकिन दवाएं अस्पताल में नहीं मिलतीं तो परशानी हो जाती है। ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि जिनके पास पैसा है, वह तो व्यवस्था कर सकते हैं या बाजार से खरीद सकते हैं, लेकिन गरीबों के लिए अवश्य अस्पतालों में विशेष व्यवस्था होनी चाहिए।

हमारे जिले में सिविल सर्जन ४ साल से बने हुए हैं। यह देखा गया है कि जब एक अफसर ४ साल से अधिक किसी स्थान पर रहता है तो वह गुटबन्दी में पड़ने लगता है। वह सुपरिन्टेन्डेंट जेल भी हैं। जेल में जो सप्लाई होती है उसमें काफी मिलावट रहती है और हजारों कैदियों के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है। एक शख्स को उन्होंने सर्टिफिकेट दिया तो जब इंश्योरेंस की पालिसी लेनी थी तो कम उम्र दिखा दी और जब एलेक्शन लड़ना हुआ तो अपने आप उम्र काफी बढ़ा दी। सिविल सर्जन एक जिम्मेदार अधिकारी है। यह मुनासिब नहीं है कि वह जब चाहे जैसा सर्टिफिकेट किसी को दे दे। उनको ४ साल वहां हो चुके हैं, अब वहां से हटाने की कोशिश की जाय।

इन शब्दों के साथ मैं इस अनुदान का समर्थन करता हूं।

*श्री बैजनाथसिंह वैद्य (जिला सुल्तानपुर)---

उपाध्यक्ष महोदय, माननीय स्वास्थ्य मंत्री ने जो अनुदान पेश किया है, मैं उसके समर्थन में खड़ा हुआ हूं। श्रीमन्, यह ऐसा विभाग है जिसका समाज के अन्दर सबसे ऊंचा स्थान है। हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी एक प्रैक्टिकल इन्सान हैं और उनका अच्छा खासा स्वास्थ्य भी है। जब से आये हैं उन्होंने कोशिश की कि इस विभाग को अधिक से अधिक स्वस्थ बनावें और इस प्रयत्न में उनको सफलता भी प्राप्त हुई है। इसलिए मैं उनको बधाई देता हूं।

श्रीमन्, उत्तर प्रदेश में अनेक ऐसे डाक्टर हैं जो पूजा करने के लायक हैं। उनके देखने से मरीजों का मर्ज आधा हो जाता है, लेकिन उनमें कुछ ऐसे कलंकित व्यक्ति भी हैं जिनके देखने से स्वस्थ आदमी भी अस्वस्थ हो जाता है। मंत्री जी मेरे संकेत को समझ गये होंगे और मुझे पूरा पूरा भरोसा है कि जो हमारे स्वास्थ्य विभाग में एक कलंक है उसको दूर करने की विशेष तौर से कृपा करेंगे।

श्रीमन्, इस युग में एलोपैथिक पद्धति इस वक्त छोटे-बड़ों में एक बड़ा ऊंचा स्थान प्राप्त कर चुकी है। देश की आयुर्वेदिक पद्धति जो रही वह आज किस्सा कहानी के रूप में सामने

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

आती है । यहां के बड़े-बड़े वैद्यों ने ऐसी-ऐसी मिसालें कायम की हैं जिनके बारे में आज बात की जाय तो कहा जाता है कि दन्तकथाएं हैं । जिस प्रकार से हवाई जहाज के आविष्कार के पहले जब रामायण और महाभारत की कथाओं में वर्णित वायुयानों और उड़न खटोले का जिक्र किया जाता था तो वह भी दन्त-कथा ही मालूम होती थी, लेकिन आज वही बातें प्रत्यक्ष जब सामने आ गयीं तो सब को विश्वास हो गया । तो हमारे देश की गुलामी के साथ जो आयुर्वेदिक पद्धति थी उस का भी नाश हुआ, आज लोग उस का मजाक उड़ाते हैं । लेकिन जो पुरानी किताबें हैं, समय नहीं है कि आज उन्हें कोई देखे और समझे, वरना हम इस नतीजे पर पहुंचेंगे कि उनके अन्दर वह सारी चीजें मौजूद हैं जो एलोपैथिक, होम्योपैथिक और अनेक पद्धतियों में किसी तरीके से पायी नहीं जा सकती हैं । परन्तु वह लुप्त हो चुकी हैं और जिस प्रकार से भारतवर्ष का समाज विकसित होगा उसी प्रकार से आयुर्वेदिक पद्धति और औषधियां भी ऊंची उठेंगी ।

सुल्तानपुर के बारे में मैं मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा । सुल्तानपुर टी० बी० सेंटर है उत्तर प्रदेश का । टी० बी० रोग से पीड़ित कैदी सुल्तानपुर जेल में रखे जाते हैं । श्रीमन्, सल्तानपुर जिले में टी० बी० के मरीजों की संख्या बढ़ती चली जा रही है । उत्तर प्रदेश भर के तमाम कैदी वहां रखे जाते हैं । डाक्टरों की राय है कि एक दो स्ट्रेप्टोमाइसीन के इन्जेक्शन लगा देने से उस बीमारी का असर दूसरों पर नहीं होता । लेकिन फिर भी यह एक प्रकार की छुआछूत की बीमारी है और यह फैलती ही है । दूध आदि जिस तरह से तकसीम होता है उससे भी यह बीमारी फैलती है । इसलिये मैं माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि इस बीमारी की रोकथाम के लिये वहां पर विशेष प्रबन्ध किया जाय ।

श्रीमन्, मैं इस विचार का हूं कि डाक्टर अगर चरित्रवान है तो उसके चरित्र का अच्छा असर मरीज पर पड़ता है । हमारे प्रदेश में एक से एक अच्छे डाक्टर मौजूद हैं, और खराब भी हैं । हमारे यहां, लखनऊ के सिविल हास्पिटल में ही एक डाक्टर विष्णुदेव मिश्रा हैं । यद्यपि उनके बारे में कुछ कहना व्यक्तिगत प्रशंसा होगी, किन्तु मैं इतना जरूर कह देना चाहता हूं कि वे ऐसी ख्याति के डाक्टर हैं कि लोग सैकड़ों की तादाद में, स्त्री और पुरुष, उनके सामने लाइन लगाए रहते हैं और उनके इलाज से उनको बड़ा फायदा होता है । डाक्टर मिश्रा वह डाक्टर हैं जिनके नब्ज छू देने से ही मरीज का मर्ज अच्छा हो जाता है । वे अन्य प्रकार की हथकन्डेबाजी से दूर रहते हैं । बहुत योग्य डाक्टर हैं । मैं चाहता हूं जो भी हथकन्डेबाज लोग इस विभाग में हैं, जल्दी से जल्दी सरकार उनको काट छांट कर बराबर करें ।

मैं जानता हूं माननीय मंत्री जी अपने विभाग को बहुत शुद्ध करना चाहते हैं और इसी प्रयत्न में रहते हैं कि जो भी कमियां हों उनको दूर किया जाय । एक सुझाव मैं उनके सामने रखना चाहता हूं । पंसारियों के यहां जो आयुर्वेदिक औषधियां मिलती हैं वे बहुत पुरानी और ८-१० वर्ष तक की होती हैं । आप अधिकारियों को ऐसे इन्सट्रक्शन्स दें कि वे बाजारों में जहां यह औषधियां बिकती हैं वहां देखें कि दवायें बहुत पुरानी न हों । जहां भी पुरानी दवायें मिलें उनको वे फिकवा दें । पुरानी दवायें असर नहीं करतीं और इस कारण वैद्य लोग बदनाम होते हैं । यह औषधियां एक साल बाद खराब हो जाती हैं और उनका असर खत्म हो जाता है । उनमें शक्ति नहीं रहती । अगर ताजी दवायें मिला करें तो उनका असर हो और वैद्यों की प्रशंसा भी हो । यह बड़ी अच्छी बात है कि आज, पहाड़ों पर, जहां जो औषधियां पैदा होती हैं, उनको वहां पैदा किया जा रहा है । इस बात का भी आज प्रयत्न किया जा रहा है कि ऐसी औषधियां लोगों को उपलब्ध हों और वैद्य अपने कार्य में सफल हों । इन शब्दों के साथ में इस अनुदान का समर्थन करता हूं ।

(श्री वीरसेन का नाम पुकारे जाने पर)

श्री गिरधारीलाल (जिला वाराणसी)---

मुझे एक बात आप से निवेदन करनी है, बड़े नम्र शब्दों में, करीब-करीब इस सेशन भर में कई बार मैं खड़ा हुआ, लेकिन निहायत अदब के साथ हमें कहना पड़ता है, क्यों काशी को इस प्रकार से उपेक्षा की दृष्टि से देखा जा रहा है, क्या कारण है ?

श्री उपाध्यक्ष—

नहीं, देखिए उपेक्षा की दृष्टि किसी के साथ नहीं है।

श्री गिरधारीलाल—

उपेक्षा का यह भाव हम लोगों के मन में निहायत असन्तोष पैदा कर रहा है।

श्री उपाध्यक्ष—

अगर असन्तोष पैदा कर रहा है, तो उसका मेरे पास कोई इलाज नहीं है, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि उपेक्षा किसी के साथ नहीं है।

एक सदस्य—

बराबर जो लोग बोलते हैं, वही आज भी बोल रहे हैं। मैंने पहले भी कहा, कई बार खड़ा हुआ और आज भी कई बार खड़ा हुआ, लेकिन आपने समय नहीं दिया।

श्री उपाध्यक्ष—

अच्छा आप बिराजें।

*श्री वीरसेन (जिला मेरठ)—

मैं तो माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं कि जब से बजट सेशन शुरू हुआ है, मैं दूसरी बार आज खड़ा हुआ हूं। उपाध्यक्ष महोदय, समय वैसे ही बहुत कम है, एक, डेढ़ मिनट इसमें खराब हो गया है, तो आप कृपा करके उसे उसमें से काट दें।

यह विभाग सेवा का विभाग है, और मैं समझता हूं कि इसमें तारीफ की गुंजाइश है, लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, समय इतना कम आपने दिया है कि तारीफ करने लगूं तो सारा समय तारीफ में ही लग जायगा, इसलिये मुझे जो सुझाव देने हैं वही मैं दूंगा, और मैं समझता हूं कि वह भी मैं सूत्र की भाषा में ही दे सकूंगा।

सबसे पहली बात मैं यह कहना चाहता हूं कि यह विभाग सेवा का विभाग है और सारे के सारे विभाग का सम्बन्ध डाक्टरों से है। लेकिन मैं इस बात को बड़े अदब के साथ कहना चाहता हूं कि इस विभाग से वह सेवा की भावना करीब-करीब खत्म हो रही है और अगर मैं सख्त शब्दों में कहूं, तो शाइलाकियन टेंडेंसी घर करती जा रही है। पैसे के पीछे दौड़ना ही एकमात्र उद्देश्य उनका हो गया है। सरकारी अस्पतालों को उसके लिये केवल एक सीढ़ीमात्र समझा जाता है और प्राइवेट प्रैक्टिस की तरफ ज्यादा ध्यान रहता है। अगर किसी को अस्पताल में दवा करानी है, तो वह डाक्टर के घर अगर पहुंच जाय, और फीस दे दे, तो सब तरह की सुविधा और इलाज अस्पताल में उसे मिल जायगी। माननीय मंत्री जी को इसके ऊपर विशेष रूप से गौर करना चाहिए और मेरी निगाह में इसका कोई इलाज नहीं है, सिवाय इसके कि जो डाक्टर्स हैं, उनकी प्राइवेट प्रैक्टिस बिलकुल बन्द कर दें, उसके लिए चाहें आपको उनकी तनख्वाह ज्याद करनी पड़े लेकिन उसके सिवाय और कोई इलाज नहीं है।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि इस बात की आम तौर से शिकायत है कि हमारे अस्पतालों में डाक्टर्स नहीं हैं। बहुत से अस्पताल ऐसे हैं, जहां पर कम्पाउन्डर्स ही दवा दिया करते हैं। इस कमी को पूरा करने के लिए मेडिकल कालेज वगैरह खोलने की बात कही जाती है। मैं समझता हूं इसके दो कारण—एक तो यह कि इस विभाग में एलोपथी की तरफ बहुत ही ज्यादा खयाल है और डोमिनेशन एलोपथिक डाक्टस का है, इसलिए वे समझते हैं कि कोई और चिकित्सा प्रणाली इसके अलावा चर्चा के लायक है ही नहीं। नतीजा यह होता है कि उनको कोई प्रश्रय इस प्रदेश में मिलता नहीं है। आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति से काफी सस्ता इलाज हो सकता है, लेकिन उसको रिजेक्ट करके विदेशी चिकित्सा प्रणाली को प्रश्रय दिया जाता है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

यह ग़लत चीज़ है। होमियोपैथिक की भी यही दशा है। उसके बारे में यह निश्चित रूप से कहा जाता है कि सबसे सस्ता इलाज वह है, लेकिन उसके ऊपर कोई गौर नहीं होता। मैं इस राय का हूं कि अगर विभाग कुछ कल्पना से काम ले, इमेंजिनेशन रखे तो समस्या हल हो सकती है, और उसके लिए मैं यह सुझाव देता हूं कि आयुर्वेदिक और होमियोपैथिक वगैरह के लिए माननीय मंत्री जी कुछ ऐसे प्राइवेट एक्जामिनेशन्स की व्यवस्था करें कि जो लोग दो साल में स्टडी करके स्टेट की तरफ से उस परीक्षा को पास कर लें, उनको आप अस्पतालों में जगह दें। इसी तरह से और दूसरी चिकित्सा पद्धति जो है, तिब वगैरह उसको भी उतनी ही मर्यादा दें, जितनी कि एलोपैथिक चिकित्सा प्रणाली को दी जाती है।

तीसरी बात, मरीजों को इस बात की जरूरत नहीं है कि उनका एलोपैथिक इलाज ही होना चाहिए, मरीजों को अगर एलोपैथिक इलाज नहीं मिलता है, तो आयुर्वेदिक मिले, होमियोपैथिक मिले या तिबी मिले। आप इस बात के ऊपर जोर देना छोड़ दें कि एलोपैथिक प्रणाली ही ज्यादा चले। दूसरी प्रणाली को भी स्टेट की तरफ से प्रोत्साहन मिलना चाहिए और अगर प्राइवेट तरीके पर पढ़ाया जा सके या उसके स्कूल खोले जा सकें तो खोले जाने चाहिए। एक बात और अर्ज करना चाहता हूं कि कुछ ऐसे नियम आपने बना रखे हैं कि धारा ५० के अन्तर्गत जो आपने ५ साल की एक्सपीरियंस की सर्टिफिकेट जमा कर दें, उनका रजिस्ट्रेशन हो जाता है। यह प्रणाली बन्द करना चाहिए और जो पढ़ कर डिप्लोमा प्राप्त कर लें, उनको ही केवल प्रेक्टिस करने की इजाजत देना चाहिए। मरीजों को अनाड़ी वैद्यों या डाक्टरों के हवाले कर देना उनके साथ अन्याय है।

सरकारी अस्पतालों की बहुत-सी शिकायतें होती हैं। पहली शिकायत यह है कि मरीज जब तक पैसा नहीं देता है, उसका इलाज अच्छी तरह से नहीं होता ह, न तो उसको दवा दी जाती है, न उसको जो सरकारी दवाखाना है, उससे कोई सुविधा दी जाती है। अक्सर यह होता ह कि मरीजों को कह दिया जाता है कि बाहर से दवा लाओ और जगह-जगह इसके लिए दूकानें अस्पताल के सामने खुली हुई हैं। लाला लाजपतराय अस्पताल के सामने बीसों दूकानें लगी हुई हैं, जिसमें डाक्टर लोग लिख कर दे देते हैं कि दवा वहां से खरीद लो और उनको वहां से कमीशन मिला करता है। साथ ही सरकारी अस्पतालों की दवाइयां भी वहीं चली जाती हैं। मुझे व्यक्तिगत जानकारी है कि इन दूकानों पर फिजिशियन्स सेम्पुल जिन पर नाट फार सेल लिखा हुआ होता है, वह भी बिका करती हैं। मैं समझता हूं माननीय मंत्री जी को इसका इलाज करना चाहिए।

मैं एडल्टरेशन के बारे में कहना चाहता हूं। मैं इस बात से मुत्तफिक हूं कि माननीय सदस्य ने कहा कि जितने प्रासीक्यूशन्स होते हैं, वह बहुत ही छोटे छोटे लोगों के होते हैं। सेनिटरी इन्सपेक्टर्स के पैसे बंधे हुए होते हैं, दूध वालों से भी बंधे होते हैं, उसमें यदि किसी से मामला कुछ गड़बड़ हो गया, बस उसका चालान हो जाता है। इसका इलाज इस तरीके से नहीं हो सकता। आप इस बात की जानकारी करें कि वह कैसे-कैसे लोगों का चालान करते हैं? दूसरे, मेडिसिन वगैरह या अन्य खाद्य पदार्थों में जो मिलावट करते हैं,उसको भी आपको देखना चाहिए। यहां पर बहुत अर्से से इस बात की चर्चा है कि घी में जो डालडा वगैरह बनस्पती घी मिला देते हैं उसको रंग दिया जाय। मुझे पता नहीं है कि कोई साइंटिस्ट ऐसा है अपने देश में जो ऐसा रंग निकाल सकें।

श्री उपाध्यक्ष—

नहीं है।

श्री वीरसेन—

अगर नहीं है, तो हमारे देश के लिए बड़े शर्म की बात है।

श्री उपाध्यक्ष—

देश में ही नहीं, कहीं भी नहीं है।

श्री वीरसेन---

बहरहाल पिछले दिनों अखबार में मैंने पढ़ा था कि इसको रोका जा सकता है, लेकिन अगर नहीं रोका जा सकता है, तो डालडा या बनस्पति घी का बिलकुल बहिष्कार करना चाहिए और इसका प्रोडक्शन बन्द करना चाहिए।

आज डाक्टर्स की कमी देहातों में है, लेकिन मैं चाहता हूं कि इलाज के लिए आप ऐसी स्कीम बना दें जिसे कि कंट्रीव्युटरी हैल्थ स्कीम कह सकते हैं, तो उससे यह समस्या बहुत कुछ हल हो सकती है । वह इस प्रकार कि डाक्टर जो पढ़ कर निकलते हैं, उनके साथ आप ऐसा कंट्रेक्ट रखें कि ५ साल तक स्टेट की सर्विस करनी पड़ेगी और ५ साल में जहां पर रखे जायं वहां वह रहें। उनकी इन्कम के लिए १ हजार फेमिली एक डाक्टर के पीछे लगा दें और ४ आने महीने उनसे वह उसूल करें। इससे आपका खर्च भी निकल सकता है और दवाइयों का भी खर्च निकल सकता है।

तीसरी बात मैं टी० बी० पेशेन्ट्स के बारे में कहना चाहता हूं। टी० बी० पेशेन्ट्स के लिए आपने स्कीम बनाई है, उनके घर पर इलाज हो, लेकिन इस तरह से उनका इलाज नहीं हो पाता है। यह उनको घर भेजने का बहाना मात्र है। उनको कोई दवा नहीं मिलती है। वह सब की सब दवाइयां मारकेट में चली जाती हैं। तो इसके लिए आप टी० बी० अस्पतालों में यह व्यवस्था करें कि जिनकी आमदनी कम है, उन्हें उस क्लिनिक में भर्ती किया जाय और बाकी के लिए कोई ऐसा जरिया निकालना चाहिए जिसमें उनको दवाइयां बाकायदा मिलती रहें। दूसरी बात जहां पर आपके टी० बी० क्लिनिक्स हों वहां पर लोकल आदमियों को आप भर्ती न करें ताकि बाहर के जो लोग रहने वाले हैं, उनको वहां आकर थोड़ी-सी सुविधाएं मिल जायं, वरना वहां के जो इनफ्लुएंशियल लोग हैं, या जो पैसा दे सकते हैं, उन्हीं को भर्ती कर लिया जाता है। तो ये सारी समस्या में इस विभाग की हैं, जिनका हल होना बहुत जरूरी है ।

एक बात आखिर में मैं यह कहना चाहता हूं कि इस लखनऊ में मेडिकल कालेज है, इसमें हास्पिटल्स हैं। लेकिन मुझे ऐसा महसूस होता है कि डाक्टर्स की कमी है। रात को डाक्टर्स मिलना मुश्किल है। एक तजुर्बा मिश्र जी ने जिक्र किया और मेरा व्यक्तिगत भी है कि मेरे पिता जी को हार्ट अटैक रात को दस बजे हुआ। कई बार टेलीफोन करने पर भी आठ बजे सुबह तक मेडिकल एड नहीं मिली बलरामपुर हास्पिटल में। इसी प्रकार हमारे माननीय सदस्य श्री शिवप्रसाद जी मर गये। उनको भी कोई मेडिकल एड नहीं मिली। सिविल डिस्पेन्सरी से एम्बुलेंस का इन्तजाम नहीं हो सका तो वे रिक्शा में बैठ कर गये, १०-१५ मिनट में वहां जाकर मर गये। लखनऊ में जो गवर्नमेंट सेन्टर है, मेडिकल डिपार्टमेंट का हेडक्वार्टर है, वहां पर ही डाक्टर नहीं मिलते हैं यह बड़े शर्म की बात है। मैं इन शब्दों के साथ चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी गौर करें।

श्री गिरधारीलाल (वाराणसी---

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको धन्यवाद देता हूं, लेकिन साथ ही साथ मैं यह जरूर कहूंगा कि जो जोर जबरदस्ती करने का साहस नहीं करेगा उसको कोई मौका बोलने का नहीं मिलेगा।

श्री उपाध्यक्ष---

यह आपका खयाल गलत है । इस तरह से किसी को मौका नहीं मिलेगा । मैंने आज उन लोगों को बुलवाया है जो नहीं बोले हैं।

श्री गिरधारीलाल (वाराणसी)---

मैं कह सकता हूं कि कुछ दिन पूर्व पंडित बृजबिहारी मिश्र, जो सदन के मनोनीत सदस्य हैं, वे भी एक बार उठे और आप तक गये परन्तु आपने कहा कि बंशीधर पांडेय से कहें तब समय मिलेगा ।

श्री उपाध्यक्ष—

यहां ऐसी बात नहीं चलती। आप कभी बृजबिहारी मिश्र की सिफारिश करते हैं और कभी किसी की, यह गलत है।

श्री गिरधारीलाल (वाराणसी)—

श्रीमन्, मैं आज जो अनुदान उपस्थित है उसका पूर्णतया समर्थन करता हूं और कहता हूं कि हमारे प्रदेश के बजट में जिस तेजी के साथ,जिस अनुपात में आय बढ़ी है उसी अनुपात में चिकित्सा एवं सार्वजनिक स्वास्थ्य के सम्बन्ध में खर्च नहीं बढ़ाया गया है। प्रदेश की आबादी के अनुपात में इसके खर्चे में कोई वृद्धि नहीं की गई है। जिस अनुपात के साथ आय बढ़ रही है इस प्रदेश की, उसी अनुपात में चिकित्सा पर भी व्यय करना चाहिये। जैसा कि हमारे माननीय मंत्री महोदय ने चिकित्सा प्रणालियों का जिक्र किया, मुझे दुःख है इस बात का कि आज एलोपैथी चिकित्सा प्रणाली पर बहुत जोर दिया जा रहा है और उसके लिये काफी प्रयत्न और खर्चा भी किया जा रहा है, लेकिन हमारे प्रदेश की और हमारे देश की जो प्राचीन आयुर्वेदिक शिक्षा प्रणाली रही है जिस शिक्षा प्रणाली में हजारों वर्षों की गुलामी के बाद और आक्रमण के बाद भी अस्तित्व बना रहा उसकी वैज्ञानिकता सारे संसार में सिद्ध होती रही, लेकिन स्वराज्य हो जाने के बाद भी हम उससे उदासीन हैं। अंग्रेजों के जमाने में भी इस चिकित्सा प्रणाली का अस्तित्व बना हुआ था लेकिन इन १७ सालों में इस चिकित्सा प्रणाली के लिये कुछ तवज्जह नहीं दी गयी है। काशी ऐसा स्थान है जहां आज से ३०-४० साल पहले कुछ ऐसे वैद्य थे जिनके जोड़ का और कोई दूसरा था नहीं। मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि वह यथासंभव इस ओर ध्यान दें अन्यथा जैसी तेजी के साथ दुनिया बीत रही है, अगर यही उपेक्षा इस ओर बरती गयी तो ऐसे वैद्य दृष्टिगोचर नहीं होंगे। उनके पास जो जानकारी है वह भी आप प्राप्त नहीं कर पायेंगे। ये थोड़े से लोग काशी और दूसरे स्थानों पर अब भी हैं, उनके मौजूद रहने का फायदा हमको उठाना चाहिये।

मैं बहुत दिनों से सुन रहा था कि प्राचीन ढंग की पढ़ाई संस्कृत विश्वविद्यालय में होगी। वहां एक विभाग खोला जायगा। लेकिन आज सदन में मालूम हुआ कि उसके लिये केवल ५ लाख रुपया ही रखा गया है। इतने थोड़े से धन से इतने बड़े शिक्षा शास्त्र का पुनर्जीवन कैसे हो सकता है? इसके साथ ही साथ मैं यह भी चाहता हूं कि औषधि अनुसन्धान और औषधि निर्माण पर भी बल दिया जाना चाहिये। मेरा अनुभव है कि जिस प्रकार की औषधियां आज बाजार में उपलब्ध हैं उनकी तुलना पुराने वैद्यों के यहां उपलब्ध औषधियां से की जाय तो वैद्यों की औषधियां बहुत अधिक असर करने वाली हैं। मैं मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि यथा-शीघ्र और अधिक से अधिक संख्या में रुपया खर्च कर के संस्कृत विश्वविद्यालय में प्राचीन शिक्षा प्रणाली के द्वारा इस शिक्षा को पुनर्जीवित करने की कृपा करें।

इसके साथ ही साथ होमियोपैथिक शिक्षा प्रणाली के बारे में मैं यह कहना चाहूंगा कि यह ऐसी शिक्षा प्रणाली है जो बहुत सस्ती है और लाखों के मूल्य का काम करती है। मैं यह नहीं कहता कि एलोपैथिक शिक्षा प्रणाली ठीक नहीं है, लेकिन होमियोपैथिक औषधियां बहुत शीघ्र असर करने वाली हैं। हमारे यहां लखनऊ में एक होमियोपैथिक कालेज है जो सरकार की तरफ से उपेक्षित सा है। उसकी कोई अपनी बिल्डिंग नहीं है। ऐसी शिक्षा प्रणाली की ओर ध्यान न देना सार्वजनिक स्वास्थ्य की दृष्टि से भी उचित नहीं है। यह बहुत सस्ती शिक्षा प्रणाली है। इससे बहुत से गरीब लोगों का लाभ हो सकता है।

हमारे बनारस में स्त्री चिकित्सा के लिये आज से करीब-करीब ६० साल पहले एक स्त्री चिकित्सालय खोला गया था। सोचिये कि आज से ६० साल पहले जिस अस्पताल की स्थापना हुई, आज वही अस्पताल चलता हो तो उसमें कहां स्थान प्राप्त हो जायगा? आबादी इतनी तेजी के साथ बढ़ी है तो वहां का दृश्य यह है कि पटरियों पर, गलियों में,मार्गों में बेचारी स्त्रियां बिलखती रहती हैं और उनकी तरफ कोई ध्यान देने वाला नहीं है। इसलिये मैं मंत्री जी से

[श्री गिरधारीलाल (वाराणसी)]

कहना चाहता हूं कि काशी ऐसी जगह पर जहां की आबादी शहर की ७ लाख है तथा जिले की १४, १५ लाख है और केवल एक जनाना अस्पताल हो उसकी तरफ भी ध्यान दिया जाय और उसका जितना भी विकास हो सके किया जाय। मौजूदा स्थान पर उसका विकास नहीं हो सकता, उसके लिये दूसरा स्थान उपलब्ध कराना चाहिये।

एडलट्रेशन के बारे में कहा गया। मैं कहना चाहता हूं कि आज एडलट्रेशन के जितने मुकदमे प्रदेश में चले हों आप उनको मंगा कर देखिये, और मैं अपनी जानकारी के आधार कहता हूं कि ९९ प्रतिशत मुकदमें छोटे दूकानदारों पर चलते हैं जिनकी माली हालत २०० रु० से ५०० रु० होती है और जो बड़े व्यापारी हैं उनको कोई छूता तक नहीं जब कि वहीं ज्यादा अडल्ट्रेशन होता है। इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि आपने सजा तो जरूर अच्छी रक्खी है लकिन उसका दुरुपयोग होने से भ्रष्टाचार फैलेगा। इसलिये आप को ऐसा कानून बनाना चाहिये कि जो बड़े-बड़े केन्द्र हों ऐडलट्रेशन के उन पर ध्यान दिया जाय। इन शब्दों के साथ मैं अनुदान का समर्थन करता हूं।

*श्री रामलखन शुक्ल (जिला गोरखपुर)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं चिकित्सा मंत्री द्वारा प्रस्तुत अनुदान का समर्थन करता हूं। श्रीमन्, जनकल्याणकारी राज्य में चिकित्सा का विशेष स्थान है। हमारी सरकार ने निरन्तर इस दिशा में प्रयास किया है और गत २, ३, ४ वर्षों के बजट को देखने के बाद पता चलता है कि उसमें निरन्तर वृद्धि हुई है। इस अवसर पर मैं मंत्री जी को विशेष रूप से बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने गोरखपुर के पिछड़े क्षेत्र का खयाल रख कर वहां मेडिकल कालेज खोलने से संबंधित प्रारम्भिक कार्यवाही करने की घोषणा की। परन्तु इसके साथ ही मैं उनका ध्यान गोरखपुर क्षेत्र के उन सुदूर अंचलों की तरफ ले जाना चाहता हूं जो हर प्रकार से, यातायात से, शिक्षा से और चिकित्सा की दृष्टि से बहुत पिछड़े हुए हैं। मेरा मतलब बांसगांव तहसील के क्षेत्र से है जहां २०, २० मील तक इस प्रकार की चिकित्सा की कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है। वहां ऐसे ब्लाक्स हैं जहां हेल्थ सेन्टर्स नहीं खुले। मैं चाहता हूं कि मंत्री जी उधर ध्यान दें।

इस अवसर पर यह भी कहना चाहता हूं कि जैसा यह गरीब प्रदेश है उसको देखते हुए चिकित्सा की जो सस्ती पद्धतियां हैं उनकी ओर निश्चय ही ध्यान जाना चाहिये। इस सम्बन्ध में मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं कि होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति को सरकार ने जाब्ते से विज्ञान के रूप में स्वीकार कर लिया है और १९५१ में यू० पी० होम्योपैथिक मेडिसिन ऐक्ट पास किया। १९५२ में एक स्टेट बोर्ड आफ होम्योपैथिक मेडिसिन का निर्माण हुआ। इस से सिद्ध होता है कि होम्योपैथिक, ऐलोपैथिक और आयुर्वेदिक प्रणालियों में होम्योपैथिक को कोई इनफीरियारिटी का दर्जा नहीं मिला है। सरकार ने उसका समुचित स्थान स्वीकार करके इस अधिनियम को पारित किया। उस समय की एक बात याद दिलाना चाहता हूं कि जब यह ऐक्ट पास हुआ, १९५३ में सरकार की ओर से घोषणा की गयी कि जो प्रेक्टिस करने वाले होम्योपैथ्स हैं प्रदेश में उनको कुछ प्रमाण पत्रों के बाद स्वीकार कर लिया जाय कि वे प्रमाणित होम्योपैथ्स हैं और वह अवधि १९५८ में समाप्त हो गयी। मेरा ऐसा खयाल है कि इतने कम समय में पर्याप्त संख्या में जितने होम्योपैथ्स का रजिस्ट्रेशन होना चाहिये वह नहीं हो सका। उसके ढंग में भी कुछ दोष रहे और वह यह कि जहां शासकीय अधिकारियों के प्रमाण-पत्र पर उन्हें प्रमाणित किया गया, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के प्रमाण-पत्र को अगर ऐनालाइज किया जाय तो वह लेखपाल का प्रमाण-पत्र होता है। इसलिये बहुत से ऐसे व्यक्ति हैं जो प्रेक्टिस करते रहे परन्तु रजिस्ट्रेशन हासिल नहीं कर सके।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मैं कहूंगा कि जब सरकार ने यह रास्ता बिलकुल बन्द कर दिया कि प्रैक्टिस के आधार पर होम्योपैथ्स का रजिस्ट्रेशन हो तो सरकार पर इस बात की पूरी जिम्मेदारी आ गयी कि संस्थागत शिक्षा की व्यवस्था सरकार स्वीकार करे। हमें प्रसन्नता है कि जो पुस्तक मिली है विभाग की तरफ से उसमें सरकार का ध्यान इस ओर गया है और उसकी चर्चा है कि होम्योपैथिक शिक्षा का प्रचार करना चाहिये। लेकिन मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि जिन ५ कालेजों का जिक्र है जिनमें डिप्लोमा का कोर्स है.....

श्रीमन्, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। आप से क्षमा चाहते हुये मुझे निवेदन करना है कि माननीय बैजनाथ सिंह जी से जो आपकी वार्ता हो रही थी उसके कारण आप मेरी बात नहीं सुन सके इसके लिये मुझे दुख है।

श्री उपाध्यक्ष—

चलिये-चलिये, ठीक है।

श्री रामलखन शुक्ल—

मैं कह रहा था कि रजिस्ट्रेशन की प्रथा बन्द हो गयी, निश्चय ही जो लोग स्कूलों से निकलेंगे उनको ही प्रैक्टिस करने का अवसर मिलेगा। इस से स्पष्ट है कि इसकी जिम्मेदारी कि अच्छी शिक्षा हो, सरकार पर है। यह जिम्मेदारी जिस ढंग से निभायी जानी चाहिये वह नहीं हो रही है। आज के बजट को देखें १ लाख कई हजार रुपये इस मद में हैं, वह भी शिक्षा के मद में है या अनुदान के मद में है यह स्पष्ट नहीं है। जब सरकार स्वीकार करती है कि संस्थागत शिक्षा प्राप्त करने के बाद ही कोई प्रेक्टिस कर सकता है तो मैं समझता हूं कि होम्योपैथिक कालेज की दशा सुधरना चाहिये। माननीय सदस्यों ने कहा और मैं भी महसूस करता हूं कि इस प्रदेश के हैडक्वार्टर्स पर जो नेशनल होम्योपैथिक कालेज है जो एशिया में एक मात्र डिग्री कालेज है जिसके लिये लोगों की इच्छा है कि जिसमें ठीक ढंग से ५ वर्ष में पढ़ कर के एक स्नातक निकले। मिनिमम क्वालिफिकेशन एडमिशन की वही है जो ऐलोपैथिक कालेजेज के लिये है। तो जहां एडमिशन की इतनी बड़ी शर्त है, और ५ वर्ष का पढाई का समय भी है वहां पर अगर शिक्षा की व्यवस्था ठीक ढंग से नहीं होगी, ऐसे ही स्कूल किराये की इमारत में रहेगा, उसके लिये कोई खुद की इमारत नहीं होगी, तो मैं समझता हूं कि एक विडम्बना मात्र हो कर यह सारी चीज रह जायगी। मैं सुझाव देना चाहता हूं कि जब तक इसके लिये एक सेपरेट डाइरेक्टरेट नहीं होगा, जब तक प्रदेश का कोई प्रामीनेन्ट होम्योपैथ उसका इंचार्ज नहीं होगा तब तक कोई उचित कार्यवाही उस दिशा में नहीं हो सकेगी।

मैं विशेष रूप से होम्योपैथिक के सम्बन्ध में निवेदन करना चाहता था, कि जिस तरह से सरकार ने इस सम्बन्ध में कदम उठाये हैं, सरकार स्वयं अपने से स्वीकार करती है, तो उसका कर्तव्य हो जाता है कि इस काम को अपने हाथ में ले करके ऐसा व्यवहार करे जिससे लोगों के दिमाग में यह भ्रम न पैदा हो कि इसके प्रति सौतेली मां जैसा व्यवहार हो रहा है। इसके बजट को और आवश्यकताओं को देखते हुये, कालेज को देखते हुये, सुधार के सम्बन्ध में जो विचारधारा है, उसको देखते हुये ऐसा लगता है कि इसको वह स्थान प्राप्त नहीं हो सका जो होना चाहिये था। आज जो डाक्टरों की कमी है देहातों में तथा अन्य जगह, जहां ऐलोपैथिक डाक्टर्स जाते नहीं, या उपलब्ध नहीं होते, मैं समझता हूं, बड़ी भारी संख्या में पूर्ति हो सकती है अगर होम्योपैथिक डाक्टर्स को प्रोत्साहित किया जाय। मेरा अनुभव है कि देहातों में जो बिखरे हुये होम्योपैथिक अस्पताल हैं उनकी दशा नितान्त दयनीय है, उनमें दवाइयों का नितांत अभाव है जब कि होम्योपैथिक दवाइयां काफी सस्ती होती हैं, परन्तु वह भी देहातों में दूर जगहों पर नहीं पहुंच पाती हैं।

अगर हमने यह जि ारी जन-कल्याणकारी राज्य में ले रखी है कि हम लोगों को
जम्मेदारी भी हो जाती है कि हम सोचें कि अधिक से अधिक

[श्री रामलखन शुक्ल]

सेवा और अच्छे ढंग से हम कैसे काम कर सकते हैं। मैं समझता हूं कि होम्योपैथी का विज्ञान इसमें सरकार की काफी सहायता कर सकता है।

इन शब्दों के साथ मैं इस अनुदान का समर्थन करता हूं।

श्रीमती विनय लक्ष्मी सुमन (जिला टेहरी-गढ़वाल)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आभारी हूं कि आपने इस महत्वपूर्ण अनुदान पर मुझे बोलने का अवसर दिया है।

उपाध्यक्ष महोदय, जब तक हमारे बच्चे और हमारी जनता स्वस्थ नहीं होगी तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। जो रुपया बजट में रखा गया है वह इस काम के लिये बहुत कम है। इसके लिये बहुत ज्यादा रुपये की आवश्यकता है। हमारे जिले में भी समय-समय पर महिला चिकित्सालय खोलने की मांग होती है और जनता की ओर से मिनिस्टर साहब के पास लिख कर भी आया है। हमारे यहां देवप्रयाग बड़ा महत्वपूर्ण धार्मिक स्थान है, वहां महिला चिकित्सालय अवश्य होना चाहिये। नरेन्द्रनगर का चिकित्सालय वहां से बहुत दूर है। मेरा कहना है कि २०, २५ गांवों के बीच में एक महिला चिकित्सालय होना बहुत जरूरी है। जच्चा-बच्चा केन्द्र भी जरूरी होना चाहिये। हमारे यहां प्रसूति पीड़ा में अक्सर महिलाओं की "डेथ" हो जाती है। नैलचामी, हिन्दाव और ग्यारह गांव (जिला टेहरी-गढ़वाल) पट्टियों के बीच में एक प्रसूति गृह तत्काल खुलना चाहिये।

वैसे तो सरकार ने ऐलोपैथिक और आयुर्वेदिक को समान स्थान दे रखा है, लेकिन वह व्यवहार में भी होना चाहिये। ऐलोपैथिक के विस्तार का काफी काम सरकार कर रही है, इसके बहुत से कालेज भी हैं। इसमें खर्चा भी ज्यादा रखा है। होम्योपैथिक शहरों में ही नहीं बल्कि गांवों में भी अच्छी तरह से गरीबों का काम कर सकती है। ऐलोपैथी में उत्तराखंड प्रशासन क्षात्रों को १२५ रुपये माहवार छात्रवृत्ति देता है और बारह महीने देता है। लेकिन आयुर्वेदिक के छात्रों को केवल २० रुपये माहवार और वह भी केवल ८ महीने के लिये देता है। यह अन्याय है। आयुर्वेद बहुत ही अच्छा काम करता है। आयुर्वेद औषधालयों में दवाइयों का अधिक प्रबन्ध होना चाहिये।

दुर्भाग्य से, जैसा अभी हमारे मेहता जी ने कहा था, पहाड़ों में जिसे राज रोग कहते हैं, इस टी० बी० का फैलाव तेजी के साथ हो रहा है। मैं तो यह कहूंगी कि टी० बी० के मरीजों के लिये टेहरी-गढ़वाल में धनौल्टी बहुत अच्छी जगह है वहां भुवाली जैसा एक सैनिटोरियम खुलना चाहिये। वहां की आबहवा भी भुवाली जैसी ही है। जैसी शुद्ध वायु की टी० बी० के मरीजों को आवश्यकता होती है वैसी ही शुद्ध वायु वहां मिलती है।

दूसरी बात यह है कि नर्सों तथा लेडी डाक्टरनी की तो कमी है ही, लेकिन उनकी तनख्वाह भी बहुत कम है। उनकी तनख्वाह को बढ़ाना चाहिये। आमतौर पर यह बात कही जाती है कि आज डाक्टरों की बहुत कमी है। लेकिन लेडी डाक्टरनी की और भी ज्यादा कमी है। इस के साथ ही पहाड़ी क्षेत्र में तो कोई जाना भी नहीं चाहता है। इसका कारण यह है कि जो वहां जाता है उसके रहने के लिये कोई सुविधा वहां नहीं रहती। इसलिये मेरा सुझाव यह है कि पहले उनके रहने की व्यवस्था की जाय, उसके बाद ही कोई डिस्पेन्सरी या अस्पताल वगैरह खोला जाय।

माननीय मंत्री जी से मेरी प्रार्थना है कि जो मांग अभी मैंने की है उसकी तरफ ध्यान दिया जाय और महिलाओं की चिकित्सा के लिये २०–२५ गांवों के बीच में एक जच्चा-बच्चा केन्द्र जरूर खोला जाय।

जहां तक होम्योपैथिक दवाइयों का सम्बन्ध है, वे बीमारी को जड़ से मिटा देती हैं, चाहे लम्बा इलाज ही क्यों न चले। बीमारी को जड़ से मिटाने की शक्ति होम्योपैथी में है, तो

उस पर भी सरकार को ध्यान देना चाहिये । हालांकि एलोपैथिक सिस्टम से फायदा तो तुरन्त ही हो जाता है लेकिन रोग जड़ से नहीं मिट पाता है । इसलिये मेरी प्रार्थना है कि होम्योपैथी और आयुर्वेदी की जो संस्थायें या कालेज हैं उनको ज्यादा सुविधा देनी चाहिये । और जहां छात्रों के रहने के लिये व्यवस्था नहीं है वहां भवन बनवाने की व्यवस्था होनी चाहिये । हमारे पहाड़ी क्षेत्र में महिला चिकित्सालय खोलने चाहिये । वहां डिस्पेन्सरीज व डाक्टरों की बड़ी कमी है, उसकी पूर्ति हो और पूर्ति के लिये आप को उन को हिल एलाउंस देना चाहिये । तभी वे वहां जा सकते हैं । और ज्यादा न कह कर मैं इस अनुदान का समर्थन करती हूं । जय हिन्द ।

श्री वैजनाथ पांडेय (जिला इलाहाबाद)--

माननीय उपाध्यक्ष जी, आपका मैं आभारी हूं कि दो साल के बाद आपने इस महत्वपूर्ण अनुदान पर अपने विचार रखने का मुझे अवसर दिया । मान्यवर, यह विभाग जनता की सेवा से सम्बन्ध रखता है । जिस प्रकार से मनुष्य का सम्बन्ध भोजन, शिक्षा और वस्त्र के अलावा स्वास्थ्य से है, उसी प्रकार से यह विभाग जनता की सेवा कर रहा है। हमारी आयुर्वेदिक प्रणाली बहुत पुरानी है जो हजारों वर्ष से चली आ रही है। जब-जब बाहर से आक्रमण हुए उसको इस प्रणाली ने बर्दाश्त किया और आज भी वह कायम है। इतने प्रहार के बाद भी आज गांवों में जगह-जगह उन पुरानी विचारधाराओं के वैद्य व हकीम मिलते हैं जिनकी सूझ-बूझ से जनता का इतना हित होता है कि अगर वे कोई नुस्खा लिख कर दे देते हैं तो उनकी जड़ी बूटियों के उस छोटे से नुस्खे से ही जनता का बड़ा लाभ हो जाता है। आज जगह-जगह से इस प्रकार की मांग हो रही है कि हमारी पुरानी वैद्यक प्रणाली को कायम किया जाय और उस पर ध्यान दिया जाय ।

अंग्रेजी सभ्यता और अंग्रेजी चिकित्सा का आज जो ज्ञान हमें मिलता है, उस एलोपैथिक सिस्टम से कोई विशेष कल्याण भले ही शहरों का हो जाय लेकिन गांवों का नहीं हो पाता, वहां पर अधिकतर पहले की पुरानी आयुर्वेदिक और यूनानी प्रणालियां प्रचलित हैं और उन्ही की जनता की मांग भी है। अगर मंत्री जी भी उन्हीं सिस्टम्स को कबूल करें तो बड़ी कृपा होगी क्योंकि यह पुरानी प्रणाली चिरकाल से चली आ रही है और उसके सहारे से उनका पुनरुद्धार हो सकता है । जिस हंडिया क्षेत्र से हम आते हैं वहां ६३१ गांव हैं, पंडित जी के क्षेत्र में वहां श्रीमती विजय लक्ष्मी जी गईं तो वहां के लोगों ने उनके सामने यह मांग रखी कि हमारे यहां कोई आयुर्वेदिक अस्पताल नहीं है जिस से क्षेत्र की कठिनाई दूर हो सके । मंडवा में साधन न होने से गांव की स्त्रियों को कमला नेहरू मेमोरियल अस्पताल या डफरिन अस्पताल, प्रयाग जाना पड़ता है और वहां तक पहुंचने में अक्सर औरतों की प्रसव पीड़ा में मृत्यु तक हो जाती है । जी० टी० रोड के पास २ अस्पताल वहां हैं, लेकिन वहां तक उत्तरी भाग से जाने के कोई साधन नहीं हैं। श्रीमती विजय लक्ष्मी जी से वहां के गांव वालों ने प्रार्थना की थी कि हंडिया के उत्तरी हिस्से में साधन न होने के कारण मड़वा या वारी में अस्पताल कायम किये जायं ताकि लोगों की कठिनाई हल हो सके और उन्हें राहत मिल सके। दूरी के कारण प्रयाग तक पहुंचने में विशेषकर औरतों की व्याकुलता उनकी परेशानी में बहुत बढ़ जाती है और उनकी मृत्यु तक हो जाती है । मैं मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि मेरे निजी मकान के २ कमरे तैयार हुये हैं और मैं वह सरकार को देने को तैयार हूं, आप कृपा कर उसमें औरतों का जच्चा-बच्चा अस्पताल बना दें, उसमें अपने सारे साधन हम लगा चुके हैं । वहां और इमारत की जरूरत न होगी महज ४ रोगी शैय्या का इन्तजाम कर दिया जाय और वहां पर एक लेडी डाक्टर का प्रबन्ध आप कर दें । इतने से ही हमारे यहां का मसला हल हो जायगा । हमारे यहां के उत्तरी भाग में ध्यान जाना चाहिये ।

हमारे यहां एक कालेज आयुर्वेदिक प्रणली का खुल रहा है, उसका शास्त्री जी ने शिलान्यास किया है और आशा है कि उस से जनता का बहुत हित होगा। मैं आप से प्रार्थना करूंगा कि आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक प्रणाली की तरफ ध्यान दे कर इस दिशा में आपको अधिक प्रगति करनी चाहिये ।

[श्री वैजनाथ पाण्डेय---]

एक बात की मैं और प्रार्थना करूंगा कि दक्षिणी भाग में तो केवल ३२ गांव हैं, लेकिन उत्तरी भाग में हंडिया के करीब करीब ३४० गांव हैं लेकिन उस क्षेत्र में कोई ऐसा साधन नहीं है कि कठिन परिस्थिति में इलाहाबाद में जा कर अपने मरीज को लाकर तत्काल इलाज कराया जा सके, ट्रेन और बस के अलावा कोई और सड़क आदि का साधन नहीं है। लेकिन थोड़ा-सा आश्वासन अब इधर मिला है पंडित जी से और श्री श्यामधर मिश्र से और पी०डब्लू० डी० मंत्री जी से कि वहां उचित बन्दोबस्त किया जायगा और सड़क बनायी जायगी। इस से वहां की जनता का बड़ा हित होगा। हंडिया में जो गांधी आयुर्वेदिक कालेज का शिलान्यास माननीय शास्त्री जी ने किया है उसकी ओर कम ध्यान दिया गया है अगर आप उसके लिये बना दें, थोड़ा-सा बजट बना लें तो बड़ा कल्याण वहां की जनता का होगा। मुझे आशा है कि वहां की जनता की मांगों पर विशेष ध्यान दिया जायगा।

श्री धर्मदत्त वैद्य (जिला बरेली)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आज के अनुदान पर विस्तृत रूप के साथ अपने विचारों को व्यक्त करना चाहता था किन्तु दुर्भाग्य से इतना समय नहीं है कि मैं उन सारी चीजों को कह सकूं।

श्रीमन्, जहां तक इस अनुदान का प्रश्न है मैं इसका समर्थन करता हूं पर माननीय मंत्री जी की इस बात से मैं इत्तफाक नहीं करता, जैसा कि उन्होंने कहा कि बहुत-से स्टेटों की तुलना में हमने बहुत अधिक रुपया इस विभाग में रखा है। हमारे अस्पतालों में जो डाक्टरों की, दवाओं की, साज-सज्जा और कर्मचारियों की, कमी है, उसको देखते हुये और यहां की जनसंख्या को देखते हुए यह अनुदान बहुत ही कम है।

श्रीमन्, यह सत्य है कि हमने पिछले वर्षों में निरन्तर प्रगति की है और यह भी सत्य है कि यह एक ऐसा विभाग है कि जिसके द्वारा सेवा करने में और जनसमुदाय को स्वस्थ रखने में बहुत बड़ा हाथ रहा है। मुझे विशेष समय नहीं मिल सकता और न है, इसलिये मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान सूक्ष्म में आयुर्वेदिक चिकित्सा प्रणाली की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। माननीय मंत्री जी ने अपने भाषण में आयुर्वेद की प्रणाली की उन्नति के बारे में विशेष रूप से कहा था। श्रीमन्, जो कुछ भी धनराशि हमें आयुर्वेद के लिये इस योजना के अन्तर्गत प्राप्त हुयी है वह नगण्य है। और जो कुछ धनराशि इस बजट से दी गयी है वह बहुत ही सूक्ष्म है। यह सत्य है कि इसके निदेशालय के कायम होने इस विभाग ने प्रगति की है लेकिन जिन बातों पर हम गर्व कर सकते हैं, उनमें बहुत त्रुटियां हैं। हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में ६०० से ऊपर चिकित्सालय हैं जहां पर कहीं वैद्य नहीं हैं, कहीं पर दवायें नहीं हैं और कहीं पर और चीजें नहीं हैं, वहां पर रोगियों के रहने की कोई व्यवस्था नहीं है। कहीं-कहीं पर तो चिकित्सालय के लिये भी उपयुक्त स्थान नहीं है। कोई-कोई रोगी तो २—४ मील इलाज कराने के लिये जाते हैं पर दुख: है श्रीमन्, कि वहां पर इतना भी स्थान नहीं है कि दो घंटे बैठकर विश्राम ही कर लें। इस प्रकार से अस्पतालों की संख्या को न बढ़ा कर माननीय मंत्री जी यदि चिकित्सालय के भवन निर्माण करा देवें तो ज्यादा अच्छा हो सकता है। आज क्या होता है कि बीमार आया और दवा लेकर चला गया। इससे कार्य नहीं चलता और न रोगी को संतोष ही होता है।

हमारी जो आयुर्वेद की पद्धति है उस पर भी हमें विचार करना होगा। पिछले वर्षों से इस ओर ध्यान आकर्षित किया जाता रहा है लेकिन उसमें कोई सुधार नहीं हुआ है। जो हमारे पुराने वैद्य हैं, उनकी महत्ता आज धीरे-धीरे क्षीण हो रही है। हम विशुद्ध आयुर्वेद का पाठ्यक्रम बना रहे हैं उसमें मध्यमा को न्यूनतम योग्यता का रखा है, सांस्कृतिक विश्वविद्यालय वाराणसी से इसका सम्बन्ध होगा। उसमें विशेष रूप से शासन ध्यान दे और पर्याप्त धन दे जिस से इस विज्ञान को जीवित रखा जाये। इस सम्बन्ध में मैं यह भी कहना चाहता हूं कि इस विज्ञान का चिकित्सा ही करना उद्देश्य नहीं था बल्कि समाज में रोग ही उत्पन्न न होने देना इस का लक्ष्य था। इसलिये इस ओर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है ताकि रोग

उत्पन्न ही न हो। आज इस प्रदेश में जनसंख्या की वृद्धि को देखते हुये इस चिकित्सा प्रणाली में सुधार करने की आवश्यकता है जिससे जनसमुदाय को सस्ती और सुलभ चिकित्सा मिल सके। मैं यही कहता हूं कि एलोपैथिक द्वारा जो कार्य हो रहा है उसकी आवश्यकता है। यह विज्ञान का युग है। यदि हम लोग इस युग में रूढ़िवादिता पर चलेंगे तो पिछड़ जायेंगे। इसलिये इसकी आवश्यकता है किन्तु इसके साथ ही साथ हमारा जो प्राचीन विज्ञान है जिसके आधार पर हमारे समाज में उसका विशेष स्थान था और उसके द्वारा सेवा का कार्य होता था, उसकी ओर भी अवश्य ध्यान देना चाहिये।

एक बात और कहकर मैं अपनी बात समाप्त करूंगा.। हमारे इस विज्ञान के युग में बहुत से वैज्ञानिक शोध के कार्य में लगे हुये हैं। मैं इस विभाग के इंचार्ज से निवेदन करूंगा कि कोई अन्वेषण करके ऐसी औषधि का अनुसंधान करके ऐसी चीज निकालें जिस से जिला चिकित्सालयों के हमारे डाक्टर रोगियों के साथ सरलता, सहृदता और प्रेम के साथ बात किया करें। औषधि का असर तो देर से होता है लेकिन डाक्टर की सहृदयता एवं व्यवहार का रोगी पर तुरन्त असर होता है जिसका हमारे चिकित्सालयों में अभाव है। मुझे आशा है कि हमारे विभाग के लोग इधर ध्यान देंगे और माननीय मंत्री जी इस आयुर्वेदिक प्रणाली के उत्थान के लिये आगे वर्ष में और अधिक अनुदान देने की कृपा करेंगे।

श्री रामायण राय (जिला देवरिया)--

मान्यवर, मेरा विश्वास है कि उधर के बैठने वाले भी आज अगर उपस्थित होते ...

श्री सईद अहमद (जिला सहारनपुर)--

श्रीमन्, जो लंच में चले गये थे उनको भी मौका दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष--

आपको मौका दिया जा चुका है।

श्री सईद अहमद--

मैं चार वर्ष में सिर्फ दो बार बोला हूं।

श्री सुकन्दीलाल बैरिस्टर (जिला गढ़वाल)--

उपाध्यक्ष महोदय, बड़े अफसोस की बात है कि हमें समय नहीं मिला।

श्री उपाध्यक्ष--

आपको भी समय मिल चुका है।

*श्री रामायण राय--

मान्यवर, मैं निवेदन कर रहा था कि मेरा ऐसा विश्वास है कि यदि आज सदन के उधर के बैठने वाले उपस्थित होते तो वह भी हमारी इस राय से सहमत होते कि जहां हमारे प्रदेश के अन्य विभागों के अनुदान के समय बहुत सारी त्रुटियों की चर्चा की जाती है, वहां मैं मान्यवर, जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं कि हमारा यह विभाग, जिसका अनुदान सदन के समक्ष प्रस्तुत है, उसने जो कार्य किया है उसके ऊपर पूरे प्रदेश को गौरव होना चाहिये।

मान्यवर, इन बातों की ओर मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि पिछले दिनों लखनऊ यूनिवर्सिटी के कनवोकेशन के मौके पर जब डिप्टी चेयरमैन प्लानिंग कमीशन आये थे तो उन्होंने उन दिनों, परिवार नियोजन का जो कार्य हमारे प्रदेश में

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री रामायण राय]

हो रहा है, उसे देखने का समय निकाला था। उनका मत था कि प्रदेश में नियोजन के कार्य में जो लोग लगे हुये हैं, वे जिस तत्परता और मुस्तैदी से काम कर रहे हैं ऐसी तत्परता और मुस्तैदी यदि अन्य विभागों में भी आ जाय तो हमारा प्रदेश अन्य राज्यों के मुकाबले में पिछड़ा नहीं रहेगा।

मान्यवर, मेरा ऐसा व्यक्तिगत विश्वास है कि इस प्रदेश में जहां एक ओर हमारे सामने उत्पादन का प्रश्न है कि किस प्रकार से उसकी पूर्ति की जाय ठीक उसी तरह से इस देश के आगे बड़ा भारी प्रश्न यह है कि बढ़ती हुयी जनसंख्या पर कैसे काबू पाया जाय।

इस दिशा में इस विभाग के लोगों ने जो सराहनीय प्रगति की है, उस के साथ-साथ मैं, मान्यवर, स्वास्थ्य चिकित्सा विभाग के अन्य विभागों की ओर भी आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। रोगों की रोक थाम के क्षेत्र में मलेरिया विभाग द्वारा जो काम हुआ है, उसकी सदन में चर्चा हुई। मैं मान्यवर, केवल एक वाक्य में कहना चाहता हूं--मुझे स्मरण है कि विश्व स्वास्थ्य संघ के अध्यक्ष महोदय ने जब हमारे इस विभाग के कार्य को देखा तो उन्होंने कहा था "भारत जैसे देश में और खास कर उत्तर प्रदेश में इस दिशा में जो उपलब्धियां हुयी हैं, उन्हें देखकर इस बात को स्वीकार करता हूं कि पश्चिमी देशों में भी इतनी सफलता नहीं हुई है।" इस के साथ ही, मान्यवर, चिकित्सा क्षेत्र में भी और जो उसके दूसरे क्षेत्र हैं, उन में भी हमारे सीमित साधनों को देखते हुये उसकी प्रशंसा करके सदन का समय नष्ट नहीं करना चाहता हूं।

कुछ उपयोगी सुझाव, जो बार-बार इस सदन के समक्ष माननीय सदस्य प्रस्तुत करते रहे हैं, उन की तरफ आज भी मैं ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि यदि हम चाहते हैं कि दवाओं का अभाव दूर हो सके, यदि हम यह चाहते हैं कि जनता को दवायें ठीक ढंग से मिल सकें, तो हमारे लिए आवश्यक होगा कि दवाओं के उत्पादन और वितरण के क्षेत्र में राजकीय व्यापार की प्रथा अपनानी होगी। यह ऐसा काम होगा कि जिस काम के करने के बाद हम जनता में विश्वास पैदा कर सकेंगे कि वह जो दवायें खरीदते हैं वह असली और सच्ची हैं और इस से रोगों का परिहार हो सकेगा।

इस के साथ-साथ मैं माननीय मन्त्री जी से कहना चाहता हूं कि नर्सेज की जो हालत है उन की जो कठिनाइयां हैं, उन पर भी माननीय मन्त्री जी का ध्यान जाना चाहिये। यहां पर इस बात की चर्चा हुई है कि जहां हमारे यहां डाक्टरों का अभाव है, वहीं पर नर्सेज का भी अभाव है। यह ठीक है माननीय मन्त्री जी ने डाक्टरों का अभाव दूर करने के लिए उन की शिक्षा की व्यवस्था बड़ी तत्परता से करनी शुरू कर दी है। उन्होंने पी० एम० एस०--(वन) और (टू) का एमल्गमेशन भी कर दिया है। लेकिन डाक्टरों के अतिरिक्त रोगी की परिचर्या में नर्सेज जो लड़कियां हैं या अन्य जो छोटे मोटे टेक्नोशियन्स हैं, जैसे लेबोरेटरी असिस्टेंट या एक्सरे टेक्नीशियन या जो और कर्मचारी हैं उन की भी सेवायें कम महत्व की नहीं हैं। इसलिए मैं चाहूंगा कि नर्सेज की कमी की पूर्ति करने के लिए जो वर्तमान परिस्थितियां हैं उनका परिमार्जन किया जाये। आजकल उन्हें जो पुरस्कार मिलता है वह आकर्षक नहीं है, केवल यह संकेत मैं माननीय मन्त्री जी से करना चाहता हूं।

अन्त में मैं एक बात की ओर माननीय मन्त्री जी का ध्यान आकर्षित कर रहा हूं, जिस बात का सम्बन्ध हमारे जनपद से है। माननीय सदस्यों को सुनकर आश्चर्य होगा कि जहां पर हमारे प्रदेश में डाक्टरों का इतना अभाव है, वहीं पर देवरिया जिला एक ऐसा जिला है, जिस में ३०-३० साल से काम कर रहे चिकित्सक को वहां की परिषद् के प्रमुख महोदय ने वहां से अलग कर दिया और कहा कि उन पर काफी धन व्यय हो रहा है, जब कि उन की मोटर पर और उनके बंगले पर जो भारी व्यय है वह अपव्यय नहीं मानते। लेकिन चिकित्सक, जिस पर हजारों लोगों के लाभ के लिए व्यय हो रहा था उसे ठीक नहीं समझा। मैं, मान्यवर, आप से आग्रह

करना चाहता हूं कि हमारा जिला एक ऐसा जिला है जहां आज भी बीसों मील तक अस्पताल नहीं है। मैं सदन में सुना करता हूं कि राष्ट्रीय सरकार ने यह नियम बनाये हैं कि जहां ब्लाकों के हेडक्वार्टर्स हैं वहां पर अस्पताल होने चाहिये। लेकिन हमारे यहां एक पात्थरदेवा ब्लाक है जहां पर चिकिसा की कोई व्यवस्था नहीं है।

मान्यवर, मैं एक विनम्र आग्रह मन्त्री जी से करना चाहता हूं। अखबारों में मुझे पढ़ने को मिला और तरह-तरह से विचार व्यक्त किये गये कि चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग को एक होना चाहिये या नहीं। भोर कमेटी ने इस पर ब्योरे से विचार किया था और उनके अनुसार जो प्राथमिक इकाई की रचना है और जो कार्यावधि और रूपरेखा उसकी होनी चाहिये उसको देखते हुये, केन्द्रीय स्वास्थ्य मन्त्रिणी के विचारों को दृष्टिगत रखते हुये हमारे प्रदेश में इस दिशा में जो प्रशासन का ढांचा है वह सर्वोत्तम ढांचा है और उसके चलते हुये ही हमारे विभाग में पिछले दिनों इतना श्रेयस्कर कार्य किया है। विभाग का ढांचा ऐसा ही रहना चाहिये।

यदि मैं, श्रीमन्, चिकित्सा शिक्षा के बारे में अपने विचार व्यक्त न करूं तो मेरा विचार अधूरा रह जायगा। मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि गांधी मेमोरियल अस्पताल और इस से सम्बन्धित जो लखनऊ मेडिकल कालेज है उस में से कुछ ऐसे कारण हैं जिन से न्यूरो सर्जरी के सर्वोत्कृष्ट डाक्टर टण्डन को यहां से जाना पड़ा और ऐसे ही बहुत से विशेषज्ञों को हमारे विद्यार्थियों को पढ़ाने का काम छोड़कर दिल्ली की ओर जाना पड़ा है, इस प्रश्न की ओर माननीय मन्त्री का ध्यान जाना चाहिये। मैं ऐसा समझता हूं कि उन्होंने तृतीय पंचवर्षीय योजना में इन कार्यों के लिए जैसे न्यूरो-सरजरी और प्लास्टिक सर्जरी और ऐसे ही विशेष कामों के लिए जो धन व्यवस्थित किया गया है, यदि वह व्यवस्थित रूप में खर्चा होता और उसके लिए जो आवश्यक उपादान चाहिये था अगर वह आ जाता तो सम्भव है कि डाक्टर टण्डन जैसे व्यक्तियों की सेवाओं से और उन के ज्ञान से यह प्रदेश वंचित न रहता। डाक्टर्स या विशेषज्ञ पैदा करना साधारण बात नहीं है और हमें गर्व है कि भारत के अनेकानेक क्षेत्रों में हमारे प्रदेश के डाक्टर्स अपना विशेष स्थान रखते हैं लेकिन उसी के साथ-साथ हमें यह भी कहना है कि उन के ज्ञान के क्षेत्र को आगे ले जाने के लिए आवश्यक है कि उन के द्वारा जो विशेष सेवायें मिलने वाली हैं उन की ओर आपका विशेष ध्यान हो।

अन्त में मैं माननीय मन्त्री जी को इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने थोड़े अरसे में ही जब से उन्होंने इस विभाग का कार्यभार संभाला है एक चमत्कारपूर्ण सफलता प्राप्त की है। इन शब्दों के साथ मैं इस अनुदान का समर्थन करता हूं।

श्री दाऊदयाल खन्ना--

उपाध्यक्ष महोदय, मैं सभी माननीय सदस्यों का बहुत आभारी हूं कि उन्होंने काफी सुझाव अपने व्याख्यानों में दिये हैं। मैं इतना ही विश्वास दिला सकता हूं कि हम उन सुझावों को पूर्णरूप से कार्यान्वित कराने की कोशिश करेंगे। जो बहुत सी शिकायतें क्षेत्रों के विषय में हैं उनके सम्बन्ध में मैं उन्हीं माननीय सदस्यों से प्रार्थना करूंगा कि वे थोड़ा सा ब्योरा उन के बारे में मुझ को दें जिस से मैं उस दिशा में कुछ कदम उठा सकूं।

जहां तक डाक्टरों के न होने की बात है उस के बारे में सभी माननीय सदस्यों ने चर्चा की है। मैंने भी उसकी चर्चा शुरू में की थी, और मैं इतना ही कह सकता हूं कि हम इस बात की पूरी कोशिश करेंगे कि यह जो हालत है, दूर हो। हमारी डिस्पेंसरीज जिन की तादाद बहुत है, उनमें डाक्टरों की कमी का प्रश्न किसी तरह से हल हो। जहां तक मेरा ताल्लुक है, मैं यह समझता हूं कि जो हमारे इन्टीग्रेटेड कोर्स के डाक्टर्स हैं वे हर तरह से काबिल हैं। मैं समझता हूं कि डिस्पेंसरीज में जब वह डाक्टर्स काम करेंगे तो बहुत अच्छा काम करेंगे। बहुत से सदस्यों से एक सवाल के सप्लीमेंन्टरीज में जो बातें कहीं थीं उससे जाहिर होता था कि वे इसे

[श्री दाऊदयाल खन्ना]

पसन्द नहीं करते हैं कि एलोपैथिक अस्पतालों में इन्टीग्रेटेड कोर्स के डाक्टर्स जायं। मैंने उस वक्त भी कहा था और आज भी दोहराता हूं कि इन्टीग्रेडेड कोर्स के डाक्टर्स वहां जायेंगे तो चूंकि ये दोनों चीजें जानते हैं मुझे पूरा विश्वास है कि जब वे कार्य करेंगे तो उससे आस पास की जनता भी सन्तुष्ट होगी और जो माननीय सदस्य उस क्षेत्र से आते हैं वे भी सन्तुष्ट होंगे। और जैसा कि मैं ने अर्ज किया इन ११० डिस्पेंसरीज में हम २, ३, महीने के अन्दर उन को भेज देंगे और कुछ समय उन को देखकर कि किस तरह से वे काम करते हैं आगे फैसला लेंगे। अगर हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि बहुत जिम्मेदारी के साथ वे अच्छा काम करते हैं, लोगों की वहां पर अच्छी सेवा हो रही है तो फिर कोई माने नहीं हैं कि इनको उस काम में न रखा जाय और इस बात का इन्तजार करते रहें कि जब एम० बी० बी० एस० पास कर के निकलेंगे तो उन को जगह देंगे। हमारे ये इन्टीग्रेटेड विद्यार्थी पास होकर जितने निकलेंगे और जितने हम को मिलेंगे तो हम उनकी सेवा से लाभ उठाने की कोशिश करेंगे।

ऐडवाइजरी कमेटी का जिक्र किया गया कि वह जिला अस्पतालों के लिए होती थी। मुझे मालूम नहीं है कि उन की मीटिंग अब होती है या नहीं। बहुत से माननीय सदस्यों ने बतलाया कि मीटिंग नहीं हो रही है। १, २ अस्पताल की मुझे जानकारी है, वहां पर मीटिंग होती है। इस सिलसिले में मैं समझता हूं कि कमेटी की मीटिंग बहुत ही जरूरी चीज है। जब हमारे अस्पतालों का इतना विकास हो रहा है और इतना ज्यादा पैसा खर्च कर रहे हैं, डाक्टर भी ज्यादा जा रहेहैं तो अस्पतालों में इस के लिए ऐसा जरिया जरूर होना चाहिये जो समय-समय पर आपस में बैठकर अपनी राय दे सकें, और अगर कोई कमी है तो उसकी तरफ सिविल सर्जन का ध्यान दिलाया जा सके। इसको मैं जरूरी समझता हूं। इस दिशा में बहुत जल्द कदम उठाया जायगा कि हर जिले के अस्पताल में एक ऐडवाइजरी कमेटी की स्थापना हो जाय। इस बात को हिदायत करदी जायगी कि जैसा माननीय सदस्यों ने सुझाव दिया है कि तीन महीने में एक उस कमेटी की मीटिंग हो जाय। इस तरह से साल भर में ४ मीटिंग होने का मौका मिल जायगा, तो उस में विचार करने का मौका मिल जायगा।

यह कहा गया कि लखनऊ होमियोपैथिक कालेज के लिए रुपये का इन्तजाम कर दिया गया है, लेकिन जमीन का प्रबन्ध नहीं हो सका है। आप जानते हैं कि अपने प्रदेश में कोई डिक्टेटरशिप की हुकूमत तो है नहीं कि जिसकी चाहे उसकी जमीन होमियोपैथिक कालेज के लिए ले लें। जमीन के एक्वायर करने की प्रोसीडिंग चली, तो किसी भाई ने जाकर हाई कोर्ट में रिट दाखिल कर दी। हाई कोर्ट के अख्तियार आप जानते हैं कि बहुत हैं। अगर वहां पर रिट दायर हो गयी, और हाई कोर्ट ने रिट स्टे आर्डर कर दिया तो फिर मजबूरी हमारे सामने आ जाती है लेकिन हम कोशिश में हैं कि कोई और जमीन मिल जाय। उस दिशा में हमने जानकारी प्राप्त की है और उस सम्बन्ध में हम उम्मीद करते हैं कि उसका हल निकलेगा। जिस से जमीन प्राप्त हो और उस के भवन निर्माण का कार्य हम प्रारम्भ करें।

उपाध्याय जी ने जड़ी बूटियों की तरफ ध्यान दिलाया। ऐसी बात नहीं है कि उस तरफ हमारा ध्यान न हो। मैं इस बात को मानता हूं कि जो पुरानी वैद्यक साइंस है, हम यह नहीं कह सकते कि उस में कुछ नहीं है। उस में बहुत कुछ है। हमारे देश में उस के द्वारा सदा से इलाज होता रहा है। इस की खोज के लिए मैं उन को बताऊं कि हरद्वार और रानीखेत में दो रिसर्च यूनिट कायम किये गये हैं कि जिसका सिर्फ काम यही है कि अपने देश में जो पुरानी जड़ी बूटियां हैं उन की लिस्ट तैयार करें और उनके देखभाल करके इकट्ठा करें और जहां से वह मिलें उस की सूचना एकत्रित करें और फिर जिस काम में वह आती हों, उस की रिपोर्ट दें। यह काम रिसर्च यूनिट का है और वह काम बहुत अच्छी तरह से हो रहा है। इस दिशा में कदम उठाया जा चुका है। और इस में भारत सरकार भी मदद कर रही है।

हजरतगंज डिस्पेंसरी का चर्चा हुआ। वह काफी बढ़ी है और वहां पर बहुत भीड़ रहती है। उस से सहूलियत भी है। कहा गया कि उस को एक्सपैंड किया जाय। अब जाहिर है कि हजरतगंज डिस्पेंसरी के चारों तरफ कोई जगह तो है नहीं कि और एक्सपैंड हो सके। इस में कोई शक नहीं है कि सुबह के वक्त में ज्यादा भीड़ होती है और ज्यादा मरीज आते हैं। इतनी भीड़ हो जाती है कि वहां पर दम सा घुटने लगता है। यह जाहिर बात है कि वहां पर लोगों को ज्यादा सुविधा मिलती है। दूसरे, अस्पताल जाने की ज्यादा आदत लोगों को होती जा रही है। इस वजह से भीड़ होती है। इसका कुछ इन्तजाम होना चाहिये। अभी यह चीज विचाराधीन है कि इस के लिए क्या किया जाय। कुछ सदस्यों ने पार्टी मीटिंग में भी सुझाव दिया था कि इन्फार्मेशन डिपार्टमेंट का जो भवन है उस में इस डिस्पेंसरी को ले जाय जाय। यह अच्छा सुझाव है लेकिन इस विषय में मैं सरेदस्त कुछ अर्ज नहीं कर सकता। बहरहाल, इस दिशा में सोचना है कि उसका वहीं पर एक्सपैन्शन हो या दूसरी जगह उस को ले जाया जाय। मैं जानता हूं कि यह बड़ी परेशानी है।

एक सदस्य---

माननीय मन्त्री जी ने फरमाया था कि ऐसे टी० बी० क्लिनिक खोले जा रहे हैं जहां दवा मिला करेगी और वे अपने घर पर उसे इस्तेमाल करेंगे, यह बड़ा गलत काम होगा। डाक्टरों ने अपनी जिम्मेदारी से बचने के लिए यह योजना बनायी है।

श्री दाऊदयाल खन्ना---

माननीय गिरधारीलाल जी ने वाराणसी के कालिज का जिक्र किया और कहा कि ५ लाख जो रुपया दिया गया है वह बहुत कम है, मैं यह निवेदन कर दूं कि यह रुपया तो केवल जमीन खरीदने के लिए दिया गया है। खर्चा तो और बहुत होगा। चौथी प्लान में उस की शुरूआत होगी। ७० हजार के करीब इस साल के बजट में रखा है ताकि पढ़ाई आदि का काम हो।

माननीय धर्मदत्त वैद्य जी ने फरमाया कि आजकल जो वैद्य निकल रहे हैं वे सलफा ड्रग्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। बड़े-बड़े वैद्य मेरे इल्म में हैं, वे जानते हैं कि बहुत सी बीमारियां, जैसे निमोनिया आदि ऐसी हैं जिन की दवा आयुर्वेद में नहीं है। यह भी ठीक है कि बहुत से रोग सलफा ड्रग्स से अच्छे हो जाते हैं। किन्तु जो यह वैद्य लोग चूर्ण बनाकर इनका इस्तेमाल करते हैं, वह गलत है। सलफा ड्रग्ज का इस्तेमाल हो, मगर वह उसी तरह से हो, चूर्ण आदि बना कर नहीं होना चाहिये। वैसे जिस से फायदा हो उसका इस्तेमाल होना चाहिये। जिन तकलीफ का इलाज एलोपैथिक दवा से हो सकता है उनका इस्तेमाल इन इन्टीग्रेटेड कोर्स के डाक्टरों को करना चाहिये। आयुर्वेदिक सिस्टम से अगर ऐसी दवा कोई निकलती है जो बहुत फायदेमन्द साबित हो तो उसका भी इस्तेमाल किया जायेगा। मैं दो-तीन मिनट का टाइम और लूंगा।

श्री उपाध्यक्ष---

५ मिनट का समय बढ़ाया जाता है।

श्री दाऊदयाल खन्ना---

इसमें कोई शक नहीं है कि देहातों में जच्चा बच्चा केन्द्र पर दाइयों का प्रबन्ध होना चाहिये। हम ने अपने इस बजट वर्ष में १४०० ट्रेन्ड दाइयों को भेजने का इन्तजाम किया है। ४-४ दाई हम एक-एक ब्लाक में भेजने के लिए सोच र हैं।

एक माननीय सदस्य ने नर्सेज के बारे में भी चर्चा की। मैं उनकी जानकारी के लिए बता दूं, मुझे अभी सूचना मिली है, ३१० नर्सेज का मामला सिलेक्शन कमेटी के सामने आया था, उनमें से २१ ही ऐसी हैं, जो कन्फर्म नहीं हुई हैं, और यह भी वह हैं जो आयी नहीं हैं, या कागजात पूरे नहीं थे उन के ।

श्री जे० पी० मिश्र--

१०० डाक्टरों वाली रिकमेन्डेशन का क्या हुआ ?

श्री दाऊदयाल खन्ना--

अभी वह रिपोर्ट फाइनलाइज नहीं हुई है।

एक बार फिर मैं सभी माननीय सदस्यों को धन्यवाद देता हूं और उन के प्रति आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने आज की इस बहस में हिस्सा लेकर और अपने सुझाव देकर हमें काफी मदद दी है और इस के अलावा भी मेरी यह हमेशा कोशिश रही है कि जब-जब जो सुझाव हमें उन से मिलते रहेंगे, मैं हमेशा उन पर अमल करने की कोशिश करूंगा। इन शब्दों के साथ मैं सदन से निवेदन करूंगा कि वह इस मांग को स्वीकार करें।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या १८--चिकित्सा के अन्तर्गत ९,३०,३४,४०० रुपये की मांग सन् १९६५-६६ के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या १९--सार्वजनिक स्वास्थ्य के अन्तर्गत ९,५१,७१,३०० रुपये की मांग सन् १९६५-६६ के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष--

अब आज जो प्रश्न पर विवाद है वह कल होगा।

अब हम उठते हैं और कल ११ बजे फिर बैठेंगे।

(इसके बाद सदन ५ बजकर २ मिनट पर अगले दिन के ११ बजे तक के लिए स्थगित हो गया।)

देवकीनन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ :
११ मार्च, १९६५।

नत्थी 'क'

(देखिये अल्पसूचित तारांकित प्रश्न १ का उत्तर पीछे पृष्ठ २३५ पर)

होली के अवसर पर जिलों को दी गयी चीनी की मात्रा मी० टनों में

जिले का नाम	५–२–६५ के आदेश द्वारा	२७–२–६५ के आदेश द्वारा	योग
१––कानपुर	३०	३०	६०
२––इलाहाबाद	३०	३०	६०
३––झांसी	२२	२०	४२
४––लखनऊ	३०	३०	६०
५––बरेली	२२	२०	४२
६––वाराणसी	३०	३०	६०
७––गोरखपुर	२२	२०	४२
८––मिर्जापुर	१८	१८	३६
९––आगरा	३०	३०	६०
१०––सहारनपुर	२२	२०	४२
११––मेरठ	२२	२०	४२
१२––देहरादून	२२	२०	४२
१३––अलीगढ़	२२	१८	४०
१४––मथुरा	२२	१८	४०
१५––मुरादाबाद	२२	२०	४२
१६––रामपुर	१८	१८	३६
१७––शाहजहांपुर	१८	१८	३६
१८––मुजफ्फरनगर	१८	१८	३६
१९––बुदायूं	१८	१८	३६
२०––फर्रुखाबाद	१८	१८	३६
२१––इटावा	१८	१८	३६
२२––जौनपुर	१८	१८	३६
२३––सीतापुर	१८	१८	३६
२४––फैजाबाद	२२	२०	४२
२५––बस्ती	१८	१८	३६
२६––आजमगढ़	१८	१८	३६
२७––गोंडा	१८	१८	३६
२८––बहराइच	१८	१८	३६
२९––बुलन्दशहर	१८	१८	३६
३०––बाराबंकी	१८	१८	३६
३१––बिजनौर	१८	१८	३६
३२––पीलीभीत	१८	१८	३६
३३––फतेहपुर	१८	१८	३६
३४––जालौन	१८	१८	३६
३५––हमीरपुर	१८	१८	३६

जिलों के नाम			५-२-६५ के आदेश द्वारा	२७-२-६५ के आदेश द्वारा	योग
३६--बांदा	..	..	१८	१८	३६
३७--गाजीपुर	..	..	१८	१८	३६
३८--बलिया	..	..	१८	१८	३६
३९--देवरिया	..	..	१८	१८	३६
४०--नैनीताल	..	..	१८	२०	३८
४१--अल्मोड़ा	..	..	१८	१८	३६
४२--पिथौरागढ़	..	..	१८	१०	२८
४३--गढ़वाल	..	..	१८	१८	३६
४४--चमोली	..	..	१८	१०	२८
४५--टेहरी गढ़वाल	..	..	१८	१०	२८
४६--उत्तर काशी	..	..	१८	१०	२८
४७--उन्नाव	..	..	१८	१८	३६
४८--राय बरेली	..	..	१८	१८	३६
४९--हरदोई	..	..	१८	१८	३६
५०--खीरी..	..	..	१८	१८	३६
५१--सुल्तानपुर	..	..	१८	१८	३६
५२--प्रतापगढ़	..	..	१८	१८	३६
५३--मैनपुरी	..	..	१८	१८	३६
५४--एटा ..	..	..	१८	१८	३६
योग ..			१,०७२	१,०१८	२,०९० मी० टन

नत्थी 'ख'

[देखिये नियम ३९ (२) के अन्तर्गत तारांकित प्रश्न १ का उत्तर पीछे पृष्ठ २४२ पर]

सन् १९६२ से १९६४ तक मैनपुरी जिले में निम्नलिखित लोगों को ऋण दिया गया, अन्य आवश्यक विवरण उनके सामने दिया है।

क्रम-संख्या	नाम	कार्य शुरू कर दिया है या नहीं
	१९६२–६३	
१	सर्वश्री यज्ञ दत्त पालीवाल	शुरू कर दिया है।
२	मंगल चन्द्र	,,
३	गृह उद्योग चर्मशोधन सहकारी समिति लि०, कुरहल ..	,,
४	राम स्वरूप	,,
५	राज बहादुर	,,
६	मिश्री लाल	,,
७	नाथू राम	,,
८	दामोदर दास	,,
९	रामचन्द्र	,,
१०	कन्हईलाल	,,
११	गुड़ खंडासारी उपभोक्ता सहकारी समिति, मन्छना, ..	,,
१२	खूब चन्द्र	,,
१३	राजाराम	,,
१४	लाला राम	,,
१५	जौहरी लाल	,,
१६	रामनारायण	,,
१७	गंगादीन	,,
१८	राज नारायण	,,
१९	छोटे लाल	,,
२०	गुड़ खांडसारी उपभोक्ता सहकारी समिति लि०, वेवड़ ..	,,
२१	गृह उद्योग चर्मशोधन सहकारी समिति लि०, सिरसागंज ..	,,
२२	महेश चन्द्र उपाध्याय	,,
२३	सरदार केसर सिंह	,,
२४	राधेश्याम गुप्त	,,
२५	भावामल	,,
२६	राधाकिशन	,,
२७	लालसिंह	,,
२८	तोफान सिंह	,,
२९	राम सहाय	शुरू नहीं किया।
३०	देवीदयाल	,,
३१	नाथू राम	शुरू कर दिया है।
३२	दौजी राम	,,
३३	लटूरी राम	,,

क्रम-संख्या	नाम			कार्य शुरू कर दिया है या नहीं
३४	सर्वश्री जोधा राम	..	..	शुरू कर दिया है।
३५	ओम प्रकाश	..	..	,,
३६	नवाब खां ..	..	..	शुरू नहीं किया है।
३७	मलिखान सिंह ..	..	..	,,
३८	बाबू राम ..	..	..	शुरू कर दिया है ।
३९	बल्लभ सिंह ..	..	..	शुरू नहीं किया है।
४०	ब्रह्मा नन्द मिश्रा	..	..	शुरू कर दिया है।
४१	बाबू राम ..	..	..	,,
४२	घवन ..	..	..	शुरू नहीं कियाहै।
४३	छविनाथ सिंह	..	..	,,
४४	होरी लाल ..	१९६३-६४	..	शुरू कर दिया है।
४५	इन्स इ लाहो	..	..	,,
४६	मातादीन ..	..	..	,,
४७	पातीराम ..	..	..	,,
४८	श्री राम ..	..	..	,,
४९	ओम प्रकाश ..	..	..	शुरू नहीं किया है।
५०	अनोखे लाल ..	..	..	शुरू कर दिया है।
५१	सैयद अली ..	..	..	,,
५२	साधू राम ..	..	..	,,
५३	चन्द्र प्रकाश ..	..	..	,,
५४	शिवनाथ सिंह ..	..	..	,,
५५	नरेन्द्र सिंह यादव	..	..	,,
५६	राम भरोसे लाल	..	..	,,
५७	बाकें लाल ..	..	..	,,
५८	महेश चन्द्र गुप्ता	..	..	शुरू नहीं किया है।
५९	बलवीर सिंह ..	..	..	शुरू कर दिया है।
६०	दौजीराम ..	..	..	,,
६१	प्रह्लाद सिंह ..	..	..	,,
६२	रमेश चन्द्र शर्मा	..	..	,,
६३	श्री गोकुल ..	..	..	,,
६४	राम दयाल ..	..	..	,,
६५	भक्ती लाल ..	..	..	,,
६६	श्री कल्याण ..	..	..	,,
६७	जीवालाल ..	..	..	,,
६८	माता प्रसाद ..	..	..	,,
६९	अशर्फीलाल ..	..	..	शुरू नहीं किया है
७०	शम्भू शरन जैन	..	..	,,
७१	हरि चरन लाल व इन्द्र देव सिंह		..	,,
७२	पान्डे इंजीनियरिंग वर्क्स	..	..	जांच हो रही है ।

नत्थी 'ग'

[देखिये नियम ३९ (२) के अन्तर्गत तारांकित प्रश्न २ का उत्तर पीछे पृष्ठ २४४ पर]

बाराबंकी जिले में अप्रैल सन् ६३ से मार्च ६४ तक तथा अप्रैल ६४ से नवम्बर ६४ तक जितने व्यक्तियों को बंदूक व रिवाल्वर के लाइसेंस दिये गये हैं उनकी थानेवार सूची

थाना	अप्रैल सन् ६३ से मार्च ६४ तक जितने व्यक्तियों को बन्दूक तथा रिवाल्वर के लाइसेन्स दिये गये हैं, उनकी संख्या		अप्रैल सन् ६४ से नवम्बर सन् ६४ तक जितने व्यक्तियों को बन्दूकें तथा रिवाल्वर के लाइसेन्स दिये गये हैं, उनकी संख्या	
	बन्दूक	रिवाल्वर	बन्दूक	रिवाल्वर
१—कोतवाली	६६	३	३६	४
२—सफदरगंज	६९	२	५१	१
३—कोठी	६३	१	७१	२
४—कुरसी	२२	..	३९	..
५—रामसनेहीघाट	३१	४	२६	१
६—टिकैतनगर	३८	१	५०	..
७—भेलसर	४३	१	२५	..
८—मवई	३२	२	१६	१
९—फतेहपुर	८८	२	७१	..
१०—मोहम्मदपुर	३४	१	३४	..
११—रामनगर	६१	४	५५	..
१२—लोनीकटरा	१५	..	२६	..
१३—सुबेहा	१०	..	३२	१
१४—राज्य कर्मचारी	६१	..	१७	१
	६३३	२१	५४९	११

बाराबंकी जिले में मार्च, १९६३ में बन्दूक व रिवाल्वर के लाइसेंसदारों की थानेवार संख्या। मार्च, १९६३ में बन्दूक और रिवाल्वर के लाइसेंसदारों की संख्या।

थाना				बन्दूक	रिवाल्वर
१—कोतवाली	..	..	..	२४७	२९
२—सफदरगंज	..	..	..	१५१	७
३—कोठी	..	..	..	१२३	३
४—कुरसी	..	..	..	७०	१
५—रामसनेहीघाट	..	..	..	१०६	४

थाना				बन्दूक	रिवाल्वर
६—टिकैतनगर	..	..	..	९२	५
७—भेलसर	..	..	..	८७	३
८—मवई	..	..	..	५८	२
९—फतेहपुर	..	..	..	११९	७
१०—मोहम्मदपुर	..	..	..	६४	२
११—रामनगर	..	..	..	१८३	१६
१२—लोनीकटरा	..	..	..	६९	२
१३—सुबेहा	..	..	..	३६	..
१४—राज्य कर्मचारी	..	..	..	२३३	१९
				१६३८	१००

नत्थी 'घ'

[देखिये नियम ३९ (२) के अन्तर्गत तारांकित प्रश्न ७ का उत्तर पीछे पृष्ठ २४५ पर]

उत्तर प्रदेश सरकार

भाषा विभाग

संख्या २५७६/२१—३ (३५)-१९६४

लखनऊ, २२ अक्तूबर, १९६४

कार्यालय ज्ञाप

विषय—हिन्दी संबंधी आदेशों का कार्यान्वयन ।

शासकीय कार्यों में हिन्दी, जो इस प्रदेश की राजभाषा है, अधिक से अधिक इस्तेमाल करने के लिये समय-समय पर आदेश जारी किये गये हैं । हिन्दी का प्रयोग सरकारी कामों में बराबर होता रहे इस उद्देश्य से सरकारी कार्यालयों का निरीक्षण भी किया जाता है लेकिन कार्यालयों के निरीक्षण के समय बहुधा यह देखने में आया है कि बहुत से कार्यालयों में न तो हिन्दी संबंधी परिपत्र ही मौजूद हैं और न उन विषयों में हिन्दी का प्रयोग किया जाता है जिनमें अनिवार्य रूप से हिन्दी का प्रयोग होना चाहिये ।

२—ऐसे कार्यों की एक अद्यावधि सूची जिन्हें अनिवार्य रूप से हिन्दी में करना चाहिये, इस कार्यालय ज्ञाप के साथ सुविधा के लिये संलग्न कर दी गई है । यह सूची शासकीय परिपत्र संख्या १५७८/२१—३-(२३)-६१, दिनांक १ जुलाई, १९६१ के साथ परिचालित की जा चुकी है ।

३—अतएव, अधोहस्ताक्षरी को यह अनुरोध करने का निदेश हुआ है कि हिन्दी की प्रगति के बारे में निकाले गये सब आदेशों का, जहां तक हो सके, कड़ाई के साथ पालन किया जाय ।

जीवन चन्द्र पाण्डे,
उप-सचिव ।

सेवा में—
(१) सचिवालय के समस्त विभाग,
(२) उत्तर प्रदेश के समस्त विभागाध्यक्ष
डिवीजनों के आयुक्त, जिलाधीश, जिला जज तथा अन्य कार्यालयाध्यक्ष,
(३) समस्त पदेन हिन्दी अधिकारी ।

ऐसे कार्यों की सूची जो अनिवार्य रूप से हिन्दी में ही किये जायेंगे

(जिसका उल्लेख कार्यालय ज्ञाप के पैरा २ में किया गया है)

१—(क) विधान मण्डल द्वारा पारित सभी विधेयक तथा अधिनियम,
(ख) विधान सभा की संपूर्ण कार्यवाही,
(ग) विधान सभा विभाग का सारा प्रशासकीय कार्य ।

२—विधान सभा के प्रश्नों के उत्तर ।

३—(क) संविधान के अनुच्छेद २१३ के अधीन जारी किये गये अध्यादेश,

(ख) भारत के संविधान अथवा संसद या राज्य के विधान मंडल द्वारा निर्मित किसी विधि के अधीन, राज्य सरकार द्वारा जारी की गई आज्ञायें, नियम, विनियम और उपविधियां ।

४—मंत्रि-परिषद् का सारा कार्य ।

५—सचिवालय के भाषा, सूचना और पंचायतराज विभागों से संबंधित कार्य ।

६—जनता से संबंधित सारा कार्य, जैसे जनता के साथ पत्र-व्यवहार, जनता के नाम जारी किये गये वक्तव्य, अपीलें इत्यादि ।

७—निर्णयों तथा डिक्रियों को छोड़कर, न्यायालयों के अन्य सभी कार्य ।

८—साइनबोर्ड, नोटिसों, आदि का कार्य ।

९—दैनिक प्रयोग के अपेक्षण-पत्रों (requisitions) का भरा जाना ।

१०—विधान मंडल के प्रश्नों से संबंधित सारा टिप्पण और आलेखनकार्य तथा पत्र-व्यवहार ।

११—कर्मचारियों के आवेदन-पत्रों से संबंधित कार्य ।

१२—रीतिक अवसरों के निमन्त्रण-पत्र तथा कार्य-क्रम और मंत्रियों तथा अधिकारियों आदि के दौरों का कार्य-क्रम ।

१३—कैलेंडर तथा छुट्टियों की सूचियों का कार्य ।

१४—लिफाफों पर पते लिखने का कार्य ।

१५—चपरासियों, जमादारों तथा सिपाहियों, वार्डरों आदि के चपरासी बिल्ले आदि ।

१६—सरकारी कार्यालयों की मुहरें, रबड़ की मुद्रायें, इत्यादि ।

१७—पत्रावलियों के शीर्षक (heading) आदि का भरा जाना । (यदि किसी विशेष कारण से अंग्रेजी में लिखना आवश्यक हो, तो उन्हें हिन्दी के साथ कोष्ठक (brackets) में लिखा जाय ।

१८—नैत्यक प्रकार का समस्त कार्य, उदाहरणार्थ पत्रावलियों का मंगाया जाना, रसीदों व पत्रावलियों को वापस मंगाने का अनुस्मारक छुट्टियों के आवेदन-पत्रों पर आदेश, अंकन (marking) आदि ।

*१९—भारत सरकार के खाद्य तथा कृषि मंत्रालय से पत्र-व्यवहार ।

---

*शासकीय परिपत्र सं० २२३०/२१—३ (८)-६१, दिनांक १२ दिसम्बर, १९६३ द्वारा अनिवार्य किया गया ।

नत्थी 'ङ'

(देखिये तारांकित प्रश्न २ का उत्तर पीछे पृष्ठ २४६ पर)

गन्ना आयुक्त, उत्तर प्रदेश के कार्यालय के राजपत्रित अधिकारियों के नाम, पद, दिनांक जिससे वह कार्य कर रहे हैं तथा उनके कर्तव्यों का संक्षिप्त विवरण

क्रम-संख्या	नाम	दिनांक जिससे वह इस पद पर कार्यकर रहे हैं	कर्तव्यों का विवरण (जो १८-१२-६४ से लागू हैं)
१	श्री गुरू प्रसाद सेठ, उप-गन्ना आयुक्त (क्रय विक्रय)।	२६-५-१६५७	गन्ना क्रय विक्रय संबंधी कार्य के इंचार्ज एवम् सहकारी गन्ना समितियों के प्रशासनिक संबंधी कार्य। गन्ना समिति भोगी कर्मचारियों की अपीलें इत्यादि।
२	श्री गुरू प्रसाद कपूर, उप-गन्ना आयुक्त (विकास)।	३-११-५८	गन्ना विकास के कार्य के इंचार्ज तथा गन्ना सेवा समूह १ व २ के स्थापना संबंधी कार्य के भी इंचार्ज हैं।
३	श्री विश्वनाथ सिंह, अतिरिक्त उप-गन्ना आयुक्त (विकास)।	२५-४-६३	गन्ना सधन विकास परियोजना के इंचार्ज। मेरठ डिवीजन के सभी जिले के यूनियनों और कौंसिलों का मुवाइना तथा सामान्य शिकायतें-पत्रों की जांच।
४	श्री बेनी राम चतुर्वेदी, उप-गन्ना आयुक्त (को० शुगर फक्टरी)।	२७-१०-५६	उत्तर प्रदेश में सहकारी चीनी मिलों की स्थापना संबंधी कार्य के इंचार्ज, इसके अतिरिक्त आडिट स्टैब्लिशमेंट का भी काम देखते हैं।
५	श्री महेश चन्द्र चतुर्वेदी, उप-गन्ना आयुक्त तथा उप-प्रशासक (सहकारी चीनी मिलें)।	२३-१-६५	सहकारी चीनी मिलों के प्रशासन संबंधी कार्य तथा गन्ना आयुक्त कार्यालय के स्थापना अनुभाग के इंचार्ज। राजपत्रित अधिकारियों की स्थापना संबंधी कार्य एवम् स्थापना अनुभाग के अन्य सामान्य मामले भी देखते हैं।
६	श्री योगेश दयालु, उप-गन्ना आयुक्त तथा उप-चीनी आयुक्त,	७-८-६४	चीनी तथा खाण्डसारी अनुभाग के इंचार्ज, इसके अतिरिक्त उक्त अनुभाग के समस्त कर्मचारियों तथा गन्ना निरीक्षकों के स्थापना संबंधी कार्य के इंचार्ज।
७	श्री भानु प्रताप सिंह, सहायक गन्ना आयुक्त (प्रशिक्षण)।	१७-७-६१	विभागीय प्रचार एवम् कर्मचारियों के प्रशिक्षण संबंधी कार्य के इंचार्ज, लिपिक वर्ग एवम् चतुर्थ श्रेणी के

नाम व पद	दिनांक जिससे वह इस पद पर कार्य कर रहे हैं	कर्तव्यों का विवरण (जो १८-१२-६४ से लागू हैं)
		कर्मचारियों के स्थापना संबंधी कार्य भी देखते हैं, इसके अतिरिक्त सेन्ट्रल रेंज के जिलों की यूनियनों तथा कौंसिलों का मुआइना तथा सामान्य शिकायती-पत्रों की जांच ।
८—श्री राम निवास, सहायक गन्ना आयुक्त ।	४-११-५९	विभागीय एसीलेरेटेड विकास परियोजना के इंचार्ज हैं । गोरख-पुर देवरिया तथा बस्ती जिले की यूनियनों तथा कौंसिलों का मुआइना तथा सामान्य शिकायतीं-पत्रों की जांच ।
९—श्री चन्दन सिंह, सहायक गन्ना आयुक्त (विकास) ।	६-१-६२	सामान्य गन्ना विकास कार्य तथा गन्ना सुपरवाइजरों की स्थापना संबंधी समस्त कार्य देखते हैं । विशेषतः रूहेल खण्ड डिवीजन के जिलों एवम् हलद्वानी की यूनियनों तथा कौंसिलों का मुआइना तथा सामान्य शिकायतीं-पत्रों की जांच ।
१०—श्री हरिश चन्द्र माथुर/सहायक गन्ना आयुक्त (क्रय-विक्रय) ।	२१-७-५९	विभागीय लेखा सम्बन्धी प्रशासनिक कार्य, सालसी दावे, स्टोर पर्चेज सेक्शन समितियों की निरीक्षण टीपें, विशेष चेकिंग स्कवायड, ऋण प्रार्थना-पत्र और स्टेशनरी, समितियों के प्रस्ताव को स्वीकार करना तथा अन्य सामान्य विषय । विभाग के काम-दारों से संबंधित स्थापना का कार्य और अपीलें ।
११—श्री केशव देव तिवारी, आडिट आफिसर ।	७-२-६२	गन्ना समिति एवम् परिषदों के आडिट के इंचार्ज । आडिट फीस का मूल्यांकन तथा गन्ना समितियों के वाद संबंधी कार्य ।
१२—श्री मोहन लाल दीक्षित, लेखा अधिकारी ।	४-३-५५	सम्पूर्ण प्रदेश, प्रधान कार्यालय सहित-के लेखा संबंधी कार्य के इंचार्ज । राज-पत्रित अधिकारियों के स्थापना संबंधी कार्यों में तथा पेंशन व स्थायी-करण संबंधी मामलों में, सहायता देते हैं ।

नाम व पद	दिनांक जिससे वह इस पद पर कार्य कर रहे हैं	कर्तव्यों का विवरण (जो १८-१२-६४ से लागू है)
१३—श्री लक्ष्मी नारायण शर्मा, लेखा अधिकारी ।	७-४-६२	जिला गन्ना अधिकारियों के कार्यालयों तथा गन्ना विकास परिषदों का निरीक्षण संबंधी कार्य । इसके अतिरिक्त विभागीय बीज गोदामों संबंधी मामले भी देखते हैं तथा विभागीय व्यय का हिसाब रखते हैं ।
१४—श्री सैयद मुहम्मद अतहर काजमी, आडिट तथा लेखा अधिकारी (का० शु० फ०) ।	७-१२-६०	उत्तर प्रदेशीय चीनी सहकारी मिलों के लेखा एवम् आडिट संबंधी कार्य ।
१५—श्री राजेन्द्रसिंह दुबे, खाद्य अधिकारी ।	५-१२-६३	खाद्य एवम् उर्वरक की पूर्ति एवम् वितरण संबंधी कार्य के इंचार्ज ।
१६—श्री यदुनाथ बली, सांख्यिक अधिकारी ।	१८-१२-५६	विभाग के समस्त सांख्यिक संबंधी कार्यों, क्राप कटिंग, एवम् अर्द्ध क्षेत्र प्रदर्शन परियोजना के इंचार्ज हैं ।
१७—श्री देव कुमार सेन, गन्ना संरक्षण अधिकारी ।	१९-११-५६	माइकालोजी साइड के गन्ना संरक्षण संबन्धी कार्य के इंचार्ज । इसके अतिरिक्त गन्ना संरक्षण उपकरण की व्यवस्था एवम् पूर्ति के भी इंचार्ज हैं ।
१८—श्री हेम चन्द पाण्डे, गन्ना संरक्षण अधिकारी ।	७-२-६३	इन्टोमोलोजी साइड के गन्ना संरक्षण संबंधी कार्य के उत्तरदायी हैं । कीटाणु नाशक रसायन इत्यादि के प्रबन्ध एवम् पूर्ति संबंधी कार्य को भी देखते हैं ।
१९—श्री विश्वनाथ कपूर, गन्ना निरीक्षक ।	२२-९-६२	गन्ने की कीमत, कर तथा ब्याज एवम् केन सेस, पर्चेज टैक्स संबंधी मामले एवम् इनके वाद संबंधी मामले देखते हैं । इसके अतिरिक्त उप-गन्ना आयुक्त तथा उप-चीनी आयुक्त को उनके कार्य में सहायता करते हैं ।

नत्थी 'च'

(देखिये तारांकित प्रश्न १० का उत्तर पीछे पृष्ठ २५३ पर)

सूची

नगर के थानों के नाम	थानाध्यक्ष का नाम	जिले में तैनाती का समय	पिछले कार्यकाल की अवधि	
	सर्वश्री			
१—चौक	इंस्पेक्टर राज बक्स सिंह	३-२-६३ से	१७-१२-४९ से	२५-१२-५९
२—हजरतगंज	इंस्पेक्टर जे० पी० मुन्शी	२०-६-६३ से	२२-१-४७ से	२२-१-५१
३—कैसरबाग	इंस्पेक्टर आर० के० वर्मा	३-९-६३ से	..	..
४—कृष्णानगर	सब-इंस्पेक्टर आर० पी० सिंह	२२-१०-६१ से	१०-४-४९ से	२-२-५०
५—आलमबाग	सब-इंस्पेक्टर आर० एन० शर्मा ।	३-१२-६१ से	..	..
६—कैन्टूनमेन्ट	सब-इंस्पेक्टर मोहम्मद अब्दुल हफीज खां ।	८-३-६३ से	१५-७-४३ से	७-३-४४
७—सआदतगंज	सब-इंस्पेक्टर बी० एन० मिश्रा ।	१-७-६३ से	..	..
८—हसनगंज	सब-इंस्पेक्टर आर० एस० शर्मा ।	२४-८-६३ से	..	..
९—वजीरगंज	११-१-६५ से स्थान रिक्त है ।	..	..	..

नत्थी 'छ'

(देखिये तारांकित प्रश्न २८ का उत्तर पीछे पृष्ठ २५८ पर)

देवरिया, आजमगढ़, जौनपुर तथा गाजीपुर जिलों में १९६४–६५ में विकास कार्यक्रम पर ३०–९–६४ तक हुए कुल व्यय का विवरण

(लाख रुपयों में)

शीर्षक	३० सितम्बर, १९६४ तक व्यय†
१—कृषि सम्बन्धी कार्यक्रम—	
१–१—कृषि उत्पादन	१४.५२९
१–२—लघु सिंचाई	३६.५९०
१–४—पशुपालन	३.४३३
१–७—मत्स्यपालन	०.०७६
योग ..	५४.६२८
२—सहकारिता तथा सामुदायिक विकास—	
२–१—सहकारिता	०.२४४
२–२—सामुदायिक विकास	४१.५४७
२–३—पंचायत	१.६७६
योग ..	४३.४६७
३—सिंचाई तथा विद्युत—	
३–१—सिंचाई	८६.७४०
३–२—बाढ़ नियंत्रण	३.३३९
३–३—विद्युत	५.२७०
योग ..	९५.३४९
४—ग्राम एवं लघु उद्योग	२.४८३
५—सड़कें	५.७०१
६—समाज सेवायें—	
६–१—सामान्य शिक्षा	५६.०३७
६–२—प्राविधिक शिक्षा	१.१८०
६–४—स्वास्थ्य	१४.७६६
६–६—पिछड़ी जातियों का कल्याण	०.५०२
६–७—समाज कल्याण	०.०१५
योग ..	७२.५००
कुल योग ..	२७४.१२८

†इसमें योजनागत व्यय जो तृतीय पंचवर्षीय योजना का भाग है, भी सम्मिलित है।

नत्थी 'ज'

(देखिये तारांकित प्रश्न २९ का उत्तर पीछे पृष्ठ २५८ पर)

देवरिया, आजमगढ़, जौनपुर तथा गाजीपुर जिलों में १९६५–६६ के लिये संयुक्त जांच समिति की संस्तुतियों के आधार पर सम्भावित अतिरिक्त परिव्यय का विवरण

(लाख रुपयों में)

शीर्षक	तृतीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत परिव्यय के अतिरिक्त परिव्यय जिसकी स्वीकृति दी जा चुकी है	तृतीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत परिव्यय के अतिरिक्त परिव्यय जिसकी स्वीकृति योजना आयोग से सूचना मिलने पर और दिये जाने की आशा है
१—कृषि संबंधी कार्यक्रम—		
१–१—कृषि उत्पादन	१६.००	२४.००
१–२—लघु सिंचाई	४०.००	१७०.००
१–३—भूमि संरक्षण	..	१०·००
१–४—पशुपालन	५.००	३.००
१–५—मत्स्य पालन	२.००	..
योग ..	६३ ००	२०७.००
२—सहकारिता	५.००	..
३—सिंचाई तथा विद्युत—		
३–२—बाढ़ नियंत्रण	३५.००	२५.००
३–३—विद्युत	..	१०.००
योग ..	३५.००	३५.००
४—ग्राम एवं लघु उद्योग ..	१८.००	२२.०
५—सड़कें	..	५५.००
६—समाज सेवायें ..		
६–१—सामान्य शिक्षा ..	८.००	२.००
कुल योग ..	१२९.००	३२१.००

नत्थी 'झ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ३० का उत्तर पीछे पृष्ठ २५८ पर)

घटना का विवरण

२२-८-६४ को श्री योगेन्द्रनाथ मिश्रा ने इस आशय की रिपोर्ट थाना कोतवाली, हरदोई में लिखाई कि इसी दिन शाम के ४-४५ बजे गवर्नमेन्ट इन्टर कालेज, हरदोई के पास उन पर दो व्यक्तियों ने हमला किया जिनमें से एक ने इनके डंडे मारे, और रुपये छीन लिये। डंडे मारने वाले अभियुक्त को जिसका नाम सज्जाद सा० कस्बा सांड़ी मालूम हुआ। घटनास्थल पर ही पकड़ लिया गया और कोतवाली ले जाया गया। वादी ने अपनी रिपोर्ट में एस० ओ०, सांड़ी के विरुद्ध इस हमले में उनकी साजिश होने का आरोप लगाया था। अभियुक्त का चालान किया जा चुका है और मुकदमा न्यायालय में विचाराधीन है।

सत्यमेव जयते

नत्थी 'ञ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ४० का उत्तर पीछे पृष्ठ २६१ पर)

सितम्बर, १९६४ से जनवरी, १९६५ तक मंत्रि परिषद् के सदस्यों के दिल्ली के दौरे, कार्य का विवरण तथा उन पर अलग अलग खर्च की तालिका

क्रम-संख्या	मंत्री के नाम	दौरे की तिथि	कार्य का विवरण	खर्चा
१	२	३	४	५
१	श्रीमती सुचेता कृपालानी, मुख्य मंत्री । ..	१ सितम्बर, १९६४	सरकारी	अभी बिल नहीं बने हैं ।
		५ से ६ सितम्बर, १९६४	,,	
		१३ सितम्बर, १९६४	,,	,,
		२७ सितम्बर, १९६४	,,	,,
		२५ से २९ अक्तूबर, १९६४ ।	,,	,,
			,,	,,
		१७ से १९ नवम्बर, १९६४।	,,	,,
			,,	,,
		१४ से १६ दिसम्बर, १९६४।	,,	,,
			,,	,,
		१९ से २३ दिसम्बर, १९६४।	,,	,,
			,,	,,
		२ जनवरी से ५ जनवरी, १९६५।	,,	,,
१	श्री हुकुमसिंह विसेन, राजस्व मंत्री ।	२८ सितम्बर, १९६४	सरकारी	३३६.३८
		२३ दिसम्बर, १९६४	,,	अभी बिल नहीं बने हैं ।
१	श्री गिरधारीलाल, सिचाई मंत्री ।	१२ से १५ सितम्बर, १९६४ ।	सरकारी	अभी बिल नहीं बने हैं ।
		१९ से २१ सितम्बर, १९६४ ।	,,	,,
		६ से ७ अक्तूबर, १९६४ ।	,,	,,
		५ नवम्बर, १९६४ ।	,,	,,
		१५ से १७ दिसम्बर, १९६४ ।	,,	,,
		२३ दिसम्बर, १९६४ ।	,,	,,
		१ से ३ जनवरी, १९६५ ।	,,	,,
		१२ जनवरी, १९६५ ।	,,	,,
		२१ और २२ जनवरी, १९६५ ।	,,	,,
		२७ और २८ जनवरी, १९६५ ।	,,	,,
		३१ जनवरी, १९६५ ।	,,	,,

क्रम-संख्या	मंत्री के नाम	दौरे की तिथि	कार्य का विवरण	खर्चा
१	२	३	४	५
४	श्री चरणसिंह, कृषि मंत्री	१७ से २० सितम्बर, १९६४।	सरकारी	अभी बिल नहीं बने हैं ।
		३० नवम्बर, १९६४ ।	,,	६०.००
		३१ दिसम्बर, १९६४ से १ जनवरी, १९६५।	,,	अभी बिल नहीं बने हैं ।
५	श्री सैयद अली जहीर, न्याय मंत्री ।	१५ से १७ अक्तूबर, १९६४ ।	सरकारी	७१३.८५
		१४ से १६ दिसम्बर, १९६४ ।	,,	७१०.२५
६	श्री हरगोविन्दसिंह, गृह मंत्री ।	१३ से १४ दिसम्बर, १९६४ ।	सरकारी	२९१.१५
७	श्री मुजफ्फर हसन, परिवहन मंत्री ।	दिल्ली का कोई दौरा नहीं किया ।		
८	श्री राममूर्ति, सामुदायिक विकास मंत्री ।	दिल्ली का कोई दौरा नहीं किया ।		
९	श्री चतुर्भुज शर्मा, स्वायत शासन मंत्री ।	१२ व १३ अक्तूबर, १९६४ ।	सरकारी	१८४.५०
		३० नवम्बर, १९६४ } ३ जनवरी, १९६५ }	,,	अभी बिल नहीं बने हैं ।
१०	श्री जगमोहनसिंह नेगी, खाद्य तथा रसद मंत्री ।	२८ सितम्बर, १९६४ ।	सरकारी	२१९.७०
		२६ अक्तूबर, १९६४ ।	,,	२१८.७२
		१७ व १८ नवम्बर, १९६४ ।	,,	३१९.३०
११	डा० सीताराम, समाज कल्याण मंत्री ।	दिल्ली का कोई दौरा नहीं किया ।		
१२	श्री दाऊदयाल खन्ना, स्वास्थ्य मंत्री ।	१५ व १७ नवम्बर, १९६४। } ३ से ८ दिसम्बर, १९६४ }	सरकारी	अभी बिल नहीं बने हैं ।
१३	श्री बनारसीदास, सहकारिता मंत्री ।	४ से ५ सितम्बर, १९६४।	सरकारी	३५.५०
		२१ से २३ सितम्बर, १९६४ ।	,,	७८.००
		२७ से २९ अक्तूबर, १९६४ ।	,,	२०.५०
		४ से ५ नवम्बर, १९६४ ।	,,	८८.००
		२९ से ३० नवम्बर, १९६४ ।	,,	८४.५०

क्रम-संख्या	मंत्री के नाम	दौरे की तिथि	कार्य का विवरण	खर्चा
१	२	३	४	५
		२ से ४ दिसम्बर १९६४।	सरकारी	१५८.००
		७ से १४ दिसम्बर, १९६४।	,,	२०७.००
		२० से २३ दिसम्बर, १९६४।	,,	१५८.००
		३१ दिसम्बर, १९६४ से ३ जनवरी, १९६५।	,,	९८.००
		२१ से २२ जनवरी, १९६५।	,,	१३७.७०
१४	श्री कैलाशप्रकाश, शिक्षा तथा वित्त मंत्री	८ से ११ सितम्बर, १९६४।	,,	१२१.७५
		७ अक्तूबर, १९६४।	,,	२०१.८०
		१४ अक्तूबर, १९६४।	,,	६२.५०
		१७ नवम्बर, १९६४।	,,	८५.५०
		१३ व १४ दिसम्बर, १९६४।	,,	४०४.००
१५	श्री जगनप्रसाद रावत, सार्वजनिक निर्माण मंत्री।	२४ से २६ नवम्बर, १९६४	,,	१७५.६०
		३० नवम्बर, १९६४	,,	,,
		१३ व १४ दिसम्बर, १९६४।	,,	अभी बिल नहीं बने हैं।
		१४ जनवरी, १९६५।		

नत्थी 'ट'

(देखिये अतारांकित प्रश्न ६ का उत्तर पीछे पृष्ठ २६६ पर)

जिलाधीश शाहजहांपुर द्वारा १–६–६३ से ८–१–६५ तक जिन व्यक्तियों को बिना पुलिस इन्क्वायरी के आतशी असलहों के लाइसेंस दिये गये, उनकी सूची

क्रम-संख्या	नाम व पता जिसको लाइसेन्स दिया गया	असलहा जिसका लाइसेन्स दिया गया
१	२	३
१	श्री देवेन्द्र नारायण, पुत्र हृदय नारायण, स्याह नवीस, तहसील सदर ..	एकनाली राइफल एन० पी० बोर
२	श्री मोहन सिंह, वल्द लल्लू सिंह	"
३	श्री वली उल्ला खां, पुत्र रफी उल्ला खां, साकिन औरंगाबाद ..	"
४	श्री कप्तान मुकुन्द सिंह, बी० एम० कमांड होम गार्ड्स, पुवायां	"
५	श्री जनार्दन प्रसाद, पुत्र गंगा राम, कर्मचारी आयल एन्ड नेचुरल गैस कमीशन	एकनाली बंदूक
६	श्री राम भरोसेलाल, एल० डी० सी० आर्डीनेन्स फैक्ट्री, शाहजहांपुर	"
७	श्री आनन्द प्रकाश निवास, पुत्र श्री राम नारायण मिश्र, मुस्तकिल नायब तहसीलदार, जलालाबाद	रिवाल्वर/पिस्टल
८	श्रीमती सफिया आसफ अली, मेडिकल आफीसर ..	"
९	मेजर दलीप सिंह, पुत्र श्री जिन्दर सिंह, बंगला नं० ३ आर्डीनेन्स क्लोदिंग फैक्टरी	"
१०	श्री चन्द्रपाल सिंह, पुत्र विजय बहादुर सिंह, ग्राम गोविन्दपुर ..	"
११	श्री नरेन्द्रपाल सिंह, पुत्र जोगराज सिंह, खेड़ा बझेड़ा ..	"
१२	डा० बीर मोहन, पुत्र डा० जैनारायण	दुनाली बंदूक
१३	श्री सत्यप्रकाश अग्रवाल, पुत्र श्री शिव नारायण अग्रवाल, जिला इम्पलायमेन्ट आफीसर	रिवाल्वर/पिस्टल
१४	श्री बृजनन्दन सहाय, पुत्र श्री देवकीनन्दन सहाय ..	"
१५	श्री मिश्री लाल गुप्त, पुत्र भोला नाथ ..	"
१६	श्री कुंवर गजेन्द्र रतन बहादुर सिंह, पुत्र श्री बजरंग सिंह ..	"
१७	श्री किशोरी लाल, पुत्र नत्थू राम द्वारा प्रहलाद चन्द, मोहल्ला मुफ्फरगंज ..	"
१८	श्री आर० एस० वोरा, एस० टी० ओ० हाइडेल, शाहजहांपुर	"
१९	श्री तिलकराज भोला, सब–इन्सपेक्टर, सेन्ट्ल इक्साइज, शाहजहांपुर	"
२०	श्री सुरेन्द्र विक्रम सिंह, एम० एल० ए० ..	रायफल एन० पी० बोर
२१	श्री हवलदार औसान नं० ६५६९९०,९५८ कम्पनी ए० एस० एसी० (जी० टी०)	एकनाली बंदूक

क्रम-संख्या	नाम व पता जिसको लाइसेन्स दिया गया	असलहा जिसका लाइसेन्स दिया दिया
१	२	३
२२	कैप्टन हरदयाल सिंह, पुत्र चौधरी शिवराम सिंह ..	दुनाली बंदूक
२३	श्री एहसान उल्ला सिद्दीकी, एक्जिक्यूटिव इंजीनियर ..	एकनाली बंदूक
२४	श्री हमीद उल्ला खां, पुत्र गनीउल्ला खां, मिश्रीपुर कोतवाली	,,
२५	श्री कन्हैया लाल, तहसीलदार तिलहर, पुत्र श्री बांकेलाल अग्रवाल	रिवाल्वर/पिस्टल
२६	श्री केशमे सिंह एम० एल० ए०, पुत्र श्री साधो सिंह ..	रायफल एन० पी० बोर ।
२७	श्री हरदयाल सिंह भू० पू० एम० एल० ए०, पुत्र श्री सरदारसिंह, साकिन शेरपुर	एकनाली बंदूक कारतूसी
२८	श्री बुद्धपाल सिंह, पुत्र महाराज सिंह, रशीदपुर ..	एकनाली रायफल
२९	श्री चन्द्र मौल मिश्र, पुत्र भगवान प्रसाद, कुंडरिया ..	,,
३०	श्री मुन्शी लाल, पुत्र सोवरन लाल, ग्राम चान्द्रपुर ..	दुनाली कारतूसी बन्दूक ।
३१	श्री भारतेन्दु गुप्ता, पुत्र श्री लाला गूंगाराम, मो० मोहम्मद जई	रिवाल्वर/पिस्टल एन०पी० बोर ।
३२	श्री गंगा दास पिपल, पुत्र श्री सुल्तान, जिला हरिजन सोशल वेलफेयर आफीसर।	,,
३३	श्री विक्रम सिंह मिलक ए० सी० ओ० तिलहर ..	,,
३४	श्री रामलाल, पुत्र श्री गौरीशंकर, खिरिया ..	,,
३५	श्री रामस्वरूप द्विवेदी, पुत्र श्री ज्वाला प्रसाद, मोजापरा झरसा ..	,,
३६	श्री राजा विक्रमशाह खुटार, पुत्र राजा गजेन्द्र शाह खुटार ..	दुनाली रायफल
३७	श्री अब्दुल वहीद खां, पुत्र अब्दुल अहमद खां, मो० हुन्डाल खेल ..	टोपी दार
३८	श्री महेशचन्द्र शुक्ल, पुत्र चन्द्रशेखर, असिस्टेन्ट लेफ्टीनेन्ट, एन०सी०सी०	रिवाल्वर/पिस्टल एन० पी० बोर ।
३९	श्री रमेश चन्द्र चेन्डिल, पुत्र श्री के० पी० गुप्ता, सिटी मजिस्ट्रेट .. असिस्टेन्ट सर्जन ग्रेड (हेल्थ सर्विस, देहली सेन्ट्रल, वेतन ६२०	,, ,,
४०	श्री कृष्णचन्द्र भारद्वाज, ए० सी० ओ०, पुत्र श्रीधर शर्मा, तिलहर	,,
४१	श्रीमती दमयन्ती तिवारी, पत्नी श्री ओ० पी० त्रिवेदी, डिस्ट्रिक्ट जज	,,
४२	श्री श्याम किशोर गुप्ता, एक्टिंग प्रेसीडेन्ट सिटी वार्ड ..	,,
४३	श्री हुकुम चन्द्र गुप्त, पुत्र लालाराम स्वरूप गुप्त, मो० कुंवरगंज, तिलहर ..	,,
४४	श्री वीरेन्द्र शाह, पुत्र शिवसरन शाह, ग्राम मुरादपुर ..	दुनाली बंदूक
४५	श्रीमती रानी देवी, पत्नी कुंवर इन्द्र जीत शाह, ग्राम मुरादपुर ..	पिस्टल
४६	,, ,, ,,	इकनाली बंदूक कारतूसी ।

क्रम-संख्या	नाम व पता जिसको लाइसेन्स दिया गया	असलहा जिसका लाइसन्स दिया गया
१	२	३
४७	श्री कृष्णकुमार बाजपेई, पुत्र बृजदत्त, असिस्टेन्ट स्टेशन मास्टर, जिदपुरा	एकनाली रायफल
४८	श्री मदन मोहन, पुत्र दमोदरदास, साकिन कच्चा कटरा, कोतवाली	रिवाल्वर/पिस्टल
४९	श्री अवध बिहारी श्रीवास्तव, पुत्र श्री माधो प्रसाद श्रीवास्तव, मो० कटिया टोला, सदर बाजार। ..	.. एकनाली रायफल
५०	श्रीमती कान्ती देवी, पत्नी श्री विरेन्द्र शाह, मुरादपुर	.. दुनाली कारतूसी बन्दूक
५१	श्री पी० पी० गुप्ता, एक्जीक्यूटिव हाइडेल कन्सट्रक्शन डिवीजन	रिवाल्वर/पिस्टल
५२	श्री आर० एल० खन्ना, पुत्र श्री बृजलाल खन्ना, जूनियर साइन्टिफिक आफीसर	एकनाली बंदूक
५३	श्री कमलेश चन्द्र, पुत्र श्री चोखेलाल, ग्राम पटई	.. रिवालवर
५४	श्री रघुराज सिंह, पुत्र श्री पीप सिंह, अलहदापुर बहोरी	.. एकनाली रायफल
५५	श्री गजराजसिंह पुत्र श्री सरदार सिंह, मौजा कोला पट्टी	.. रिवाल्वर/पिस्टल
५६	श्री रामा नुजम, पुत्र डी० अलागसन गराचरी जनरल मैनेजर कैरो एन्ड कम्पनी लि०	,,
५७	श्री शारदा सरन मिश्र, पुत्र श्री सी० एल० मिश्र, आफीसर इन्चार्ज प्रोजक्ट आयल एन्ड नेचुरल गैस कमीशन ..	एकनाली कारतूसी
५८	श्री सैयद मोहम्मद आदिल, पुत्र सैयद अब्दुल वहीद, द्वारा राममूर्ती अंचल एम० एल० ए० ..	,,
५९	श्री महेश चन्द्र मिश्रा, पुत्र श्री लालमन, ग्राम कुरया कला	.. दुनाली कारतूसी
६०	श्री मुहम्मद मुमताज अली, पुत्र श्री मुहम्मद नबी मु० झंडा कलां थाना कोतवाली ..	.. ,,
६१	श्री जागेश्वर नाथ पाठक, पुत्र पं० लाल बिहारी लाल पाठक, मो० मोहम्मद जई ..	.. रिवाल्वर/पिस्टल

नत्थी 'ठ'

(देखिये अतारांकित प्रश्न १५ का उत्तर पीछे पृष्ठ २७० पर)

	प्रति टन मेट्रिक	प्रति बोरी लगभग
	रु०	रु०
१–४–६३ से ३१–५–६३	.. १११.९२	५.६०
१–६–६३ से १९–८–६३	.. ११४.४२	५.७२
२०–८–६३ से ३०–९–६३	.. ११५.०२	५.७५
१–१०–६३ से ३१–१२–६३	.. ११४.८२	५.७४
१–१–६४ से ३१–३–६४	.. ११४.८७	५.७४

पी० एस० यू० पी०—ए० पी० २ एल० ए०–१९६५–८६२ ।